(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 5] पंचम् विधान सभा के पंचम् सत्र का 12वां दिवस [संख्या 8

बुधवार,

दिनांक 13 मार्च. 1974

विधान सभा की बैठक म० पू० 11-2 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[अकाल सहायता, विद्युत् गृह, सिचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, सार्वजनिक निर्माण, यातायात, उद्योग, श्रम, चिकित्सा, विधि एवं न्याय, समाज कल्याण विभाग]

प्रश्न संख्या 144

श्री अध्यक्ष : प्रश्न । श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिए)

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : बड़ा इम्पॉर्टेन्ट सवाल है साहब। भारतीयाजी भी इम्पॉर्टेन्ट हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न खत्म हो गया तो ले लेंगे बाद में।

प्रश्न संख्या 145

श्री रामसिंह विश्नोई ?

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिए)

श्री गुरदयालसिंह संधु !

गुरुद्वारा बुढ़ा जोहड़ पर गुन्डों द्वारा कब्जा

146. श्री **गुरदयालसिंह संधु** (करणपुर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि 23 फरवरी, 1972 को कुछ गुन्डों द्वारा गुरुद्वारा बुढ़ा जोहड़, तहसील रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर पर नाजायज हथियारों से कब्जा किया था ?

(2) क्या यह सही है कि 25 फरवरी, 1972 को उपरोक्त गुण्डों को एस. डी. एम. रायसिंहनगर व पुलिस मुक्लावा की निगरानी में ट्रक में गुरुद्वारे से उनके नाजायज असले समेत आलमगढ़ (जो अबोहर के पास है), जिला फिरोजपुर, पंजाब में पहुँचाया गया था ? उन गुण्डों के नाम व उनके पास जो हथियार थे उनकी सूची सदन की मेज पर रखी जावे ।

(3) क्या यह सही है कि वे गुण्डे बघेलसिंह की लाल कुरती गिरोह से सम्बन्धित थे ? यदि हां, तो उनके खिलाफ आज तक मुकदमा न चलाने व उनके हथियार न लेने का क्या कारण है ?

राज्य-मन्त्री, गृह (श्री गुलाबसिंह शक्तावत) : (1) जी नहीं । दिनांक 23

(राज्य मन्त्री, गृह)

फरवरी, 1972 को उक्त गुरुद्वारे पर कब्जा करने वाले फेरूमान दल के सिक्ख समर्थक थे जिनके पास नाजायज हथियार नहीं थे।

(2) जी नहीं। उक्त फेरूमान दल के सदस्यों की सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ट्रक में चक नारायणसिंह वाला, नजदीक श्रीगंगानगर के पास छुड़वाया गया था। इनके पास जो हथियार थे वे नाजायज नहीं थे। उन व्यक्तियों के नामों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है और जिन व्यक्तियों के पास जो हथियार थे उनकी भी सूची संलग्न कर दी गई है।

(3) जी नहीं। बघेलसिंह के लाल कुर्ता गेंग से इनका कोई सम्बन्ध नहीं पाया गया।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री गुरदयालसिंह संधु : क्या यह सत्य है कि उन व्यक्तियों के पहुँचने से पहले ही वहां पर एस० डी० एम०, रायसिंहनगर व पुलिस मुक्लावा को वहां पर तैनात कर दिया गया था ताकि वह उन लोगों की हिफाजत रख सके।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : फेरूमान दल के सदस्यों ने यह मांग की थी कि वहां पर झगड़ा होने का अन्देशा है, इस सूचना पर एस० डी० एम० वहां पहुँचे थे।

श्री गुरदयालसिंह संधु : मेरा प्रश्न स्पष्ट है। मैं यह जानना चाहता हूँ और मुझे यह बतलाया जाय कि जब उन्होंने एकदम गुरुद्वारे पर कब्जा कर लिया तो वैसे कोई उनके सामने खतरे का ख्याल ही नहीं था तो किस आधार पर पहले ही पुलिस को तैनात कर दिया ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : फेरूमान दल के सदस्य गुरुद्वारा में घुस गए थे, उसके बाद इत्तला की गई कि यहां पर जो सदस्य हैं वे झगड़ा करने पर उतारू हैं तो पुलिस और एस० डी० एम० मौके पर पहुँचे। उन्होंने वहां पहुँच कर इन लोगों को बाहर निकाला और बाहर निकालने के बाद यह भी महसूस किया गया कि बाहर भी झगड़ा हो सकता है इसलिए उन लोगों को सीमा पार ट्रक में बिठा कर बाहर भेज दिया गया।

श्री गुरदयालसिंह संधु : मेरा प्रश्न यह है कि कुछ लोग वहां पर हमला करना चाहते थे जिनका नाम आप फेरूमान लोग कहते हैं। तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या इन लोगों के आने के पहले ही सूचना दी थी क्या कि हम कब्जा करने जा रहे हैं और वहां झगड़े का खतरा है इसलिए वहां पर आफिसर्स भेज दो ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : उनके द्वारा सूचना प्राप्त होने पर ही पुलिस गई थी, पहले से सूचना नहीं थी।

श्री गुरदयालसिंह संधु : मेरा प्रश्न बडा साफ है कि जिन लोगों ने वहां पर कब्जा किया, मेरे कहने के मुताबिक उनके पास नाजायज अस्त्र थे और आपके कहने के मुताबिक उन 16–17 आदमियों के पास असले की बंदूकें थीं और जो असले थीं वह पंजाब की नहीं थी, वह राजस्थान की थीं। जो लोग पंजाब से असला लेकर उस गुरुद्वारे पर नाजायज कब्जा करने के लिए आए और उनके लिए आपने उनकी

(श्री गुरदयालसिंह संधु)

रखवाली के लिए वहां एस. डी. एम. और पुलिस को पहले से मुकर्रर किया तो इसका क्या कारण था ? आप उन लोगों को गुरुद्वारे पर क्यों कब्जा करने देना चाहते थे ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : दिनांक 24–2–72 को नत्थासिंह, जनरल सेक्रेट्री, गुरुद्वारा ने पुलिस में रिपोर्ट अंकित की थी कि हमलावरान 12 बोर बन्दूक और 32 बोर रिवाल्वर लेकर आ गए हैं। इस सूचना के आधार पर धारा 392 ताजीरात हिन्द में मुकदमा दर्ज किया गया।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट !

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय का कहना है कि इत्तला की बुनियाद पर यह मुकदमा दर्ज किया गया और इसकी तफतीश आरम्भ हुई और मौके पर गिरफ्तारियां भी हुईं। मैं यह जानना चाहता हूं कि मौके पर पुलिस ने कितने आदमी गिरफ्तार किए ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : कोई गिरफ्तारी नहीं की। एक फेरूमान दल और दूसरे सिक्ख सम्प्रदाय के दो दलों के बीच में झगड़ा होने की वजह से वे लोग गुरुद्वारा बूढा जौहड़ पर कब्जा करना चाहते थे। चूंकि दोनों पार्टियों में झगड़ा न हो इस दृष्टि से केस रजिस्टर किया गया। यह कहना कि उनके पास हथियार नाजायज थे तो यह बात ठीक नहीं थी। उनके पास हथियार लाइसेंस्ड थे और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब द्वारा दिए हुए थे, तब उन हथियारों की बिना पर कि वे लाइसेंस्ड नहीं हैं, कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं था।

श्री निरंजननाथ आचार्य : दोनों पार्टियों का अनलॉफुल असेम्बलिंग हुआ, दोनों पार्टियों के लोग वहां पर जमा हो गए और उस हालत में पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा तो पुलिस ने मौके पर उन लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया ? जब यह समझ रहे थे कि अनलॉफुल असेम्बलिंग होने की वजह से रॉयट होने का अंदेशा है तो गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई स्पॉट पर ?

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) : आप फरमा रहे हैं कि उनके पास वेलिड लाइसेंस थे और वे पंजाब गवर्नमेंट ने दिए थे और उनको लेकर राजस्थान में आ गए थे तो आप कृपया बतावें कि वे लाइसेंस पंजाब एरिया के लिए ही थे या ऑल इण्डिया के थे या राजस्थान के थे और ऐसे कितने बुजुर्गवान थे जिनके पास ऑल इण्डिया के लाइसेंस थे ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मेरे पास यही जानकारी है कि उनके पास वेलिड लाइसेंस होना पाया गया, इसका मतलब है कि उनके पास ऑल इण्डिया के ही लाइसेन्स होंगे। दूसरा, दोनों पार्टियों के खिलाफ धारा 145 के तहत दंगा न होने के लिए पाबन्द कार्यवाही की गई।

श्री गुरदयालसिंह संधु : बात बिल्कुल झूठ है। कोई भी उससे पहले सूचना पुलिस को दर्ज नहीं की गई। 23 तारीख को उन्होंने गुरुद्वारा बूढ़ा जौहड़ पर कब्जा किया और नत्थासिंह को वहां बन्द रखा गया। उसकी इत्तला से पहले ही पुलिस वहां पर मौजूद थी और एस. डी. एम. मौजूद था। पर्चा मौके पर दिया गया।

श्री अध्यक्ष : श्री रामगोपाल !

Page No 4

श्री गुरदयालसिंह संधु : बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्रीमानजी ।

प्रश्न संख्या 147

श्री अध्यक्ष : अब नहीं । नेक्स्ट, श्री रामगोपाल ! श्री रमेशचन्द्र सैनिक !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिए)

श्री सुरेशचन्द्र !

कोटपूतली तहसील में सिंचाई कार्यों पर व्यय

148. **श्री सुरेशचन्द्र** (कोटपूतली) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोटपूतली तहसील के लिए सिंचाई के विभिन्न कार्यों के लिए जनवरी, 1972 से मार्च, 1974 तक सिंचाई विभाग, अकाल राहत कार्य, क्रेश प्रोग्राम के अन्तर्गत कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई है ? सूची सदन के पटल पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त स्वीकृत राशि का पूर्ण उपयोग नहीं हुआ है ? यदि हां, तो किस-किस कार्य पर कितनी राशि का उपयोग हुआ है ? सूची सदन के पटल पर रखें ।

सिंचाई मंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा) : (1) केवल एक अकाल राहत कार्य व एक ग्रामीण रोजगार कार्य के अन्तर्गत क्रमशः 44,550 रु० एवं 53,000 रु० की राशि स्वीकृत की गई थी ।

(2) जी नहीं, स्वीकृत राशि का पूरा उपयोग हुआ है । सूची संलग्न है ।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री सुरेशचन्द्र : विभाग की सूची है । क्रेश प्रोग्राम की अभी तक विभाग की स्वीकृति नहीं आई है ।

श्री हीरालाल देवपुरा : मेरा उत्तर स्पष्ट है । दो की स्वीकृति हुई है । इसका साफ मतलब है कि जिस साल के लिए आपने पूछा है उस साल में इरिगेशन डिपार्टमेन्ट के हिसाब से स्वीकृति नहीं हुई है ।

श्री सुरेशचन्द्र : क्या यह सही है कि वहां पर काम शुरू हो गया था और बीच में ठेकेदार के कारण वह कार्य बंद हो गया ?

श्री हीरालाल देवपुरा : जिस वर्ष के लिए पूछा है उस वर्ष में स्वीकृति नहीं हुई है । उस पर काम हुआ होगा ।

श्री सुरेशचन्द्र : अध्यक्ष महोदय, इसकी स्वीकृति हुई है । आप कह रहे हैं कि काम हुआ होगा । स्वीकृति भी हुई है । अकाल राहत, क्रेश प्रोग्राम में स्वीकृति नहीं हुई है । कोटपूतली में फ्लड आता है उसके लिए एक लाख की स्वीकृति हुई थी । दो फ्लड कन्ट्रोल की योजनाएं थीं । यह जानकारी मंत्री महोदय को नहीं है । इसलिए यह सूचना दे रहे हैं कि स्वीकृति नहीं थी ।

श्री हीरालाल देवपुरा : मैं जानकारी कर लूंगा । जिस वर्ष के लिए आपने पूछा है उस वर्ष का मैंने यहां पर बताया है । क्रेश और अकालराहत कार्य भी उस साल

(श्री हीरालाल देवपुरा)

में थे और उनकी उस वर्ष भी स्वीकृति हुई है। जो आपने बताया है उसकी जानकारी आप दे दें।

श्री अध्यक्ष : श्री दीपंकर !

लाडनूं अस्पताल में डाक्टरों का अभाव

149. **श्री दीपंकर** (लाडनूं) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि लाडनूं में राज्य सरकार की ओर से चलाए जा रहे 50 बेड के जनाना और मरदाना अस्पताल में लेडी डॉक्टर और सर्जन की पोस्ट स्वीकृत है परन्तु दोनों स्थान दो साल से खाली हैं ? अगर हां, तो सर्जन और लेडी डॉक्टर न भेजने का क्या कारण है ?

(2) क्या यह सही है कि लाडनूं में राज्य सरकार द्वारा संचालित जनाना अस्पताल को अलग से यूनिट मान कर दानदाता से एग्रीमेन्ट किया गया है परन्तु उसे मरदाना अस्पताल के साथ ही चलाया जाता है ? अगर हां, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (1) जी नहीं। शेष प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) जी हां, चूंकि दोनों संस्थाएं एक ही दानदाता द्वारा पास-पास बनाई गई हैं तथा कार्यरत हैं। एग्रीमेन्ट की भावना के अनुसार एवं प्रशासनिक तथा तकनीकी सेवाओं में समन्वय स्थापित करने की दृष्टि से दोनों संस्थाओं को 50 बेड (शय्या) वाले अस्पताल के रूप में एक ही यूनिट मानकर साथ-साथ चलाया जा रहा है।

श्री दीपंकर : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीया मंत्री महोदया से यह जानकारी चाहूँगा कि क्या जनाना अस्पताल के लिए अलग से एग्रीमेन्ट हुआ है और अगर हुआ तो क्या उसकी शर्तों में एक लेडी डॉक्टर और उसका स्टाफ नियुक्त करना भी था ? परन्तु बाद में यह स्टाफ परिवार नियोजन केन्द्र मान कर हटा दिया गया। परन्तु अब वहां पर लेडी डॉक्टर और सर्जन दोनों की ही पोस्टें खाली पड़ी हैं और सर्जरी का बहुत सारा सामान वहां पर पड़-पड़ा बेकार हो रहा है। इन दोनों पोस्ट को रिक्त रखने का सरकार का क्या मकसद है और कब तक इनकी पूर्ति कर देगी ?

श्रीमती जमुना सोलंकी (केकड़ी) : अध्यक्ष महोदय, यह लाडनूं का तो सवाल नहीं है किन्तु इससे मिलता जुलता केकड़ी का प्रश्न है। वहां पर भी काफी अर्से से डाक्टर की पोस्ट भरी नहीं गयी है। मैंने मंत्री महोदय का ध्यान भी आकर्षित किया है। क्या इस ओर कार्यवाही होगी।

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है ?

श्रीमती जमुना सोलंकी : अध्यक्ष महोदय, वहां पर भी दो साल से डॉक्टर नहीं है। इसका इन्तजाम कब तक हो जायेगा ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : एग्रीमेन्ट के मुताबिक दानदाता ने उसमें यह तय करवाया था कि मेटरनिटी सेन्टर जो बनाया गया है और जो मैन अस्पताल है, दोनों मिलाकर के एक अस्पताल के रूप में 50 शय्या वाला अस्पताल का काम करेगा। उस मुताबिक राज्य सरकार चल रही है। जहां तक लेडी डॉक्टर का सवाल है, एक लेडी डॉक्टर वहां पर काम कर रही है।

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

जो मेटरनिटी सेन्टर की लेडी डॉक्टर अलग से थी उसको वहां से हटा लिया गया है। वर्त्तमान में एक ही डॉक्टर है।

श्री दीपंकर : सर्जन क्यों नहीं है ? यह शर्त लिखवाई है दानदाता ने। अगर पूरा स्टाफ नहीं रखा गया तो इसकी मान्यता समाप्त हो जायेगी और वापस दानदाता इस बिल्डिंग को ले लेगा। क्या इस तरह का कोई नोटिस राज्य सरकार को मिल गया है, दानदाता की तरफ से ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : ऐसा कोई नोटिस नहीं है।

श्री दीपंकर : यह नोटिस दे दिया गया है। आज वहां के अस्पताल की हालत क्या है ? यह नागौर जिले का सबसे बड़ा गांव है और वहां पर लेडी डॉक्टर और सर्जन तक नहीं है। अलग से वहां पर जनाने अस्पताल का प्रावधान है और उसको डी. एम. एच. ओ. ने तोड़ दिया है। ये दोनों अस्पताल वहां पर चलाये जाने चाहियें परन्तु यह नहीं किया जा रहा है। यह जनता के साथ अन्याय है। दानदाता ने जिस भावना से, जनता के हित के लिये दान दिया उसका सही उपयोग नहीं होने से बुरा असर दूसरे दानदाताओं पर पड़ रहा है। एग्रीमेन्ट के मुताबिक अब कब से दोनों अस्पतालों को विधिवत् पूरा स्टाफ भेज कर चलाना चाहते हैं, क्या ऐसा कोई आश्वासन मन्त्री महोदय देंगे ?

श्री अध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा !

श्री दीपंकर : अध्यक्ष महोदय, यह महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। लोगों के लिए दवा-दारू का बन्दोबस्त नहीं है।

श्री अध्यक्ष : इसका जवाब हो गया है।

श्री दीपंकर : मन्त्री महोदय की ओर से कोई आश्वासन होना चाहिये। इसके लिए मन्त्री महोदय जवाब दें।

श्री अध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा !

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री मोहनलाल छंगाणी) : अध्यक्ष महोदय, लाडनूं अस्पताल के बारे में क्या-क्या हो सकता है, वह माननीय सदस्य को पूरी जानकारी है और यह मामला अभी राज्य सरकार के विचाराधीन है। माननीय सदस्य लगातार मिलते रहते हैं। परन्तु यह कमिटमेन्ट कि क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, नहीं कह सकता हूं। दोनों अस्पतालों को एक रूप में टेक्नीकली और मैनेजमेन्ट की दृष्टि से एक साथ जोड़ दिया गया है ताकि ज्यादा अच्छा काम हो सके। लेडी डॉक्टर की अभी कोई पोस्ट नहीं है। जब राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति ठीक होगी तो जरूर इसको ठीक किया जायेगा।

श्री दीपंकर : सर्जन के लिए क्या करने जा रहे हैं ? हजारों रुपयों का सामान बर्बाद हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : श्री हांडा !

अध्यापिकाओं का बकाया वेतन

150. **श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (सूरतगढ़) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कन्या विद्यालय निरीक्षिका, बीकानेर के अन्तर्गत कितने कन्या विद्यालय आते हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

(2) क्या यह सही है कि उक्त निरीक्षिका क्षेत्र के अन्तर्गत अनेकों ऐसे विद्यालय हैं, जिनकी अध्यापिकाओं को एक लम्बे समय से वेतन नहीं मिला है ? यदि हां, तो कितनों को और कब से ? कृपया नाम, वेतन तथा कारण बताते हुए सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि कि कुछ अध्यापिकाओं ने वेतन न मिलने के कारण आत्महत्या भी कर ली और कुछ बीमार होकर मर गईं ? कृपया ऐसी अध्यापिकाओं के नाम और स्थान दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) अध्यापिकाओं को समय पर वेतन न दिये जाने के लिए कौन जिम्मेदार है ? क्या राज्य सरकार बकाया वेतन की अदायगी तुरन्त कर के इस मामले में जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कदम उठायेगी ?

शिक्षा मन्त्री (श्री खेतसिंह) : (1) कन्या विद्यालय निरीक्षिका, बीकानेर, के क्षेत्राधिकार में 34 प्राथमिक एवं 65 उच्च प्राथमिक कन्या शालाएं हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) यह सही नहीं है।

(3) यह सही नहीं है।

(4) अध्यापिकाओं को आम तौर पर समय पर वेतन दिया जाता रहा है।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मन्त्री महोदय का आम तौर से क्या मतलब है। एक सौ अध्यापिकाओं की सूची तो मेरे पास है जिनको 6 महीने से वेतन नहीं मिला है। यह मैं आपको चेलेन्ज के साथ कहता हूं।

श्री खेतसिंह : मैं आपके चेलेन्ज को स्वीकार करता हूं। यदि आपके पास में ऐसी सूची है और आप पुख्ता तौर पर तारीखें दे सकते हैं तो जिस अधिकारी की गलती है उसको पनिशमेन्ट दिया जायेगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : धन्यवाद !

श्री अध्यक्ष : श्री मोहम्मद गफ्फार अली !

डॉक्टरों द्वारा प्राइवेट प्रेक्टिस

151. **श्री मोहम्मद गफ्फार अली** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सत्य है कि पिछले बजट सत्र में यह सिद्धान्त स्वीकार किया गया था कि डॉक्टरों की प्राइवेट प्रेक्टिस बन्द होनी चाहिए ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि बड़े डॉक्टर प्राइवेट प्रेक्टिस में अधिक समय देने और ज्यादा रुचि रखने के कारण अपना दायित्व पूरा करने में असमर्थ रहते हैं ?

(3) क्या यह सत्य है कि प्राइवेट प्रेक्टिस रोके जाने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया है ? अगर कोई कदम उठाया गया तो क्या ? अगर नहीं उठाया गया है तो क्यों ?

(4) क्या यह सत्य है कि डॉक्टरों की प्राइवेट प्रेक्टिस बन्द कर दी जाये तो बेरोजगार डॉक्टरों को राहत प्राप्त होगी ?

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

(5) क्या यह सत्य है कि जो रोगी बड़े डॉक्टरों के घर पर सलाह लेते हैं उनको अस्पतालों में अधिक सुविधा मिलती है, अन्यथा नहीं ?

(6) क्या यह सत्य है कि मेन्टल अस्पताल के डॉक्टर अपना चिकित्सालय और नर्सिंग होम अलग कायम किये हुए हैं ? यदि हां, तो क्या यह उचित है ?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री मोहनलाल छंगाणी) : (1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। सही स्थिति का व्यापक रूप से अध्ययन किया जा रहा है।

(4) हो सकता है।

(5) जी नहीं।

(6) जी नहीं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : आपने अधिकतर हरेक के जवाब में जी नहीं लगाया। इसको बताने की कृपा करेंगे कि इस दिशा में क्या कदम उठाया है ? कोई रिपोर्ट हासिल की है और क्या यह सही है कि मेन्टल अस्पताल के डॉक्टर ने अपना कोई नर्सिंग होम चला रखा है जिसमें इतने मरीज हैं जितने पागलखाने में भी नहीं हैं। आपको इस बारे में जानकारी करना चाहिये कि यह नर्सिंग होम कितना बड़ा है और वह करना उचित है या नहीं ? क्या यह सही है कि इस डॉक्टर ने अधिक धन इकट्ठा कर लिया है और उससे अलग से अस्पताल अपनी कमाई के लिए खोल दिया है।

श्री दीपंकर : इस तरह के जो अस्पताल चला रहे हैं उनको बन्द करने के बारे में सरकार का क्या इरादा है ? यह प्राइवेट प्रेक्टिस क्यों चल रही है ?

श्री अध्यक्ष : यही तो मुख्य प्रश्न है ?

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय एक मेरा भी प्रश्न है। यह जो पहले प्रश्न का 'जी हां' उत्तर दिया गया है। क्या यह सही है कि पिछले बजट सत्र में यह सिद्धान्त स्वीकार किया गया था कि डॉक्टरों की प्राइवेट प्रेक्टिस बन्द होनी चाहिए ? तो इस 'जी हां' की कब तक क्रियान्विति होगी ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि सदन में आश्वासन दिया गया है। यह मामला विचाराधीन है कि डॉक्टरों की प्राइवेट प्रेक्टिस बन्द की जाये। ऐसा नहीं है कि नहीं की जाये।

श्री श्रीराम गोटेवाला : क्रियान्विति के लिए कितना समय चाहिए ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : इस बारे में हमारा एक्टिव कन्सीडरेशन है। आपको भी बोलने का मौका मिलेगा। मैं भी व्यवस्थित तरीके से बोल पाऊंगा। जो डॉक्टर जनता के काम नहीं आ सकता है, उसको वह हिपोक्रेट कहते हैं। उनको कैसे बन्द किया जाये इस बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : आपने हैड ऑफ डिपार्टमेन्ट को बन्द करने को कहा है। दूसरे और ऐसे कितने हैं, जिनको आप करने देते हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, मैं याद दिलाऊं। जिस वक्त मोहनलाल छंगाणी विधायक थे, उस समय उन्होंने इसी सम्बन्ध में प्रश्न किया था। उसका उत्तर मेरे पास है। उस समय बहुत जोर-शोर से उन्होंने इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था और उस समय के स्वास्थ्य मंत्री को बाध्य किया था कि वह प्राइवेट प्रेक्टिस बन्द करें। मैं मोहन छंगाणी विधायक के भाषण की ओर ध्यान दिलाते हुये स्वास्थ्य मन्त्री मोहन छंगाणी का ध्यान आकर्षित करता हूं कि सिद्धान्ततः तो इस मांग का प्रतिपादन आप करते हैं? आप कहें तो मैं पढ़कर सुना दूं। स्वास्थ्य मन्त्रीजी आपको याद आ गया होगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : आपने 'जी हां' कहा है। इस सम्बन्ध में मोहन छंगाणी जिस समय विधायक थे, उनका प्रश्न था। उस समय के स्वास्थ्य मन्त्री ने 'जी हां' का उत्तर दिया था। तो क्या मौजूदा स्वास्थ्य मन्त्री उस आश्वासन को क्रियान्वित करने के लिये दृढ़ संकल्प हैं?

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को इससे ज्यादा कमिटमेन्ट मैं क्या कर सकता हूँ। मैं निश्चित तौर से यह मानता हूं कि प्राइवेट प्रेक्टिस बन्द होनी चाहिए। स्वास्थ्य मन्त्री बनने के बाद इसका जो स्ट्रक्चर है वह कैसा हो सकता है, इस बारे में मैं अध्ययन कर रहा हूँ। जैसे ही यह हो सकेगा कि यह किस तरह से हो सकेगा, उस प्रकार से किया जायेगा। ऐसा नहीं है कि हम करना नहीं चाहते हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप समय दे दीजिये। दो महीना, पौने दो महीना, डेढ़ महीना आप ले लें।

श्री मोहनलाल छंगाणी : जब से मैं स्वास्थ्य मन्त्री बना हूं मैंने जगह-जगह से रिपोर्ट्स मंगाई हैं। सारा का सारा असेसमेन्ट हो गया है। उस पर विचार कर रहे हैं। क्योंकि कई जगह पर ऐसा हुआ और वहां पर फिर से वही करना पड़ा। तो आप इस बारे में समय नहीं मांगें। मैं इस बारे में सोच समझकर कार्यवाही करूंगा।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हैं, उनके बारे में तो तुरन्त घोषणा कर सकते हैं। उसके बारे में तो कोई भार नहीं पड़ेगा। शीघ्र से शीघ्र को तो हमने देख लिया है। उसके उपरांत भी कुछ नहीं होता है। इसलिये धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए भी मैं बोला था कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हैं और जो हैड ऑफ डिपार्टमेन्ट हैं, प्रोफेसर हैं, उनको तो बन्द किया जा सकता है; जिससे आम आदमी को राहत मिलेगी। जो आम आदमी को आप दे सकेंगे, यह आवाज आपने उठाई थी। उसके अनुसार यह तुरन्त कार्यवाही हो जायेगी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। नजर आता है कि कोई कदम उठाया नहीं है। नॉन-प्रेक्टिसिंग अलाउन्स आप दें। लेकिन ऐसे भी डॉक्टर हैं जो दो-दो ड्यूटी दे रहे हैं। आपके डाइरेक्टर, मेडिकल एण्ड हेल्थ हैं। जो दो-दो ड्यूटी परफॉर्म करते हैं। एक

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

रैसपॉन्सिबिलिटी दी जाये ताकि वह ठीक ढंग से काम कर सकें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आश्वासन में शीघ्र से शीघ्र के माने हैं कि वह नहीं होता है।

श्री अध्यक्ष : (श्रीमती निर्मलाकुमारी से) आप कुछ पूछना चाहती हैं ?

श्रीमती निर्मलाकुमारी (चित्तौड़गढ़) : कई बार कोशिश की है। श्री मोहन छंगाणी जब विधायक थे तो उन्होंने यह कहा था आज भी बताते हैं। कई बार इस बारे में ध्यान आकर्षित किया गया है। डॉक्टर्स की प्राइवेट प्रेक्टिस बन्द की जाय। आज किस प्रकार की बेरोजगारी है। अगर यह बन्द होती है तो आने वाले नये युवकों को प्रोत्साहन मिल सकता है। मैं माननीय मोहन छंगाणीजी से, सॉरी, स्वास्थ्य मन्त्री माननीय मोहन छंगाणी से यह पूछना चाहती हूं कि क्या वह इस बारे में अपने कदम उठायेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : विधायक छंगाणीजी तो बीमार हो गये। स्वास्थ्य मन्त्री बैठे हैं।

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : एक प्रश्न मैं भी पूछने की धृष्ठता करूंगा। यहां पर सभी बातें लाई गई है। इसमें कोई शक नहीं है कि प्राइवेट प्रेक्टिस बुरी है। इसको रोका जाय। मन्त्री महोदय विचार कर रहे हैं, कैसे रोका जाय। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या उन्होंने डॉक्टरों को बुलाकर बातचीत की है ? क्या डॉक्टर लोग वालण्टरी यह अपनी कहते हैं कि प्राइवेट प्रेक्टिस बुरी चीज है। लोगों के हित में इसको छोड़ देना चाहिये। यह देखने की जिम्मेदारी आपको मिली है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, महारावल साहब ने जो प्रश्न उठाया है, वह ठीक है। मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूं। बड़े पैमाने पर मेडिकल वर्कशॉप के साथ इस पर डिस्कशन कर रहे हैं। मेरा यह निश्चित मत है कि वालण्टरी लेविल पर कहें तो इससे दस-पांच आदमी आयें। इससे कोई सामाजिक इम्पेक्ट हो, ऐसा नहीं है। बन्द करना है तो बन्द करेंगे। हम शीघ्र से शीघ्र इस बारे में निर्णय करेंगे। यह विचाराधीन है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जो हॉस्पिटल टाइम में, अपने घर बैठे रहते हैं, अपने घर पर प्राइवेट प्रेक्टिस चलाते रहते हैं, इस बारे में आपका क्या आइडिया है ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : मुझे कुछ आइडिया नहीं है। आप दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्दजी !

श्री रामानन्द अग्रवाल : प्रश्न के एक भाग में मेण्टल हॉस्पिटल के बारे में कहा गया है, उसमें जो डॉक्टर हैं, वह एक हॉस्पिटल और नर्सिंग होम अलग से चलाते हैं। मैं समझता हूं यह रूल्स का वायोलेशन है। वह इजाजत होने पर भी इस प्रकार से हॉस्पिटल नहीं चला सकते हैं। इस सम्बन्ध में आपका क्या कहना है ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय रामानन्द अग्रवाल से

Page No 11

(11)

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

कहना चाहूंगा, पहली बात तो यह है कि उनके नाम से कोई अस्पताल नहीं है।

एक माननीय सदस्य : उनकी औरत के नाम से है। नहीं है क्या? औरत के नाम से है तो मैं इसके बारे में चैक नहीं कर सकता। दूसरा प्रश्न धन के बारे में उठाया गया कि काफी धन बना लिया गया है, काफी धन जमा कर लिया है। तो मेरे खयाल में इनकमटैक्स से सम्बन्ध स्थापित करें कि कितना धन है, क्या है? मेरी जानकारी इस बारे में सही नहीं हो सकती। निश्चित रूप से हास्पिटल उनके नाम से नहीं है, इसकी इन्क्वायरी कर ली है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : क्या उनकी मिसेज डॉक्टर हैं और उनके नाम से हॉस्पिटल है? व्यास की मिसेज डॉक्टर हैं, उनके नाम से क्लिनिक चल रहा है? क्या आपको इसकी जानकारी है?

श्री मोहनलाल छंगाणी : यह कब कानूनन पाबन्दी है कि एक डॉक्टर की वाइफ डॉक्टर नहीं हो सकती है?

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या आपने जानकारी की है?

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : अगर किसी की पत्नी डॉक्टर है तो वह प्राइवेट क्लिनिक चला सकती है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले आपने जानकारी प्राप्त की है कि इस हास्पिटल में कौन कौन कम्पीटेंट डाक्टर हैं, कौन विजिट करते हैं? अगर थोड़ी भी जानकारी करते तो मैं समझता हूं, वैसे प्राइवेट जानकारी आपको विधायक के नाते है कि उस हॉस्पिटल के मैन डाक्टर बी. के. व्यास हैं और उनकी बीबी है उनके नाम से हास्पिटल है, वह चाहे डाक्टर अवश्य हो, और केमिकल एनेलिस्ट या लेबोरेट्री असिस्टेन्ट या किसी रूप में काम करती हों, लेकिन बाकायदा इस हास्पिटल में मरीजों को डॉक्टर व्यास देखते हैं और व्यास का ही ट्रीटमेंट चलता है। इस बात की जानकारी करनी चाहिए, इसमें दिक्कत नहीं आयेगी। मैं जानना चाहूंगा कि आपने जानकारी प्राप्त करके उत्तर दिया है या रिकार्ड में जो आ गया है उसके आधार पर दे दिया है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : जो मूल प्रश्न था उसमें बीबी के बारे में प्रश्न नहीं पूछा था। यह यहां आने पर जानकारी मिली कि डॉक्टर की बीबी डॉक्टर है। आपने पूछा है, मेन्टल अस्पताल के डॉक्टर अपना चिकित्सालय और नर्सिंग होम अलग कायम किये हुए हैं। उसके लिए मैं कहता हूं कि नहीं चलाते हैं। मैंने इसकी जानकारी कर ली है। आपके पास कोई फेक्ट्स हों तो बतायें। दूसरी बात यह है कि प्राइवेट डॉक्टर भी फिजिशियन है; वह हॉस्पिटल चलाये इसमें क्या दिक्कत है, उसमें क्यों दखल दें। दूसरी बात है; मेन्टल हास्पिटल के बहुत बड़े डॉक्टर की पत्नी है, वह खुद डॉक्टर है, वह खुद हास्पिटल रन करती है तो उसमें व्यास का कैसा इन्वाल्वमेंट है, यह देखना पड़ेगा।

श्री दीपंकर : (शोरगुल) डाक्टर व्यास खुद वहां जाकर बैठते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सरकारी डॉक्टर नियमित रूप से प्राइवेट हास्पिटल के एक डॉक्टर हो सकते हैं, क्या यह नियमों के अनुसार है ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : मैं क्या आपसे प्रश्न पूछ सकता हूं, क्या ऐसे डॉक्टर हैं, और कौन हैं; किस अस्पताल में हैं। इसकी जानकारी आप मुझे दे दीजिये।

(शोरगुल)

श्री दीपंकर : छः महीने तक यह अस्पताल डाक्टर व्यास ने चलाया है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : हमारा तो निवेदन है कि प्राइवेट प्रेक्टिस को बन्द किया जाय ताकि सारी बुराई दूर हो सके। आप मूल प्रश्न से हट रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह प्राइवेट प्रेक्टिस की तारीफ में नहीं आती है।

श्री दीपंकर : उनकी बीबी को कैंसर होने से लम्बे समय तक वह बम्बई रही है, उनकी एब्सेंस में डॉक्टर व्यास ने इस अस्पताल को चलाया है, उनके हाथ के प्रिस्क्रिप्शन लोगों के पास में हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : दीपंकरजी खुद वहां जाकर आये हैं, वह आपको जानकारी दे रहे हैं।

श्री मोहनलाल छंगाणी : माननीय गोटेवाला पागलखाने के विजिटर हैं, मेन्टल हॉस्पिटल की उनको जानकारी है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं उसी जानकारी के आधार पर आपको निवेदन करता हूं। मैं पागलखाने हो कर आया हूं और आपको इन्वाइट करता हूं।

श्री अध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर) एक-एक माननीय सदस्य।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं मूल प्रश्न की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। स्वास्थ्य मंत्रीजी, आप मूल प्रश्न से इधर-उधर चले गये थे। आपने कहा कि प्राइवेट प्रेक्टिस से बहुत जल्दी छुटकारा पाने के लिए बहुत जल्दी विचार कर रहे हैं, तो बताए कि आप किसी कमेटी के माध्यम से कर रहे हैं या आप स्वयं कर रहे हैं ? कमेटी के माध्यम से कर रहे हैं तो उसके पर्सनल कौन कौन हैं ? आपने अवधि के सम्बन्ध में कहा, शीघ्रातिशीघ्र। मैं मानता हूं, आप जूझ रहे हैं लेकिन यह प्रश्न अवधि का प्रश्न है और चार प्रश्नों में आप ऐसा आश्वासन दे चुके हैं। तो कब तक आप उन सबको पूर्ण कर देंगे ? मैं एक्स्ट्रेक्ट रिपोर्ट करके सदन का समय नहीं लेना चाहता हूं। लेकिन यह वृत्ति, जिस वृत्ति ने आपको बाध्य किया है, जूझने के लिए, उस वृत्ति से छुटकारा पाने के लिए, समय देने के लिए आप तैयार हैं या नहीं ?

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, मंत्री महोदय ने प्राइवेट प्रेक्टिस को बन्द करने की बात को सिद्धान्ततः स्वीकार करने की बात अब नहीं कही है, पिछले सत्र में ही आप कह चुके हैं। इसके सम्बन्ध में मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, राजस्थान में अधिकतर इनडोर पेशेन्ट एडमिट होने के पहले जब तक डाक्टर के मकान पर जाकर एक बार फीस नहीं दे दें तब तक एडमिशन नहीं पा सकते।

श्री श्रीराम गोटेवाला , यह स्लिप सिस्टम बन्द हो गया है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मेरा अनुभव है, एक बिल्कुल सीरियस पेशेन्ट था, उसको एडमिट तब तक नहीं किया गया जब तक कि डॉक्टर ने नहीं कहा, और डॉक्टर के घर पर जाकर नहीं दिखाया और फीस नहीं दी। ऐसा एक के साथ में नहीं होता है, सारे स्थानों पर यही स्थिति बनी हुई है कोई व्यक्ति तब तक एडमिट नहीं हो सकता जब तक डॉक्टर की भेंट करके, पूजा करके नहीं आये। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आजादी के छब्बीस साल के बाद में आपने कहा कि हमने सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया है। तो अब हम जानना चाहेंगे कि कितनी बन्द करें कैसे करें, लिमिटेड करें या पूरी करें। यह इस मामले को कोल्ड स्टोरेज में डालने की स्थिति हो गई है। मेरा निवेदन है इसके बारे में मंत्री महोदय स्पष्ट रूप से घोषणा करें। यह घोषणा नहीं है कि सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया है। यह घोषणा करें कि प्राइवेट प्रेक्टिस कब बन्द कर दी जायगी ? उसके बाद में उनको अलाउन्स देना है या नहीं, उनको कम्पेन्सेट करना आवश्यक है या नहीं, इसके बारे में बाद में विचार किया जा सकता है।

श्री जगमोहनसिंह (छबड़ा) : यह सवाल है या भाषण है ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : आज हास्पिटल के अन्दर और हास्पिटल के बाहर....

श्री अध्यक्ष : कृपया अनुपूरक प्रश्न पूछें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : डाक्टरों का मिलना दूभर हो गया है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आप निश्चित घोषणा कर दें।

श्री मोहनलाल छंगाणी : मैं निश्चित घोषणा कर चुका हूं, जल्दी से जल्दी इसके बारे में निर्णय लेंगे। यही आश्वासन दे सकता हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आजकल डाक्टर व्यास की चिकित्सा में चल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री रामगोपाल काफी टाइम इस प्रश्न ने ले लिया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आजकल डॉक्टर व्यास की चिकित्सा में चल रहे है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : गोटेवाला विजिटर हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आप मुबारकबाद दीजिये गफ्फार साहब को, उनके क्षेत्र की बात है।

कोटा–शिवपुरी मार्ग पर पुलों का निर्माण

152. **श्री रामगोपाल** (किशनगंज), **श्री शिवनारायण** (बारां), **श्री रामचरण** (अटरू) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कोटा-शिवपुरी बस मार्ग पर कई ऐसी बड़ी नदियां पड़ती हैं जिनका बरसात में पाट बढ़ जाने से लगभग 3-4 माह तक मार्ग अवरुद्ध रहता है ? यदि हां, तो वह कौन-कौन सी नदियां हैं ?

(2) क्या सम्बन्धित विभाग द्वारा उक्त समस्या को हल करने के कुछ कदम उठाए गए हैं ? यदि हां, तो क्या ?

(श्री रामगोपाल)

(3) क्या इन नदियों पर ऊंचे पुलों के निर्माण से ही उक्त समस्या का समाधान हो सकता है ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हीरालाल देवपुरा) : (1) कोटा-शिवपुरी बस मार्ग पर दो बड़ी नदियां हैं—काली सिंध और पार्वती हैं। वर्षा ऋतु में कभी-कभी अधिक पानी से कुछ दिनों के लिए मार्ग अवरुद्ध होता है।

(2) विचाराधीन है।

(3) सदैव मार्ग खुला रखने के लिए ऊंचे पुलों का निर्माण ही हल है, किन्तु अर्थाभाव के कारण इनका निर्माण संभव नहीं हो पाया है।

श्री **रामगोपाल** : अध्यक्ष महोदय, यह कोटा जिला का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बस मार्ग है, जहां पर हजारों, लाखों आदमी जाते-आते हैं और इस बस रूट का नेशनेलाइजेशन कर दिया है। हम पांचवीं पंचवर्षीय योजना में प्रवेश करने जा रहे हैं जिसमें बस रूट को गांवों से जोड़ने की बात करते हैं। इसमें मुख्य बात यह है, मंत्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा पांचवीं पंचवर्षीय योजना में इन दोनों नदियों पर पुल के निर्माण करने का प्रावधान करने की कृपा करें।

श्री **हीरालाल देवपुरा** : मैंने मूल प्रश्न के उत्तर में कहा है, अर्थाभाव के कारण हो नहीं पाया है। वैसे मार्ग ऐसा नहीं है जो हमेशा के लिए बन्द होता हो। हमारे कोटा जिले में कई जगह ऐसी हैं जहां हाई लेवल ब्रिजेज बनाने की आवश्यकता है। आपको स्वयं मालूम है, चम्बल में कोटा के पास ब्रिज है वह टूटा है उसको बनाने वाली बात है। दूसरे चम्बल को मध्य प्रदेश से जोड़ने वाली बात है। उसके लिए पुल बनाने के लिए पचास लाख और चालीस लाख के एस्टीमेट हैं। इतनी बड़ी धनराशि का प्रावधान करना अभी सम्भव नहीं है।

श्री **रामगोपाल** : कोटा के लिए कमी कैसे आ जाती है प्रावधान की ?

श्री **हीरालाल देवपुरा** : कोटा का सवाल नहीं है, यह प्रश्न सारे राजस्थान का है। आपने कोटा का सवाल पूछा, इसलिए मैं कह रहा हूं।

श्री **रामगोपाल** : सारे राजस्थान में तो छोटी-छोटी पुलिया का भी बजट मिल जाता है।

श्री **श्रीराम गोटेवाला** : जो पुल टूट गये हैं उनकी तो मरम्मत करायें ही।

श्री **रामगोपाल** : चम्बल का पुल टूटा है, पांच-छः माह पहले, तो चम्बल बांध के काम का कितना नुकसान हुआ होगा ?

श्री **गौरीशंकर मुनीम** (खानपुर) : मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं, चम्बल पुल के अन्दर पचास लाख लगेंगे, क्या आप नहीं समझते कि यह अहम मसला है। आप यह कह कर इस प्रश्न को टाल रहे हैं कि हमारे पास धन का अभाव है।

श्री **हीरालाल देवपुरा** : आप समझे नहीं....

Page No 15

(15)

श्री गौरीशंकर मुनीम : 12 हजार लीटरी डीजल रोज खर्च हो रहा है, लेकिन पुल नहीं बनाया जा रहा है। चालीस लाख तो पिछले छ: महीने में खर्च हो गया होगा इधर डीजल की कमी आ रही है। डीजल का कितना नुकसान हो रहा है, जब कि 12 हजार लीटर रोज बेकार जा रहा है लेकिन पुल नहीं बन रहा है।

श्री जगमोहनसिंह : मंत्री महोदय बताने की कृपा करें कि पिछले 26 वर्ष के अन्दर कोटा जिले में आवागमन के लिए किसी पुल का निर्माण किया गया है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : मैंने जिन पुलों की कोस्ट बताई है, चालीस लाख, पचास लाख, आप गलत समझे, वह चम्बल नदी पर नहीं बताये हैं, काली सिंध, जिस जगह की आप बात कर रहे हैं, पर पचास लाख का एस्टीमेट है और पार्वती जिसका जिक्र किया है, पर 40 लाख की लागत से पुल बनाने की बात है। जो माननीय सदस्य झालावाड़ से आ रहे हैं, उनको बता दूं कि चम्बल पुल की बात है, उसका जिक्र नहीं किया। मैंने निवेदन किया कि यह अहम पुल है, जिनको बनाना पहले आवश्यक है बनिस्बत दूसरों के। लेकिन जैसे-जैसे धनराशि उपलब्ध होगी, उसके अनुसार प्रायोरिटी तय करनी पड़ेगी। उन प्रायोरिटीज में किसको महत्त्व देना चाहते हैं ? चंबल पुल को महत्त्व देना चाहते हैं तो उसकी बात कर लीजिए, काली सिंध की बात करनी है तो उसकी बात करें मुझे आपत्ति नहीं लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कि किसको प्राथमिकता देनी है, इसीलिए मैंने कहा कि तत्काल प्रोवीजन नहीं कर पाते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री चेतराम।

सवाई माधोपुर जिले में पुरानी वस्तुओं और स्मारकों के संरक्षण एवं खोज कार्य।

153. **श्री चेतराम** (टोडाभीम) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर जिले में 1971-72, 1972-73 एवं 1973-74 में पुरानी वस्तुओं और स्मारकों के संरक्षण कार्य एवं खोज कार्य किए गए हैं ? यदि हां, तो किस-किस स्थान पर क्या-क्या किए गए हैं ?

(2) क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर के प्राचीन किला रणथम्भोर को पर्यटन स्थल बनाने की योजना स्वीकार हो चुकी है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्या यह मामला विचाराधीन है ?

शिक्षा मंत्री (श्री खेतसिंह) : (1) पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के खोज एवं उत्खनन अधिकारी श्री विजयकुमार द्वारा वर्ष 1971-72 में सवाई माधोपुर जिले के बीचोछ स्थल का निरीक्षण किया गया था जिसके आधार पर यह (रेड वेयर) ऐतिहासिक युग-स्थल अंकित है। वर्ष 1972-73 व 1973-74 में सवाई माधोपुर जिले में कोई खोज कार्य नहीं हुआ है।

(2) भारत सरकार द्वारा सवाई माधोपुर के विकास की योजना को कार्यान्वित किए जाने हेतु टाइगर प्रोजेक्ट में ले लिया गया है। यह केन्द्रीय सरकार की योजना है। रणथम्भोर इस प्रोजेक्ट के बीच में स्थित है।

श्री चेतराम : मैं पूछना चाहता हूं 1970-71 में जो खोज कार्य कराया उसमें वहां कौन से ऐतिहासिक तथ्य मिले हैं ?

श्री खेतसिंह : पाषाण युग के मिट्टी के बरतन मिले हैं।

श्री चेतराम : वहां सिक्के मिले हैं ?

श्री खेतसिंह : जी नहीं।

श्री चेतराम : सवाई माधोपुर जिले में हिंडोन और करौली सब-डिविजन्स में कई ऐसे गांव हैं, जहां पुरानी मूर्तियां हैं और उनको कुछ लोग पुलिस से संरक्षण पाकर उनको राजस्थान के बाहर ले जाते हैं और पुरातत्व विभाग कोई ध्यान नहीं देता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसे संरक्षण दिया जाए।

श्री खेतसिंह : 1974-75 में सवाई माधोपुर जिले में विस्तृत सर्वेक्षण कार्य लिए जाने की योजना की जा रही है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या इस प्रकार की ऐतिहासिक....

श्री चेतराम : जिन चीजों की चोरी हो रही है, चोरी से बाहर ले जा रहे हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए प्रबंध किया जाए।

श्री खेतसिंह : विभाग के द्वारा जो कुछ भी संभव है, कार्यवाही की जाएगी।

यदि आपके पास सूचना है तो कृपया गृह मंत्री के नोटिस में लायें।

श्री दिनेशराय डांगी (देसूरी) : मैंने लिखित पत्र के द्वारा विभाग से पूछा था कि 1500 वर्ष पुरानी मोहम्मद गजनवी के जमाने की मूर्तियां देसूरी की तरफ हैं उनको लोग इकट्ठा करके चोरी-चोरी बाहर ले जा रहे हैं, क्या उस ओर सरकार ध्यान देगी ?

श्री खेतसिंह : यह अलग से प्रश्न है। मुझ से सवाई माधोपुर जिले के लिए पूछा गया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ये जो ऐतिहासिक महत्त्व के चित्र या और मूर्तियां मिल रही हैं, इनके चोरी हो जाने का कारण यह भी है कि इनके ओनरशिप राइट्स अभी भी स्टेट के अंदर निहित नहीं हैं। जहां-जहां इस प्रकार की चीजें मिल रही हैं, उनको प्राइवेट लोग अपनी संपत्ति मान कर उन पर काबिज हैं। तो क्या सरकार इस ओर कदम उठाने पर विचार कर रही है ? जिनका ऐतिहासिक महत्त्व है, चित्र हों या ग्रन्थ हों या मूर्तियां, वह पॉवर्स सरकार में वेस्ट हो जायं ताकि सरकार उनकी सेफ कस्टडी का इंतजाम कर सके। इस प्रकार का कानून आया है ? नहीं तो सरकार ऐसा कानून बनाकर यह शक्ति अपने हाथ में लेने का विचार करेगी ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : क्या यह सही है कि इन वस्तुओं को संरक्षण देने के लिए और हिफाजत रखने के लिए कुछ वर्ष पहले इस किस्म के कानून का प्रारूप बनाया गया था और कानून बनाने का इरादा किया गया था ?

श्री मीठालाल (लालसोट) : जयपुर से नाहरगढ़ किले के बारे में जब पूछा गया था कि कोई स्कीम है तो आपने

(श्री मीठालाल)

जवाब दिया था कि यह केंद्रीय सरकार का मामला है। जिस तरह से नाहरगढ़ की पर्यटन योजना है व केंद्र को भेज रहे हैं, इस तरह सवाई माधोपुर की योजना भी केंद्र को भेजेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं और भेजेंगे तो कब तक भेजेंगे ?

श्री **खेतसिंह** : अध्यक्ष महोदय, पहले दोनों प्रश्न अलग थे, तीसरा प्रश्न जो सवाई माधोपुर से आने आले माननीय सदस्य ने पूछा है, उस सिलसिले में मुझे यह निवेदन करना है कि चूंकि यहां पर टाइगर प्रोजेक्ट का कार्य लिया गया है, इसलिए निश्चित तौर से जो भी पर्यटक आयेंगे उनका एट्रैक्शन का स्थान बनने वाला है। हमारे पास जितने फंड्स हैं उनके अनुसार प्रयत्न करेंगे कि वहां किस प्रकार का एट्रैक्शन रखा जाए जिससे पर्यटक वहां पर विजिट करें।

श्री **लक्ष्मणसिंह** : टाइगर प्रोजैक्ट होने वाला है उसका तो स्वागत है। लेकिन क्या मैं जान सकता हूं कि प्रोजैक्ट पर कितना खर्चा सरकार करने का इरादा रखती है ? उसके साथ-साथ सवाई माधोपुर जिले में बहुत से खंडहर मंदिर हैं और वहां भी कला की दृष्टि से अद्वितीय वस्तुएं स्थित हैं। मैंने डूंगरपुर जिलाधीश से कहा था कि खंडहर जहां पर हैं वहां पर कला की वस्तुएं हैं, उनको मंगवाकर जिला हैडक्वार्टर्स पर रख दी जायं ताकि उनको संरक्षण मिले। इसमें लाखों रुपए की चोरबाजारी हो रही है। रणथम्भोर एक महान् प्राचीन दुर्ग है। इसके अंदर मंदिर भी हैं और इसके अंदर कला की दृष्टि से बहुमूल्य वस्तुएं—आब्जैक्ट्स ऑफ आर्ट पड़ी हुई हैं। उनको लोग रात में आकर जीपों में भर-भरकर हजारों रुपए में बेचते हैं। ऐसी परिस्थिति में सरकार कानून कब बनाएगी ? बनाये शीघ्रातिशीघ्र तो स्वागत है, लेकिन अगर कानून भी बनेगा और उससे पहले ही लूटपाट होकर खतम हो गया तो कानून किस काम का रहेगा ? जो खास बात है वह यह कि खंडहर मंदिरों के अंदर अपूज्य मंदिरों के अंदर कला की वस्तुएं हैं। उनको सवाई माधोपुर जिला हैडक्वार्टर्स पर क्यों नहीं मंगवाकर गोडाउन्स में बंद कर देते हैं ?

श्री **उम्मेदीलाल** (हिंडौन) : हिंडौन में एक ग्राम पंचायत में एक टूटा हुआ मंदिर था। वहां देवी की, बुद्ध भगवान की मूर्तियां थीं उनको पुलिस ले आई। ग्राम वालों ने 20-25 हजार रुपए खर्च करके मंदिर बनाकर तैयार किया, लेकिन उनको अभी तक मूर्तियां वापस नहीं दी जा रही हैं।

श्री **खेतसिंह** : टाइगर प्रोजैक्ट पर कितना खर्च होगा यह तो वन मंत्री बता सकते हैं इसलिए डूंगरपुर से आने वाले माननीय सदस्य यह प्रश्न उनसे पूछें तो ठीक होगा। जहां तक दूसरे प्रश्न का ताल्लुक है, मैं मानता हूं कि काफी हद तक कई मंदिरों में इस प्रकार मूर्तियां चोरी हुई हैं और विदेशों में लोगों ने बेचकर काफी धन कमाया है। हमारा प्रयास यह रहेगा और इसमें चाहूंगा कि आपका पूर्ण सहयोग मिले। कहीं इस प्रकार से चोरियां होती हैं तो विभाग के नोटिस में लायेंगे तो अवश्य कार्यवाही की जाएगी।

प्रश्न संख्या 154

श्री **अध्यक्ष** : श्रीमती सुमित्रासिंह !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 155:

श्री बिरदाराम फुलवारिया !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री जवाहरमल !

गंगापुर-रामपुर सड़क

156. श्री **जवाहरमल** (सहाड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि गंगापुर से रामपुर सड़क पर बहुत बड़े बड़े खड्डे पड़े हुए हैं जिससे आवागमन में बाधा उत्पन्न होती है ? यदि हां, तो राज्य सरकार इस सड़क की मरम्मत कब तक करा देगी ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त सड़क को 'ए' क्लास रोड मान रखा है ? यदि हां, तो इसकी मरम्मत पर इतनी शिथिलता क्यों बरती जा रही है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा) : (1) यह सही नहीं है। सड़क यातायात योग्य है।

(2) जी नहीं । आवश्यकतानुसार इसकी मरम्मत की जा रही है।

श्री **जवाहरमल** : अध्यक्ष महोदय, गंगापुर से रामपुर जो सड़क जाती है वह बहुत खराब हो रही है। यह 50 साल की पुरानी सड़क है, आज तक इसकी कोई मरम्मत नहीं हुई। आसपास डामर की पक्की सड़कें बना रहे हैं लेकिन वहां पर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया । वह 'ए' क्लास सड़क है।

श्री **हीरालाल देवपुरा** : सड़कों का इस प्रकार क्लासिफिकेशन नहीं है जिससे आप कह सकें कि यह 'ए' क्लास या 'बी' क्लास सड़क है । सड़कों का क्लासिफिकेशन होता है नेशनल हाई वे, स्टेट हाई वे, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, माइनर डिस्ट्रिक्ट रोड्स। जिस सड़क का जिक्र किया है उसमें 9 मील मेटल रोड है । जब-जब भी खराब होती है, तो उसको रेगूलर गैंग ठीक करती है और अभी भी वह सड़क ठीक है । अभी भी काम चल रहा है। जहां कमियां हैं उनको पूरा किया जा रहा है। ऐसी सड़क नहीं है जिससे मार्ग अवरुद्ध हो गया हो, फिर भी कोई बात हो तो माननीय सदस्य बता दें।

श्री **जवाहरमल** : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय जो सूचना दे रहे हैं वह सही नहीं है। क्योंकि वहां पर जगह जगह खड्डे पड़े हुए हैं और रास्ता कच्चे रास्ते की तरह हो गया है। वैसे तो इसे राज्य सरकार ने 'ए' क्लास रोड मान रखा है पर इसकी हालत खराब होने के कारण लोगों को आने-जाने में बहुत ही परेशानी हो रही है। अतः मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि उनकी मरम्मत करवाने के आदेश देने की कृपा करें।

श्री **हीरालाल देवपुरा** : अध्यक्ष महोदय, मैंने तो पहले ही कह दिया है कि वहां पर कार्य चल रहा है और माननीय सदस्य चाहें तो यह और हम वहां चल कर देखलें वहां पर अभी भी काम चल रहा है।

प्रश्न संख्या 157

श्री **अध्यक्ष** : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री आवरमल सून्डा !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री झाबरमलजी अभी सदन में हाजिर नहीं हैं पर चूंकि यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेन्ट है। अतः इस प्रश्न की इम्पोर्टेन्स को देखते हुए इस प्रश्न को ले लिया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्रीमती निर्मला कुमारी !

बिड़ला सीमेन्ट फैक्ट्री, चित्तौड़गढ़ से कृषि भूमि को क्षति

158. **श्रीमती निर्मला कुमारी** (चित्तौड़गढ़) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बिड़ला सीमेन्ट फैक्ट्री, चित्तौड़गढ़ से उड़ने वाली धूल चार वर्गमील क्षेत्र की भूमि को प्रभावित करती है ?

(2) क्या इस धूल से कृषि योग्य भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट हो रही है ? यदि हां, तो अब तक फैक्ट्री द्वारा धूल नियन्त्रक उपकरण क्यों नहीं लगाया गया ?

(3) निकट भविष्य में यह उपकरण कब तक लग जाने की सम्भावना है ?

राज्य उद्योग मन्त्री (श्री गुलाबसिंह शक्तावत) : (1) जी हां।

(2) सम्भावना है। धूल नियन्त्रक उपकरण इलेक्ट्रो स्टेटिक प्रेसीपीटेटर फैक्ट्री में लगा है। अन्य उपकरण के लिये फैक्ट्री व्यवस्थापकों ने ऑर्डर मैसर्स लारसन ट्यूबरों एण्ड कम्पनी को दे रखा है।

(3) उपकरण के प्राप्त होने पर।

श्रीमती निर्मलाकुमारी : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि प्रश्न के जवाब में मन्त्री महोदय ने बताया कि उपकरण के लिये फैक्ट्री के व्यवस्थापकों ने ऑर्डर दे दिया है तो क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि यह उपकरण कब तक वहां लग जावेगा ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैंने निवेदन कर दिया है कि फैक्ट्री के व्यवस्थापकों ने उपकरण के लिये ऑर्डर मैसर्स लारसन ट्यूबरों एण्ड कम्पनी को दे रखा है पर चूंकि यह यन्त्र हिन्दुस्तान में एवेलेबल नहीं है इसलिये उसे फोरिन से मंगाया जा रहा है और उसको मंगाने के लिये सरकार द्वारा लाईसेन्स दिया जा रहा है और वह आने पर लगा दिया जायेगा।

श्रीमती निर्मलाकुमारी : अध्यक्ष महोदय, वहां पर डस्ट इतनी ज्यादा मात्रा में उड़ती है कि जिससे वहां पर फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों को और जो आसपास लोग रहते हैं उनके स्वास्थ्य पर इसका बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है तथा उसके उड़ने से उसके पास की जमीन की उर्वरा शक्ति नष्ट होती है। इसके लिये मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगी कि जब तक वहां यह उपकरण नहीं लगे राज्य सरकार वहां पर काम करने वाले श्रमिकों के लिये ऐसी व्यवस्था करेगी कि जिससे उन लोगों को डस्ट एलाउन्स मिलने लगे।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, डस्ट एलाउन्स दिलाने की व्यवस्था करना मेरे से संबंध नहीं रखता है...

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना

Page No 20

(20)

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

चाहूंगा कि वह वहां के श्रमिकों को नुक्सान नहीं हो इसके लिये उस सीमेन्ट फैक्ट्री के मालिक बिरला बन्धुओं को इस बात के लिये मजबूर करें कि जिससे उन लोगों को डस्ट एलाउन्स मिले। पहले भी एक फैक्ट्री में जहां लोग काम करते थे कोटा में, चम्बल के पानी में से जहां से पीने का पानी आता था उसमें से एक गधा निकला मरा हुआ। तो मेरा निवेदन है कि ऐसी व्यवस्था की जाये जिससे कि वहां पर काम करने वाले मजदूरों के स्वास्थ्य पर असर नहीं हो।

श्री **गुलाबसिंह शक्तावत** : अध्यक्ष महोदय, जो सवाल पूछा गया है वह स्वास्थ्य के बारे में नहीं पूछा गया है। उसमें पहले प्रश्न में पूछा गया है कि सीमेन्ट फैक्ट्री, चित्तौड़गढ़ से उड़ने वाली धूल चार वर्गमील क्षेत्र की भूमि को प्रभावित करती है तो मैंने उत्तर दिया हां। दूसरा प्रश्न था अब तक फैक्ट्री द्वारा धूल नियन्त्रक उपकरण क्यों नहीं लगाया गया? और इस धूल से कृषियोग्य भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट हो रही है तो मैंने यह उत्तर दिया कि सम्भावना है। और साथ में यह भी ज़वाब दिया कि फैक्ट्री के मैनेजमेन्ट वालों ने इसके लिये आॅर्डर मैसर्स लारसन ट्यूबरों एण्ड कम्पनी को दे दिया है चूंकि वह यहां पर एवेलेबल नहीं है। अतः बाहर से मंगाया जा रहा है।

श्रीमती **निर्मलाकुमारी** : अध्यक्ष महोदय, इसके लिये कई बार फैक्ट्री को कहा गया और अभी तक उपकरण आया नहीं क्या इसके आने में सदियां बीत जायेंगी ?

श्री **निरञ्जननाथ आचार्य** : अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ में यह भी मेरा निवेदन है कि ऐसी सीमेन्ट फैक्ट्री एक निम्बाहेड़ा और एक डबोक में भी लगी हुई है उसकी स्थिति भी ऐसी ही है तो क्या वहां पर ऐसा यन्त्र लगाया जायेगा ?

श्री **गुलाबसिंह शक्तावत** : जब उनके लिये सवाल आयेगा तो वहां भी ऐसी व्यवस्था की जावेगी।

श्री निरञ्जननाथ आचार्य : उदयपुर सीमेन्ट फैक्टरी से बहुतसी डस्ट उड़ने से काफी नुकसान हो रहा है वहां जो कृषक हैं, उनकी भूमि की उर्वरा शक्ति भी नष्ट होती जा रही है। वहां पर लोगों को काफी नुक्सान पहुँचा है। क्या राज्य सरकार उन लोगों के राइट्स को संरक्षण देने के लिये धूल नियन्त्रक उपकरण लगाने की व्यवस्था करेगी। और इसके साथ-साथ यह भी प्रश्न पूछना चाहूंगा कि क्या राज्य सरकार फैक्ट्री के मालिकों से क्षतिपूर्ति का पैसा उन कृषकों को दिलायेगी ?

श्री **गुलाबसिंह शक्तावत** : अध्यक्ष महोदय, क्षतिपूर्ति की बात दूसरी है और जहां तक उपकरण के आने की बात है वह यहां पर उपलब्ध नहीं है। बाहर से आने पर लगेगा। फैक्ट्री के मालिकों को इसके लिये कह दिया गया है आने पर लगा दिया जायेगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय से मेरा निवेदन है कि कोटा में भी ऐसा उपकरण नहीं लगने से काफी नुक्सान हुआ है और चम्बल का पानी आज इतना खराब हो गया है कि वहां के लोगों के स्वास्थ्य पर इसका बहुत असर हो रहा है। इसलिये इस उपकरण को जल्दी लगवाया जाय।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री नाथूराम।

नियोजन कार्यालयों पर अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के व्यक्तियों का रजिस्ट्रेशन

159. श्री नाथूराम (बागीडोरा) : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य के नियोजन कार्यालयों में विगत तीन वर्षों में कितने आवेदक अनुसूचित जन-जाति के पंजीकृत हुए? उनमें से कितनों को रोजगार दिलवाया गया?

(2) 31 दिसम्बर, 1973 को कितने आवेदक अनुसूचित जन-जाति के नियोजन कार्यालयों के चालू रजिस्ट्रेशन पर पंजीकृत थे व उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या थी? प्रति वर्ष की तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सत्य है कि भारत सरकार द्वारा आदिवासी सघन क्षेत्रों के लिये ग्रामीण नियोजन केन्द्र खोलने के निर्देश राज्य सरकार को दिये गये हैं? यदि हां, तो कब और राज्य में ऐसे कितने-कितने केन्द्र कब कब खोले गये? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सत्य है कि इन केन्द्रों को पंचम पंचवर्षीय योजना में खोलने का आश्वासन दिया गया था? यदि हां, तो कितने केन्द्र व कहां कहां खोलने के प्रस्ताव किये गये हैं? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

राज्य मन्त्री, श्रम (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (1) राज्य के नियोजन कार्यालयों द्वारा विगत तीन वर्षों में अनुसूचित जन-जाति के आशार्थियों की पंजीकृत एवं नियोजित हुए की सूचना इस प्रकार है:—

वर्ष	पंजीकृत	नियोजित
1971	5735	568
1972	6039	466
1973	6503	88

(2) 31 दिसम्बर, 1973 को 6595 आवेदन अनुसूचित जन-जाति के नियोजन कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर पंजीकृत थे। विगत तीन वर्षों की सूचना सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(3) भारत सरकार ने यह सलाह दी थी कि ग्रामीण जनता की सुविधा के लिये प्रत्येक पंचायत समिति पर एक ग्रामीण रोजगार ब्यूरो की स्थापना की जाय, परन्तु धनाभाव के कारण चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में इस प्रकार के ब्यूरो नहीं खुल सके।

(4) यह सही है कि पंचम पंचवर्षीय योजना में इस प्रकार के ग्रामीण ब्यूरो खोलने का मन्त्री महोदय ने आश्वासन दिया था परन्तु अब इसकी संभावना बहुत कम हो गई है क्योंकि इसके लिये वित्तीय व्यवस्था त्वरित रोजगार योजना के अन्तर्गत ही करनी थी लेकिन अब पंचवर्षीय योजना में त्वरित रोजगार योजना भी समाप्त कर दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

श्री नाथूराम : अध्यक्ष महोदय, मुझे प्रश्न संख्या 3 व 4 की सूची नहीं मिली है जो मिलनी चाहिये थी। मेरा प्रश्न है कि

(श्री नाथूराम)

कितने लोगों को पंजीकृत किया गया ? इसके साथ-साथ मैं यह भी जवाब चाहूंगा कि 72-73 में कितने आदिवासी अनुसूचित जन-जाति के केन्डीडेट्स को रोजगार दिलाया गया ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैंने बताया था कि 1972 में 466 और 1973 में 881 लोगों को।

श्री नाथूराम : अध्यक्ष महोदय, 11 प्रतिशत के हिसाब से 1330 अभ्यार्थियों को लेना चाहिये था जब कि 466 लोगों को नौकरियां दी गयीं। इसी तरह से 11 परसेन्ट के हिसाब से 1425 लोगों को रोजगार देना चाहिये था लेकिन आपने रोजगार दिलाया 881 लोगों को ही। इसका क्या कारण है जब कि राज्य सरकार के आदेश हैं कि जितना परसेन्टज इनकी है उतने लोगों को रोजगार मिलना चाहिये ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : अगर आप परसेन्टेज निकालते हैं तो चूंकि जब पंजीकृत लोग ही कम थे तो क्या करते ? इसके अलावा जितनी वेकेन्सीज होती हैं उसके अनुसार ही तो लिया जायगा।

श्री नाथूराम : सन् 1972 में कितने अनुसूचित जन-जाति के लोगों को पंजीकृत किया गया ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैंने बताया था कि 6039 उसमें से नियोजित किये गये 466।

एक माननीय सदस्य : टोटल परसेन्टेज कितना आज तक निकला ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : उसकी अभी मेरे पास सूचना नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह आपने किस हिसाब से नियोजन किया है ?

श्री नाथूराम : आपको 11 परसेन्ट के हिसाब से 1330 लोगों को रोजगार दिलाना चाहिये था पर आपने नहीं दिलाया और 1973 में अनुसूचित जन-जाति के 1425 व्यक्तियों को रोजगार दिलाना चाहिये वह भी नहीं दिलाया इसका कारण क्या है ? राज्य सरकार के आदेशों की पालना क्यों नहीं हुई ?

श्री रावतराम (छापर) : अध्यक्ष महोदय, हर साल यहां जब सदन में प्रश्न पूछा जाता है तो कभी तो यह कह दिया जाता है कि वेकेन्सी इतनी नहीं निकली, इसके अलावा हम यह सूचना चाहते हैं कि हर डिपार्टमेन्ट से अलग-अलग जितने लोगों को शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के लिये जैसा कि 11 और 17 परसेन्टेज बनी हुई उसके मुताबिक भर्ती नहीं होनी पायी गयी है और जब यहां कहा जाता है तो यह कह दिया जाता है कि इसके लिये आदेश दे दिये गये हैं कि जितनी परसेन्टेज मुकर्रर है उस हिसाब से रोजगार इन जातियों के लोगों को दिया जायेगा पर ऐसा होता नहीं है। कभी तो यह कह दिया जाता है कि वेकेन्सीज कम थीं कभी यह कह दिया जाता है कि पंजीकृत लोगों की संख्या कम थी। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि गवर्नमेन्ट यह गारन्टी दे कि जितनी सीट खाली होती है; जितनी वेकेन्सीज होती हैं उन पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लिये जो परसेन्टेज मुकर्रर कर रखा है

(श्री रावतराम)

उन पर उन लोगों की नियुक्ति करेगी जब कि आज वह नहीं करती है। शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लोग, पढ़े-लिखे लोग बेकार घूमते हैं और उनको स्थान रिक्त होते हुए भी नहीं मिलते हैं जब कि हाउस में घोषणा करते हैं कि उनकी नियुक्ति की जा रही है। प्रश्न यह है कि जो कोटा फिक्स है उसके अनुसार रिजर्वेशन करके उनकी नियुक्ति के द्वारा उसकी पूर्ति क्यों नहीं करते हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न पूछ लूं कि क्या यह सही है कि भूतपूर्व बरकतुल्ला साहब के मंत्रिमंडल के समय यह घोषणा की गयी थी कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिये जो रिजर्वेशन है वह यदि एक साल में पूरा नहीं होगा तो उसको टेकओवर किया जावेगा नेक्स्ट ईयर के लिये और उसको खत्म नहीं किया जावेगा तो क्या गवर्नमेन्ट ने उसके अनुसार अमल किया है और गवर्नमेन्ट यह भी बतायेगी कि आपने जो संख्या बतायी एपोइन्टमेन्ट्स और रिजर्वेशन की वह कितनी परसेन्टेज बनती है और उसको अगले साल केरीओवर किया गया या नहीं ?

श्रम मंत्री (श्री मोहनलाल छंगाणी) : अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है वह अलग से प्रश्न है। उसका जवाब बाद में दिया जा सकता है। प्राइवेटली मैं उनको बता दूंगा। आपने पूछा कि पंजीकृत कितने हुए। एम्प्लोयमेन्ट एक्सचेन्ज में पहले रजिस्ट्रेशन किया जाता है। उसके बाद पोस्टें निकलती हैं। इलिजिबिलिटी के आधार पर कॉलअप किया जाता है। यह बात सही है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स में एजुकेशन लेवल इतना अभी तक नहीं बढ़ने के कारण जो कोटा निर्धारित है, वह भी पूरा नहीं कर पाते हैं, इस बात को मुझे स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं है। जब तक उनका एजुकेशन स्टेटस उस लेवल तक न हो जाय कि उनका वहां तक पूरी तरह पार्टिसिपेशन हो तब तक समस्या का निदान नहीं हो पायगा। सरकार की यह निश्चित मान्यता है कि जो भी एलिजिबल केन्डीडेट है जिस पोस्ट के लिये यदि पूरी तरह से वे उसके लिये सक्षम नहीं हैं तो भी उनको कोशिश करके उसमें लाया जाय। इस सम्बन्ध में अगर कोई ऐसा प्रोग्राम लिया जाय जिससे कि सदन के माननीय सदस्य ज्यादा दबाव डालें ताकि सरकार बड़े पैमाने पर कोई ऐसा प्रोग्राम हाथ में ले ताकि शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स को समान स्तर पर बराबर लाकर उनको सर्विसेज में बराबरी का हिस्सादार बना दिया जाय।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : आज शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के विद्यार्थियों को जगह नहीं मिलती है क्या यह मंत्री महोदय के ध्यान में है ? क्वालिफाइड होते हुए भी, सक्षम होते हुए भी राजनैतिक दबावों के कारण उन लोगों को अपोइन्ट मेन्ट्स नहीं दिये जाते है ...

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछिये !

श्री मूलचन्द सामरिया : शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स को ही लिया जाता है और जगह भरी जाती है यह केवल बहाना मात्र है। कोटे की पूर्ति नहीं हो रही है।

Page No 24

श्री नाथूराम : अध्यक्ष महोदय, गत-वर्ष भी यह प्रश्न था।

श्री अध्यक्ष : पूरक प्रश्न पूछ लें।

श्री नाथूराम : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न मंत्री महोदया से पूछे थे उनका संतोषजनक उत्तर नहीं मिला है। सरकार ने आश्वासन दिया था इसलिये दुबारा आया है। कुल संख्या बतायी। आपने 466 लगाये जब कि संख्या के हिसाब से 1130 को लगाना चाहिये था सन् 1972 में।

श्री अध्यक्ष : यह आप पूछ चुके हैं।

श्री नाथूराम : एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय मैंने जैसा पहले निवेदन किया और एक्सप्लेन किया कि एम्प्लोयमेन्ट एक्सचेन्ज के द्वारा रजिस्ट्रेशन होता है।

कई माननीय सदस्य : (एक साथ बोलने से अश्रव्य।)

श्री नाथूराम : जोन्न पर उनको नहीं लिया है....

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री मीठालाल : केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को यह हिदायत दी हुई है कि जो प्रतिशत निर्धारित कर रखा है यदि अनुसूचित जाति और जन-जातियों में से केन्डीडेट उन स्थान पर नहीं चुने जाते हैं तो जो संख्या निर्धारित है उसके हिसाब से उन स्थानों को रिक्त रखा जावेगा जब कि इन केन्डीडेट्स में से नहीं उपलब्ध हो जाते हैं। इस हिदायत के बावजूद आपने रिक्त स्थानों पर दूसरों को भरा है और उन पर भरा है तो उन अधिकारियों के खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की है? आप क्यों नहीं हिदायतों का पूरी तरह से पालन करते हैं? रिजर्वेशन की श्रेणी के स्थानों के लिये दूसरे अच्छी क्वालीफिकेशन्स के लोग जाते हैं तो आप उनको ही प्रिफरेन्स देते हैं। क्यों नहीं रिजर्वेशन की श्रेणी के लोगों को मदद देकर उन पर नियुक्त करते हैं?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी!

कई माननीय सदस्य : एक प्रश्न। आदिवासियों का प्रश्न है।

श्री मूलचन्द सामरिया : एक प्रश्न।

श्री अध्यक्ष : आप पूछ चुके हैं। जवाब आ चुका है। प्रश्न काल समाप्त हुआ। माननीय मंत्रीजी!

श्री दिनेशराय डांगी : अध्यक्ष महोदय, इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन है।

श्री अध्यक्ष। आप बैठिये। माननीय मंत्रीजी!

श्री मोहनलाल छंगाणी : एलिजिबिलिटी के लिये कोई रिलेक्सेशन नहीं करते हैं। एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन जिस स्थान के लिये तय की जाती है उसमें शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के केन्डीडेट आते हैं तो उनको उसी आधार पर प्राथमिकता दी जाती है।

श्री मूलचन्द सामरिया : नहीं दी जाती है। नहीं दी जाती है।

श्री अध्यक्ष : पूरा जवाब सुनिये।

Page No 25

(25)

श्री मोहनलाल छंगाणी :- कोई स्पेसिफिक केसेज हों तो आप मुझे दीजिये ।

श्री मूलचन्द सामरिया : चपरासी बनने काबिल नहीं हैं उनको भी बना दिया जाता है ।

(व्यवधान)

श्री विट्ठलभाई : आप इसकी जांच करा लीजियेगा । जो लिये हैं एक भी पढ़े-लिखे नहीं हैं ।

श्री मोहनलाल छंगाणी : स्पेसिफिक केसेज मुझे दीजिये मैं उनकी जानकारी करूंगा ।

(निरंतर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य । प्रश्न काल समाप्त हुआ ।

श्री नाथूराम : यह प्रश्न स्थगित किया जाय अध्यक्ष महोदय !

श्री अध्यक्ष : No, No. मैं फैसला कर चुका हूं ।

श्री नाथूराम : सरकार ने सही जवाब नहीं दिया है ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ । बैठिये आप । प्रश्न काल समाप्त हुआ ।

श्री दिनेशराय डांगी : एक इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन है ।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये ।

श्री नाथूराम : इसको स्थगित किया जाय ।

कई माननीय सदस्य : (एक साथ बोलने से अश्रव्य)

श्री नाथूराम :- स्थगित किया जाय, अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री नाथूराम : इसको स्थगित किया जाय ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरा यह निवेदन है कि माननीय सदस्यों में इस बात का क्षोभ है कि जो घोषणा पहले की थी कि रिक्त स्थानों को नेक्स्ट ईयर भी केरी ओन किया जावेगा उसका सरकार पालन नहीं कर रही है । तो क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि सरकार उस पॉलिसी से कमिटेड है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य । मैं निवेदन कर रहा था कि आखिर कोई लिमिट भी तो है डिस्कशन की । अगर माननीय सदस्य संतुष्ट नहीं हैं तो हाफ एन आवर डिस्कशन कल कर सकते हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह पॉलिसी से सम्बन्धित प्रश्न है । वे बता दें कि वे इससे कमिटेड हैं या नहीं ।

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्ताव ।

श्री मूलचन्द सामरिया : सबसे बड़ा झूठ बोला है छंगाणी साहब ने ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट-4 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

राज्य कर्मचारियों की हड़ताल के दिनों कार्य करने का वेतन

144. श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया (बूंदी) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि पिछले वर्ष राज्य कर्मचारियों की हड़ताल के समय राज्य सरकार ने उन कर्मचारियों को जिन्होंने हड़ताल में भाग नहीं लिया था 10 दिन का वेतन देने की घोषणा की थी ? यदि हां, तो क्या यह वेतन अकाल राहत के कर्मचारियों को भी दिया था ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(स्थगित किया गया)

ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत, जोधपुर जिले के ग्रामों में विद्युत् व्यवस्था

145. श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में वर्ष 1972-73 में ग्राम-विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत कितने गांवों का विद्युतीकरण हुवा व कितने नये कुओं को बिजली उपलब्ध करवाई गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जोधपुर जिले में इस योजना के अन्तर्गत एक भी गांव को नहीं रखा गया ? अगर हां, तो ऐसा किस आधार पर हुआ तथा नये गांवों को इस योजना में लेने का क्या आधार है ?

(3) क्या यह सही है कि पिछले वर्ष जिला उत्पादन समिति एवं जिला परिषद् से जिन गांवों को विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत लेने का प्रस्ताव हुआ था उनमें से एक गांव भी नहीं लिया गया ? अगर यह सही है तो क्या इस वर्ष के अन्त तक इन गांवों को इस योजना के अन्तर्गत लेने का राज्य सरकार का विचार है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1972-73 में राजस्थान में 889 नये ग्रामों का विद्युतीकरण हुआ और 17,452 कुओं को विद्युत् उपलब्ध करवाई गई। जिलेवार सूची 'ए' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। वर्ष 1972-73 में जोधपुर जिले के 18 ग्रामों को बिजली पहुँचाई गई।

(3) प्रश्न 2 के उत्तर में कहे गये 18 ग्रामों में से 15 ग्रामों को विद्युतीकरण के लिये जिला कृषि उत्पादन समिति ने गत वर्षों में सिफारिश की थी।

(कृपया परिशिष्ट-5 देखिये)

ट्रक से हत्या

147. श्री रामगोपाल (किशनगंज), श्री रमेशचन्द्र संनिक (हिन्डोली) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि श्री महावीर शर्मा, एच. सी. नम्बर 487 थाना गेन्डोली, जिला बून्दी की ड्यूटी के समय दिनांक 30 जुलाई, 1973 को एक ट्रक द्वारा कुचल कर क्रूरता-पूर्वक हत्या कर दी गई थी ? यदि हां, तो पुलिस विभाग द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध क्या

Page No 27

(२७)

(श्री रामगोपाल)

कार्यवाही की गई ? अब तक की गई कार्यवाही का विवरण देने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) जी हां, श्री महावीरप्रसाद, एच.सी. पुलिस थाना गेन्डोली की 29-7-73 व 30-7-73 की रात्रि में एक ट्रक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उस समय मृतक मुख्य आरक्षी सरकारी ड्यूटी पर था। आरक्षी श्री गेंदीलाल जो मृतक एच० सी० के साथ था, की सूचना पर थाना गेन्डोली में अभियोग पंजीबद्ध किया गया जिसकी तफतीश उप पुलिस अधीक्षक बूंदी कर रहे हैं। बताये जाने पर उसके आधार पर ट्रक नं० आर. जे. एक्स. 775 पुलिस द्वारा बरामद किया गया तथा मुश्तबा ट्रक व उसके ड्राइवर के विरुद्ध आवश्यक सबूत एकत्रित किये जा रहे हैं।

संगणक का स्थानान्तरण

154. **श्रीमती सुमित्रासिंह (झुन्झुनूं)** : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ताजसर, जिला सीकर में कार्य कर रहे संगणक श्री अमरचन्द का पिछले 5 महीने में 7 बार तबादला किया गया है? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

पिछले 5 माह में पांच मरतबा हुआ है।

क्षतिग्रस्त क्षेत्र के कृषकों की सहायता

155. श्री **बिरदाराम फूलवारिया** : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही कि जिन क्षेत्रों में बाढ़ से किसानों के खेत, कुए व रहने के मकान आदि नष्ट हो गये हैं उनको सहायता देने का राज्य सरकार विचार रखती है ? अगर हां, तो कब तक ?

उत्तर

जिन क्षेत्रों में बाढ़ से इस वर्ष क्षति हुई है उनमें बाढ़ पीड़ित व्यक्तियों को सहायता देने के लिये राज्य सरकार ने निम्न पेटर्न निर्धारित किया है:–

1. जिन व्यक्तियों के कच्चे मकान बाढ़ से बह गये हैं या ध्वस्त हो गये हैं तथा पूर्ण रूप से नष्ट हो गये हैं उन्हें 150 रुपये के हिसाब से अनुदान के रूप में प्रति परिवार धनराशि स्वीकृत की जावे।

2. जिन व्यक्तियों के कच्चे मकान बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए हैं उन्हें 10 रुपये से लेकर 100 रुपये तक, क्षति की स्थिति को देखते हुए प्रति परिवार अनुदान के रूप में दिया जावे।

3. जिन बाढ़ पीड़ितों के मकानों की जमीनें डूब गई हों तो ऐसे लोगों को नये मकान बनाने हेतु उचित स्थान (Location) मुफ्त दिया जावे। इस हेतु संबंधित जिलाधीश इसकी पूर्ण जांच एवं संतुष्ट होकर ही व्यवस्था करें।

उपरोक्त हेतु धनराशि जिलाधीशगण को आवंटित की जा चुकी है।

(सहायता मन्त्री)

जहां तक उन किसानों का संबंध है जिनके खेत व कुए बाढ़ से खराब हो गये हों उनके बाबत सहायता मद से व्यवस्था नहीं की गई है।

बस मार्गों का राष्ट्रीयकरण तथा निगम की आय

157. **श्री झाबरमल सूण्डा** (फतेहपुर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजस्थान में वर्ष 1973-74 में राज्य सरकार ने कितने प्रतिशत मार्गों का और राष्ट्रीयकरण किया तथा अब तक कुल कितने मार्गों का राष्ट्रीयकरण हो चुका है? क्या यह सही है कि अधिगृहीत मार्गों के लिए निगम की पर्याप्त बसें उपलब्ध नहीं हो रही है? यदि हां, तो जब बसें उपलब्ध नहीं हो रही हैं तो राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया?

(2) राज्य पथ परिवहन निगम की जनवरी, 1974 में बसों द्वारा रोजाना की आय क्या रही तथा इसी माह का प्रशासनिक व्यय क्या रहा? क्या निगम घाटे में चल रहा है? कृपया जुलाई 73 से दिसम्बर, 73 के आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) राजस्थान में वर्ष, 1973-74 में अभी तक राज्य सरकार ने कुल 2401 किलोमीटर लम्बे मार्गों का और राष्ट्रीयकरण किया है जो 7.31 प्रतिशत है। यह सही नहीं है कि राष्ट्रीयकृत मार्गों के लिये निगम को बसें उपलब्ध नहीं हो रही हैं।

(2) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की जनवरी, 1974 में बसों द्वारा दैनिक औसत आय 1,69,650 रुपये रही। इस माह के प्रशासनिक व्यय के आंकड़े अभी संकलित नहीं हो पाए हैं। यह सही नहीं है कि निगम घाटे में चल रहा है। जुलाई, 1973 से दिसम्बर, 1973 तक के आंकड़ों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

संजय साप्ताहिक समाचार-पत्र, झालरापाटन

108. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) : क्या जन-सम्पर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) संजय साप्ताहिक समाचार-पत्र, झालरापाटन, जिला झालावाड़ कितने पृष्ठ का निकाला जा रहा है और इसकी हर सप्ताह कितनी प्रतियां छपती हैं?

(2) 1 जनवरी, 1964 से 31 दिसम्बर, 1973 तक कितनी-कितनी प्रतियां प्रति सप्ताह छापी गई और प्रति वर्ष इस पत्र का कितना-कितना शुल्क रखा गया? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) संजय साप्ताहिक समाचार-पत्र झालरापाटन, जिला झालावाड़ 6 से 8 पृष्ठों का निकाला जाता है और प्रति सप्ताह 1723 प्रतियां मुद्रित की जाती हैं।

(जनसम्पर्क मन्त्री)

(2) वांछित जानकारी निम्न प्रकार है:—

वर्ष	प्रकाशन के सप्ताह	प्रति सप्ताह प्रतियों की औसत सं०	वार्षिक शुल्क
1964	49	1,700	5 रुपये
1965	50	1,850	7 रुपये
1966	49	1,850	7 रुपये
1967	50	1,910	7 रुपये
1968	50	1,700	10 रुपये
1969	49	1,400	10 रुपये
1970	48	1,350	10 रुपये
1971	49	1,350	10 रुपये
1972	45	1,500	10 रुपये
1973	49	1,700	14 रुपये

जिला झालावाड़ की मतदाता सूचियों की छपाई

109. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) : क्या चुनाव मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि जिला झालावाड़ की मतदाता सूची संजय प्रेस, झालरापाटन से ही छपाई जाती है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) 1 जनवरी, 1964 से 31 दिसम्बर, 1973 तक निम्न मतदाता सूचियों की छपाई का कब-कब कितना-कितना रुपया संजय प्रेस, झालरापाटन, जिला झालावाड़ को दिया गया:–

[1] पंचायत चुनावों की मतदाता सूची;

[2] नगरपालिकाओं को मतदाता सूची;

[3] मध्यावधि चुनावों की मतदाता सूची;

[4] आम चुनाव विधान सभा एवं लोकसभा की मतदाता सूची।

कृपया सूची देने का कष्ट करें।

(स्थगित किया गया)

श्री बाल विद्या भवन, जोधपुर को अनुदान की राशि का भुगतान

110. **श्री अमृतलाल गहलोत** (सरदारपुरा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि श्री बाल विद्या भवन; उच्च प्राथमिक विद्यालय; जोधपुर ने अपने कर्मचारियों को द्वितीय एवं तृतीय अन्तरिम सहायता के रु० 859.12 पैसे भुगतान कर दिए हैं और विद्यालय निरीक्षक, जोधपुर ने अपने पत्रांक 9831 दिनांक 23-2-73 द्वारा निदेशक, शिक्षा विभाग, बीकानेर से निवेदन किया है कि 70 प्रतिशत की दर से रु० 461 अनुदान के शीघ्र भुगतान किए जावें ? यदि हां, तो इस राशि का अब तक भुगतान क्यों नहीं किया गया ?

(2) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त संस्था के वर्ष 1971-72 के हिसाब की जांच के समय रु० 891.92 पैसे शिक्षा विभाग द्वारा भूल से छूट गए थे जिसके लिए विद्यालय निरीक्षक, जोधपुर ने अपने पत्र सं० 9833 दिनांक 23-2-73 द्वारा इस राशि के भुगतान का अनुमोदन किया

(श्री अमृतलाल गहलोत)

है ? यदि हां, तो अब तक इसका भुगतान क्यों नहीं किया गया ?

(3) क्या यह सत्य है कि निदेशक; शिक्षा विभाग, बीकानेर ने उपरोक्त संस्था के वर्ष 1971-72 के लेखों का अन्तिमीकरण के समय रुपये 7338) की राशि अमान्य की है तथा इस सम्बन्ध में विद्यालय निरीक्षक जोधपुर ने वर्ष 1971-72 व वर्ष 1972-73 की क्रमशः भविष्य निधि के रु० 2432) व रु० 2193) विभाग द्वारा चाहे गए प्रपत्र भर कर निदेशक को भेजे और इसके अतिरिक्त विभिन्न मदों पर रु० 2713) इस संस्था ने व्यय किए; उसकी भी मांग की, इन सब पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया ? यदि हां; तो निर्णय कब तक ले लिया जायगा ?

उत्तर

(1) कर्मचारियों के द्वितीय एवं तृतीय अंतरिम सहायता के संबन्ध में विद्यालय निरीक्षक द्वारा संस्था के पत्र प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में माह मार्च में प्राप्त हुए। इनकी जांच करने पर कमियों की पूर्ति हेतु विद्यालय निदेशक; जोधपुर को मामला लौटाया गया। विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय द्वारा अभी तक कमियों की पूर्ति करके मामला निदेशालय को लौटाया नहीं गया है।

(2) विद्यालय निरीक्षक द्वारा प्रेषित सूचना अपूर्ण होने के कारण उसकी पूर्ति हेतु संस्था तथा विद्यालय निरीक्षक दोनों को लिखा गया परन्तु अभी तक विद्यालय निरीक्षक अथवा संस्था द्वारा अपेक्षित सूचना प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को प्रेषित नहीं की गई है।

(3) सत्र 1971-72 की भविष्य निधि की स्वीकृति दिनांक 26-12-73 को जारी कर विद्यालय निरीक्षक एवं संस्था को प्रेषित की जा चुकी है।

दौसा संस्कृत महाविद्यालय

111. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) दौसा संस्कृत महाविद्यालय में अध्ययनशील विद्यार्थियों की संख्या कितनी है ? कक्षा व सेक्शनवार बतायें।

(2) उक्त शाला में अध्ययनशील छात्रों के लिए कितने कमरों में अध्ययन की व्यवस्था है ?

(3) क्या उक्त छात्र संख्या के लिए उक्त भवन काफी है ?

(4) यदि नहीं, तो क्या सरकार उपयुक्त व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

(1) दौसा शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय में अध्ययनशील छात्रों की संख्या 404 है।

कक्षा व सेक्शनवार निम्न प्रकार हैं:—

क्र० सं०	कक्षा	वर्ग	छात्र सं०
1	2	3	4
1.	6	ए	31
2.	6	बी	23
3.	7	ए	31

(शिक्षा मन्त्री)

1	2	3	4
4.	7	बी	38
5.	7	सी	28
6.	8	ए	27
7.	8	बी	30
8.	8	सी	25
9.	9	ए	25
10.	9	बी	31
11.	10	ए	31
12.	10	बी	26
13.	उपाध्याय		40
14.	शास्त्री प्रथम वर्ष		10
15.	शास्त्री द्वितीय वर्ष		1
16.	शास्त्री तृतीय वर्ष		7
		योग....	404

(2) उक्त शाला में अध्ययनशील छात्रों के लिये वर्तमान में 8 कमरों में अध्ययन की व्यवस्था है।

(3) छात्र संख्या एवं कक्षाओं को देखते हुए भवन पर्याप्त नहीं है।

(4) पंचवर्षीय योजना में यह कमी पूर्ति होने की संभावना है।

राजस्थान पोलिटेक्निक संस्थान के तकनीकी शिक्षकों की समस्याएं

112. श्री अमृतलाल गहलोत (सरदार पुरा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) क्या यह सत्य है कि राजस्थान पोलीटेक्निक शिक्षक संघ के महामंत्री ने मुख्यमंत्री के जोधपुर प्रवास के समय दिनांक 9-1-74 को व शिक्षा आयुक्त को उनके जोधपुर पोलीटेक्निक के निरीक्षण दिनांक 17-1-74 के समय तकनीकी शिक्षकों की समस्याओं के निदान हेतु एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था? यदि हां, तो राज्य सरकार व निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, राजस्थान उपरोक्त ज्ञापन में उल्लेख की गई समस्याओं के निराकरण के लिये क्या कर रहे हैं?

(2) पोलीटेक्निक शिक्षकों को सलेक्शन ग्रेड देने के लिये राज्य सरकार के तत्कालीन शिक्षा मंत्री श्रीमान् शिवचरण माथुर की स्वीकृति के पश्चात् भी इसे क्यों निरस्त किया गया जबकि इस पर कुल वार्षिक खर्चा करीब दस हजार रुपये ही है जो अन्य विभागों की तुलना में बहुत कम है?

(3) पोलीटेक्निक में सेवारत तकनीकी प्रवक्ताओं (भौतिक, रसायन शास्त्र, गणित और आंग्ल भाषा) का कालेज शिक्षा के साथ अनकेडरमेंट राज्य सरकार द्वारा स्वीकार किये जाने पर भी इन प्रवक्ताओं का कॉलेज शिक्षा विभाग की वरिष्ठता सूची में नाम क्यों नहीं जोड़ा गया है?

(4) पोलीटेक्निक संस्थान में कार्य कर रहे पी. टी. आई. व लाइब्रेरियन का राजस्थान पोलीटेक्निक सेवा नियम (अराजपत्रित) में कोई उल्लेख नहीं है। क्या सरकार उनको भी कॉलेज शिक्षा के साथ समायोजित कर रही है? पोलीटेक्निक विभाग से इनकी पदोन्नति का कोई भी प्रावधान क्यों नहीं रखा गया है? क्या यह सत्य है कि जयपुर व भरतपुर पोलीटेक्निक संस्थान के बन्द होने पर अधिघोषित पी. टी. आई. व लाइब्रेरियन उच्च वेतनमान में कॉलेज शिक्षा विभाग

(श्री अमृतलाल गहलोत)

में समायोजित किये गये हैं ? यदि हां, तो इनसे अधिक वरिष्ठता वाले जो पोलीटेक्निक में सेवारत हैं को कम वेतन श्रृंखला में रखने का क्या औचित्य है ? क्या यह सत्य है कि राणावत वेतन आयोग ने इन पदों के वेतन मान को भी कम कर दिया था, यदि हां, तो क्यों ?

(5) प्रावैधिक शिक्षा निदेशक पोलीटेक्निक शिक्षकों को शिक्षण में डिप्लोमा प्राप्ति के लिये रीजनल टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट, चंडीगढ़ में राज्य सरकार के खर्चे पर शिक्षकों को भेजते हैं। क्या राज्य सरकार ने इस डिप्लोमा को लेक्चरार के पद पर पदोन्नति की आवश्यक योग्यता के रूप में मान्यता (स्वीकृति) प्रदान करदी है जैसा कि सीमावर्ती राज्य उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, आई. एस. टी. ई. (भारत सरकार संस्थान) एन. आर. सी. द्वारा स्वीकृत हैं ? क्या इस सम्बन्ध में केन्द्रीय शिक्षा मंत्री महोदय द्वारा कोई पत्र तत्कालीन मुख्य मंत्री को 2 जुलाई, 1972 को मिला था ? यदि हां, तो राज्य सरकार इस सम्बन्ध में क्या कर रही है ?

(6) राज्य में डिप्लोमाधारी छात्र जो राज्य के विभिन्न इंजीनियरिंग विभागों व औद्योगिक संस्थानों में सेवारत हैं, लगातार पार्ट-टाइम इंजीनियरिंग डिग्री कक्षायें राज्य में खोलने की मांग कर रहे हैं, इस दिशा में विभिन्न पहलुओं से आज तक क्या प्रगति हुई ? क्या राजकीय पोलीटेक्निक, जोधपुर ने उपरोक्त पार्ट-टाइम कक्षाएं पोलीटेक्निक में चलाने के लिये जोधपुर विश्वविद्यालय से एफीलेशन के लिये आवेदन किया है ? यदि हां तो क्या सरकार उपरोक्त कक्षाएं पोलीटेक्निक में चलाये जाने की स्वीकृति प्रदान कर रही है ?

(7) पोलिटेक्निक के डेमोंस्ट्रेटर, इन्सट्रक्टर व प्रवक्ताओं का वेतनमान सीमावर्ती राज्यों से काफी निम्न है, व डेमोंस्ट्रेटर एवं इन्सट्रक्टर के वेतनमानों में विगत दशक से कोई रिवीजन नहीं हुआ जबकि इसी विभाग के उच्चतम राजपत्रित पदों का वेतनमान इसी दशक में दो बार बढ़ाया जा चुका है, राज्य सरकार इस दिशा में क्या कर रही है ?

(8) क्या यह सच है कि राजकीय पोलिटेक्निक, उदयपुर को उदयपुर विश्वविद्यालय को हस्तांतरित कर दिया है ? यदि हां, तो इस पोलिटेक्निक में कार्य कर रहे शिक्षकों के भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? क्या शिक्षकों को उदयपुर विश्वविद्यालय सेवा के साथ समायोजित किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या अब तक शिक्षकों को समायोजन की शर्तों से अवगत कराया जा चुका है ?

(9) क्या यह सत्य है कि प्रावैधिक शिक्षा के निदेशालय के अंतर्गत चल रहे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अधीक्षक व प्रधानाचार्य के पद की भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत योग्यता इन्जीनियरिंग में डिग्री अथवा डिप्लोमा होनी ही है ? यदि हां, तो उपरोक्त पदों पर केवल आई. टी. आई. प्रमाण पत्र योग्यता वाले व्यक्तियों को निदेशक प्रावैधिक शिक्षा ने क्यों पदोन्नत किया, क्या यह प्रशिक्षण संस्थान व छात्रों के लिये अहितकर नहीं है ?

(10) पोलीटेक्निक में डिप्लोमा योग्यता वाले शिक्षकों का वेतनमान राज्य के

(श्री अमृतलाल गहलोत)

आई. टी. आई. के इन्सट्रक्टर के समान ही है जबकि आई. टी. आई. में इन्सट्रक्टर की योग्यता सिर्फ आई. टी. आई. प्रमाण-पत्र होती है। पोलीटेक्निक में डिप्लोमा योग्यता वाले शिक्षकों के लिये उच्च पदों पर पदोन्नति का प्रावधान क्यों नहीं है? सरकार व प्राविधिक शिक्षा निदेशक इस संबंध में क्या कर रहे हैं ?

उत्तर

(1) जी हां। इस पर राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

(2) राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में यह निर्णय लिया था कि वर्तमान वित्तीय स्थिति को देखते हुए मामले पर विचार करना संभव नहीं है। इस सम्बन्ध में पुन: विचार करने हेतु कार्यवाही जारी है।

(3) यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

(4) पोलीटेक्निक संस्थाओं में कार्य कर रहे पी. टी. आई. व लाइब्रेरियन के पद ऐसे हैं कि उनकी किसी और पदापर पदोन्नति होना संभव नहीं है इसलिये इनको उनके सेवा नियमों के परिशिष्ट में नहीं रखा गया। इन पदों को शिक्षा विभाग के नियम में शामिल कर लिया जावे, यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

जिस समय जयपुर व भरतपुर पोलीटेक्निक बन्द हुई थीं उस समय भरतपुर पोलीटेक्निक में कार्य कर रहे लाइब्रेरियन को अधिशेष घोषित करने के कॉलेज शिक्षा में समावेस किया गया था। उस समय पोलीटेक्निक में लाइब्रेरियन का वेतनमान 170-385 था व कॉलेज शिक्षा में 130-320 था। इससे विदित होता है कि उस समय कॉलेज शिक्षा में लाइब्रेरियन का वेतनमान पोलीटेक्निक के लाइब्रेरियन के वेतनमान से कम था। परन्तु राणावत वेतन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार इन वेतनमानों में काफी फेरबदल हो गया। पोलीटेक्निक के लाइब्रेरियन का वेतनमान 170-385 की बजाय 160-360 हो गया जबकि कॉलेज शिक्षा में लाइब्रेरियन पद के दो वेतनमान हो गये। यानी 225-525 व 250-625। दोनों वेतनमान के लिये योग्यता एक ही रखी गई परन्तु अनुभव में अन्तर कर दिया गया। 250-625 का वेतनमान पाने के 7 साल का अनुभव अनिवार्य रखा गया। यहां यह कहना अनुचित नहीं होगा कि पोलीटेक्निकों में जितने लाइब्रेरियन कार्य कर रहे हैं जिनमें से अधिक का अनुभव 7 साल से ऊपर का है। इस प्रकार से उनको 250-625 का वेतनमान मिलना चाहिये। परन्तु हुआ यह कि उनका वेतनमान 170-385 से घटाकर 160-360 कर दिया गया।

(5) रीजनल टी. टी. आई. द्वारा जो डिप्लोमा दिया जाता है उसे डिग्री के समकक्ष मान लिया जावे इस पर राज्य सरकार ने विचार किया और यह तय किया गया कि दूसरे राज्यों में क्या स्थिति है। तदनुसार दूसरे राज्यों को पत्र लिखे गये। अभी तक कुछ राज्यों के ही पत्र प्राप्त हुए हैं। शेष उत्तर आने पर अन्तिम निर्णय ले लिया जावेगा।

(6) मामला विचाराधीन है।

(7) इसका उत्तर प्रश्न सं. 1 के उत्तर में दिया गया है।

Page No 34

(34)

(शिक्षा मंत्री)

(8) जी हां। उदयपुर विश्वविद्यालय के नियम अभी स्वीकृत नहीं हुये हैं। स्वीकृत होने पर संबंधित शिक्षकों से विकल्प ले लिया जावेगा। अभी शिक्षकों का समायोजन की शर्तों से अवगत नहीं कराया गया है। किन्तु राज्य सरकार से जो सुविधायें प्राप्त हैं वेही सुविधायें विश्वविद्यालय में दिलाये जाने हेतु कार्य-वाही जारी है।

(9) आई. टी. आई. शाखा के सेवा नियम सरकार के विचाराधीन हैं। अधीक्षक के पद पर सीधी भर्ती के लिये डिप्लोमा अनिवार्य है, परन्तु पदोन्नति के के लिये ऐसी रोक नहीं है।

(10) यह सही है कि पोलीटेक्निक में डिप्लोमा रखने वाले शिक्षकों का वेतन-मान राज्य के आई. टी. आई. के अनुदेशकों के समान है।

पोलीटेक्निक में कार्यरत डिप्लोमा योग्यता वाले शिक्षकों को प्रवक्ता के पदों पर पदोन्नति देने का प्रावधान सेवा नियमों में है।

तहसील नोखा व कोलायत में. मिडिल स्कूलें

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बीकानेर जिले की तहसील नोखा व कोलायत में इस वर्ष कितनी मिडिल स्कूलें खोली गई? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त स्कूलों में अभी तक अध्यापकों को नियुक्त नहीं किया गया है? यदि नियुक्त किया गया है तो अध्यापक स्कूलों में हाजिर क्यों नहीं रहते?

(3) क्या यह सही है कि इस संबंध में ग्रामीणों द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों की शिकायतें भी की गई हैं? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई जांच कराई है? यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम रहे?

(4) उक्त स्कूलों में किन-किन अध्यापकों को नियुक्त किया गया था? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) सत्र 73–74 में बीकानेर जिले की तहसील नोखा व कोलायत में 13 शालाओं को उच्च प्राथमिक स्तर में क्रमोन्नत किया गया था। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) यह सही नहीं है। नियुक्ति आदेश सब में जारी कर दिये गये हैं। अध्यापक नियमानुसार कार्य करते हैं।

(3) केवल एक शाला के प्रधानाध्यापक के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई थी जिसकी जांच विभाग ने की और आंशिक रूप से सही पाई गई थी। प्रधानाध्यापक के विरुद्ध उचित कार्यवाही की गई है।

(4) प्रश्न के भाग (1) के उत्तर में दी गई सूची में अंकित है।

(कृपया परिशिष्ट-7 देखिये)

ट्रकों का बीमा

114. **श्री भानुकुमार शास्त्री** (उदयपुर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ट्रक नम्बर आर. जे. वाई. 4538, आर. जे. वाई. 372, आर. आर. एल. 4449, आर. आर. एल. 2355, आर. आर. एल. 2898, आर. आर. एल. 4811 का बीमा नहीं कराया गया है? यदि हां तो क्यों? यदि नहीं तो कब और किस कम्पनी से कराया गया? बीमा न कराने पर उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

(2) क्या यह सही है कि उक्त गाड़ियों का टैक्स नियमित रूप से जमा नहीं कराया गया? यदि हां, तो इनके मालिकों के विरुद्ध अब तक क्या-क्या कानूनी कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो किस किस का कितनी कितनी अवधि के लिये कब कब और कहां कहां कितना कितना टैक्स जमा करवाया गया और कब कब जमा कराना था?

(3) क्या यह सही है कि उक्त गाड़ियों का टोकन भी नहीं लिया गया है? यदि हां, तो क्यों और नहीं तो किस किस गाड़ी का कब कब कितनी कितनी अवधि के लिये टोकन लिया गया?

(4) उक्त गाड़ियों के रोड परमिट कब कब से किस किस क्षेत्र के किस किस अवधि के लिये दिये गये हैं? और यह गाड़ियां कहां कहां चली हैं?

उत्तर

(1) बीमा किस कम्पनी से कराया गया है इसकी सूचना परिवहन विभाग में नहीं रखी जाती है। वाहनों का बीमा टोकन जारी करते समय चेक किया जाता है। सिवाय आर० जे० वाई० 372 जो कि सरेन्डर है तथा आर० आर० एल० 2898 जो कि 8-9-72 को एन० ओ० सी० प्राप्त कर कानपुर चली गई है अन्य वाहनों का बीमा गत टोकन लेने के समय वेलिड था।

(2) जी नहीं। प्रश्न में अंकित गाड़ियों का टैक्स, रिकार्ड अनुसार, निम्न विगतवार जमा हुआ है:—

गाड़ी नम्बर 1	कब तक जमा हुआ 2	रिमार्क्स 3
आर. जे. वाई. 4538	31-12-73 तक जमा है	74 के प्रथम क्वार्टर के टैक्स का अभी वेरीफिकेशन ट्रेजरी से नहीं हुआ है।
आर. जे. वाई. 372	1954 के तीसरे क्वार्टर तक का टैक्स जमा है	29-9-54 को गाड़ी के कागजात सरेन्डर किये जा चुके हैं जो अभी तक वापस नहीं लिये हैं। अतः टैक्स जमा कराने का प्रश्न हीं नहीं उठता।
आर. आर. एल. 4449	31-3-74 तक का टैक्स जमा है	—

36

(यातायात मंत्री)

1	2	3
आर. आर. एल. 2355	31-3-74 तक का टैक्स जमा है—	
आर. आर. एल. 2898	30-9-72 तक का टैक्स जमा है	8-9-72 को यह गाड़ी एन० ओ० सी० प्राप्त कर कानपुर चली गई।
आर. आर. एल. 4811	31-3-74 तक का टैक्स जमा है	

(3) साधारणतः प्रत्येक गाड़ी का जब टैक्स जमा होता है तब ही उसे टोकन जारी किया जाता है। आर. जे. वाई. 372 तथा आर. आर. एल. 2898 के टोकन लेने का प्रश्न नहीं पैदा होता। आर. आर. एल. 4811 का टोकन 31-3-74 तक लिया हुआ है। अन्य वाहनों के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है।

(4) नियमानुसार कोई भी ट्रक बिना परमिट लिये नहीं चल सकती है। उपलब्ध सूचना के अनुसार आर. जे. वाई. 4538 को परमिट उदयपुर रीजन के लिये 21-4-71 से 20-4-74 तक, आर. आर. एल. 2355 को जयपुर रीजन का परमिट 4-9-72 से 3-9-77 तक जारी किया हुआ है। आर. जे. वाई. 372 सरेन्डर की हुई है, इस कारण परमिट लेने का प्रश्न नहीं उठता। आर. आर. एल. 2898 दिनांक 8-9-72 को इस राज्य से बाहर जा चुकी है। अतः अब इसके परमिट का ही प्रश्न नहीं उठता। आर. आर. एल. 4811 को दिनांक 30-1-74 को समस्त राजस्थान का परमिट स्वीकृत हुआ है। आर. आर. एल. 4449 के परमिट के बारे में जानकारी एकत्रित की जा रही है।

एस. एन. मेडिकल कॉलेज, जोधपुर में छात्राओं के लिए छात्रावास

115. श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में छात्राओं के प्रवेश के लिए कितनी सीट्स सुरक्षित हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इस समय एस. एन. मेडिकल कालेज, जोधपुर में कितने छात्र व छात्राएं अध्ययन कर रहे/रही हैं ?

(3) क्या यह सत्य है कि जोधपुर में छात्राओं के लिए अलग से कोई छात्रावास नहीं है ? यदि हां, तो छात्रावास का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) प्रवेश नियमों के अनुसार राजस्थान के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में छात्राओं के लिए कुल सीटों का 20 प्रतिशत स्थान प्रवेश के लिए सुरक्षित है।

(2) 361 छात्र व 61 छात्राएं है।

(3) यह सत्य है कि एस. एन. मेडिकल कॉलेज, जोधपुर में छात्राओं के लिए

(चिकित्सा मंत्री)

कोई अलग से छात्रावास भवन नहीं है। इस समय छः छात्राओं के निवास के लिए उम्मेद अस्पताल के निकट एक राजकीय भवन में अस्थाई प्रबन्ध किया हुआ है।

संजय साप्ताहिक समाचार-पत्र झालरापाटन को विज्ञापन

116. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

संजय साप्ताहिक समाचार-पत्र झालरापाटन, जिला-झालावाड़ को 1 जनवरी, सन् 1964 से 31 दिसम्बर, सन् 1973 तक विज्ञापन हेतु परिवार नियोजन विभाग द्वारा कितना कितना रुपया कब कब दिया गया? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

इस समाचार पत्र को परिवार नियोजन विभाग द्वारा सन् 1964-65 से 1967-68 तक की अवधि में कोई विज्ञापन नहीं दिया गया। परिवार नियोजन विभाग द्वारा दिये गये विज्ञापनों का वार्षिक ब्योरा निम्न प्रकार है:—

वर्ष	विज्ञापन की कीमत
1968-69	रु० 1282-50
1969-70	रु० 1711-50
1970-71	रु० 3061-80
1971-72	रु० 3052-50
1972-73	रु० 231-00
1973-74 (31-9-73)	रु० 436-00

वर्ष 1970-71 में सघन परिवार नियोजन अभियान के अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (परिवार नियोजन) झालावाड़ ने इस समाचार-पत्र के लिये केवल 100) रु० का विज्ञापन और अपने स्तर से ही जारी किया था, जिसकी स्वीकृति राज्य सरकार ने अपने पत्र क्रमांक एफ. 23 (31) चिस्वा/ग्रुप-5/73 दिनांक 13-9-73 के द्वारा प्रदान की गई थी।

डॉक्टरों के स्थानान्तरण सम्बन्धी नीति

117. **श्री अमृतलाल गहलोत** (सरदारपुरा): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या डॉक्टरों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में नीति निर्धारण के लिए राज्य सरकार विचार कर रही है?

(2) यदि हां, तो कब तक उपरोक्त नीति निर्धारण कर दी जायगी? यदि नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) विचाराधीन है।

(2) शीघ्र ही नीति निर्धारित किये जाने की आशा है।

संजय साप्ताहिक समाचार पत्र झालरापाटन को समाज कल्याण विभाग से दिये गये विज्ञापन

118. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन): क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

संजय साप्ताहिक समाचार-पत्र झालरापाटन, जिला झालावाड़ को एक जनवरी,

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

1964 से 31 दिसम्बर, 1973 तक इन दस वर्षों में कितना कितना रुपया कब कब विज्ञापन हेतु दिया गया ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

संजय साप्ताहिक झालरापाटन को जनवरी; 64 से 31 दिसम्बर, 1973 तक निम्नांकित अनुसार विज्ञापन दिया गया है:—

वर्ष	धनराशि
	रु०
1964-65	547-00
1965-66	1,474.40
1966-67	3,027.40
1067-68	5,143.60
1968-69	4,263.00
1969-70	3,469.40
1970-71	3,057.00
1971-72	3,492.00
1972-73	2,437.50
अप्रैल, 73 से दिसम्बर, 73 तक	2,281.40

रेवदर तहसील क्षेत्र में अनुसूचित जन-जाति के मोहल्लों में बिजली व नल

119. श्री **जेठमल आर्य** (रेवदर) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सिरोही जिले की रेवदर तहसील में विभाग द्वारा धन आवन्टित होने के उपरान्त भी मण्डार, रेवदर व निबज में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के मोहल्लों में बिजली व नल का कुछ भी कार्य नहीं हुआ है ? यदि हुआ है तो कितना और क्या-क्या ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सिरोही जिले में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति के कितने होस्टल हैं तथा प्रत्येक में कितने-कितने विद्यार्थी हैं ? मय नाम के सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि रेवदर तहसील में कोई होस्टल नहीं खोला गया है जब कि यह तहसील बहुत ही पिछड़ी हुई है ?

(4) क्या रेवदर तहसील में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति के विद्यार्थियों के लिए समाज कल्याण विभाग की ओर से होस्टल व नारी कल्याण केन्द्र आदि खोलने की योजना है ? यदि है तो कब तक ?

उत्तर

(1) समाज कल्याण विभाग द्वारा सिरोही जिले की रेवदर तहसील में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति के मोहल्लों में नल व बिजली लगाने के न तो कोई प्रस्ताव ही प्राप्त हुये हैं और न ही कोई राशि ही स्वीकृत की गई है।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) यह सही है कि रेवदर में कोई छात्रावास नहीं है।

(4) जी नहीं, क्योंकि अब नये छात्रावास खोलने हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बाल अपराधियों की सजा का स्वरूप

120. श्री **मूलचन्द सामरिया** (दौसा) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राज्य में कितने बच्चे बाल अपराधियों के रूप में सजा पा रहे हैं? तथा उनकी सजा का क्या स्वरूप है और उनको सुधारने में कितनी सहायता मिली है?

उत्तर

दिनांक 1-1-74 को बाल-बन्दी सुधार-गृह, उदयपुर में 90 दण्डित बाल व किशोर बन्दी थे, जिनकी सजा का विवरण निम्न प्रकार है:—

सजा का विवरण	संख्या
1 से 3 माह तक	11
3 से 6 माह तक	17
6 माह से 2 वर्ष तक	13
1 वर्ष से 3 वर्ष तक	17
3 वर्ष से 5 वर्ष तक	5
5 वर्ष से 10 वर्ष तक	8
आजीवन कारावास	18
योग	90

बाल-बन्दी-गृह के बाल बन्दियों को सुधारने की दृष्टि से इस सुधार गृह में उन्हें नियमित रूप से प्राथमिक शिक्षा दिये जाने के साथ-साथ उन्हें राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड व उदयपुर विश्वविद्यालय की विभिन्न परीक्षाओं के पाठ्यक्रम का अध्ययन करने व इन परीक्षाओं में सम्मिलित होने को प्रोत्साहित किया जाता है। परिणाम-स्वरूप बन्दी इस सुविधा का लाभ उठा कर ज्ञानार्जन कर रहे हैं।

बाल-बन्दियों को शिक्षा के साथ औद्योगिक प्रशिक्षण दिये जाने के लिये 3 व्यावसायिक अध्यापकों की इस सुधार गृह में नियुक्ति की हुई है। ये व्यावसायिक शिक्षक बाल बन्दियों को सिलाई, बढ़ईगीरी व लुहारगीरी के कार्यों का प्रशिक्षण देते हैं।

बाल-बन्दी सुधार-गृह के बाल बन्दियों के लाभार्थ सिलाई योजना, रुचिपूर्ण कार्यों की योजना एवं साइकिल-स्कूटर वर्कशॉप चलाया जा रहा है। ये योजनाएँ पुनर्वास की दृष्टि से लाभप्रद हैं। बाल-बन्दी सुधार गृह में रह कर "रुचिपूर्ण कार्यों की योजना" एवं साइकिल-स्कूटर वर्कशॉप में कार्य करके अर्थोपार्जन कर रहे हैं।

सुधार की दृष्टि से जो कार्यक्रम चल रहे हैं उन में पूर्ण सफलता मिली है। इसके अतिरिक्त बाल अपराधियों को दण्ड से बचाने, उन्हें सुधारने और समाज में पुनर्स्थापित करने की दृष्टि से राजस्थान में राजस्थान बालक अधिनियम, 1970 लागू किया गया है। 17 अगस्त, 1971 से अभी जयपुर और अजमेर जिलों में ही लागू किया गया है। इसके अनुसार कोई भी 16 वर्ष से कम आयु के अपराधी बालक और 18 वर्ष से कम आयु की अपराधी बालिका को आरक्षी केन्द्र अथवा कारागृह में नहीं रखा जा सकता। बालक अधिनियम के अन्तर्गत बाल अपराधियों को उनके परिवार और समुदाय अथवा इस हेतु स्थापित विशेष संस्थाओं में रख कर सुधारने और पुनर्स्थापित करने के प्रयत्न किये जाते

(समाज कल्याण मंत्री)

है। अगले वित्तीय वर्ष में दो अन्य जिलों में यह अधिनियम लागू किया जाना विचाराधीन है। राजस्थान में 1962 से केन्द्रीय अपराधी परिवीक्षा अधिनियम भी लागू है, जिसकी धारा 6 के अन्तर्गत 21 वर्ष से कम आयु के अपराधियों के सम्बन्ध में कारागृह देने की शक्तियों पर कुछ प्रतिबन्ध लगाये गये हैं। ऐसे अपराधियों को परिवीक्षा पर किन्हीं मामलों में परिवीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण पर छोड़ा जाता है जिससे कि वे समाज में रह कर सुधर सकें और पुनर्स्थापित हो सकें।

दौसा अस्पताल में एक्स-रे की व्यवस्था

121. श्री **मूलचन्द सामरिया** (दौसा): क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) दौसा जैसे अस्पताल में क्या एक्स-रे की व्यवस्था होना आवश्यक नहीं है ?

(2) यदि हां, तो राज्य सरकार इसकी व्यवस्था कब तक कर देगी ?

उत्तर

(1) जी हां, आवश्यकता है। दौसा अस्पताल में एक्स-रे मशीन उपलब्ध है, जिससे केवल स्क्रीनिंग ही किया जाता है। एक्स-रे प्लेट लेने की सुविधा नहीं है। उक्त सुविधा प्रदान करने हेतु हाल ही में दौसा नगरपालिका ने उप-जिला दण्डनायक (एस. डी. एम.), दौसा के पास 5,000 रु. की राशि जमा कराई है। एक्स-रे प्लेट लेने के उपकरण इस मशीन में फिट कराने हेतु सम्बन्धित कम्पनी से सम्पर्क कर लिया गया है तथा शीघ्र ही एक्स-रे की सुविधा दौसा अस्पताल में हो सकेगी।

(2) इस प्रश्न का उत्तर भाग एक में दिया जा चुका है।

राजस्थान में डाकू समस्या

122. श्री **मूलचन्द सामरिया** (दौसा): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में डाकू समस्या हल हो गई है ? यदि हाँ, तो डाकूग्रस्त क्षेत्रों की अलग पुलिस रेन्ज किस उद्देश्य से बनाई गई है ?

(2) क्या यह सही है कि अब इसे समाप्त किया जा रहा है ?

(3) यदि हां, तो क्या इससे डाकुओं को फिर पनपने का अवसर नहीं मिलेगा ?

उत्तर

(1) यह सही है कि इस समय राजस्थान में कोई डाकू समस्या नहीं है। अलग पुलिस रेन्ज डाकूग्रस्त क्षेत्रों के लिए नहीं बनाई गई है, बल्कि कोटा, बूंदी व झालावाड़ जिलों की कानून एवं शान्ति व्यवस्था तथा अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए आवश्यक समझी जाकर बनाई गई है।

(2) जी नहीं। इन पदों को स्थाई बनाया जा चुका है।

(3) इसका प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

बलात्कार के मामले

123. श्री **मूलचन्द सामरिया** (दौसा): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राज्य में सन् 1964 से सन् 1974 तक कितने बलात्कार के काण्ड हुए ? तथा इनमें से कितनों के चालान हुए और कितनों में सजा हुई व कितने मामलों में अपराधी बरी हुए ? क्या इस प्रकार के अपराध क्रमशः बढ़ रहे हैं ?

उत्तर

राज्य में सन् 1964 से 1973 तक दर्ज किये बलात्कार के मुकदमों की वर्षवार सूची मय इनके चालान, सजा व बरी आदि की सूचना संलग्न है। संलग्न तालिका के अवलोकन में स्पष्ट है कि इन मुकदमात में बढ़ोतरी नहीं हुई है।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल एण्ड मिनरल डेवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन द्वारा रोड रोलरों का उत्पादन

124. श्री **अमृतलाल गहलोत** (सरदारपुरा): क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल एण्ड मिनरल डवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन, राजस्थान में रोड रोलर के उत्पादन के सम्बन्ध में कोई प्रोजैक्ट रिपोर्ट बनवा रहा है ?

(2) क्या यह सत्य है कि राजस्थान में रोड रोलर्स की अत्यधिक मांग है जिसकी उत्पादकों द्वारा समय में पूर्ति नहीं हो रही है ?

(3) क्या यह सत्य है कि जोधपुर नगर ऑटोमोबाइल एन्सीलरीज के उद्योग राजस्थान में अग्रगण्य हैं अतः रोड रोलर का उत्पादन वहां सब जगह से सहज हो सकता है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां।

(3) हालांकि जोधपुर नगर ऑटोमोबाइल एन्सीलरीज काम्पलेक्स के लिये अच्छा स्थान है किन्तु स्थान का चयन प्रोजैक्ट सम्बन्धी प्राविधिक संभाव्यता (टैक्नो इकोनामिक सर्वे) तथा आर्थिक क्षमता (इकोनामिक वायाबिलिटी) एवं विशेषज्ञों की सलाह पर निर्भर करेगा।

उद्योगपतियों को ऋण

125. श्री **वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान सरकार द्वारा कितना कितना ऋण किस किस उद्योगपति को दिया गया और उनमें कितना कितना रुपया बाकी है व कितना वसूल हो चुका है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) जिन उद्योगों ने वक्त पर रुपया अदा नहीं किया है उनके विरुद्ध सरकार ने क्या क्या कदम उठाये हैं ?

(स्थगित किया गया)

उद्योगों के लिये आवेदन-पत्र

126. श्री **वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान राज्य लघु उद्योग निगम को 1971-72, 1972-73 और

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

1973-74 में कितने आवेदन-पत्र जिलेवार प्राप्त हुए हैं ? इनमें से कितने स्वीकार तथा अन्य आवेदन-पत्रों के अस्वीकार होने के क्या कारण हैं ?

(2) बाड़मेर जिले से किन किन उद्योगों के आवेदन-पत्र स्वीकार हुए हैं और उन्हें क्या सहायता मिली है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(स्थगित किया गया)

घाटोड़ी ग्राम में पुलिस थाना

127. श्री भैरूलाल (अकलेरा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि तहसील अकलेरा के घाटोड़ी ग्राम में पहले पुलिस थाना था ?

(2) क्या यह भी सच है कि घाटोड़ी क्षेत्र में बढ़ते हुये अपराधों के आतंक को देख कर, वहां की जनता ने वापस घाटोड़ी ग्राम में थाना कायम करने के लिये पुलिस विभाग में कई बार प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये ? यदि हां, तो उस क्षेत्र के बढ़ते हुये अपराधों को ध्यान में रखते हुये क्या सरकार घाटोड़ी ग्राम में वापस पुलिस थाना कायम करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। घाटोड़ी ग्राम में सन् 1963 से पूर्व पुलिस थाना था।

(2) जी हां, माननीय विधायक ने सन् 72 व 73 में ग्राम घाटोड़ी में पुलिस थाना स्थापित करने हेतु पुलिस विभाग में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये थे। राज्य सरकार द्वारा पुलिस विभाग के पुनर्गठन हेतु गठित समिति ने अपने प्रतिवेदन में ग्राम घाटोड़ी में थाना कायम करने की सिफारिश नहीं की है।

बून्दी जिले में अकाल राहत कार्य

128. श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला बून्दी में गत वर्ष अकाल राहत कार्य कहाँ कहाँ चालू किये गये थे और उन पर कितना कितना कार्य पूर्ण हुआ तथा शेष कार्य के लिये राज्य सरकार की क्या योजना है ?

(2) क्या यह सही है कि गत वर्ष चालू किये गये अकाल राहत कार्य पर कार्यरत मजदूरों के वेतन का भुगतान बाकी है ? यदि हां, तो कहाँ कहाँ के कार्य के कितने मजदूरों का कितना ? अब कब तक शेष मजदूरी का भुगतान कर दिया जायगा ?

उत्तर

(1) जिला बूंदी में गत वर्ष जो राहत कार्य चालू किये गये थे एवं उनमें से जो कार्य पूर्ण हुए तथा जो अधूरे हैं उनका विवरण संलग्न सूची में अंकित है। जहां तक अधूरे कार्यों को पूरा कराने का संबंध है अकाल की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात् इन्हें पूरा कराने के लिए सहायता मद से इनके ऊपर खर्चा नहीं किया जा सकेगा।

(2) जी हां। अकाल राहत कार्य पर लगाये गए मजदूरों को 11328 रुपये

(अकाल सहायता मन्त्री)

81 पैसे का भुगतान किया जाना शेष है। कार्यवार विवरण सूची में संलग्न है। शेष मजदूरी का भुगतान शीघ्र कर दिया जायगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

रोहतास इन्डस्ट्रीज लि० को ऋण

129. **श्री मीठालाल**, (लालसोट) , श्री **मूलचन्द सामरिया** (दौसा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि रोहतास इन्डस्ट्रीज लि०, डालमिया नगर (बिहार) को राजस्थान वित्त निगम द्वारा वर्ष 1969-70 में 20 लाख रुपयों का ऋण स्वीकार किया गया था ? यदि हाँ, तो उक्त ऋण किस तिथि को किन शर्तों पर स्वीकार किया गया ? शर्तों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त ऋण कम्पनी की तत्काल मशीनरी, अन्य असेट्स के उपयोग हेतु दिया गया था ? यदि हाँ, तो उक्त ऋण का कम्पनी द्वारा किस तिथि को उपयोग किया गया ? यदि नहीं, तो किन कारणों से ऋण की राशि एक मुश्त में दी गई ?

(3) उक्त कम्पनी के ऋण के आवेदन के समय कौन कौन संचालक थे ?

(4) उक्त कम्पनी द्वारा किस स्थान पर उक्त ऋण का उपयोग कैसे, कब व कहाँ किया गया और उसमें उत्पादन कब प्रारम्भ हुआ ?

उत्तर

(1) जी हां, दिनांक 7 जून, 1969 को रोहतास इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, डालमिया नगर को 20 लाख रुपये का ऋण राजस्थान वित्त निगम द्वारा स्वीकृत किया गया था। ऋण की शर्तें की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है (परिशिष्ट—क ।

(2) यह ऋण आवेदनकर्त्ता को कारखाने के लिए आवश्यक सम्पदा एवं असेट्स क्रय (भूमि भवन) के लिए दिया गया था। इस ऋण का वितरण तारीख 9 मार्च, 1970 को इस कम्पनी के 20 लाख रुपये के सिक्योर्ड डिबेन्चर्स की प्रतिभूति पर निगम के संचालक मण्डल की स्वीकृति प्राप्त कर ऋण का वितरण किया गया था। इस ऋण की राशि का उक्त औद्योगिक संस्थान द्वारा मार्च, 1973 के पूर्व उपयोग कर लिया गया है।

(3) उक्त कम्पनी के ऋण के आवेदन के समय निम्न संचालक थे।

[1] श्री शान्तिप्रसाद जैन;

[2] श्री मोहनलाल जालान;

[3] श्री सुकुमल कान्ति घोष;

[4] श्री नन्दलाल पोद्दार;

[5] श्री ई. आर. मेयर।

(4) उक्त कम्पनी द्वारा ऋण का उपयोग जयपुर में एक वृहत आकार के वनस्पति प्लान्ट के भवन निर्माण एवं मशीनरी क्रय हेतु किया गया है। यह कारखाना निर्माणाधीन है। कम्पनी ने सूचित किया है कि ट्रायल प्रोडक्शन इस वर्ष मार्च, 1974 में व व्यावसायिक उत्पादन जून, 1974 में आरम्भ होगा।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

Page No 44

(४४)

तहसील श्री गंगानगर में खालों के मामले

130. श्री **गुरदयालसिंह संधु**(करणपुर): क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि चक 7 वाई, तहसील व जिला श्री गंगानगर में मिसल नम्बर 6/1970 हरनेकसिंह बनाम जगीरसिंह वगैरह जेर दफा 24 राजस्थान जल सिंचाई एव निकाय अधिनियम, 1954 फैसला कलेक्टर श्री गंगानगर तारीख 16-2-70 द्वारा मुरब्बा नं० 28 चक 7 वाई के लिये मु. नं. 23 में से एक खाला मन्जूर किया गया था ? मगर उस खाले को नहर विभाग द्वारा श्री हरनेक सिंह द्वारा बार-बार मांग करने पर भी आज तक जारी नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि ऐसे मामलों में गंगानगर जिले में नहर विभाग द्वारा पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है और सर्वत्र भ्रष्टाचार व्याप्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त मामले की निष्पक्ष जांच करवायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां, खाला जारी इसलिये नहीं हो सका कि भूमि मालिक मु. नं. 23 आपत्तिकर्त्ता है और भूमि अवाप्ति की कार्यवाही संपूर्ण नहीं हुई। भूमि अवाप्ति के अभाव में खाल को मौका पर जारी किया जाना संभव नहीं हो सका।

(2) जी नहीं, कोई पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं अपनाया जा रहा है, जिसकी कोई जांच की जानी अपेक्षित है।

मावली, रेलमगरा व राजसमन्द तहसीलों के किसानों द्वारा कुओं पर बिजली की मांग

131. श्री **निरंजननाथ आचार्य** (मावली) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) मावली, रेलमगरा, राजसमन्द तहसीलों के किसानों से अपने कुओं पर बिजली प्राप्त करने के कुल कितने प्रार्थना-पत्र विद्युत् विभाग, उदयपुर को सन् 1972-73 में प्राप्त हुए ? उनमें से कितने किसानों को किस आधार पर बिजली दी गई तथा कितनी संख्या में कुओं को बिजली देना अब शेष है और क्यों ?

(2) जिन किसानों को अब तक कुओं के लिये बिजली नहीं दी जा सकी है उनकी संख्या उक्त तहसीलवार सूची सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) मावली, रेलमगरा व राजसमन्द तहसीलों के किसानों से सन् 1972-73 में प्राप्त प्रार्थना-पत्र व दिये गये कनेक्शन का विवरण इस प्रकार है:—

तहसील	प्रार्थना-पत्रों की संख्या	कनेक्शन दिये गये	एल फार्म न देने व डिमांड नोट की धनराशि जमा न होने के कारण रद्द प्रार्थना-पत्र	अवशिष्ट
1. मावली	659	395	253	11
2. रेलमगरा	598	324	274	—
3. राजसमन्द	316	207	107	2

(विद्युत् मन्त्री)

उक्त कनेक्शन प्राथमिकता के आधार पर ही दिये गये हैं। पेंडिंग 13 प्रार्थियों में से 12 ने अभी तक एल फार्म नहीं दिये हैं। शेष एक ने फरवरी, 74 में एल फार्म दिया है जिसे कंडक्टर की उपलब्धि होने पर कनेक्शन दे दिया जावेगा।

(2) जिन प्रार्थियों को अब तक कनेक्शन नहीं दिये जा सके हैं उनकी तहसीलवार संख्या ऊपर बता दी गई है।

तहसील सांचौर में बाढ़ से बांधों को क्षति

132. श्री **रघुनाथ विश्नोई** (सांचौर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील सांचौर में हाल ही में आई बाढ से कितने बंधे कहां कहां क्षतिग्रस्त हुए ? तथा कुल मिला कर सब बंधों की कितनी क्षति हुई ?

(2) बाढ़ से क्षतिग्रस्त बंधों की मरम्मत के बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई एवं भविष्य में क्या कार्यवाही की जावेगी ? उपरोक्त बंधों की मरम्मत के लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई है ? उस राशि का उपयोग कब तक कर दिया जावेगा ?

(3) बाढ से क्षतिग्रस्त सब बांधों की दुबारा मरम्मत कराना एवं उनको पूर्ण कराना क्या तकनीकी दृष्टि से ठीक होगा ? अगर हां, तो कैसे ? अगर नहीं, तो कितने बांधों का पुनर्निर्माण स्थगित किया जायेगा एवं क्यों ?

(4) क्या उपरोक्त बांधों में खरीदे गये गेट्स लगाये जायेंगे ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिन बांधों की क्षति हुई है उनकी सूची संलग्न है।

(2) इन बांधों के मरम्मत का कार्य हाथ में लिया जा चुका है। स्वीकृत राशि संलग्न सूची में अंकित कर दी गई है। इस राशि का उपयोग जून, 1974 तक कर दिया जायेगा।

(3) तकनीकी दृष्टि से सभी बांधों की मरम्मत करवाना उपयुक्त होगा।

(4) बांधों के मरम्मत कार्य में गेट्स लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है न मरम्मत कार्यों के मद में से कोई गेट्स खरीदे गये हैं।

(कृपया परिशिष्ट 10 देखिये)

तहसील सांचौर में बाढ़ से सड़कों की क्षति

133. श्री **रघुनाथ विश्नोई** (सांचौर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) हाल ही में आई बाढ़ के कारण तहसील सांचौर में कितनी सड़कों को क्षति पहुंची ? क्षतिग्रस्त सड़कों की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) उपरोक्त क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के बारे में सरकार द्वारा अब तक क्या क्या कार्यवाही की गई है एवं भविष्य में क्या कार्यवाही की जावेगी ?

(3) लूनी नदी पुल एवं सुरक्षा सड़क पर बाढ के कारण कितनी क्षति हुई है ? दुबारा पुल का निर्माण एवं क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कब तक कर दी जावेगी ?

Page No 46

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

(4) सांचोर-भवातड़ा तथा रानीवाड़ा सांचोर सड़क की मरम्मत कब तक करवा दी जावेगी ?

उत्तर

(1) सांचौर तहसील में सार्वजनिक निर्माण विभाग की गनडोव-चितलवाना व सांचोर भावटरा वाया ग्रामली दो सड़कों के कुछ भाग गत बाढ में क्षतिग्रस्त हुए है। सड़कें जो अकाल राहत कार्यों में निर्माण कराई गई है और इस विभाग की मरम्मत सूची पर नहीं हैं, उन्हें शामिल नहीं किया गया है।

(2) उपलब्ध धनराशि अनुसार मरम्मत कार्य हो सकेगा।

सहायता विभाग से इन सड़कों के लिये धनराशि आवंटित नहीं की गई है।

(3) पुल के एप्रोचेज टूट गये थे, जिनकी मरम्मत के एस्टीमेट भारत सरकार को भेजे गये हैं। सड़क की आवश्यक मरम्मत वर्षा से पूर्व होने की आशा है।

(4) सांचोर—रानीवाड़ा सड़क का मरम्मत कार्य प्रगति पर है। सांचोर भावतडा सडक की मरम्मत धनराशि उपलब्ध होने पर की जावेगी।

सामोद से अमरसर सड़क का निर्माण कार्य

134. श्री **हनुमान सहाय व्यास** (बैराठ) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या जयपुर जिले की सामोद से अमरसर सड़क के निर्माण कार्य को सरकार चालू वित्तीय वर्ष में पूरा कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या यह सच है कि यह सड़क राज्य सरकार द्वारा 12 वर्ष पूर्व स्वीकृत की गई थी ? यदि नहीं, तो कब ? और किस किस वित्तीय वर्ष में कितनी कितनी धनराशि इस सड़क निर्माण के लिये स्वीकृत कर व्यय की गई है ?

उत्तर

(1) चालू वित्तीय वर्ष में पूरा नहीं हो सकेगा।

(2) यह सड़क 8–11–63 को स्वीकृत की गई थी। वांछित सूचना सूची (अ) में संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 11 देखिये)

विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों एवं श्रमिकों पर व्यय की गई धनराशि

135. श्री **हनुमान सहाय व्यास** (बैराठ) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) 1 अप्रेल, 1973 से 31 जनवरी, 74 तक विद्युत बोर्ड द्वारा कर्मचारियों एवं श्रमिकों के वेतन, मेडिकल रियम्बर्समेंट, टी. ए., डी. ए. एवं ओवर टाइम पर एस. ई. सर्किल डिविजन वाइज कितनी कितनी धनराशि व्यय की गई और कितनी बकाया है ?

(2) क्या यह सच है कि व्यय की राशि को देखते हुए चालू वित्तीय वर्ष में कनेक्शन नहीं दिये गये हैं और न ही नवीन ग्रामों का विद्युतिकरण हुआ है ? यदि हां,

(श्री हनुमान सहाय व्यास)

तो क्यों ? जयपुर जिले के जिन जिन गांवों में चालू वित्तीय वर्ष में सिक्यूरिटी जमा की जाकर कनेक्शन दिये गये हैं उनकी सूची दी जावे। वर्ष 72-73 में जमा शुदा सिक्यूरिटी वालों में से किन–किन को कनेक्शन नहीं दिये हैं की सूची मय कारणों के दी जावे।

(स्थगित किया गया)

सेंदड़ा गांव के विद्युतिकरण की मांग

136. श्री केशरीमल (ब्यावर) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि पाली जिले के सेंदड़ा गांव में खानों से पोल बनाने के व अन्य प्रकार के कार्यों का विस्तार हो रहा है ? यदि हां, तो जब इस गांव की जनता द्वारा उद्योग, खेती और निजी घरेलू कार्य के लिये विद्युत् की मांग लम्बे अर्से से आ रही है तो क्या विद्युत् विभाग इस गांव का विद्युतिकरण करना उचित समझती है ? यदि हां, तो कब तक यहां विद्युतिकरण कर दिया जायगा ?

उत्तर

जी हां। सेंदड़ा गांव का विद्युतिकरण कब तक हो जावेगा, इसके बारे में अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

ब्यावर शहर से जवाजा की विद्युत् लाइन

137. श्री केशरीमल (ब्यावर) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

ब्यावर शहर से राजियावास, कालिंजर जवाजा, सूरजपुरा, तारागढ़ से जस्साखेड़ा तक और भीम से बनजारा, बड़ा खेड़ा वराखण्ड की तरफ, तथा ब्यावर, जालिया, कोटरा, कावरा होते हुए भाटियों के बाड़े के पास जवाजा की तरफ ले जाई जाने वाली विद्युत् लाइन से जोड़ने का कार्य राज्य सरकार कब शुरू कर रही है तथा इस कार्य को कब तक पूरा कर दिया जावेगा ?

उत्तर

तहसील ब्यावर में जवाजा पंचायत समिति मुख्यालय की एक मिनी आर. ई. सी. योजना ग्रामीण विद्युतिकरण निगम द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है, जिसमें ब्यावर तहसील के निम्न 8 ग्रामों को सम्मिलित किया गया है:—

1. जवाजा	2. सूरजपुरा
3. लौटियाना	4. चिलियावड़
5. कोटरा	6. कावरा
7. कालिन्जर	8. राजियावास

यह कार्य वर्ष 1974–75 के अन्त तक पूर्ण होने की संभावना है।

ग्राम रलावता के काश्तकारों द्वारा कुओं पर बिजली लेने की मांग

138. श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम रलावता, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर के काश्तकारों ने कुओं पर बिजली लेने के लिये प्रार्थना-पत्र दिये हैं ? यदि हां, तो किस-किस ने और कब-कब और क्या उन्हें कनेक्शन दे दिया गया यदि नहीं, तो क्यों ?

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

(2) क्या यह सही है कि अब तक इस ग्राम के केवल 4 कुओं के अलावा किसी किसान का प्रार्थना-पत्र स्वीकार नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त ग्राम इलेक्ट्रीफाइड है ? यदि हां, तो कब से ?

उत्तर

(1) जी हां; रलावता ग्राम के कुछ काश्तकारों ने कुओं पर बिजली लगाने के लिये प्रार्थना-पत्र दिये थे। पूर्ण विवरण सहित सूची 'ए' सदन की मेज पर रख दी गई है। तकनीकी दृष्टि से साध्य न होने के कारण जिन काश्तकारों के प्रार्थना-पत्र स्वीकार नहीं किये गये हैं, उनका पूर्ण विवरण भी इस सूची में दे दिया गया है।

(2) पांच को कनेक्शन दिये जा चुके हैं। तीन प्रार्थियों ने एस्टीमेट की धनराशि निश्चित अवधि में जमा नहीं कराई जिससे उनके प्रार्थना-पत्र रद्द कर दिये गये। शेष 21 प्रार्थियों के प्रार्थना-पत्र तकनीकी दृष्टि से साध्य नहीं पाये गये।

(3) जी हां, इस ग्राम का विद्युतिकरण 1965 में कर दिया गया था।

(कृपया परिशिष्ट—12 देखिये)

जिला कृषि उत्पादन कमेटी, टोंक द्वारा गांवों में बिजली की सिफारिश

139. **श्री अजीतसिंह** (टोंक) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला कृषि उत्पादन कमेटी टोंक द्वारा सिफारिश होकर आये हुए विद्युतिकरण करने के लिये कितने गांव हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त गांवों में विद्युतिकरण कब तक करवा दिया जायगा ?

उत्तर

(1) गत वर्षों में जिला कृषि उत्पादन समिति टोंक द्वारा विद्युतिकरण के लिये सिफारिश किये गये गांवों की सूची 'अ', 'ब' और 'स' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) भाग 1 के संदर्भ में जो सूचियां सदन की मेज पर रखी गई हैं उसमें विद्युतिकृत ग्रामों को (*) से दर्शाया है व जिन ग्रामों के विद्युतिकरण की स्वीकृति हो चुकी है उन्हें (X) से दर्शाया गया है। शेष ग्रामों का विद्युतिकरण कब तक कर दिया जावेगा इसके बारे में अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:—

(1) श्री गुरदयालसिंह सन्धु, सदस्य विधान सभा की ओर से किशनगढ़ के छात्रों को हाल ही में शिक्षा मंत्रीजी द्वारा दिये गये आश्वासनों की पूर्ति न होने के सम्बन्ध में।

(2) सर्व श्री गुमानमल लोढ़ा, अजीतसिंह, व भानुकुमार शास्त्री, सदस्य, विधान सभा की ओर से जोधपुर शहर में इस माह का गेहूं व चीनी तथा मिट्टी के तेल व कोयले के अभाव के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

इन दोनों प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

(3) श्री केशरीमल, सदस्य, विधान सभा की ओर से अजमेर जिले में कुछ नगरों में पीने के पानी की चिन्ताजनक स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) सर्वश्री अजीतसिंह व भानुकुमार शास्त्री, सदस्य, विधान सभा की ओर से देवली शहर में चोरियों का तांता लग रहा है इस सम्बन्ध में।

ये प्रश्न अविलम्बनीय लोक महत्त्व के नहीं हैं और माननीय सदस्य बजट पर हो रही आम बहस के समय इन्हें उठा सकते हैं अतः मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(5) श्री मूलचन्द सामरिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से तहसील दौसा, वस्सी व जमवा रामगढ़ की कृषि भूमि को रामगढ़ बन्धे से पानी न मिलने के सम्बन्ध में।

यह प्रश्न हाल की किसी घटना से सम्बन्धित नहीं है। अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं। इसे बजट पर बहस के समय उठा सकते हैं।

(6) श्री गुरदयाल सिंह सन्धु, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान विधान सभा भवन के सामने अनेक विषयों को लेकर गत 2 मार्च से चल रहे धरने के सम्बन्ध में।

यह प्रश्न एक से अधिक प्रश्नों से सम्बन्धित है और माननीय सदस्य यदि चाहें तो बजट पर चल रही आम बहस के समय चर्चा उठा सकते हैं। अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(7) सर्वश्री गुमानमल लोढ़ा, अजीतसिंह, भानुकुमार शास्त्री, सदस्य, विधान सभा की ओर से सरदारशहर के ग्राम फूलासर की एक महिला व उसकी एकवर्षीय बच्ची को जिन्दा जलाकर गाड़ देने से सम्बन्धित अपराधियों को गिरफ्तार न करने के सम्बन्ध में।

इस प्रस्ताव में घटना की तिथि नहीं बताई गई है और मालूम नहीं पड़ता है कि यह घटना कब की है। अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(8) श्री मूलचन्द सामरिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से कृषि मूल्य आयोग ने किसानों पर अपना खूनी पंजा जमा रखा है इस विषय में।

यह प्रस्ताव अस्पष्ट और किसी घटना विशेष से सम्बन्धित नहीं है। अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

पूर्व में निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना भी प्राप्त हुई थी:—

(1) श्री केशरीमल, सदस्य, विधान सभा की ओर से किशनगढ़ के पावर लूम उद्योग के मालिकों द्वारा की गई तालाबन्दी के सम्बन्ध में।

(2) सर्वश्री मनोहरलाल, गुमानमल लोढ़ा व भानुकुमार शास्त्री, सदस्य, विधान सभा की ओर से नगरपालिका कामां व डीग द्वारा भू-खण्डों का वितरण अनुसूचित जातियों आदि में न करने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(3) सर्वश्री मनोहरलाल, गुमानमल लोढ़ा व भानुकुमार शास्त्री, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर उद्योग लिमिटेड के श्रमिकों को बोनस न देने के सम्बन्ध में।

(4) श्री गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य, विधान सभा की ओर से (1)—राशन के गेहूं के मूल्य में होने वाली बढ़ोतरी के सम्बन्ध में, (2)—जयपुर शहर में राशन के गेहूं, चीनी, मिट्टी का तेल न मिलने के सम्बन्ध में।

ये सब प्रश्न अविलम्बनीय लोक महत्त्व के नहीं हैं और माननीय सदस्य चाहें तो बजट पर हो रही आम बहस के समय चर्चा उठा सकते हैं। अतः मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : एक मेरा प्रश्न भी छोटा सा है। इसके लिये इस बीमारी की हालत में मुझे यहां आना पड़ा है। एस पी. चित्तौड़गढ़ ने मामूली सा ही काम किया है। उसने दो-चार तमाचे ही मारे हैं। अधिक नहीं। यहां से टेलीफोन से पूछा जा सकता है इसके लिए तो।

श्री गिर्राजप्रसाद तिवाड़ी : एक काल अटेन्शन मोशन मेरा भी है।

श्री अध्यक्ष : इसका यह समय नहीं है।

श्री केशरीमल : अध्यक्ष महोदय पीने के पानी की समस्या अजमेर जिले में और खास कर अजमेर नगर में जटिल होती जा रही है। पहले मैं ब्यावर में ही जटिल समझ रहा था, पर आज अजमेर की हालत ब्यावर से भी जटिल है। अजमेर नगर में तो अभी से यह हालत है कि पीने के पानी की सप्लाई पूरी तौर से लोगों को नहीं मिल रही है। ब्यावर में नीचे गरीब लोगों की बस्तियों में पानी नहीं पहुंच रहा है।

गत वर्ष सरकार ने लाखों रुपया तात्कालिक सहायता के लिये खर्च किया। ऐसे मामलों में सरकार का बार बार ध्यान आकर्षित किया गया है। राज्य सरकार भी दो साल से कहती आ रही है कि वह कुछ कर रही है। हम चाहते हैं कि इसका समाधान निकाला जाय।

बनास की योजना की बात कही गई थी। मैं जानना चाहूंगा कि इस योजना पर सरकार क्या कर रही है? क्या इस योजना को पांचवीं योजना में सम्मिलित किया है सरकार ने या नहीं? अगर इसे क्रियान्वित करने नहीं जा रही है तो इसके एवज में कौनसी ऐसी योजना सरकार सोच रही है जिससे अजमेर, ब्यावर और दूसरे अजमेर जिले के नगरों में लोगों को स्थायी रूप से पीने का पानी मिल सके और उनकी यह चिन्ता सदा के लिये दूर हो जाय?

यह सीजन फिर भी किसी तरह से खींच लेंगे लोग वहां पर। अगर इस साल बरसात में थोड़ी सी भी कमी हुई तो अगला साल निकलना कठिन होगा। आज भी नीचे निम्न वर्ग जहां रहते हैं, वहां पानी के वितरण की व्यवस्था ठीक नहीं है। यही हालत अजमेर और दूसरे नगरों की है। अजमेर की हालत तो ब्यावर से भी कहीं अधिक खराब है।

(श्री केशरीमल)

इसलिये मैं सरकार से मांग करूंगा कि वह पीने के पानी की व्यवस्था करने में शीघ्रता करे और तत्परता से इस काम को हाथ में ले ।

श्री **गुरदयालसिंह सन्धु** : अध्यक्ष महोदय, मेरे दो स्थगन प्रस्ताव हैं। एक में मैंने जिक्र किया है कि किशनगढ़ के लड़कों ने मांग की थी जिस पर शिक्षा मंत्री ने लिखकर पत्र भेजा था उनको कि आपकी सभी मांगें सरकार स्वीकार करती है पर सरकार ने उस पर अभी तक अमल नहीं किया है।

दूसरी बात जो मैं अर्ज करना चाहता हूं कुछ दिनों से सदन के बाहर हरिजन भाई धरना दिये बैठे हैं। उनकी अधिकतर मांगें वही हैं जो उधर बैठने वालों की है। फिर सरकार को उनको मान लेने में क्या कठिनाई है ? यहां उनको व्यर्थ में क्यों बिठाये रखा है ? हरिजनों को उनके अधिकार मिलने चाहियें। उनकी मांगों को मान लिया जाना चाहिये यही मेरा कहना है।

श्री **अध्यक्ष** : श्री मूलचन्द सामरिया !

श्री **मूलचन्द सामरिया** : अध्यक्ष महोदय....

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : अध्यक्ष महोदय....

श्री **मूलचन्द सामरिया** : मुझे आपने समय दिया है, अध्यक्ष महोदय।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : किशनगढ़ के छात्रों के सम्बन्ध में कहा गया। इससे पहले भी मैंने मन्त्रीजी से बात की थी और मन्त्रीजी का खुद का पत्र मेरे पास है जिसमें साफ लिखा है उन्होंने कि आपकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जावेगा। तदनुसार शिक्षा आयुक्त महोदय को आचार्य के स्थानान्तरण और अन्य मांगों के बारे में आदेश दे दिये हैं। उस वक्त भी प्रिन्सिपल को एक हफ्ते में ट्रान्सफर कर दिया जावेगा यह कहा गया था और इसको मानकर ही हड़ताल वापस ले ली गई थी। उन्होंने आदेश भी दे दिये जैसा कि पत्र से ज्ञात होता है। अब न मालूम किस दवाव में आकर वे आदेश स्थगित कर दिये गये हैं। इससे दुबारा हड़ताल शुरू हो गई है। विद्यार्थियों के परीक्षाओं के दिन हैं। जब आश्वासन दिया है तो उसे पूरा किया जाना चाहिये।

श्री **खेतसिंह** (शिक्षा मन्त्री) : आप कहें तो मैं उत्तर दे दूं।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : वे उत्तर देने को तैयार हैं। आप दिलवा दीजिये।

श्री **अध्यक्ष** : मुझे कोई ऐतराज नहीं है हालांकि इस तरह की परिपाटी नहीं है। वे कहना चाहें तो कहें।

श्री **खेतसिंह** : अध्यक्ष महोदय, मुझे कहने में ऐतराज नहीं है, पर यहां गलत परम्परा पड़े इसलिये गलत परम्परा मैं डालना नहीं चाहूंगा।

श्री **मूलचन्द सामरिया** : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्रियों की मीटिंग दिल्ली में 15 तारीख को हो रही है जिसमें वे अनाज की आगे के लिये कीमतें तय करेंगे। हमारे प्रदेश के मुख्य मन्त्री भी

(श्री मूलचन्द सामरिया)

इसमें भाग लेंगे। महाराष्ट्र की सरकार ने अनाज की खरीद के भाव 105 रखने की घोषणा की है। इसी तरह से पंजाब ने भी 115 की सिफारिश की है।

श्री अध्यक्ष : आपके स्थगन प्रस्ताव में तो यह सब नहीं है।

श्री **मूलचन्द सामरिया** : विस्तार में नहीं बताया था। संक्षेप में लिखा था। हरियाणा के मुख्य मन्त्री ने 110 के भावों की घोषणा की है। कृषि उपज मूल्य आयोग जो बना है वह किसानों के शोषण के लिये बना है। अब हमारे मुख्य-मन्त्री किसी घोषणा करने से पहले सदन में इस मसले को चर्चा के लिये रखें और सदन की राय इस पर पहले मालूम कर लें। सदस्यों को वे अपने विश्वास में लें। यहां वाद-विवाद हो कर जो निर्णय होगा वह राजस्थान को जनता की राय होगी। किसान को अपनी लागत के आधार पर और उसका मुनाफा मिलाकर मूल्य मिलना चाहिये। अगर उस मूल्य पर फूड कारपोरेशन खरीदने को तैयार न हो तो राजस्थान का खाद्य विभाग इस काम को अपने हाथ में ले। पर किसान को उचित मूल्य मिलना अत्यावश्यक है जिससे कि किसान को पूरा लाभ मिले और प्रोक्योरमेन्ट में भी बाधाएं उत्पन्न न हों।

तो अध्यक्ष महोदय, परसों के दिन मन्त्री महोदय ने कहा था कि 200 रुपये के भाव से हम विदेशों से गेहूं लेकर आते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि 200 रुपये में से 150 रुपये के हिसाब से भी यदि राजस्थान के किसानों को दें और उसको सब्सीडाइज करके 90 रुपये या 100 रुपये के हिसाब से उपभोक्ताओं को दें तो भी हमारी स्टेट के किसानों को 50 रुपये के हिसाब से ज्यादा मिलेगा और राज्य सरकार को भी उससे बचत होगी और साथ ही साथ फोरेन करेन्सी की भी बचत होगी, काफी रुपया बचेगा जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति समृद्ध होगी और उपभोक्ताओं को भी स्थायी अनाज मिल सकेगा। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी की क्या नीति है उसके बारे में घोषणा करें और किसानों की क्या पैरवी करना चाहते हैं उस बारे में सदन को कोन्फीडेन्स में लें।

दूसरा स्थगन प्रस्ताव जमवा रामगढ़ के बारे में है ....

श्री अध्यक्ष : कई बार डिसकस हो चुका है।

श्री **मूलचन्द सामरिया** : कई बार निवेदन करूंगा। जब तक समस्या हल नहीं हो जायगी तब तक मैं हर समय कहता रहूंगा। सरकार मौन रहेगी तब तक मैं बोलूंगा। जमवा रामगढ़ के बन्धे से रामगढ़ और बस्सी जिले की कुछ तहसीलों को सिंचाई का पानी मिलता है। ....

श्री अध्यक्ष : डिमाण्ड के समय जोर से कहें।

श्री **मूलचन्द सामरिया** : उस समय भी निवेदन करूंगा। क्योंकि राजा के समय से और राजस्थान बनने से पहले इस पानी

(श्री मूलचन्द सामरिया)

से सिंचाई होती थी और समाजवादी सरकार ने उसको बन्द किया है। तो मैं इस तरफ ध्यान दिलाऊंगा कि हमारे राज्य में करोड़ों रुपया खर्च होता है और इन तीनों तहसीलों के बारे में वहां के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है इसलिये बनास नदी की योजना को जल्दी से जल्दी सरकार हाथ में ले। अगर जयपुर के लिये पानी देते हैं तो पानी सिंचाई के लिये भी दे सकते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि हर काम आन्दोलनों से और हिंसा के जरिये उचित भी नहीं है। इसलिये वक्त रहते हुए किसान आन्दोलित नहीं हों इससे पूर्व सरकार निर्णय करेगी तो अशुभ और अनहोनी घटनाएं होने से बच जायेंगी।

श्री अध्यक्ष : श्री लोढ़ा।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मैंने दो स्थगन प्रस्ताव रखे हैं। पहला स्थगन प्रस्ताव जोधपुर नगर में कोयला, धान और मिट्टी के तेल की समस्या के बारे में है। अध्यक्ष महोदय, पिछले समय यहां पर अभाव और महंगाई के ऊपर लम्बी चौड़ी बहस हुई और आश्वासन भी दिया गया। होली का बीच में त्यौहार भी आया लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जोधपुर शहर में जो सरकार की ओर से सिम्बोलिक 2 किलो या 3 किलो धान देने की योजना बनाई है उसके अनुसार भी वहां पर धान का वितरण नहीं किया गया है। आज स्थिति यह है कि होली के त्यौहार के ऊपर एडीशनल या एक्स्ट्रा कोटा की बात ही छोड़िये साधारण कोटा जो है उसके अनुसार भी गेहूं वहां जनता को नहीं मिलता। कोयले की डिपो पर हमला हुआ, लूट खसोट हुई और एक एक कोयले के डिपो के ऊपर पांच-पांच सौ व्यक्ति सुबह से शाम तक कतार बनाकर खड़े रहते हैं अपने सारे काम छोड़कर। चीनी की भी यही स्थिति है और मिट्टी के तेल की स्थिति भी खराब है। वहां पर बोतलें और छोटे पीपे लेकर सुबह से शाम तक लोग परेशान होते रहते हैं, लम्बी-लम्बी कतार में खड़े रहते हैं। उसके बावजूद भी राज्य सरकार आज 13 तारीख हो चुकी है लेकिन जोधपुर नगर में कम से कम वितरण व्यवस्था को भी ठीक करने में असफल रही है। तो मेरा निवेदन है कि हम नहीं चाहते कि इस प्रश्न को लेकर मेरे दूसरे साथी जो जयपुर के विधायक हैं और उन्होंने कल यहां पर घोषणा की वैसी कोई घोषणा मैं करूं यह तो मैं आज ठीक नहीं समझता।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक होगा।

श्री गुमानमल लोढ़ा : स्वास्थ्यवर्धक होगा तो आप बैठ जाइये। अध्यक्ष महोदय, मैं आप से निवेदन करूंगा कि इस स्थिति का हम सामना कैसे करें। स्थिति यह है कि जब हम अपनी कान्स्टीटुएन्सी में जाते हैं तो हमारी स्थिति दयनीय हो जाती है और हम कोई उत्तर नहीं दे सकते, कोई जवाब नहीं दे सकते और सरकार जो धान देने की बात करती है वह मुहैय्या नहीं करा सकती।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अब की बार आप अपना वजन कम करके जाइये अच्छा प्रभाव पड़ेगा।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख है गंगानगर में कुछ धान मिलता होगा।

एक माननीय सदस्य : एक किलो मिलता है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : एक किलो मिलता है गंगानगर में इसलिए हांडा साहब को दर्द नहीं है। गंगानगर में एक किलो मिलता है। यहां पर हम ग्रसित हैं और हमें संयुक्त रूप से संघर्ष करना चाहिए। मैं निवेदन करूंगा कि यह कब तक चलेगा? आपने जानकारी चाही है और इसका उत्तर भी मिलेगा लेकिन जानकारी में दो दिन लग जायेंगे और चूल्हा हर रोज दो बार जलाना पड़ता है; मिट्टी का तेल नहीं मिलता, कोयला नहीं मिलता, गेहूं नहीं मिलता और दो जून रोटी मुहैय्या नहीं हो सकती। आप तीन किलो गेहूं भी मुहैय्या नहीं करा सके....

श्री अध्यक्ष : थोड़े में ही फरमायें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं समाप्त कर देता हूं। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। मैं तो समाप्त करता हूं, आपकी घंटी की इन्तजार ही नहीं करूंगा। पहले ही समाप्त करदूंगा। लेकिन जो मृत्युघंट बजने वाला है और भूखा पेट चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, आज ढ़ाई करोड़ जनता कह रही है कि वह मृत्युघंट जो गुजरात में बज रहा है हम नहीं चाहते कि उसकी पुनरावृत्ति हमारे यहां राजस्थान में हो। मैं नहीं समझता कि बारबार डिबेट करने के बाद में भी यदि उनको कोल्ड स्टोरेज, वेस्ट पेपर बास्केट में डाल दिया गया तो अध्यक्ष महोदय, यह घन्टी यहां बजती रहेगी और जनता मृत्युघंट बजाती रहेगी और हमारा और आपका सबका रहना मुश्किल हो जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, मेरा मतलब यह है कि यह प्रश्न इतने महत्त्व का है कि इसके ऊपर खाद्य मंत्रीजी प्रबंध करें और यदि प्रबंध नहीं कर सकते तो स्पष्ट रूप से इस बात को स्वीकार करें और स्वीकार करके आपस में बैठकर कोई रास्ता निकालें। जनता को धान मुहैय्या कराना पड़ेगा और नहीं करा सकते तो हमें सदन में रहने का कोई औचित्य ही नहीं है। इससे अच्छा यह होगा कि वह स्वतः ही त्याग-पत्र देकर चले जायें और जनता से कह दें कि हम जनता की समस्याओं को हल करने में असफल रहे हैं और अच्छा हो जनता ऐसी सरकार चुने जो कि कुछ व्यवस्था कर सके और लोगों की समस्याओं को हल कर सके। मेरा आपसे निवेदन है कि आप शीघ्र से शीघ्र इसकी व्यवस्था करें।

अध्यक्ष महोदय, एक और मेरा स्थगन प्रस्ताव है और वह स्थगन प्रस्ताव खून खोलाने वाला और दिल दहलाने वाला है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लार्ड विलियम बेंटिक के जमाने और अंग्रेजों के जमाने में भी महिलाओं की सती प्रथा को बन्द किया गया। लेकिन आज कांग्रेस के राज्य में 25-26 साल की आजादी के बाद भी मूलासर गांव, तहसील सरदारशहर जहां से हमारे माननीय वित्त मंत्रीजी आते हैं वहां पर मूलीदेवी नाम की एक महिला हमारी प्रधान मंत्रीभी महिला है और प्रधान मंत्री के महिला होने के बाद में भी वहां पर एक महिला को जिन्दा जला दिया गया। अध्यक्ष महोदय, केवल उसको जिन्दा ही नहीं जलाया गया

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

यह तो हमारे सिर पर काला कलंक है उसके साथ में एक वर्ष की पुत्री जो कि दूध पीने वाली मासूम बच्ची थी उसको भी खड़ा करके जिन्दा जला दिया गया। एक युवती और एक मासूम बच्ची को जिन्दा जलाया सात फुट नीचे गड्ढे को खोदकर जब वह पूरी नहीं जली तो वहां उसको गाड़ दिया गया और अध्यक्ष महोदय, जब वहां के लोग पुलिस थाने पर गये और उन्होंने थाने पर रिपोर्ट कराने का प्रयास किया तो मामुली चांदी के सिक्कों से उसको रफ़ादफा कर दिया गया। तो अध्यक्ष महोदय, जब उस युवती और लड़की के पास लोग पहुँचे तो वहाँ जाकर गड्डा खोदा तो सारा गाँव रोने लगा, सारे गाँव के लोगों के आखों में आँसू थे एक चीत्कार थी। एक युवती और एक वर्ष की मासूम बच्ची को जिन्दा जलाकर 7 फुट गड्डे में गाढ़ दिया गया था जिसके जीर्ण-शीर्ण हड्डी के टुकड़े निकले हैं। अध्यक्ष महोदय, आज के युग में महिलाओं के साथ कुकृत्य करके, घोर अपमान करके सारी महिला समाज को चुनौती देकर जिन्दा जलाकर गाड़ दिया जाय और राज्य प्रशासन उनको गिरफ्तार न करें, उन पर कोई मुकदमा न बनाये और जिन लोगों ने दो हत्यायें की हैं, एक युवती को और एक मासूम बच्ची को गाड़ दिया गया, उनके प्रति कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाय इससे अधिक सरकार की ओर क्या अकर्मण्यता हो हो सकती है।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं यह महिला समाज की चुनौती है, आज के युग को चुनौती है, कानून को चुनौती है, प्रशासन को चुनौती है कि उनको जिन्दा जलाया जाय। मगर अध्यक्ष महोदय, इस राज्य सरकार ने इतने बड़े जघन्य अपराध के बाद भी आज तक कोई कार्य-वाही नहीं की और अध्यक्ष महोदय, हम यहाँ चीत्कार लेकर आयें, सदन में उसके लिये आवाज उठाना चाहें तो आप यह आज्ञा दे दें कि इसमें तारीख नहीं लिखी है। अध्यक्ष महोदय, उस बेगुनाह युवती को कब गाड़ दिया गया, क्या बताऊं; कोई मेरे पास निश्चित सबूत नहीं है....

श्री अध्यक्ष : अन्दाज से।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, 19 फरवरी को लाश मिली है। मारने वाले भाग गये। जब यह लाश मिली तो इस राज का पता चला। पुलिस की साँठ-गाँठ करके यह जघन्य अपराध किया गया है, अतिक्रमण है महिला समाज पर, राम और सीता के प्रदेश में घोर पाप है, हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के मंत्रित्व को महिला समाज की चुनौती है कि एक युवती को और एक वर्ष की मासूम बच्ची को जिन्दा तेल डालकर जला दिया गया। अध्यक्ष महोदय, पुलिस उसे गिरफ्तार न करे, अन्दाज से मैं तारीख दे दूंगा लेकिन सही तारीख तो पुलिस ही बता सकती है। जिन लोगों का यह काम था, यह जघन्य कुकृत्य था उन्होंने चाँदी के खनखनाते सिक्कों के आधार पर इसको रफादफा कर कर दिया और अध्यक्ष महोदय, क्या सदन में हम चीत्कार भी नहीं कर सकते। मंत्री महोदय जाँच करें, सी. आई. डी. से इंवेस्टी-गेशन करायें? क्या जाँच करवाना भी अपराध है? अध्यक्ष महोदय, क्या यह समझा जाय कि महिलाओं को इस प्रकार समाप्त कर दिया जाय? जब युवती को

Page No 56

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

और मासूम बच्ची को खड्डे में से निकाला गया तो सारे गांव वालों के आंखों में आंसू थे। सारे गांव वाले रोने लग गये, बुरी तरह चीत्कार करने लग गये और क्या अध्यक्ष महोदय, हम उनके लिये दो आंसू भी नहीं बहायें और अगर ऐसा भी नहीं किया गया तो मैं समझूंगा मंत्री महोदय, महिला समाज की मर्यादा के नाम पर कुछ नहीं करवाना चाहते हैं। मैं मंत्री महोदय को निवेदन करूंगा वे तुरन्त नोटिस लेकर सी० आई० डी० से जांच करवायें। उसकी सास और सास की लड़कियां, ननद, पति की बहिनें इन्होंने कुकृत्य करके जिन्दा जला कर सात फीट खड्डा खोदकर उस युवती और मासूम बच्ची को गाड़ दिया। उन अपराधियों को, अध्यक्ष महोदय, कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया जाय।

और यदि यह नहीं होता है तो फिर हम कानून की बात करें, जनतन्त्र की बात करें, महिलाओं की रक्षा की बात करें वह केवल थोथी है। टेक्निकल तौर पर अगर कोई खामी रह गई है तो उस बात को सदन में कहने का अधिकार भी नही रहे इस पर पुनर्विचार करना चाहिए।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न जो आपने रखा है वास्तव में एक जघन्य अपराध है। एक सिर्फ टेक्निकल बात है कि तारीख का पता नहीं लगा सके, लेकिन घटना सच है और सनसनी-खेज घटना है। यह आज के युग का महत्त्वपूर्ण प्रश्न है, पुरानी रूढ़िवादिता से जुड़ा हुआ प्रश्न है और सारे जनजीवन से सम्बन्ध रखता है इसलिये इसको एडजोर्नमेंट मोशन के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल: अध्यक्ष महोदय, जो तथ्य माननीय सदस्य ने रखे हैं वे वास्तव में बहुत गंभीर हैं। 19 फरवरी को ही यह घटना अखबार में प्रकाशित हुई है तो बहुत ही रिसेन्ट घटना का भी प्रश्न है। आप गवर्नमेंट से जानकारी करने के लिये कहें और जो सदन के सामने तथ्य आये हैं, मैं समझता हूं, इस विषय को गंभीरता से लिया जाना चाहिये कि कोई भी मुकदमा दर्ज होकर कार्यवाही क्यों नहीं हुई, यह भी अपने आप में गंभीर बात है।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी मंत्री महोदय से कहूँगा जांच करवाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : जब मैंने पहले स्थगन प्रस्ताव पढ़ा तो मेरे दिमाग में भी असर पड़ा कि जानकारी करूं लेकिन वह वेग लिखा हुआ था, तारीख उसमें नहीं थी। अब आपने ये सारी बातें बताई हैं। मेरे दिमाग में भी इन सारी बातों का एक असर पड़ा है। मैं पुन: विचार करूंगा।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, 20 फरवरी को नवज्योति के अंक में निकला है।

श्री अध्यक्ष : आप मुझे आज ही दे दें तो आज ही कार्यवाही करने की कोशिश की जायगी।

श्री रघुनाथ विश्नोई : जो वेग है, उसको फरदर क्लेरिफाई करके....

श्री केदारनाथ : जब माननीय सदस्य ने यहां पर बयान कर दिया तो इसके अलावा और क्या हो सकता है ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं सब सबमिट कर दूंगा। मंत्री महोदय को आदेश दे दीजिये। बड़ा जघन्य अपराध है। एक वर्ष की मासूम बच्ची को उसकी मां के साथ जिन्दा जलाकर गाड़ दिया गया। यह इस युग का भीषणतम कुकृत्य एवं जघन्य अपराध है।

श्री अध्यक्ष : इसमें कोई डिबेट की बात नहीं है। मैंने खुद ने कहा है भेज दें पूरी कार्यवाही की जायगी।

श्री भानूकुमार शास्त्री : दुबारा एडजोर्नमेंट मोशन देने की क्या आवश्यकता है?

श्री लक्ष्मणसिंह : माननीय सदस्य, जनसंघ दल के नेता और माननीय सदस्य जो मावली और अलवर से आये हैं और प्रोफेसर केदारजी ने जो भावना व्यक्त की है, उसकी मैं पुष्टि करता हूं। यह एक ऐसा सनसनीखेज मामला है जिस पर जांच होनी ही चाहिए। आपने भी कृपा करके पुनः विचार करने का आश्वासन दिया है। माननीय सदस्य जनसंघ के नेता अगर दूसरा स्थगन प्रस्ताव देंगे तो मेरे खयाल से....

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैं समझता हूं उसकी जरूरत नहीं है।

श्री लक्ष्मणसिंह : माननीय जनसंघ के नेता दूसरा प्रस्ताव लिखकर अध्यक्ष महोदय को दे सकते हैं तो इसमें भी कोई बात नहीं है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : हाउस के सामने एक पूरा स्टेटमेंट है। गृह मंत्री महोदय ने सुना है उन्हें स्वयं खड़े होकर कह देना चाहिये कि स्टेटमेंट दूंगा। यह तो ऐसा सनसनीखेज प्रश्न है जो सारे जन-जीवन से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष : कोई ऐसा प्रश्न नहीं है। दुबारा लिखकर दे दें तो भी कोई हर्ज नहीं है और अगर सदन यह चाहता है जरूरत नहीं है तो वह भी सम्भव है लेकिन ज्यादा उचित यह होगा कि पूरी बात आ जाय। हाउस चाहता हो न भेजा जाय तो यह भी हो जायगा। कोई बड़ी बात नहीं है। सुविधा की दृष्टि से ठीक रहेगा दुबारा लिखकर दे दें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, 20 फरवरी के अंक में नवज्योति में प्रकाशित है—हैडिंग है, मां बेटी की लाश और नीचे दिया गया है....सारा गांव रोया, आंखों में आंसू आने लग गये....

श्री अजीतसिंह (टोंक) : अध्यक्ष महोदय, देवली के अन्दर लगातार चोरियां हो रही हैं और उस चोर को पकड़ कर थाने में ले गये लेकिन थानेदार बार-बार छोड़ देता है, वह उनसे मिला हुआ है, पैसा खा जाता है। उसके ऊपर सारा शहर बड़ा नाराज है। सारे शहर में इस सम्बन्ध में स्ट्राइक भी हुई। अधिकारियों ने जाकर आश्वासन भी दिया और कहा सस्पेन्ड करेंगे लेकिन आज तक कुछ भी कार्यवाही नहीं हुई है। अब ऐसी हालत में बाड़ ही खेत को खाने लग जाय और पुलिस ही चोरों से मिल जाय तो मैं समझता हूं कि इससे बढ़ कर शर्म की बात नहीं हो सकती है। मैं चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में तुरन्त कार्यवाही की जाय और पुलिस को सस्पेन्ड करना हो तो वह भी करके कार्यवाही की जावे। या इनका ट्रांसफर कर दिया जाय। समाजवाद का जमाना है, हम तो काफी लुट चुके हैं, अब दूसरों का नम्बर आने दें।

श्री प्रद्युम्नसिंह : क्या बात है ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल) : माननीय अध्यक्षजी, कल मैंने इस सदन में यह घोषणा....

श्री प्रद्युम्नसिंह : वाकई भूख हड़ताल कर रहे हैं क्या ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : करवा कर ही रहोगे क्या ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : ....की थी कि मैं कल से भूख हड़ताल प्रारम्भ करूंगा। इस बारे में इस सदन में कल ही नहीं बल्कि कई बार पहले भी सरकार का ध्यान दिलाया गया है और कुछ स्थगन प्रस्ताव भी इस सदन में रखे गये है लेकिन आज भी स्थिति ज्यों की त्यों ही हैं। मैं समझता हूं कि कल भी इस बारे में कहा है और पहले भी कहा है, आज फिर उसी बात को कहने की आवश्यकता नहीं समझता। आज 13 तारीख हो गई है लेकिन राशन की दुकानें अभी भी बन्द हैं। कई जगह पुराना और खराब गेहूं जो मैंने सदन की टेबल पर रखा था, पड़ा हुआ है। कई जगह पर वह दुकानों पर आया भी नहीं है। क्यों नहीं आया ? मैं समझता हूं कि इसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की है और सारी व्यवस्था करने का काम राज्य सरकार का है। मेरा निवेदन करना यह है कि आज तक लोगों को जो माननीय खाद्य मन्त्रीजी ने घोषणा की थी कि होली के पहले गेहूं का वितरण प्रारम्भ करा दिया जाएगा। आज तक वितरण प्रारम्भ नहीं हुआ है। माइलो आपने देने की ठान रखी है। मेरा निवेदन है कि माइलो खराब है जो मैं पेश कर चुका हूं, उसके बजाय मोटा अनाज आप दें। वह चाहे चना हो, जौ हो, बाजरा हो, तो उचित है। मेरी जानकारी के आधार पर जयपुर शहर में कहीं पर भी चीनी नहीं मिली। केवल होली के दिन लोगों को चीनी मिलना प्रारम्भ हुआ था और होली की सायंकाल से मिलना बन्द है। दुकान वाले कहते हैं कि अभी कोटा नहीं मिलेगा, महीने के अन्त में बह दिया जाएगा, इससे चीनी भी प्राप्त नहीं हो रही है।

मिट्टी के तेल के बारे में जो व्यवस्था की गई थी कि वार्ड के आधार पर दो दुकानों के बीच में एक मिट्टी के तेल की दुकान खोली जाएगी और वहां पर मिट्टी का तेल उपलब्ध होगा, वह मिट्टी का तेल भी लोगों को उपलब्ध नहीं हो रहा है और इससे लोगों को बहुत दिक्कत उठानी पड़ रही है। इन मामलों में इस सदन में काफी वाद-विवाद होते रहे हैं, होते रहेंगे, प्रस्ताव पास होते हैं और होते रहेंगे और यहां पर जो एक दूसरे को नीचा दिखाने की जो प्रवृत्ति चल रही है वह चलती रहेगी, लेकिन मैं समझता हूं कि इससे भी जनता की तकलीफें दूर होने वाली नहीं हैं। आज यह जयपुर का ही प्रश्न नहीं है सारे राजस्थान में कई जगह यह प्रॉब्लम होगी, लेकिन मैं समझता हूं कि कई स्थानों पर संभवत: आपने वितरण व्यवस्था प्रारम्भ कर दी होगी, उन नगरों के नाम तो मैं नहीं बता सकता लेकिन मेरे जयपुर शहर के नाते मैं कह सकता हूं कि आज 13 तारीख तक भी न चीनी मिल रही है, न गेहूं मिल रहा है और न मिट्टी का तेल मिल रहा है। इसके कारण मैं समझता हूं कि बाजार में गेहूं के भाव निरन्तर बढ़ रहे हैं। आज दो सौ रुपये क्विन्टल गेहूं का भाव है। इस महंगाई

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

के समय में मैं समझता हूं कि इस प्रकार से लोगों को महंगा गेहूं खरीदना पड़े और जिस समय वेतन समाप्त हो जाय, 15-16 तारीख के बाद गेहूं मिलने लगें तो उसे किस प्रकार से वे खरीद सकेंगे। मैंने सरकार की इस दोषपूर्ण वितरण प्रणाली की ओर ध्यान आकर्षित किया था और माननीय खाद्य मन्त्रीजी का भी मैंने इस ओर ध्यान आकर्षित किया था और जब कोई कार्यवाही नहीं हुई तो मैंने अन्त में प्रेरित होकर कल आपसे यह प्रार्थना की थी। मैं कोई सदन का अपमान नहीं करना चाहता, मैं भी इस सदन का सदस्य हूं, सदन की मर्यादा रखना, आपकी आज्ञा को शिरोधार्य मानना मैं समझता हूं कि मेरा कर्त्तव्य है, लेकिन जनता की जो कठिनाइयां हैं उनकी ओर हमें ध्यान देना पड़ेगा। जब जनता के प्रतिनिधि होने के नाते जब हम यहां से बाहर जाते हैं तो लोग हम से पूछते हैं कि हमने उनके लिए क्या किया और इसलिए विवश होकर जो गांधीजी का बताया हुआ मार्ग है, लोकतान्त्रिक तरीका है, तोड़फोड़ का तरीका नहीं, बल्कि गांधीजी के बताए मार्ग पर चलकर कार्यवाही करने के आधार पर कल मैंने यह घोषणा की थी कि 24 घन्टे के भीतर सरकार ने जयपुर में गेहूं की, चीनी की, मिट्टी के तेल की, राशन की वितरण व्यवस्था प्रारम्भ नहीं की तो मैं यहां पर आमरण अनशन, भूख हड़ताल प्रारम्भ करूंगा। अब यह सदन में करूं या सदन के बाहर करूं, यह मैंने अपनी पार्टी के नेताओं पर छोड़ दिया है। सदन के फ्लोर पर बैठता हूं तो फिर किसी प्रकार की सदन की मर्यादा भंग का प्रश्न सामने आएगा और एक अध्याय और जुड़ने की सम्भावना रहेगी कि उठा करके सार्जेन्ट ले गए और कुछ लोग बीच में आ गए। यह परिस्थिति मैं भी यहां पैदा नहीं करना चाहता। इसलिए मैं आपकी मारफत माननीय खाद्य मंत्रीजी का ध्यान, सदन के नेता महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि मिलजुल करके, उन्होंने स्वयं ने कहा है कि मिलजुल कर, बैठ करके इसकी व्यवस्था करेंगे जिससे लोगों को मिट्टी का तेल भी मिलेगा, चीनी भी मिलेगी, राशन भी मिलेगा, लेकिन चूंकि एक स्थगन प्रस्ताव एक जनसंघ के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया गया है इसलिए कोई एक्यूट प्रॉब्लम ही नहीं है, यह समझना, मैं समझता हूं कि सरासर अनुचित है। यह एक मानवीय प्रॉब्लम है और पब्लिक रिप्रजण्टेटिव होने के नाते और जनप्रतिनिधि होने के नाते यह हमारा दायित्व है कि हम जनता की समस्या को आपके सामने रखें। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 24 घन्टे बाद का जो मेरा कार्यक्रम शुरू होने को है अब शुरू होने का समय आ गया है। इससे पहले कि वह कार्यक्रम शुरू हो, मैं भूख-हड़ताल प्रारम्भ करूं, अपना आमरण अनशन प्रारम्भ करूं, मैं एक बार फिर सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार की ओर से अभी भी खाद्य मंत्रीजी या सदन के नेता इस प्रकार की ठोस, बिल्कुल निश्चितता के साथ, प्रमाणित आधार पर मुझे आश्वासन दिलावें कि गेहूं, चीनी, मिट्टी का तेल इस तारीख से वितरण करना प्रारम्भ करा देंगे ताकि उस समय तक के लिए भूख हड़ताल का कार्यक्रम स्थगित करने पर विचार किया जा सके। अगर फिर भी उनका आश्वासन

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

पूरा नहीं होता है तो फिर मैं इस सदन में कहने के लिए नहीं आऊंगा कि आपने क्या किया और मुझे मजबूर होकर, विवश होकर वह सदन में बैठना पड़े या सदन के बाहर बैठना पड़े, अपनी कार्यवाही प्रारम्भ करनी पड़ेगी।

तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार राज्य सरकार से इस सम्बन्ध में आप घोषणा करा दें। मैं भी प्रातःकाल से भूखे पेट यहां पर आया हूं, मेरे आमरण अनशन का कार्यक्रम प्रारम्भ है और एक पब्लिक रिप्रजण्टेटिव के नाते, एक जन-प्रतिनिधि के नाते जनता की समस्याओं के समाधान के लिए मुझे यह मजबूर होकर करना पड़ेगा। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, या तो इस हाउस में इस प्रकार का स्टेटमेन्ट, एक कमिटमेंट, एक ऐसा कमिटमेंट जो पूरा किया जाय वह आप दिला दें। मैं तो यह चाहूंगा कि कल से ही नहीं बल्कि आज सायंकाल से ही राशन का वितरण प्रारम्भ कर दिया जाय और इस बात की घोषणा, खाद्य मंत्री या सदन के नेता इस सदन में घोषणा करें। यदि वे घोषणा करने में अपने आपको असमर्थ पाते हों तो यह सरकार की सबसे बड़ी असफलता है और मैं समझता हूं कि मेरा निर्णय, जैसी यहां पर घोषणा की थी, मैं अपने उस निर्णय पर अटल हूं और उस कार्यक्रम के आधार पर मुझ को भूख हड़ताल का कार्यक्रम आमरण अनशन जब तक कि राशन की वितरण व्यवस्था आरम्भ नहीं हो जाती, अपना कार्यक्रम विवश होकर प्रारम्भ करना पड़ेगा और मुझे इसके लिए बाध्य होना पड़ेगा। अब यह सरकार सोचे कि उसे क्या करना है।

(कई मा० सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री **अध्यक्ष** : It is not the debate.

श्री **श्रीराम गोटेवाला** : एडजोर्नमेन्ट मोशन मैं मूव नहीं कर सका हूं....

श्री **अध्यक्ष** : यह बहस का विषय नहीं है।

श्री **श्रीराम गोटेवाला** : प्रद्युम्नसिंहजी आपत्ति कर रहे हैं....

श्री **अध्यक्ष** : यह तो मैं भी कर रहा हूं।

श्री **श्रीराम गोटेवाला** : मेरा अध्यक्ष महोदय, बहुत विनम्रतापूर्वक निवेदन है....

श्री **अध्यक्ष** : मेरे भी विनम्रतापूर्ण निवेदन पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं।

श्री **श्रीराम गोटेवाला** : मैं एक मिनट में ही निवेदन कर दूंगा, अध्यक्ष महोदय !

(व्यवधान-शोरगुल- अश्रव्य)

मैं एक मिनिट में ही अपनी बात निवेदन कर समाप्त कर दूंगा। मेरा अनुरोध यह है, अध्यक्ष महोदय, कि आज जयपुर शहर में स्थिति यह है, माननीय खाद्य मन्त्रीजी से पहले भी निवेदन किया था, कई बार कांग्रेस के डेपूटेशन भी उनसे मिले थे और उनसे निवेदन किया था कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया की वजह से, जिनके बारे में माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने भी कहा

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

था कि इनकी वजह से जयपुर की सात लाख जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, अध्यक्ष महोदय; कोई इस प्रकार की हमको व्यवस्था करनी चाहिये कि महीने की पहली तारीख को तनख्वाह बंटती है, हर आदमी राशन उसी तारीख को खरीदना चाहता है लेकिन 13 तारीख तक भी दुकानों पर राशन नहीं पहुँचे यह बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। चीनी और केरोसिन तो जैसा कि भार्गव साहब ने कहा कि नहीं मिल रहे हैं, यह सही नहीं है, चीनी और केरोसिन तो मिल रहे हैं, चीनी होली के त्यौहार पर दी गई थी और आगे भी दी जाती रही है। लेकिन माननीय खाद्य मंत्रीजी से इतना जरूर निवेदन करना चाहूँगा कि यहां की जनता की दिक्कतों को देखते हुए वह इस बात की तुरन्त घोषणा करें कि जयपुर शहर में राशन की दुकानों पर वह कब से गेहूं का वितरण प्रारम्भ कर रहे हैं। आज भी मेरी जानकारी है कि नौ सौ टन के करीब गेहूं....

श्री अध्यक्ष : बहुत थोड़े में।

श्री श्रीराम गोटेवाला : हां, अध्यक्ष महोदय, बहुत थोड़े में ही अर्ज कर रहा हूं। आज भी नौ सौ टन गेहूं उपलब्ध है। तो थोड़ा बहुत जितना भी है, जैसा भी है उसको मेहरबानी करके बंटवा दें ताकि आम आदमी, गरीब आदमी को राहत मिल सके। आज सौभाग्य से खाद्य मन्त्रीजी सदन में विराजे हुए हैं, मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि कृपा करके कल ही सारी राशन की दुकानों से गेहूं बंटवा सकें तो इस प्रकार की व्यवस्था कीजिये और इसकी घोषणा इस सदन में कीजिये ताकि आम लोगों को राहत मिल सके।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : चीनी नहीं मिल रही है, आज भी....

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं निवेदन करू अध्यक्ष महोदय....

श्री मोहम्मद गफ्फार अली: स्थिति यह है, अध्यक्ष महोदय....

श्री गुमानमल लोढ़ा : हम नहीं चाहते थे कि भूख हड़ताल करके कोई अन्य प्रकार का वातावरण बनाए और इसलिये बार-बार सरकार से निवेदन किया गया है कि यदि अब भी आज और कल से भी राशन की वितरण व्यवस्था कर दी जाय तो इस पर विचार किया जा सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह समस्या राजस्थान के अन्य स्थानों पर भी है और जयपुर में भी है। सरकार जो थोड़ा बहुत गेहूं उपलब्ध कराने के लिये कमिटेड है, तीन किलो गेहूं देने के लिये कमिटेड है, कम से कम उस कमिटमेंट को तो पूरा कर दें तो हम यह नहीं चाहते कि किसी प्रकार से ऐसी स्थिति पैदा हो जिसके कारण से कानून और व्यवस्था को खतरा पैदा हो और हमारे माननीय सदस्य को आमरण अनशन पर बैठना पड़े और इसके कारण जन आक्रोश बढ़े और अधिक कोम्पली-केसैज पैदा हों। लेकिन मुझे यह कहते हुए बहुत ही दुःख होता है, कि माननीय खाद्य मंत्री और सदन के नेता, मुख्य मंत्री महोदय, यह सब स्थिति जानने के बाद भी अभी तक सदन के अन्दर, यह प्रश्न आने के बाद इस प्रकार की

Page No 62

62

(श्री गुमानमल लोढा)

घोषणा करने में असमर्थ रहे हैं और अब भी जैसा कि मैं देख रहा हूं हमारे विधायक के द्वारा यह कहने के बाद कि वे भूख हड़ताल पर जा रहे हैं उनकी ओर से कोई आश्वासन या घोषणा नहीं की गयी है। हम सरकार के सामने कोई पेचीदगी पैदा नहीं करना चाहते हैं भूख हड़ताल कर के बल्कि जनता को धान मुहैय्या हो उस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते है। खाद्य मंत्री इस बारे में कोई कमीटमेन्ट करने या घोषणा करने की स्थिति में नहीं हैं, अध्यक्ष महोदय, यह स्थिति नहीं रह सकती कि एक तारीख से लेकर 13 तारीख हो जाये, होली का त्यौहार निकल जाये जबकि इस त्यौहार पर उनको एडीशनल कोटा मिलना चाहिए, परन्तु 13 दिन होने को आये, 7/8/9 लाख जनता को एक दिन का गेहूं का वितरण न हो, सरकार ऐसा करने में सफल न हो तो मैं समझता हूं कि इस स्थिति के अन्दर या तो घोषणा करें या खाद्य मंत्रीजी इस बात को स्पष्ट कहें कि हमारे लिये संभव नहीं है। जनता जो रास्ता अपनावे वह अपनावे। इस बारे में स्थिति को स्पष्ट करें और स्थिति को स्पष्ट नहीं करते हैं तो मैं यह मान कर चलता हूं कि आप इस स्थिति में नहीं हैं कि आज या कल धान का वितरण जोधपुर, जयपुर शहर की जनता को तीन-तीन किलो कर सकें। यदि यही स्थिति है, अध्यक्ष महोदय, तो मैं यह चाहूंगा कि हमारे विधायक ने जो कल संकल्प या घोषणा की थी उसके अनुसार वे भूख हड़ताल प्रारम्भ करेंगे। इसके साथ-साथ जो धान का प्रश्न है वह केवल विधायक से ही जुड़ा हुआ नहीं है। जितने भी लोग हैं वे इस प्रश्न को लेकर और शान्तिपूर्ण तरीके से जो होता है वह रास्ता वे अपनाने को बाध्य होंगे और इस कारण से धान की विषम परिस्थितियों के ऊपर माननीय मंत्री महोदय वितरण व्यवस्था प्रारम्भ न करें, कोई घोषणा न करें जबकि 24 घन्टे का समय उनको दे दिया गया था तो मेरे दल के सदस्य इसके विरोध में सदन से बहिर्गमन करते हैं बाध्य होकर आम जनता को राहत पहुँचाने के लिये, उनकी मांगों के लिए प्रबल जनमत तैयार करने के लिए, संघर्ष करने के लिए–जनसंघ हमेशा हर प्रकार का त्याग और बलिदान करने को तत्पर रहा है और हमारे विधायक आज से, अभी से जनता को धान मुहैय्या हो इसके लिए भूख हड़ताल प्रारंभ करते है।

(जनसंघ दल के सदस्यों का सदन से बहिर्गमन)

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार जयपुर): अध्यक्ष महोदय, दो शब्द निवेदन करना चाहता हूं। बंद के बाद खाद्य मंत्री महोदय सेएक डेपूटेशन मिला था और मंत्री महोदय ने यह फरमाया था कि हम जल्दी ही वितरण का इंतजाम करेंगे लेकिन आज तक यह नहीं हो पाया है। यह सही है कि जो मुलाजिमान हैं उनको महीने के पहले हफ्ते में ही राशन मिल जाना चाहिये था क्योंकि सात दिन में ही उनकी तनख्वाह खतम हो जाती है। महीने के बीच में या आखिरी में जब राशन का वितरण किया जाता है तो उनको कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जब धान है तो कोई वजह नहीं है कि आप पहल न करें। हमारी यह मांग है कि जयपुर शहर में यह जो गड़बड़ी चलती है कि 13/14/15 तारीख तक निकल जावे

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

और धान का तब जाकर वितरण शुरू होता है यह गलत है। यह विश्वास दिलाना होगा कि आइन्दा से महीने में हमेशा पहले हफ्ते में गेहूं का वितरण कर दिया जाएगा और अब भी बहुत कठिनाई है। होली का त्योहार है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि इसमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये इस बात का ऐलान करें कि तुरन्त इसका इन्तजाम किया जायेगा। शक्कर को एक तरफ डाल दें खाने की जरूरत तो पहले है। यह मेरी गुजारिश है....

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह आम आदमी को समस्या है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : यह जो समस्या है, अध्यक्ष महोदय, यह न केवल जयपुर और जोधपुर शहर की है बल्कि दूसरी जगहों की भी है। आप इसके लिए कमिटेड हैं कि तीन किलो अनाज वितरित करेंगे शहरों को और दूसरे तीन किलो माइलो देने की भी आपने घोषणा की है लेकिन वह भी पूरा नहीं होता है। दो मार्च को राजस्थान बंद हुआ था उस स्थिति के बाद भी अभी तक स्थिति की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। क्या आप यह चाहते हैं कि जब तक स्थिति गंभीर न हो तब तक यह वितरण न हो तो फिर मैं यह समझता हूं कि आप जबरदस्ती लोगों को उकसा रहे हैं। स्थिति को दिनों दिन बिगाड़ कर गुजरात जैसी परिस्थितियां पैदा कर रहे हैं। आप चाहते होंगे कि यहां पर गुजरात जैसी घटनाएं हों क्योंकि अब तक राजस्थान में नहीं हुआ है। तो यह अफसोस की बात है। इस बात के लिए आप उकसावा करवा रहे हैं। यह चाहते हैं कि वैसी स्थिति पैदा हो तब वितरण करेंगे तो मैं यह समझता हूं कि आप जनता की शान्तिपूर्ण भावना से खिलवाड़ कर रहे हैं। हम सब इस चीज को हल करवाना चाहते हैं, सहयोग देना चाहते हैं और न बाधा उत्पन्न करना चाहते हैं। जिन लोगों का मकसद लोगों को अनाज दिलाना न होकर अनुचित तौर से फायदा उठाना है, जो लोग राष्ट्रीयकरण के खिलाफ हैं और उनके खिलाफ आन्दोलन करते हैं, राजस्थान बंद का इसलिए विरोध किया कि उसके साथ राष्ट्रीयकरण का नारा लगा हुआ था, वे लोग भूख हड़ताल करें वितरण कराने के लिए यह गलत है और समझ में न आने वाली बात है। उनको भूख हड़ताल के साथ राष्ट्रीयकरण खतम हो यह नारा जुड़ा हुआ है। हम इस समय इस प्रश्न को न लेकर लोगों को अनाज किसी प्रकार से मिले इस हक में हैं। 12 किलो के हक में हैं और 12 किलो न मिले तो कम से कम जो आप घोषणा कर चुके हैं तीन किलो की और इस हाउस में इसके लिए कमिटेड हैं, हर तरीके से उसको पूरा करने के लिए तो इसको पूरा नहीं करेंगे तो जबर्दस्ती लोगों को मौका दे रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा आप बतायें क्या डिफिकल्टी है और कब से शुरू करेंगे? अननेसेसरी इस स्थिति को पैदा नहीं करें।

श्री शीशराम श्रोला (पिलानी) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान केवल जयपुर और जोधपुर के शहरों तक ही सीमित नहीं है। राजस्थान सारा राजस्थान है और गांव भी इस राजस्थान में ही बसते हैं, वहां की जनता भी राजस्थान की नागरिक है। आज हर गांव में 30/40 प्रतिशत ऐसे लोग हैं जिनके पास खेती की एक इंच जमीन नहीं है। यह सरकार एक

(श्री शीशराम ओला)

छटांक अनाज का दाना उनको नहीं दे रही है। दो दाने अनाज नहीं दे रही है। क्या ये ग्रामीण राजस्थान की जनता नहीं हैं? शहर के लोग आंदोलन कर लेते हैं, उनके विधायक भूख हड़ताल कर लेते हैं इसलिए आपका ध्यान इस ओर ही जाता है। मैं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से खाद्य मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि गांवों में मिट्टी के तेल की समस्या है, सीमेंट की समस्या है, इसलिए इस ओर भी ध्यान दें। केवल जयपुर, जोधपुर तक ही सीमित न रहें। यह समस्या राजस्थान के गांव-गांव से सम्बन्धित है। गांव में ऐसे लोग थोड़े हैं जो काश्त करते हैं बाकी के लोग मजदूरी करते हैं। उनके पास आज मजदूरी नहीं है, घर नहीं है, रोजगार नहीं है, अनाज नहीं है और यह सरकार उनके लिए कुछ करने को तैयार नहीं है। यदि कोई घोषणा की जाए तो जयपुर, जोधपुर से बाहर जो लोग बसते हैं वह घोषणा उन लोगों के लिए भी हो।

श्री केदारनाथ : (श्रीगंगानगर) अध्यक्ष महोदय, जनसंघ दल के माननीय सदस्य ने यह संकल्प लिया कि वे आज से भूख हड़ताल कर रहे हैं और सदन के बाहर चले गये। मैं भूख हड़ताल की मेरिट और डि-मेरिट में न जाता हुआ इतना निवेदन अवश्य करना चाहता हूं कि हमारा रिएक्शन इस प्राब्लम पर क्या है, हम लोग जो यहां पर अपोजीशन में हैं उनको भी वह सुन लेते और तब जाते तो अच्छा रहता परन्तु उससे पहले ही वे सदन से वाक आउट कर गये। भार्गव साहब को हमारी बात सुनने के बाद फैसला करना चाहिये था। हम आपकी मारफत रूलिंग पार्टी से निवेदन करना चाहते हैं कि 12 किलो तो बात आप वितरित नहीं कर पायेंगे परन्तु जो आप दे रहे हैं, उससे लोगों को पूरा सेटिसफेक्शन नहीं होगा इससे राजस्थान के अन्दर सन्तोष की लहर नहीं पैदा होगी परन्तु जो मिनिमम डिमान्ड है तीन किलो की, वह अनाज भी शिड्यूल्ड टाइम पर लोगों को न मिले तो मेरे खयाल से जो आश्वासन दिया है मंत्री महोदय ने हाउस की सीटिंग के दौरान, जो वायदा किया और हम लोग यहां बैठे-बैठे सुनते रहे, उसको फूलफिल न करें तो गलत होगा। इसलिए आपने कमिटमेंट किया है तीन किलो देने का तो उसके मुताबिक जयपुर शहर और हर शहर में इसके वितरण की व्यवस्था करें। दो तारीख से शुरू कर दें तो क्या डिफिकल्टी है? जो बात है वह बता दीजिये और 2-3 दिनों में इसकी घोषणा कर दीजिये कि फलां तारीख से स्टाक रिलीज कर दिया जायेगा, इस तारीख से गेहूं का वितरण प्रारम्भ हो जायेगा। मेरा खयाल है कि इस घोषणा के बाद माननीय सदस्य जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं, या शुरू कर रहे हैं वह समाप्त कर देंगे।

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी दो शब्द इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा। मैं आशा करता था माननीय सदस्य से, श्री गिरधारीलाल भार्गव ने जो कुछ भी सदन में घोषणा की है, वह और उनके साथी सरकारी जवाब सुनकर बहिर्गमन करते तो अच्छा होता। किन्तु बिना सरकारी जवाब सुने ही वह चले गये।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : वह जल्दी में चले गये।

श्री लक्ष्मणसिंह : इसलिए उनकी राजनीति के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मैं यह निवेदन करूंगा कि यह जो कतारवाद चल रहा है, वह किसी एक पार्टी या दल विशेष की समस्या नहीं है। या यह एक राजस्थान भर की ही समस्या नहीं है। लेकिन जो दृढ़तापूर्वक और निष्ठापूर्वक सरकार ने आश्वासन दिया है, उसको पूरा करना चाहिए। मगर सरकार 3 ही किलो की मात्रा में वितरण कर पाती है। तो स्थिति अपर्याप्त होने के उपरांत भी एक तरफ आप विरोध पक्ष को सन्तोष दिलायेंगे। आखिरकार आपकी समस्या है। कठिनाई है तो आपको विरोध पक्ष को भी सहयोग में लेना चाहिए ? हम आपको सहयोग देना चाहते हैं। यह नहीं है कि हम आपकी कठिनाई को बढ़ाकर साथ नहीं देना चाहते हैं। लेकिन तंग आयद, जंग आयद। तो आज तो इन्होंने भूख हड़ताल का एलान किया है। कल को दूसरों को भी मजबूर होकर यह एलान करना पड़ेगा। आपको कोई दिक्कत है तो आपको विरोध पक्ष का विश्वास प्राप्त करना चाहिए। दिक्कतों में ज्यादा बढोतरी नहीं हो। हम आपकी दिक्कतों में शेयर तो कर सकें। स्थिति बुरी से बदतर नहीं हो। इस आवश्यकता की स्थिति में मैं माननीय खाद्य मन्त्री महोदय को कहूंगा कि आपकी जो कुछ व्यवस्था है, उसको आप क्या रूप देंगे। इसके बारे में आप एलान करें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, यह कोई विरोध पक्ष का मामला नहीं है। शायद 3 किलो की बात को लेकर वह पब्लिसिटी के लिहाज से करते होंगे। यह सभी की चिन्ता है। इसको प्रविलम्ब ऑर्डर देकर व्यवस्था कर दी जाये। इसके अन्दर विरोध पक्ष और दूसरों को कोई मतभेद नहीं है।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्रीजी !

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, अगर यही हाल रहा तो आज तो वह बैठे हैं। कल हम भी बैठेंगे।

(शोरगुल-व्यवधान)

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि अनाज स्टाक्स में और वितरण के अन्दर माल इधर-उधर वितरण नहीं होने से दिक्कत हुई है। एफ. सी. आई. के द्वारा अनाज नहीं पहुँचने से यह असुविधा पैदा हुई है। मुझे किसी इन्स्टीट्यूशन पर कुछ कहना अच्छा नहीं है। परन्तु एफ. सी. आई. द्वारा शहर में अनाज नहीं पहुँचाया जा सका है। हम इस स्थिति से दुखी भी हैं और असन्तुष्ट भी हैं। जो कुछ कर सकते थे, वह हमने किया है। जहां तक एलान का सवाल है, वह कल ही डिस्ट्रिब्यूशन हो जायेगा। हमने यह व्यवस्था की है। हम देखते हैं कि अगर कहीं भी एक दिन देर से डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो यह मेरे ऊपर रिफ्लेक्ट होता है। हम यह महसूस करते हैं। स्टाक नहीं पहुँचने से यह हुआ है। अब सवाल अवेलिबिलिटी का है। मैं निवेदन करूंगा, मैं रिपीट करना चाहूंगा, आज शहर में अवेलेबिलिटी बढ़ी है। जो होली से पहले 150 रु. क्विन्टल बिक रहा था।

(श्री हरिदेव जोशी)

आज 145 रु. बिक रहा है। जो हायर क्वालिटी का 170 और 180 में बिक रहा था, आज 160 में बिक रहा है। आज बाजरा में ज्वार में भी बढ़ोतरी आई है। अवेलिबिलिटी आई है। एक एजेन्सी से दूसरी एजेन्सी में कभी-कभी ऐसा हो जाता है। इसी कारण एसी स्थिति हुई।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया था....

(शोरगुल-व्यवधान)

समिति का प्रतिवेदन जनलेखा समिति का छठा प्रतिवेदन

श्री अध्यक्ष : प्रतिवेदनों का उपस्थापन। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य !

(शोरगुल-व्यवधान)

श्रीमती प्रभा मिश्रा (पुष्कर) : अध्यक्ष महोदय, मैं जनलेखा समिति, विनियोग लेखा 1969-70 में बताये गये प्रभृत विनियोगों में अतिरेक के अवशेष मामले पर जनलेखा समिति के छठे प्रतिवेदन का उपस्थापन करती हूँ।

शासकीय वक्तव्य शीत लहर से फसलों की हुई हानि

श्री अध्यक्ष : श्री मन्त्रीजी।

श्री परसराम मदेरणा (कृषि) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य के विभिन्न जिलों में शीत लहर से फसलों को हुई क्षति के सम्बन्ध में इस सदन के ब्यावर, भरतपुर, करणपुर, कामां, जोधपुर, उदयपुर, हवामहल, (जयपुर) सांचोर, लालसोट, दौसा, कोटपूतली, किशनगढ़, सीकर, खेतड़ी, डीग, बयाना व राजखेड़ा से आनेवाले 17 माननीय सदस्यों ने स्थगन/ध्यान आकर्षण प्रस्तावों की सूचना दी थी जिस पर माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार सरकार का वक्तव्य इस प्रकार है: —

"इस वर्ष पर्याप्त वर्षा के कारण रबी की अच्छी फसल होने की आशा थी। दुर्भाग्यवश माह फरवरी, 1974 में इस फसल पर शीत लहर का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

शीत लहर का प्रतिकूल प्रभाव साधारणतः सभी फसलों पर एवं सभी स्थानों पर पड़ा है। शुरू में बोई गई फसलों पर शीत लहर का प्रतिकूल प्रभाव बाद में बोई गई फसलों से अधिक हुआ है। फसलों की क्षति सही रूप में आंकने हेतु सरकार द्वारा उचित आदेश प्रसारित किये जा चुके हैं। नियमानुसार गश्त गिरदावरी माह फरवरी के प्रथम सप्ताह में शुरू की जाती है। शीत लहर का प्रकोप माह फरवरी, 1974 के द्वितीय सप्ताह में अधिक होने के कारण यह आदेश प्रसारित किया गया कि सभी जगह शीत लहर के प्रतिकूल प्रभाव को अंकित करने हेतु पुनः गश्त गिरदावरी की जाये। इसकी पालना में राज्य के सभी क्षेत्रों में गश्त गिरदावरी की जा रही है जिससे शीत लहर से हुई क्षति का सही अन्दाजा मिल सके। क्षति के वास्तविक अनुमानों के प्राप्त होने पर क्षति के अनुसार, क्षेत्र को राहत प्रदान करने के लिये सहायता विभाग आवश्यक कार्यवाही करेगा साधारणतः 50 पर्सेन्ट से अधिक नुकसान होने पर सहायता विभाग सम्बन्धित क्षेत्रों को प्रभावग्रस्त घोषित करता है जिसके

(श्री परसराम मदेरणा)

कारण वहां की राजस्व की वसूली स्थगित हो जाती है, राहत कार्य भी आवश्यकतानुसार चालू किये जाते हैं। जहां तक वसूली में बल प्रयोग किये जाने या बेदखल किये जाने की बात है, ऐसी कोई घटना इस फसल में सामने नहीं आयी है।

श्री केदारनाथ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत यह जानकारी चाहता हूँ कि यह जो कोल्ड वेव की स्पेल है या अनप्रिसिडेटेड हैं, यह एक बार नहीं तीन बार आया है। लास्ट स्पेल थी वह डिवास्टेटिंग थी, जैसा अभी बयान में फर्माया, जो फर्स्ट इनीशियल सोइंग क्राप थी उसका नुकसान ज्यादा हुआ है। आपने गिरदावरी द्वारा करने के आदेश दिये हैं। गिरदावरी अकेला पटवारी करेगा। अध्यक्ष महोदय, पटवारी घर में बैठ कर एन्ट्री करता है, वह सही असेसमेंट नहीं हो सकता है। इस समस्या के साथ जुड़े पंच, सरपंच उसके साथ जायें या किसी और आदमी को साथ लेकर खेत में जाकर गिरदावरी की जाय। घर में बैठ कर आज तक एस्टीमेट हार्वेस्ट के, लेन्स के बनाते रहे हैं और उसकी बिना पर रिपोर्ट देते रहे हैं, वह गलत और डिफेक्टिव तरीका है।

नम्बर दो, मान्यवर, इसलिए आप केवल 50 पर्सेन्ट नुकसान हो ही और उस पर सस्पेन्ड कर दें वहां लेंड रेवेन्यू, वहां रेट और चार्जेज-काफी नहीं है यह. इसलिए जनरल रेमिशन की मांग है उस फसल पर जो इनिशियल फर्स्ट स्टेज पर सोइंग हो गई है। सरसों है, उसमें 70 पर्सेन्ट नुकसान है, जो जिसके ईअर्स निकल गये उसमें 70 पर्सेन्ट, 75 पर्सेन्ट नुकसान है। शुगर केन का हमारे इलाके के अन्दर बीज ही समाप्त हो गया। वेजिटेबल और फ्रूट्स पर घातक असर पड़ा है। इसलिए मेरा आपके मार्फत निवेदन है. इस स्पेल से बाई एण्ड लार्ज जितना क्राप्स का नुकसान हुआ है. उसकी फोरकास्ट जनवरी में इंडियन कौंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च से मिल गई थी, मन्थली रिपोर्ट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट देता है, रेवेन्यू ऑफिसर्स की जो मन्थली मीटिंग होती है, वह रिपोर्ट देते हैं। उनकी रिपोर्ट की बिना पर रेमिशन के लिए एलान कर सकते हैं, उसके लिए आप काम्पीटेंट हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जहां तक शीत लहर से हानि का प्रश्न है····

श्री अध्यक्ष : ऐसा है स्टेटमेंट पर न डिबेट होती है, न बहस इलुमिडेशन- दोनों में एक ही बात है। खास-खास बात पूछ लें, इम्पार्टेन्ट सब्जैक्ट है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जी हां. इम्पार्टेन्ट बात ही पूछ रहा हूं 50 पर्सेन्ट

(11-3 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

रेमिशन देने का प्रपोजल रखा है, मंत्री महोदय, यह तो न तो कभी सारे लास से बिलकुल फिट होता है, न इस दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। शीत लहर तीन दफा आयी है और अलग-अलग क्राप्स के ऊपर शीत लहर का अलग-अलग इम्पेक्ट है। मिसाल के तौर पर सरसों ऐसी क्रॉप है, जो कि फ्लावर क्राप है और सेंसटिव है और लैस फ्रास्ट रेसिस्टेन्ट है, कोल्ड रेसिस्टेन्ट क्राप है। अगर सारे राजस्थान में मान कर चलें तो शीत लहर से किसी जगह पर

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

सरसों की फसल, चाहे अगेती हो, चाहे पछेती हो, चाहे अगली सोइंग हो, चाहे बाद की सोइंग हो, अगर बच गई है तो मैं समझता हूं कि कोई विरला ही स्थान होगा अगर किसी पेड़ के नीचे होने से प्रोटेक्शन होने से बच गई हो तो बच गई हो। सरसों की फसल तो एक किस्म से राजस्थान में शीत लहर से पूरी तरह से साफ हो गई है। दूसरी क्राप, चना को ले लीजिये। चने की क्राप काफी सेंसीटिव होती है और फास्ट रेसिस्टेन्ट होती है। जिस चने का फ्लावरिंग हो गया था, वह चना करीब-करीब राजस्थान के अन्दर नष्ट हो चुका है। जहां तक गेहूं का प्रश्न है, वहां तक मन्त्री महोदय की बात किसी हद तक सही हो सकती है, जिस गेहूं की बालियां नहीं निकली, जो गेहूं की क्राप बाद में बोई हुई थी, उस गेहूं की क्राप को जरा थोड़ा सा प्रॉटेक्शन मिला है, लेकिन यह कन्डीशन जो कि फसल की नहीं है। जो की फसल चाहे पहले बोई हुई हो, चाहे बाद में बोई हुई हो, उसके ऊपर काफी बड़ा इम्पेक्ट शीत लहर का हुआ है, उतना बड़ा इम्पेक्ट भले ही न हुआ हो जितना सरसों और चने के ऊपर हुआ है। अगर सारे राजस्थान में लास आप 50 पर्सेन्ट के बेसीस पर असेस करेंगे तो किसानों को राहत नहीं मिलेगी। सरसों बहुत बड़ी केश क्रॉप है और राजस्थान के कुछ जिलों के अन्दर, जैसे भरतपुर को ले लीजिये, गंगानगर को ले लीजिये, अलवर डिस्ट्रिक्ट को ले लीजिये, सरसों की कमोडिटी के ऊपर बहुत बड़ा फार्मर डिपेन्ड करता है और वहां की इन्डस्ट्री का बहुत बड़ा पोर्शन है। अभी तक शीत लहर के सम्बन्ध में, उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार से कोई आदेश नहीं जारी किये गये हैं, वसूलियां बदस्तूर जारी हैं। अगर आप पटवारियों के असेसमेंट, तहसीलदारों के असेसमेंट पर डिपेन्ड करेंगे तो यह स्वीकार करते हुए भी कि शीत लहर से बहुत बड़ी हानि हुई है, किसानों को कोई रिलीफ नहीं मिलने वाली है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ज्यादा इस मामले में गहराई और गम्भीरता से भाषण नहीं देना चाहता हूं, लेकिन इस शीत लहर के नाम के ऊपर राजस्थान के व्यापारी, जो नेशनेलाइजेशन के विरुद्ध हैं व खतरनाक खेल हैं, लेकिन वास्तविकता फिर भी वास्तविकता है। शीत लहर का जहां प्रश्न पैदा कर दीजिये वहां व्यपारी गेहूं के भाव 60 रुपये क्विन्टल बढ़ा देते हैं लेकिन

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

असली लास हुआ है क्रॉप का, जो क्रॉप टोटली डेस्ट्राय हो गई है राजस्थान में, वह क्रॉप है सरसों, यह क्रॉप एन्टायरली नष्ट हो गई है, इसलिए इस क्रॉप के ऊपर इमीजियेटली, टोटली, होली रेमिशन देना चाहिए और राजस्थान की इस क्रॉप को खराबे की क्रॉप मानना चाहिए और वसूली इमीजियेटली स्टॉप कर देनी चाहिए। इस मामले में पहले सर्वे करवायेंगे, पहले पटवारियों की रिपोर्ट लेना चाहेंगे तो तब तक जो फसल के डण्ठल तब तक बाकी नहीं रहेंगे क्योंकि आंधियां चल रही होंगी, उसमें फसल साफ हो जायगी कोई कहने वाला नहीं होगा कि लास हुआ है या नहीं। यही स्थिति चने की होने वाली है। होली आ गई है, चने की कटाई शुरू हो रही है। जो चना तबाह हो गया, वह हो गया, जो चना बचा है, वह थोड़े दिनों के अन्दर चना और जो राजस्थान के अन्दर काट लिया जायगा। इसलिए इस प्रश्न

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

की गम्भीरता इमीजियेट रेमिशन देने में है, और इमीजियेटली वसूलियां बन्द करने में है। आज इस प्रश्न की गम्भीरता उस सारे की सर्वे कराने में नहीं है, न तो सर्वे का टाइम है और अगर सर्वे करवाने बैठें तो राजस्थान के किसान को भयंकर तीन वार आई हुई इसी शीत लहर से कोई राहत नहीं देना चाहते, डिनाई करना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! श्री रघुनाथ विश्नोई !

श्री रघुनाथ विश्नोई : उपाध्यक्ष जी, जिला जालौर में शीत लहर से जो भयंकर क्षति हुई है इस बारे में मैंने भी मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया था। मंत्री महोदय को, मैं आपके मार्फत यह कहना चाहूंगा कि जो भी भयंकर लास चना, सरसों, जीरा और सरसों टाइप रायड़ा, तारामीरा के अन्दर लास हुआ है, उसका शीघ्र असेसमेंट आवश्यक है, वह विशेष रूप से करवाया जाय। सारी तहसील में पहले तो फ्लड से खरीफ की क्रॉप हंड्रेड परसेन्ट नष्ट हो गई है और उसके बाद रबी की फसल शीत लहर और गेरू की बीमारी से नष्ट हो गई। तीन-चार साल से वहां अकाल की स्थिति है। फिर भी सारी वसूलियां एक साथ चल रही है। वसूलियों के लिए स्टेप्स ले लेंगे तो बाद में लोगों को रिलीफ नहीं मिलने वाला है। ऐसे क्षेत्र में, जहां पहले फेमिन था, फिर बाढ़ की वजह से फसल नष्ट हो गई, फिर रबी की फसल नष्ट हो गई, उन तहसीलों में कम से कम ऐसे इन्स्ट्रक्शन कम से कम लिखित में न दें तो जबानी आदेश दे सकते हैं कि जहां महसूस करें कि यहां वास्तव में इस तरह की स्थिति है, तो वहां वसूलियों को अहतियातन तौर पर स्थगित कर दें, नहीं तो बाद में रिलीफ देने में असमर्थ रहेंगे। जहां पर्टीक्यूलर्ली खास विषम स्थिति है वहां आवश्यक है कि इमीजियेटली जाकर, पूरे तौर पर असेसमेंट करके, जो रिलीफ देने की आवश्यकता है, रेमिशन की आवश्यकता है, वसूलियों को स्थागित करने की आवश्यकता है, वह करें। मेरा निवेदन है कि केवल पटवारियों के ऊपर निर्भर नहीं रहें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुरदयालसिंह।

श्री गुरदयालसिंह संधु : उपाध्यक्ष जी, मेरा यह निवेदन है, यह कोई ऐसा सोर्स नहीं है जो पटवारियों के द्वारा लेना चाहते हैं। पटवारी जितनी रिपोर्ट करेगा वह गलत होगी। तो आप लोगों के पास इस वक्त तक कलेक्टर ने एक जनरल रिपोर्ट भेज दी है, मुझे पता है, गंगा नगर के कलेक्टर ने ऐसी रिपोर्ट आपके पास भेज दी है। इस वक्त हमारी सारी सरसों और चने की फसल बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। मोर देन 80 परसेन्ट नष्ट हो गई है। जौ को बहुत भारी नुक्सान हुआ है। अगर नहर में पानी पूरा रहता तो मैं मान कर चलता हूं कि नहरी क्षेत्र में ज्यादा नुक्सान नहीं होना चाहिए था। लेकिन नहर टूट जाने के कारण एक महीने के पहले बारी नहीं आती। जौ में तो आपके पिछड़े क्षेत्र से भी ज्यादा नुकसान हुआ है। हम चाहते हैं कि पटवारी के द्वारा असेसमेंट नही कराया जाय और कलेक्टर को जनरल रेमिशन के लिए लिखें। आपने कहा है कि मैं पोस्टपोन करना चाहता हूं। तो पोस्टपोन करना इसका इलाज नही है,

Page No 70

(70)

(श्री गुरुदयालसिंह सन्धु)

क्योंकि अगली फसल के समय ज्यादा मालगुजारी देनी पड़ेगी, इकट्ठी देनी पड़ेगी। वह मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। हम चाहते हैं कि जनरल रेमिशन दी जाय। कलेक्टर की रिपोर्ट मगाई जाय और जो कलेक्टर रिपोर्ट देता है उसके आधार पर हमारे क्षेत्र को जनरल रेमिशन दी जाय।

श्री मीठालाल (लालसोट) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जो शीत लहर आई उससे विभिन्न स्थानों पर फसल को भारी नुकसान हुआ और उसके साथ-साथ मेरे क्षेत्र में तो पेड़ों तक को शीत लहर लग गई और छोटे-छोटे पेड़ बिल्कुल नष्ट हो गए शीत लहर का यह भी नियम है कि सिंचित क्षेत्र में वनिस्बत असिंचित क्षेत्र के नुकसान कम होता है। मेरे क्षेत्र में बिजली के मामले को लेकर विद्युत् विभाग ने किसानों को विद्युत् समय पर नहीं देकर या तो दो–दो चार-चार घंटे दी या चार-चार पांच-पांच दिन तक नहीं दी, 10 दिन तक रोकी। इस कारण से सिंचाई नहीं हुई। अगर समय पर बिजली मिलती तो इतना नुकसान नही होता जितना अब हुआ है। इसलिए विद्युत् का जहां तक मामला है, वह ज्यादा से ज्यादा बढ़ाई जाए जिससे दैवी प्रकोप के नुकसान से बचा जा सके।

सीमेंट के मामले में किसानों को अकाल राहत कार्यों में कुओं के लिए सीमेंट वितरित किया गया था। अब भी मेरा निवेदन है कि सीमेंट वितरण ज्यादा से ज्यादा किसानों को करें जिससे वे कुए बना सकें और उनके लिए सिंचाई का साधन हो सके। जैसे मंत्री महोदय से मैंने गत वर्ष भी निवेदन किया था, चाकसू तहसील के एक ग्राम में पटवारी ने अलग रिपोर्ट दी और गिरदावर ने अलग रिपोर्ट दी। गिरदावरी की रिपोर्ट न मानकर पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर संपूर्ण पंचायत को अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित नहीं किया जिसके लिए मैंने निवेदन किया था। तो इस बार ऐसा न हो कि पटवारी की रिपोर्ट अलग और पटवारी किसी दबाव में आ जाए। कई जगह 3–4 आने फसल चारे की मान लेते हैं और बाकी की फसल और होने पर। इस वर्ष 4–6 आने नुकसान हुआ है कहीं ऐसा न हो कि 4 आना फसल को भी शामिल कर दें।

दूसरी बात, पटवारी को सरपंच की सलाह लेकर गिरदावरी का मोआइना करता है और उसकी रिपोर्ट एस. डी. ओ. को देते हैं, उसकी एक प्रति स्थानीय सरपंच को भी दी जाए कि मैंने यह गिरदावरी की है। इसके अलावा इस मामले को मानवीय दृष्टि से देखा जाए। कई जगह एस. डी. एम. या कलक्टर पटवारियों को हिदायत करता है कि नुकसान एक-दो आना कम दिखाया जाए। किसानों को फसल का भयंकर नुकसान हुआ है। दूसरी तरफ आपकी लेवी की वसूलियां चालू हैं। चाहे आप इस नीति से सहमत हों या नहीं लेकिन जिला जयपुर में सबसे अधिक तहसीलें हैं जिनमें आपकी लेवी वसूल हुई है। उसमें मेरा क्षेत्र लालसोट और चाकसू भी है। उनमें लेवी ज्यादा वसूल होने के उपरान्त और वसूली हो रही है और शीतलहर के प्रकोप के बावजूद वसूली चालू है तो आप इस लेवी को वापस आप किसानों को कैसे देंगे? इसलिए लेवी के रूप में जो बाजरा या ज्वार या मक्का

प्राप्त हुआ है, उन्हीं इलाकों में रखा जाए, जयपुर जैसे शहर में न लाये जायं। दूसरी बात लेवी जो इस समय वसूल की जा रही है या की जाने वाली है, उसको तत्काल रोका जाए। जो नहीं वसूल हुई है उसको न लिया जाए।

अंत में मुझे यही कहना है कि आप सीमेंट व विद्युत् की ज्यादा से ज्यादा व्यवस्था करें, पटवारी को विशेष हिदायत दें कि वह अपनी रिपोर्ट की कापी स्थानीय सरपंच को दें और हर माह जब तक शीत लहर राहत कार्य जारी रहे तब तक जिलाधीश, तहसीलदार व स्थानीय विधायक की मीटिंग होती रहे ताकि पटवारी और गिरदावरी की रिपोर्ट पर विचार कर सकें, इस तरह की कमेटी बनायें जिससे उन तहसीलों में अच्छी तरह से व्यवस्था हो सके। इस सारे मामले को मानवीय दृष्टि से नापकर, गिरदावरी सही करके तत्काल उनको अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित करें और जितनी राहत पहुँचा सकें, पहुँचायें।

श्री केशरीमल : उपाध्यक्ष महोदय, शीत लहर से पीड़ित मेरा इलाका भी है और मेरे इलाके में लगातार 5–7 साल से अकाल रहा है और इस बार अतिवृष्टि से भी काफी नुकसान हुआ। करीब 25 तालाब....

श्री उपाध्यक्ष : दो साल पहले की स्थिति मत बताइए।

श्री केसरीमल : 25 तालाब टूटे, उनको हालत खराब हुई। जिनकी खेती नष्ट हुई है और जिनकी ऐसी हालत है उनके सामने कई तरह की समस्यायें हैं एक तो कैसे उन लोगों को जीवित रखा जाए, उसके लिए काम खोलने की आवश्यकता हो गई, कैसे उनके खाने की व्यवस्था की जाए, इसलिए राशन देने की आवश्यकता है। तीसरी बात, जितनी उनसे वसूलियां हो रही हैं चाहे को-आपरेटिव की, चाहे तकावी की वे सारी वसूलियां रोकी जायं या बिलकुल बंद कर दी जायं। पटवारियों की रिपोर्ट जो लेने की बात कह रहे हैं, पहले भी कलक्टर महोदय ने अपनी रिपोर्ट भेजी है। ऐसा मालूम हुआ है कि अगर उनकी भेजी हुई रिपोर्ट सरकार सही नहीं मानेगी और वापस उसको लिख रहे हैं तो वहां के लोगों को साथ में लेकर तखमीना करवाया जाए कि कितना नुकसान हुआ क्योंकि अक्सर पटवारी गलत रिपोर्ट बनाते हैं, अधिकारी भी उनसे कहते हैं कि रिपोर्ट ऐसी बनाई जाए। तो मेरा कहना है कि रिपोर्ट ऐसी हो कि आपके सरपंच और कार्यकर्त्ता साथ में हों, और शीत लहर से जितनी जनता पीड़ित है उनके लिए तुरंत काम खुलवाकर ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे उनके खोलने की व्यवस्था हो सके। राशन की व्यवस्था भी तुरंत की जाए और वसूलियां रोकी जायं।

श्रीमती उषा प्रकाश (बैर) : उपाध्यक्ष महोदय, विधि की विडंबना थी कि जो लहलहाती फसल थी उसको शीत लहर ने खतम कर दिया, खास तौर से जहां कैश क्राप्स की फसल थी। सरसों को तो वहां बहुत नुकसान हुआ है और ऐसे भी केसेज हुए हैं मेरे यहां कि रात को सरसों की फसल बढ़िया देखी गई और सुबह दुबारा खेत पर गए तो उसको एक

(श्रीमती उषा प्रकाश)

धक्का सा लगा और बेहोश होकर गिर गया, इतना भयंकर नुकसान हुआ है। तो इसमें गिरदावरी सही हो, यह आवश्यक है। साथ-साथ सरकार से यह भी निवेदन है कि यह गिरदावरी की रिपोर्ट कि कितना फसल को नुकसान हुआ है और क्या राहत दी जाए, अकालग्रस्त है या नहीं, अभावग्रस्त है या नहीं, यह तय करने में लंबा समय लगेगा और कागजों को दर-दर घूमने में महीने लग जाते हैं तो यदि सही राहत दिलानी है तो रेड-टेपिज्म से होने वाले नुकसान से किसानों को बचाया जाए। इस संबंध में मेरे दो-तीन सुझाव हैं। किसानों की आप लगान माफ करें इससे इतना फायदा नहीं होता। अगर ऐसी मदद करें कि किसी गांव के पास बिजली है तो वहां जल्दी बिजली पहुँचाई जाए, किसानों को गाइडेंस दें. बीज दें ताकि वे अच्छी फसल पैदा कर खा सकें, अपने पैरों पर खड़े रह सकें। खास तौर से राजस्व विभाग व कृषि विभाग में समन्वय स्थापित करके उनको पैरों पर खड़ा करने के लिए आगे आने की जरूरत है और इस रेडटेपिज्म को बीच में नहीं आना चाहिए। क्योंकि मुझे इनका पक्का अनुभव है अभी पहले हमारे यहां पर ओला वृष्टि हो गयी थी तो उस एरिया को अभावग्रस्त घोषित करने में काफी बरसों नहीं काफी महीने लग गये थे। तो मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि इसमें ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए और किसान को सही समय में मदद मिलनी चाहिये। इस कार्य के लिये राज्य सरकार को चाहिये क्षतिग्रस्त लोगों की तत्परता से मदद की जाये। इसमें खास तौर से उन जगहों पर जहां पर छोटे-छोटे आम और नींबू के पेड़ वगैरह खतम हो चुके हैं। इस शीत लहर का असर बड़े फार्मों पर भी पड़ा है तो इसके लिये राज्य सरकार को चाहिये कि इनके लिये ठोस कदम उठाये। ताकि किसानों को राहत मिले।

श्री उपाध्यक्ष : श्री प्रद्युम्नसिंह !

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारी तहसील में पिछले वर्षों में भी अकाल घोषित नहीं किया गया और नहीं वहां पर बाढ़ आयी थी तब भी अकाल घोषित किया। इस साल आयी शीत लहर से तो हमारे यहां पर और काफी नुकसान काश्तकारों को हुआ है। सभी प्रकार की फसलें बरबाद हो गयी हैं। सरसों तो हमारे यहां पर देखने को ही नहीं है तथा धान वगैरह जल गया है और राजस्व मंत्रीजी ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि 50 परसेन्ट से ज्यादा काश्त खराब हो गई होगी तो उसके लगान की वसूली स्थगित हो जाती है तो यह तो सारा का-सारा पटवारी और तहसील गिरदावर की रिपोर्ट पर निर्भर करेगी। मेरा राज्य सरकार से और मंत्री महोदय से निवेदन है कि वह इसके लिये राज्य सरकार के सभी जिलाधीशों को आदेश प्रसारित कर दें कि वह एस. डी. ओ. वगैरह को हिदायत दें कि जो सही रिपोर्ट हो वही दी जावे सिर्फ अपनी वाह-वाही लूटने के लिये अन्टशन्ट रिपोर्ट नहीं दें। इसके लिये मैं खास तौर से राजस्व मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि वह जिलाधीश, भरतपुर को यह आदेश दें कि वह सही रिपोर्ट इसके

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

लिये मंगवायें और राज्य सरकार शीत लहर से ग्रसित एरिया के किसानों को तुरन्त राहत पहुंचाने की व्यवस्था कराने की व्यवस्था करे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री करणसिंह !

श्री करणसिंह (डीग) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी सदन में जैसा कि राज्य मंत्रीजी ने अपने भाषण में बताया कि इसमें पहली बार नुकसान हुआ और बाद में शीत लहर से नुकसान नहीं हुआ वह बात नहीं है। इसमें ऐसा है कि पहली बार लोगों ने बोया तो जो पहली बार शीत लहर आयी उसने उस फसल को नष्ट कर दिया। बाद में दूसरी बार जब शीत लहर आई तो उसने भी फसल को नष्ट कर दिया। इसी प्रकार और जो बोया गया बाद में वो तीसरी बार शीत लहर आने से फसल नष्ट हो गयी। अब कितनी क्षति उस शीत लहर से पहुंची इसके बारे में पटवारी और गिरदावरों की रिपोर्ट आयेगी उसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसके लिये सही रिपोर्ट आनी चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, इस शीत लहर का सबसे बड़ा प्रकोप भरतपुर जिले में हुआ। वहां पर बड़े वृक्ष जो नीम वगैरह के थे वे सभी नष्ट हो गये। और उन नीम के वृक्षों की ऐसी हालत हो गयी वहां पर नीम का दातुन करने के लिये भी नहीं बचा। जब यह हालत बड़े-बड़े वृक्षों की है तो उपाध्यक्ष महोदय, छोटे-छोटे पेड़ों का तो क्या हाल हुआ होगा। इसलिये मेरा निवेदन राज्य सरकार से यह है कि किसानों ने जो हमारे इलाके में सेन्ट परसेन्ट लेवी दी थी, 20 प्रतिशत राशि अभी तक रुकी हुई है यह राशि किस खुशी में रोकी हुई है यह पता नहीं चला, वह रकम तुरन्त दिलाई जावे। दूसरी बात यह निवेदन करना चाहूंगा कि वर्षा नहीं होने से तो वह एरिया अकालग्रस्त हो जाता है और बाढ़ से भी फसल नष्ट हो जाती है पर यहां तो ऐसी हुई कि न तो अभी बाढ़ आयी और न अकाल पड़ा पर सारी की सारी फसल खड़ी-खड़ी नष्ट हो गई। इसको मैं अकाल नहीं महाकाल कहूंगा। तो इसके लिये आपको चाहिये कि जल्दी से जल्दी इसकी रिपोर्ट मंगाकर काश्तकारों को रिलीफ दिलाने की व्यवस्था करें ताकि किसानों को राहत मिले।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द सामरिया !

श्री मूलचन्द सामरिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव शीत लहर की वजह से फसल नष्ट होने के बारे में दिया है। मेरी जानकारी के मुताबिक मेरी व्यक्तिगत नालेज के मुताबिक हमारे यहां पर जयपुर जिले में खास तौर से जमवारामगढ़, दौसा, सिकराय तथा लालसोट का इलाका जो है इनमें इस शीत लहर से फसल बिलकुल नष्ट हो गयी है। लालसोट के बारे में अभी मीठालाल जी ने जैसा कि बताया कि इस बार शीत लहर पूरी फसल को बरबाद कर चुकी है। इसमें जीरा, धनिया, सरसों, अरहर तो बिलकुल नष्ट हो गये हैं। जो भी खराब हो गया है। इसके अलावा थोड़ा सा गेहूं जो बाद में बोया गया था उसको कुछ कम नुकसान हुआ है। मगर अब जो जौ, गेहूं बचा है वह किसान के लिये इतनी मात्रा में नहीं है कि किसान अपना पूरा साल उस से निकाल ले। इसलिये ऐसी स्थिति में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार को चाहिये कि किसानों से लेवी वसूल करने की कार्यवाही तुरन्त

(श्री मूलचन्द सामरिया)

बन्द की जाय। अन्यथा किसान भूखे मरेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार लेवी वसूल करके शहर वालों को तो खिला देगी लेकिन ग्रामीण जनता को आप भूखे मारोगे और वही हालत आप कर देंगे जो पहले की है। इसके अलावा मैं एक बात और निवेदन करना चाहूँगा। वह यह है कि आप पहले प्राईमाफेसी रिपोर्ट मंगावें इसमें आप ऐसा अगर करते हैं कि काश्तकार का लगान इस साल स्थगित किया जावे तो उसके लिये मेरा निवेदन यह है कि किसान से आप लगान अगले साल के लिये अगर स्थगित करते हैं तो इससे कोई परमानेन्ट फायदा नहीं होता है क्योंकि काश्तकार को लगान इस साल नहीं देकर अगले साल देना पड़ता है। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि जिस तरह राज्य सरकार बड़े-बड़े उद्योगपतियों को फेवर करती है, उन्हें रिलीफ देती है जैसे कि 15 परसेन्ट ऋण और सस्ती बिजली वगैरह, इसी प्रकार किसानों के लिये भी राज्य सरकार ऐसी व्यवस्था करे जिससे किसानों को भी लाभ हो। इसलिये मैं राज्य सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह किसानों को नये कुए खुदवाने के लिये या पुराने कुओं का जीर्णोद्धार करने के लिए सहूलियतें दें। उन्हें सस्ती सीमेन्ट दिलवायें। इसी प्रकार ट्रैक्टर्स वगैरह में ऑइल जले उसकी कीमत में काश्तकारों को 25 परसेन्ट से लेकर 30 परसेन्ट की रिआयत दिलवाए और जो राशि बैलेन्स की होती है वह राज्य सरकार काश्तकारों को सबसिडी के रूप में दिलावें तथा काश्तकारों को बड़े-बड़े सेठियों को जिस तरह से सस्ती बिजली वगैरह दिलाई जाती है वह काश्तकारों को भी दिलवाए।

इसके अलावा फसल के बारे में जो रिपोर्ट राज्य सरकार मांगे उसमें वहां पर खासतौर से दौसा के इलाकों में एक कमेटी बनायी जाय जिसमें वहां के क्षेत्र के विधायक को भी उसमें मेम्बर रखा जाय। जहां सरपन्च है उसे भी मेम्बर उस कमेटी में रखा जाय ताकि सही रिपोर्ट ज्ञात हो सके। अन्यथा पटवारी और गिर्दावर लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने घर पर ही बैठ कर नोटिस देकर उसमें यह लिख देते हैं कि सरपंच मौके पर नहीं पाये गये और अपने घर से मनचाहे ढंग से रिपोर्ट लिख कर भेज देते हैं। और इस प्रकार से, उपाध्यक्ष महोदय, किसानों के साथ अन्याय होता है उन्हें न्याय नहीं मिलता है इसलिये इसके लिए एक निष्पक्ष कमेटी बनायी जाय जिसमें पटवारियों, गिरदावरों के अलावा वहां का विधायक भी उस कमेटी में निर्णय करने में मेम्बर होना चाहिये ताकि सही स्थिति का पता लग सके। वरना पटवारियों और गिर्दावरों के भरोसे आप सही स्थिति नहीं पा सकेंगे। इसके अलावा आप लगान तो किसान का माफ करें ही और तुरन्त इन इलाकों को अभावग्रस्त अथवा चाहे अकालग्रस्त घोषित करें और किसानों से लेवी वसूली, अन्य ऋण व लगान तुरन्त बन्द करें। अब किसान के पास देने को कुछ नहीं है वह पल्ला झाड़ चुका है इसलिये आप उन्हें तुरन्त राहत पहुँचाने की व्यवस्था करावें क्योंकि शीत लहर से काफी नुकसान हो चुका है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरलाल !

श्री शंकरलाल (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, इस साल अगर यह शीत लहर

(श्री शंकरलाल)

का प्रकोप फसल पर नहीं होता तो हमारे यहां पर पाली जिले में रिकार्ड उत्पादन होने की सम्भावना थी। क्योंकि इस साल हमारे पाली और जालौर जिले में बाढ़ आजाने से खरीफ की फसल तो खराब हो गई थी लेकिन रबी की फसल अच्छी होने की सम्भावना थी। इसके लिये मैं, कृषि विभाग, राजस्थान की प्रगति-विवरण 1973-74 में दिया हुआ है उस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें साफ लिखा है कि उदयपुर खण्ड के कुछ हिस्से तथा जोधपुर खण्ड के समस्त जिलों में अतिवृष्टि हुई। बाड़मेर, जालौर व पाली जिले में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाने से यद्यपि खरीफ की फसलों को नुकसान हुआ तथापि रबी की बुवाई के लिये अच्छी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई फलतः रबी की फसलें अधिक क्षेत्रफल में बोई गई किन्तु कुल जिलों जैसे—पाली, सिरोही आदि में रोली का अत्यधिक प्रकोप होने तथा शीत लहरों के कारण फसलों को विभिन्न क्षेत्रों में काफी नुकसान पहुँचा है। तो उपाध्यक्ष महोदय, नुकसान तो हुआ ही है पर ऐसा नुकसान तो आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक जांच का सवाल है जिलाधीश ने वापस गिरदावरी के आदेश दिये और सरपंच को शामिल रखने के लिये भी आदेश दिये। यदि सरपंच शामिल न रहे और उपस्थित न हो तो मुखिया या वार्ड पंच रहे। केवल पटवारी या गिरदावर की गिरदावरी को मान्यता न दी जाय। मूलचन्दजी सामरिया ने बताया कि विधायक को शामिल करके खेत पर लेजाकर तसदीक कराई जाय, यह संभव नहीं होगा।

श्री मूलचन्द सामरिया : वह ही सरपंच वगैरह करायेंगे।

श्री शंकरलाल : रिपोर्ट आने पर निर्णय लेने में शामिल हो सकते हैं। लेवी और लगान की छूट तो गिरदावरी की रिपोर्ट आने पर ही होगी। नियमों में भी यही प्रावधान है। स्थानीय रिकवरीज़ हो रही है जैसे कोआॅपरेटिव, तकावी, इरिगेशन ड्यूज आदि, ये सब रिकवरीज़ साथ-साथ हो रही हैं इससे काश्तकार बड़ा परेशान है और वह एक साथ सब रिकवरीज़ को देने में असमर्थ है। काश्तकार पहले तो अकाल से पीड़ित था दूसरा बाढ़ से पीड़ित हो गया। इसलिये काश्तकार के द्वारा एक-साथ रिकवरीज़ की रकम देना संभव नहीं है। इसलिये यदि आप इन रिकवरीज़ को स्टे कर दें तो काश्तकार को राहत मिल सकती है।

जहां तक लेवी का सवाल है उत्पादन हुआ है तो आप लेवी लीजिये। नियमानुसार जैसा कहते हैं वैसा हुआ नहीं है। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप तत्काल क्या रिलीफ काश्तकार को देनें वाले हैं इसकी घोषणा कीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लूणाराम !

श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, जहां शीत लहर ने हमारे लहलहाते खेतों को चौपट किया है उसी प्रकार हमारी वन संपदा को भी नष्ट कर दिया है। जहां फसलों की संभावना एक फसली इलाके में कम थी वहां हमारे वृक्षों को इस शीत लहर

(श्री लूणाराम)

ने चौपट कर दिया। अच्छे छायादार वृक्ष थे, खेजड़ी, जाल, जिनमें सर्दी अधिक बर्दाश्त करने की शक्ति होती है, ऐसे वृक्षों को भी इस शीत लहर ने चौपट कर दिया। इसलिये मैं माननीय वन के राजस्व मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि फसलों के नुकसान मे राहत दी जा रही है तो जहां सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष व चरागाह वन विभाग द्वारा लगाये गये थे और दूसरी जगह थे वे खत्म हो गये उनके लिए भी वन-विभाग को मदद दी जाय ताकि छाया के वास्ते वे पुनः खड़े किये जा सकें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री चतर्भुज।

श्री चतर्भुज (टोड़ा भीम) : उपाध्यक्ष महोदय, शीत लहर का प्रकोप हमारे क्षेत्र में भी बहुत हुआ है। उसकी जानकारी मैं सरकार को देना चाहता हूं। इस शीत लहर के कारण हमारे एरिया में इतनी क्षति हुई है कि चना, सरसों, काला जीरा, तारामीरा, अलसी, धनिया ये बिलकुल चौपट हो गये हैं। गेहूं और जौ में भी ऐसा ही हुआ है। देशी गेहूं अलबत्ता 50 प्रतिशत बच जाने की आशा है। मैं तैयार हूं, इसकी मेरे साथ जाकर जांच कराई जा सकती है। आज हो क्या रहा है कि पटवारी और गिरदावर जहां बहुत अधिक खराबी है और गेहूं का दाना भी नहीं है वहां केवल 25 और 15 प्रतिशत ही नुकसान आंक रहे हैं। हरा पौधा देख कर आंक लेते हैं, जब कि एक दाना भी उसमें नहीं है। इसलिये इसकी जांच हमारे रूबरू होनी चाहिये। मैं निवेदन करूंगा कि इस शीत लहर से भयंकर गांवों में स्थिति हो चुकी है। आप ही शीत लहर के बाद अनुमान लगा लीजिये कि अनाज आदि के भाव डेढ़े से दुगुने हो गये हैं। आम लोग मर्यादा खो चुके हैं। किसान को हर प्रकार से सहायता दी जानी चाहिये। काश्तकारों का आज आत्मविश्वास खत्म हो गया है। मालपुरा, डिग्गी टोड़ा भीम देख लीजिये। क्या हालत है वहां पर? छोटे-छोटे किसान छोटी-छोटी खेती बो कर भी आज अपने दैनिक जीवन को चलाने के लिये दूसरों पर निर्भर रह गये हैं।

(समय-समाप्ति–सूचक-घंटी)

पौधा खाली है फिर भी आपके कर्मचारी कहते हैं कि खराबी कम है। इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि इस विषम स्थिति को राज्य सरकार को गम्भीरता से सोचना चाहिये। बड़ी ही गम्भीरता की बात है यह मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं। इससे आगे जाकर स्थिति खराब न हो यह आपको पहले से ही सोच कर चलना होगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री परसराम मदेरणा (राजस्व मंत्री) : माननीय उपाध्यक्षजी, इस सदन के माननीय सदस्यों की भावना के साथ हर तरह से मेरी सहमति है।

(करतल ध्वनि)

श्री मूलचन्द सांभरिया : आगे देखिये। अभी से ही ताली बजा देने से क्या?

श्री परसराम मदेरणा: इस वर्ष तो स्टेजेज में कोल्ड वेव आयी। पहली स्टेज में तो जो कोल्ड वेव आयी उससे खास तौर पर दालों पर ज्यादा असर हुआ। अरहर आदि पर। दूसरी कोल्ड वेव आयी तो धनिया, जीरा, अलसी, सरसों आदि पर असर हुआ और

(श्री परसराम मदेरणा)

तीसरी कोल्ड वेव जब आयी तो उसका असर गेहूं और जो पर भी पड़ा। जब तक गश्त गिरदावरी नहीं कर दी जाती है तब तक कलेक्टर भी राजस्थान टिनेन्सी रूल्स, 55 (27) के अन्तर्गत रिकग्नीशन ऑफ रेमिशन के लिए नहीं रिकमेन्ड कर सकता है। वह तब तक नहीं कर सकता जब तक कि उसके पास में रिलीफ खतौनी न हो। वह तभी कर सकता है जब कि उसके पास गिरदावरी की रिपोर्ट हो। इसीलिये गिरदावरी के सम्बन्ध में यह बात कही। जिलाधीश ने अन्दाजिया सूचना भेजी है टेलीग्राम के उत्तर में। हमने पूछा था कि जनरल एस्टीमेट क्या है ? कितना नुकसान हुआ है ? वायरलेस दिया तो एक सेन्टेन्स दो सेन्टेन्स में जवाब आया कि कुछ में 5 परसेन्ट से लेकर 80 परसेन्ट तक और दालों आदि में 90 परसेन्ट तक बताया है। जिलाधीश को फेमीन कोड की धारा 7 के अन्दर 31 मार्च तक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट देनी है और 30 अप्रेल तक फाइनल रिपोर्ट देनी है। जिन्सवार गिरदावरी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के आधार पर ही तो की जावेगी। सरपंच और पंच को गश्त गिरदावरी में साथ रखना चाहिये यह नियमों में प्रावधान है। राजस्थान लेंड रेवेन्यू रूल्स के अन्तर्गत पटवारी गिरदावरी करने से पहले कार्यक्रम बनायेगा, पंच, सरपंच को साथ रखेगा और अपनी बही में प्रति दिन उनके सिग्नेचर रखेगा। इसको ही कलेक्टर्स ने रिपीट किया है, आदेश दिये हैं कि गश्त गिरदावरी द्वारा होना चाहिये। रेवेन्यू बोर्ड ने भी आदेश दिये हैं लेंड रिकार्ड्स के रूल्स 58 में ओर्डिनरीली यह 16 फरवरी से होनी चाहिये ताकि रिपोर्ट समय पर पहुंच सके। 7 फरवरी को ही शीत लहर आयी। इसलिए दोनों में ही आदेश दिये हैं और जो भी गिरदावरी की गयी है उसको गिरदावरी नहीं माना जावेगा। राजस्व मंडल ने भी आदेश दिये हैं कि दुबारा की जावे। जुलाई 1973 में आर्डर्स इश्यू किये थे उसको विड्रा किये। कलेक्टर अलवर, और जयपुर से सूचना मंगायी है कि आपने अपने तहसीलदारों को क्या आदेश दिये हैं ? राज्य सरकार के रेवेन्यू बोर्ड को भी आदेश थे फिर कलक्टर ने भी यह कहा है कि पंच, सरपंच को एसोसियेट किया जावे। जयपुर कलेक्टर ने तो गिरदावरी के कार्यक्रम में अभी थोड़े दिन पहले ही सरकूलर जारी किया है जिसमें लिखा गया है नीचे के अधिकारियों को कि इस कार्यक्रम से ग्राम पंचायतों को भी अवगत करा दिया जाय। इसी प्रकार अलवर कलेक्टर ने भी साफ लिखा है कि पंच, सरपंच को साथ लेना जरूरी है। पाली कलेक्टर ने भी इसी तरह के आदेश दिये हैं। मैंने तहसीलदार के पास वे आदेश देखे भी हैं। तो इसका तो रूल में भी प्रावधान है और मेण्डेटरी है। पंच, सरपंच लोग भी जानते हैं। पर चूंकि उनको 9 साल की अवधि हो गई है इसलिए अधिक दिलचस्पी अब वे नहीं लेते। इन कामों में यह बात अलग है।

एक माननीय सदस्य : आप उनकी उम्र बढाते जा रहे हैं फिर भी।

श्री परसराम मदेरणा : अब गिरदावरी शत प्रतिशत ठीक हुई है, यह मैं नहीं कहता। पर जो अनुभव हुआ उससे यह लगा कि जिंसवार गिरदावरी होनी चाहिये। इससे आगे भी लेवी में हमें सहूलियत होगी।

इरिगेटेड, बन्ध, तालाब वाले एरिया में 3 परसेन्ट करनी है। अतः पटवारी के पास

(श्री परसराम मदेरणा)

इस समय समय है उसे दुबारा आदेश दे दिये गये हैं कि बिना गश्त गिरदावरी के और बिना मेजरमेन्ट के वह अन्दाज से कुछ नहीं करे। जिलाधीश ने भी कह दिया है। राजस्थान टीनेन्सी बिल में भी रेमिशन, सस्पेन्शन आदि भी इस तरह की गिरदावरी के बिना हम नहीं कर सकते। यह इसलिए भी जरूरी है। लेवी के सम्बन्ध में भी यह मेजरमेन्ट जरूरी है।

इसके साथ ही साथ जो यह कहा गया है कि लैंड रेवेन्यू वसूल किया जा रहा है। यह भी गलत है। इसका तो अभी समय ही नहीं आया है। जब तक ढाक पात तैयार नहीं होगा रेवेन्यू कैसे वसूल किया जा सकता है। यह आपकी गलत जानकारी है। मैं इसे नहीं मान सकता।

एक माननीय सदस्य : और वसूली हो रही है।

श्री **परसराम मदेरणा** : इसलिये मैं निवेदन करूं कि यह जो इन्टेरिम रिपोर्ट जो कलक्टरों की हमारे पास केवल जानकारी के लिये आती है वह कोई माने नहीं रखती। वे तो एस्टीमेट हैं। किस खेत में कितना नुकसान हुआ है यह अलग-अलग क्रॉप पर भी निर्भर करता है। जो खसरा तैयार किया जा रहा है उसमें यह सब डिटेल होती है। गिरदावरी के कालम 24, 6, 32 और 40 ये पैराज पूरे नहीं भरे जा रहे थे। अब इन में भी एन्ट्री की जावेगी। सब-टीनेन्ट के रजिस्टर खोलने और नाम दर्ज करने के आदेश दे दिये गये हैं इसलिए गिरदावरी का होना जरूरी है।

लगान स्थगित करने का प्रश्न ढाक-पात तैयार होने के बाद आवेगा। अब जो कानून की स्थिति है वह आपके सामने है।

राहत कार्य खोलने की बात कही गई। जैसी मेरी जानकारी है और सभी को भी जानकारी है कि लोगों को एम्पलॉयमेन्ट इस समय फसल का सीजन है इसलिए मिल रहा है। आज उन एरिया में पांच रुपये में भी मजदूर नहीं मिल रहे हैं। आप चाहते हैं कि रिलीफ वर्क खोल कर उनको थोड़ी मजदूरी दी जावे। इस परम्परा का अब आप विच्छेद करेंगे और दूर हटावेंगे ऐसी मुझे आशा है।

लेवी वसूली के सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि वैसे यह विषय मेरे से सम्बन्ध नहीं रखता, कृषि मन्त्रीजी से रखता है, खाद्य मन्त्रीजी से रखता है, वे मेरे योग्य साथी हैं। लेकिन मैं यह निवेदन कर रहा था कि खरीफ की फसल की लेवी अभी तो हो रही है। जैसा मुख्य-मन्त्रीजी ने भी फरमाया 11 तारीख को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर जब वे उत्तर दे रहे थे तब, कि लेवी के सम्बन्ध में कहीं कोई सख्ती नहीं की गई है। जहां हमारा टारगेट तीन लाख का था वहां 1½ पर ही हमने सन्तोष कर लिया।

कल सांचौर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि उनके यहां अच्छी क्रॉप हुई। पर बीज समय पर अच्छा मिलता तो और भी अधिक हो सकती थी। हमें मालूम है कि आपके इस एरिया में अमूमन आठवें-नवमें साल फ्लड आया करता है और फ्लड के बाद उस पानी से

(श्री परसराम मदेरणा)

वहां गेहूं की फसल अच्छी होती है। तो हमें पता नहीं था कि वहां इस तरह से फ्लड आवेगा नहीं तो हम पहले काफी बीज खरीद कर रख लेते। अगर रख लेते और आपके यहां फ्लड नहीं आता तो डिमाण्ड नहीं होती और वह बीज अगर हमारे पास पड़ा रह जाता तो 20-25 लाख का सरकार को नुकसान होता फिर पी. ए. सी. के सामने ऑडिट ऑब्जेक्शन आते और इसके लिये हमें दोषी ठहराया जाता। यह आप हम सभी जानते हैं। फिर भी थोड़े समय में जो कुछ कर सकते थे वह हमने किया है। एक बात कही गई। हाई ब्रीड सीड वहां नहीं चलता। वहां के लोगों की एक प्रकार से धारणा बन गई है कि केवल लाल गेहूं ही हो सकता है वहां।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अब वह धारणा दूर हो गई है।

श्री परसराम मदेरणा : आप भी वहां कल्टीवेटर हैं। अच्छा है आपने इसे समझ लिया है। इसमें कीड़ा नहीं लगता। तो अच्छा है इस अनुभव का लाभ अब उठाया जाय। अगर हम हाई ब्रीड देते तो इसकी कमी हमारे पास नहीं थी। पर लोग लाल बीज चाहते थे काज्या। वह जितना था उस समय हमारे पास वह हमने दिया।

श्री रघुनाथ विश्नोई : हाई ब्रीड का बीज कम से कम 30 हजार क्विन्टल चाहिये उसको देना सरकार ही अफोर्ड कर सकती है।

श्री परसराम मदेरणा : हम विसुलाइज नहीं कर सकते कि उस एरिया में कब बाढ़ आवेगी। जब बाढ़ आवे तभी इतनी अधिक खेती वहां हो सकती है। यह पोजीशन है उस एरिया की।

तो राहत कार्य वहां खोलने की अभी तो स्थिति नहीं है। जब भी आगे चल कर आवश्यकता महसूस की जावेगी तो राहत कार्य भी खोले जा सकते हैं।

तहसीलदार और एस. डी. ओ. के स्तर पर कमेटी की बात कही गई इसका प्रावधान इसमें है। पटवार, गिरदावरी तहसीलदार और एस. डी. ओ. को इतने दिनों में इतने दिन, इतनी जगहों पर इतने गांवों में परसेन्टेज से इन्सपेक्शन करना पड़ेगा। इस गिरदावरी में शत-प्रतिशत रूप से चेक किया जाय इसके आदेश दिये गये हैं।

मैंने पटवारियों को बुलाया था जयपुर शहर के आस-पास के इलाकों के। उनके रजिस्टर वगैरह मैंने देखे हैं खुद स्वयं ने दो-तीन घंटे तक इस दृष्टि से कि वास्तव में गिरदावरी ठीक तरह से हो रही है या नहीं। मैं स्वयं जानता हूं कि पहले आई. विजन से कर दी जाती थी। पर अब आदेश में साफ लिखा है कि वह मेजरमेन्ट से होगी। जरीब लेकर हर पटवारी जाय। मैंने जरीब उनके पास देखी थी और जो रेकार्ड उन्होंने तैयार किये थे वे जरीब के मेजरमेन्ट से ही तैयार हो सकते थे जिस रूप में वे किये गये थे। अब एक खेत में ही धनिया भी है, सरसों भी है, जौ और गेहूं भी है, चना भी है तो यह मेजरमेन्ट के बिना ठीक तरह से गिरदावरी में दर्ज नहीं हो सकेगा। फिर नहरी एरिया है कुए से सिंचित है या कैसा है उसका हिसाब अलग होगा। लेवी की गिरदावरी भी जुदा होगी। और यदि लेवी की गिरदावरी गलत है तो सब कुछ गलत हो जायगा। किसानों में

(श्री परसराम मदेरणा)

असंतोष फैल जायगा। मैं विज़ुवलाइज करता हूं इसलिये बार-बार इन्स्ट्रक्शन्स भेज रहा हूं—वह पहुँच रहे हैं या नहीं, रेवेन्यू बोर्ड ने आदेश दिये हैं। कलक्टर्स को कहा कि स्वयं जाकर देखें। भरतपुर कलेक्टर से मैंने बात की और कहा तुमने जो कुछ आदेश दिये हैं उसमें खुद ने जाकर देखा है या नहीं। जयपुर के कलेक्टर को रात को बुलाया और जो कलेक्टर आते हैं उनसे यही कहा जाता है कि नीचे के अधिकारियों पर नहीं छोड़ना चाहिये। कलेक्टर को स्वयं को जाकर गांवों में देखना चाहिये कि जो गिरदावरी की गई है, वह सही की गई है और खुद को सेटिसफाई होना चाहिये।

यहां पर जो है यह कहा गया एस. डी. ओ. तहसील पर एक कमेटी मूल्यांकन करें। एस. डी. ओ., सीनियर ऑफिसर्स खेत पर जाकर देखें, यह अभी सम्भव नहीं है, क्योंकि सेशन चल रहा है। गिरदावर का इन्सपेक्शन खेत पर ही होना चाहिये। अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे वहां पर फसलें कटी नहीं हैं। गंगानगर में मुझे स्वयं को अनुभव है, राजस्थान में सबसे बाद में गेहूँ मेचोर होता है। दूसरी जगह गेहूं मेचोर होने लग गया है।

श्री केदारनाथ : पानी नहीं मिला।

श्री परसराम मदेरणा : पानी नहीं मिला, फर्टिलाईजर नहीं मिला, बिजली नहीं मिली, क्रूड आइल नहीं मिला इन सब बातों का जवाब मांगते हैं तो बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा यह सब कुछ मैं नहीं दे सकूंगा, जो कुछ मेरे से सम्बन्ध रखता है, उसका ही जवाब दे सकूंगा।

श्री अजितसिंह : सरपंचों के दस्तखत होते हैं गिरदावरी पर, उसको अमल में नहीं लाया जाता है।

श्री परसराम मदेरणा : इसलिये कि सरपंच आयेंगे नहीं, वे नहीं पहुँचेंगे। यह व्यवहारिक बात है। मुझे कोई एतराज नहीं है लेकिन मेन्डेट बनाने की बात कही। सरपंच नहीं जायेंगे। पंचायती इन्स्टीट्यूशन के अन्दर वे पहुँचेंगे नहीं। किसी को नाराज नहीं करेंगे और स्थिति यह होगी कि गिरदावरी ठप्प हो जायगी, डेफर हो जायगी, इसलिये मैं समझता हूं वह स्टेप्स नहीं लिये जाने चाहिये। मैं इस बात के आदेश फिर दे रहा हूं सभी कलक्टर्स को कि सरपंच लैन्ड रेवेन्यू एक्ट के रूल 58 के नीचे एसोसियेट नहीं करेंगे तो ही विल बी लायबल टू बी चार्जशीटेड।

(कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अजितसिंह : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : I will not allow.

(माननीय सदस्य के खड़े रहने पर)

Not allowed, please have your seat.

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : उपाध्यक्षजी, मंत्री महोदय यह बता दें ...

श्री उपाध्यक्ष : Not allowed, please have your seat.

आय-व्ययक, 1974-75 पर सामान्य वाद-विवाद

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री अमृतलाल गहलोत : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर सर। मैं कल बोल रहा था।

श्री उपाध्यक्ष : बोलिये।

श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा) : माननीय उपाध्यक्षजी, मैंने कल अपने भाषण में कहा कि था नये बजट में कोई कर नहीं लगा है परन्तु प्रगति को अवरुद्ध किया गया है। वित्त मंत्रीजी ने 5 करोड़ 82 लाख का घाटा बताया है योजना मद में और गैर योजना मद में 3 करोड़30 लाख का बताया है। इस तरह कुल बजट में 9 करोड़ 12 लाख का घाटा बताया है। साथ ही साथ वित्त मंत्रीजी ने बताया विकास के लिये, योजना के लिये 5 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि जुटानी होगी। अतः कुल घाटा 14 करोड़ 12 लाख को पूरा करने का सुझाव दिया है और यह घाटा स्पेशल वेज एन्ड मीन्स से पूरा किया जायगा। दूसरा तीन करोड़ तीस लाख का बताया उसके लिये सुझाव दिया है खर्चे में कमी करने से पूरा किया जायगा और पांच करोड़ का जो घाटा बताया वह वास्तव में विकास से जोड़ दिया। 4 करोड़ 50 लाख रॉकफ़ासफेट से पूरा किया जायगा जिसकी दो बार रेट रिवाईज की गई है और योजना आयोग ने स्वीकार किया है कि योजना के काम में ले सकते हैं।

जहां तक 50 लाख की लैन्ड बिल्डिंग के टैक्स का सवाल है यह मुझे सन्देहास्पद लगता है। मेरा एक प्रश्न है इस वर्ष लैन्ड एन्ड बिल्डिंग टैक्स में 20 लाख की आमदनी होने का अनुमान है और इसका खर्चा 8 लाख है। मैंने पिछले साल पूछा खर्चा कितना होगा तो मंत्री महोदय ने बताया 34 लाख 41 हजार का खर्चा होगा। आपने पिछले साल भी आधा परसेन्ट टैक्स रखा, इस साल भी आपने वही आधा परसेन्ट टैक्स रखा है। इस साल 20 लाख आया तो अब मंत्री महोदय 50 लाख कहां से लायेंगे? हो सकता है पूरा असेसमेन्ट नहीं हो पाया हो। जिन लोगों ने वालन्टरी रिटर्न दिये हैं उन्हीं का आपने अभी तक हिसाब बताया है और हो सकता है असेसमेन्ट के वक्त ज्यादा रिकवरी की उम्मेद करते हों परन्तु मेरी उम्मीद यह है कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया। जितना खर्चा हुआ है उस हिसाब से आमदनी नहीं हुई है। कोई विशेष साधन जुटाये नहीं हैं। अनुत्पादक और उत्पादक व्यय में अवश्य असर पड़ेगा किन्तु मुझे इस टैक्स में वृद्धि की कोई गुंजाइश नजर नहीं आती है।

अब मैं आगे आता हूँ विकास की ओर सबसे पहले पिछले साल के जो प्रोजैक्ट अधूरे हैं, उनको पूरा कर दिया जाय तो बहुत ही अच्छा है। दूसरे पर्याप्त धनराशि एक हजार नई बस्ती और 15 हजार कुओं पर बिजली पहुंचाई जाय, इसमें मुझे सन्देह है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि 800 मेगावाट जो इन्स्टाल्ड केपेसिटी बिजली है फर्म केपेसिटी 400 मेगावाट

(एक मा० सदस्य के इन्टरप्ट करने पर)

में डिफरेन्सियेट कर रहा हूं जो फर्म केपेसिटी है वह 400 मेगावाट है। हम बरसात के बाद उम्मीद करते थे कि एटोमिक पावर प्रोजैक्ट जो राणा प्रताप सागर है और जिसकी इन्स्टाल्ड केपेसिटी 220 मेगावाट है और जिसकी फर्म केपेसिटी

(श्री अमृतलाल गहलोत)

200 मेगावाट मानी जाती है वह पूरा देगा। अभी तक इसको 6-7 महीने हो गये हैं रोजमर्रा यह खबर सुनते हैं एटोमिक पावर प्रोजेक्ट बन्द हो गया 220 मेगावाट की इन्स्टाल्ड केपेसिटी और 180-190 का जनरेशन हम फर्म चाहते थे लेकिन 110 से ऊपर नहीं बढ़ा। यह जो टेक्नालाजी है वह वर्ल्ड वाइड है और अब यह सन्देहजनक हो गयी है और नतीजा यह होता है रातोंरात बिजली चली जाती है, कुओं पर बिजली नहीं पहुँच पाती है, कारखानों को बिजली नहीं मिल पाती है और वह बन्द होते हैं। ईश्वर न करे अगले साल पानी पूरा न बरसे और बांध नहीं भरें। इधर तो हाइडल इलेक्ट्रिसिटी का भरोसा नहीं और इधर यह है तो दोनों एक दूसरे को ऐसा नुकसान पहुँचायेंगे कि सिंचाई के कार्य और उद्योग के कार्य बिलकुल पेरेलाइज हो जायेंगे। फिर भी हमें इसके लिए बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा कि जो कोटा में हम 400 मेगावाट का थर्मल पावर प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं उसकी ओर जोरों से कदम उठाये जाये। यदि कोटा का थर्मल प्रोजेक्ट पांचवी पंचवर्षीय योजना तक मेटेरेलाइज नहीं हो पाता है तो राजस्थान की विद्युत् उपलब्धि में बड़ी जोरों से फ्लक्चुएशन आयेगा और उससे क्या होगा कि हमारी कृषि और उद्योग एक तरह से पेरेलाइज हो सकते हैं।

विकास के साथ में आपने कुछ धनराशि भी बढ़ाने को कहा है। एक तो वित्त मंत्री महोदय ने चिकित्सा में बड़ी उदारता के साथ में दवाइयों के लिए 2½ करोड़ से 3 करोड़ 54 लाख का प्रावधान किया है। मंत्री महोदय ने 1 करोड़ 14 लाख चिकित्सा कार्यों के लिए दिया है लेकिन आपको मालूम है कि खाने-पीने की चीजें और दवाइयों की कीमतें काफी बढ़ गयी है। मेरा खयाल है कि आपने अतिरिक्त धनराशि दी है उससे ज्यादा तो भाव बढ़ गये हैं। इसका मतलब यह है कि रोगियों को दवाइयों और खाने-पीने की चीजों की मात्रा कम मिलेगी।

आपने उदारता के साथ में सड़कों के कार्यों के लिए 3 करोड़ 85 लाख के बजाय 5 करोड़ 41 लाख की राशि का प्रावधान किया है लेकिन यह भी मालूम होना चाहिए कि टेन्डर्स में 50 परसेन्ट भाव बढ गये हैं। सड़कों की मरम्मत के लिए एसफाल्ट जहां पहले 600 रुपये टन आता था वह 1000 रुपये टन आयगा याने जो मरम्मत होती थी अब वह नहीं हो पायेगी।

एक चीज के लिए बधाई देता हूं कि नगरपरिषदों को 50 पैसे से एक रुपये का अनुदान दिया है। मेरे शहर की नगरपालिका अपने कर्मचारियों को वेतन भी नहीं चुका पा रही है लेकिन एक चीज भूल गया और मेरा खयाल है कि वह नहीं देंगे। आपने 50 पैसे से एक रुपया किया है वह 1961 की जनसंख्या के आधार पर किया है। आज 1961 को 13 साल हो गए और 1974 चल रहा है, कृपा करके इसका संशोधन करके 1971 की जनसंख्या के आधार पर एक रुपया के भाव से दिया जाय ऐसा मेरा निवेदन है। अगर 1961 की जनसंख्या के आधार पर देंगे तो ठीक नहीं होगा।

श्री केदारनाथ : राशन कार्ड पर मांगें।

श्री अमृतलाल गहलोत : मैं मानता हूं कि जनसंख्या के आधार पर दिया जाना चाहिए। आप 14 साल के बाद रिवीजन कर रहे हैं तो कम से कम जनसंख्या के आधार पर करें।

श्री चन्दनमल बैद : 1971 की जनसंख्या पर ही दिया जावेगा।

श्री अमृतलाल गहलोत : कम से कम 3 लाख 23 हजार तो मिला ही है तो दिल फय्याज़ हैं हमारे वित्त मंत्री महोदय।

अब मैं आता हूं शिक्षा पर। आपने शिक्षा के मद में 10 लाख रुपया दिया है। खेल-कूद को भी आप भूले नहीं। याने सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजों का भी आपने ध्यान रखा है। इस तरह से आपने बजट को एक रूप देने का कष्ट किया है और यह आपकी ही खूबी हो सकती है लेकिन मंत्री महोदय विकास की गति को शिथिल करना चाहते हैं—मेरे खयाल से यह आत्महत्या के बराबर है। परन्तु आप अर्थशास्त्र के अच्छे ज्ञाता हैं। मेरे खयाल से कुछ समय के लिए सांस लेना जरूरी होता है और फिर जोरों से भागना पड़ता है। एक चीज जो आपने बताई कॉमर्शियल टैक्स के बारे में तो मैं कहूंगा कि इसमें आपने रियलिस्टिक रियेलाइजेशन नहीं किया। 42 करोड़ का पिछली साल हुआ और 46 करोड़ का दिया। मेरा खयाल है कि आप 25 परसेन्ट बढ़ा दें और थोड़ी सी मशीनरी मजबूत करो वैसे आपके प्रयत्नों से काफी आबकारी कर में वृद्धि हुई है लेकिन 25 परसेन्ट और 50 परसेन्ट भाव बढ़ रहे हैं। तांबे का भाव 100 परसेन्ट, लोहे का भाव 50 से 100 परसेन्ट और कोई-कोई आइटम में 200 परसेन्ट तक भाव गये हैं इसलिए करीब 50 परसेन्ट भाव तो कम से कम सब में बढ़ गये। 46 करोड़ लिया है यह असंगत लगता है। आप अपनी मशीनरी को मजबूत बनाइये और अगले वर्ष 15-16 करोड़ अतिरिक्त जरूर लायें क्योंकि यह आपका एनुअल टैक्स है इसलिए इनमें तो कम से कम रियेलाइज करो और दूसरे टैक्स जो कि स्थिर कर दिये गये चाहे वह भूमि के ऊपर हों चाहे किसी के ऊपर हों उनको रिवाइज करना जरूरी है।

एक बहुत बड़े घाटे की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं और वह है राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल का घाटा। इस वर्ष विद्युत् मण्डल को 6 करोड़ का घाटा है और यदि यही हालात रहे तो मैंने उनका बजट देखा है, 12 करोड़ का घाटा होगा। 12 करोड़ का घाटा अगले वर्ष होगा तो आप इन्टरेस्ट तक नहीं दे पायेंगे। आप 1000 बस्तियों का विद्युतिकरण करने जा रहे हैं। न लोहा मिलेगा और न सीमेन्ट मिलेगा और मैंने अभी कहा कि कॉपर का भाव मिनरल एण्ड मेटल ट्रेडिंग कोर्पोरेशन ने 100 परसेन्ट बढ़ा दिया है। अगली साल 15 हजार कुओं को भी आप बिजली देने जा रहे हैं तो उनको आप उस धनराशि में से नहीं दे पायें जिसमें आपने पहले किया है। फिर इस 12 करोड़ के घाटे को पूरा कैसे किया जायेगा? आप बढ़ी हुई मजदूरी की दरें और भावों को ठीक नहीं कर पायेंगे और इसलिये आपको टेरिफ रिवाइज करना चाहिये।

धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लक्ष्मणसिंह।

श्री **लक्ष्मणसिंह** (डूंगरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, बजट के सम्बन्ध में सामान्य चर्चा सदन के अन्दर हो रही है। मैं सर्वप्रथम इस बात को दोहराना चाहूँगा कि बजट का उपस्थापन कदाचित मेरे अनुमान के अनुसार विधिवत् नहीं हुआ। यह आपत्ति माननीय जनसंघ के नेता ने भी उठाई थी। उस आपत्ति को दोहराते हुए मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि यह निर्विवादित बात है कि शासनारूढ़ दल सदन में प्रचण्ड बहुमत में है। माननीय वित्त मंत्रीजी जिस तरह से भी बजट को इन्ट्रोड्यूज करना चाहें, सदन के समक्ष रखना चाहें वह रख सकते हैं लेकिन जनतंत्र के आधार पर इस सदन के नियम हैं और नियमों के अनुसार उन्होंने भाषण का पठन जब समाप्त किया तब आसन की आज्ञा प्राप्त करनी थी और विधिवत् बजट को सदन के समक्ष रखना था, इन्ट्रोड्यूज करना था चाहे वह वोइस वोट से ही इन्ट्रोडक्शन हो जाता और तत्पश्चात् मैं समझता हूं कि वादविवाद उसके ऊपर आरम्भ हो सकता था। यह एक टैक्नीकल पर्ला है, उपाध्यक्ष महोदय, और आपका इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि यह कोई विशेष महत्त्वपूर्ण विषय नहीं है, लेकिन टैक्नीकल है और टैक्नीकल होने के लिये एक हद तक मैं आवश्यक भी समझता हूँ इसको ध्यान में लाना।

माननीय वित्त मंत्री महोदय ने यह कहा कि इस बजट के अन्दर टैक्सेशन का कोई प्रस्ताव नहीं है। वास्तविक रूप से टैक्सेशन का प्रस्ताव नहीं है, यह एक हद तक मानने को तैयार हूँ, किन्तु बंगला देश कर, चाहे किसी रूप में आपने परिवर्तित किया हो उसको, आपने जारी रखा है। जब 'बंगला देश कर' की वास्तविकता समाप्त हो चुकी है, मैं यह अनुभव करता हूं कि यह टैक्सेशन बिल है और यह कहना कि बजट के अन्दर कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया यह वास्तविकता के अनुसार नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, सारे देश के अन्दर अर्थ व्यवस्था की काली छाया आज हमको नजर आ रही है। मैं इस स्टेज के ऊपर विशेष आंकड़ों के अन्दर नहीं पड़ता हुआ इतना ही निवेदन करना चाहूँगा कि देश की आर्थिक व्यवस्था एक स्वस्थ व्यवस्था नहीं है। संक्रामक रोगग्रस्त स्थिति के अन्दर हमारी आर्थिक स्थिति है। इकोनोमी इज सिक। रुपये की आज क्रय-शक्ति करीब करीब ह्रास हो चुकी है। विदेशों के बाजार में हमारे रुपये की कोई साख नहीं है। एक्सचेंज, विनिमय की क्षमता आज रुपये की नगण्य सी हो गई है और दूसरे कई छोटे-छोटे देश हैं उनकी एक्सचेंज वेल्यू, उनका विनिमय और भी विशेष महत्त्वपूर्ण रुपये के मुकाबले में बढ़ चढ़ करके आज है। ऐसी परिस्थिति में अगर ऐसे ही अधिक समय तक गुजरते रहे तो मेरे खयाल से हमारी प्रगति तो दर किनार रही लेकिन उन्नति की जगह हमको अवनति का मुख देखना पड़ेगा ऐसी परिस्थिति के अन्दर जो हमारी अर्थ व्यवस्था आज देश के अन्दर नजर आ रही है, कोई भी वित्त मंत्री क्या कर सकता है। वैसे व्यक्तिगत रूप से मैं उनकी इज्जत करता हूँ लेकिन उनकी परिस्थिति के साथ भी मेरी सहानुभूति है और उनकी विवशात्मक स्थिति के साथ भी मेरी एक हद तक सहानुभूति है। आज हमारा यह बजट है यह अन्य राज्यों के बजट से विशेष भिन्न नहीं है। लेकिन मैं यह अवश्य कहूंगा कि हमारा जो यह बजट है, उसमें जो अर्थ

(श्री लक्ष्मणसिंह डूंगरपुर)

व्यवस्था की रचना की गई है वह अन्य सभी राज्यों से दुर्बल, कमजोर और क्षीण स्थिति पर है। आज हमारे अर्थ तंत्र पर राजस्थान की सरकार का कोई काबू नहीं। और न वे अपनी नीतियों को क्रियान्विति दे सकते हैं। आज यह राज्य केन्द्र के ऊपर आधारित है। एक दिवालिया स्थिति इस राज्य की आ चुकी हैं और सरकार एक भिखारी के रूप में केन्द्र के पास में जा करके खड़ी होती है और केन्द्र यदि अनुदान दे तभी तो यह राज्य चल सकता है अन्यथा इसका चलना दुश्वार है। मैं तो इस हद तक कहने को, उपाध्यक्ष महोदय, तैयार हूं कि राजस्थान राज्य के खजाने की इतनी दुर्दशा, इतनी कमजोर स्थिति हो गई थी कि एक समय निकट भूत में ही कि कर्मचारियों को वेतन भी चुकाना मुश्किल हो गया और अगर केन्द्रीय सरकार हमारा सहयोग उस समय नहीं करती तो राजस्थान की दशा एक क्षीण दशा ही नहीं हो जाती बल्कि अराजकता भी उसके अन्दर उत्पन्न हो सकती थी।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री के बजट अभिभाषण के अन्दर कितना कर्जा इस राज्य के ऊपर है उस सम्बन्ध में एक शब्द भी नहीं कहा गया है गो कि सबसे महत्त्वपूर्ण विषय यह है। मैं यह समझता हूं कि यह राज्य, एक नहीं इसकी स्वावलम्बन की शक्ति नगण्य है। यह एक सूबा है, एक केन्द्र शासित प्रदेश है, अगर मैं यह कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मेरा यह निश्चित अनुमान है, उपाध्यक्ष महोदय कि राजस्थान के राज्य के ऊपर कम से कम एक हजार करोड़ रुपये का ऋण है और वह भी इस वेग से बढ़ता जा रहा है कि उसको रोकने के लिए हमारे पास कोई चारा नहीं है। वित्त मंत्री इस सम्बन्ध में, मैं समझता हूं कि एक हद तक किंकर्त्तव्यविमूढ होंगे।

श्री **रामकिशन** : उन्होंने कर्जे को इसी लिए छुपाया है कि हैसियत बनी रहे।

श्री **लक्ष्मणसिंह** : इसका मूल कारण, उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि हमारी योजनाएं हैं। हमारी अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से इस हद तक निकटतम सम्बन्ध केन्द्र से है कि केन्द्र की जो कुछ भी रीति नीति है उससे हम बच नहीं सकते। उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते और उसको देखते हुए अगर हम कुछ हद तक स्वावलम्बी भी होते तो आपत्तियों को दूर करने की भी चेष्टा करते, किन्तु माननीय वित्त मंत्री महोदय, मैं समझता हूं कि केन्द्र के एक मोहरे हैं इससे अधिक और कुछ नहीं हैं।

वित्त मंत्री महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा कि मुद्रास्फीति एक गहन चिंता का विषय बन चुकी है, यह सत्य है और इन योजनाओं के अन्दर ही, मैं समझता हूं कि मुद्रा-स्फीति निहित है। इन योजनाओं के अन्दर ही मैं समझता हूं कि भ्रष्टाचार निहित है और इन योजनाओं के अन्दर ही मेरे खयाल से हमारी जो कुछ भी इन्सानियत थी, जो कुछ भी मोरल हमारा था, वह सब हम खो बैठे। इसकी जिम्मेदारी, इसका उत्तरदायित्व शासनारूढ़ दल पर है जिसने निरन्तर 25 वर्ष से राजस्थान और केन्द्र के शासन की बागडोर अपने हाथ में रखी। उपाध्यक्ष महोदय, यह निर्विवाद बात है कि जहां पर मुद्रास्फीति होती है वहां पर बहुत देर तक जनतंत्र जीवित नहीं रह सकता। जनतंत्र एक बहुत कोमल फूल है और मुद्रास्फीति की गर्मी उसकी आंच

(श्री लक्ष्मणसिंह)

उस जनतंत्र के कोमल फूल को कुम्हला देती है। Inflation spoils the democracy सारे विश्व का यह उदाहरण है, उपाध्यक्ष महोदय, कि बीस प्रतिशत, पचीस परसेन्ट से अधिक जिन देशों में वन पार्टी रूल जहां पर है वहां की तो कुछ नहीं कहता लेकिन जहां जनतंत्र में बीस-पचीस परसेन्ट से इन्फ्लेशन लगातार दस साल तक अभिवृद्धि करता रहे, वहां का जनतंत्र समाप्तसा हो जाता है। आज हम क्या देखते है ? आज हम देख रहे हैं कि तरह-तरह के संवैधानिक संशोधनों के द्वारा आज सरकार सत्ता केन्द्रीभूत कर रही है और इस हद तक केन्द्रीभूत कर रही है कि ज्यूडिशियरी की स्वतंत्रता भी आज की परिस्थिति के अन्दर नगण्य सी रह गई है।

योजनाओं के सम्बन्ध में मैं यही निवेदन करूंगा। उपाध्यक्ष महोदय कि इन योजनाओं के बारे में योजना कमीशन के मेम्बर्स के अन्दर भी भारी मतमतान्तर हैं। मुझे केन्द्र के ही इस विषय को इस विषय की हद में लाना पड़ेगा क्योंकि मैं समझता हूं कि यह परमावश्यक है। प्लान के सम्बन्ध में डा० मिन्हास, जिन्होंने कि तीन महीने पूर्व इस्तीफा पेश किया,वह भी हमारे प्लानिंग कमीशन के मेम्बर थे और अब डाक्टर मिन्हास ने भी प्रिमेच्योर रिटायरमेन्ट के लिए, अवकाश प्राप्त करने के लिए इच्छा प्रकट की है। इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा उत्पादन हमारी लेवी की व्यवस्था जो कुछ भी हो, हमने यह चेष्टा की है कि हम रूस की नकल करें। आप रूस की नकल नहीं कर सकते। क्योंकि रूस ने अनाज का जखिरा एकत्रित किया वह कम्पलसरी लेवी को अपना कर किया है। अगर हम जनतन्त्र आधार पर शासित देश हैं तो हमें लेवी कम्पलसरी बेसिस के ऊपर कर सकते है या नहीं कर सकते है यह तो सरकार की नीति से सम्बन्ध रखने का विषय है, इस में विशेष चर्चा नहीं करना चाहूंगा, लेकिन अगर आप जबर्दस्ती एक किसान के घर के अन्दर घुस कर खाना-तलाशी लेकर के आप अन्न को इकट्ठा करेंगे तो, मेरे खयाल में, हमारा यह देश जनतन्त्र के सिद्धान्त के ऊपर शासित नहीं रहेगा। यह कहावत है, उपाध्यक्ष महोदय, प्रचलित है राजस्थान में, राजा बने व्यापारी और प्रजा बने भिखारी। आज हम धीरे-धीरे देख रहे है। आज हम धीरे-धीरे यह देख रहे हैं, हमारे दृष्टिगोचर जो चीजें हो रही हैं उन से जनता का धीरे-धीरे उत्पीड़न और शोषण बढ़ता जा रहा है। माननीय वित्त मंत्री महोदय ने मुद्रास्फीति के सम्बन्ध में चिन्ता व्यक्त की है। वह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। मैं यह समझता हूं कि विदेशों का अन्धानुकरण हम ने एक हद तक किया है और अन्धानुकरण इस हद तक किया है वह एक बड़े भारी दोष के रूप में हमारे सामने प्रकट हुई है। जो अब मानेटरी सिचुएशन सारे विश्व की है, उस सम्बन्ध में, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं एक साप्ताहिक मेगजीन में, जो समाचार छपा है, वह सदन के समक्ष रखूंगा।

"The outstanding public debt of the Indian Government soared to new heights. Rs. 2500 crores. This excludes States' share estimated to be over 6000 crores. We are not the only

(श्री लक्ष्मणसिंह)

Nation living on the borrowed money. All the world's nations without exception are doing it. The total public and private debt in the United States for example amounts to 2 trillion dollars. That boils down to 10,000 dollars debt for every man, woman and child in that country. It is well known what happened to a family which lives beyond its means. The conspicuences to nation's living on borrowed money are not any happier. Such borrowing is one of the major causes of the world monetary crisis."

इस परिस्थिति के अन्दर हमारी अन्धानुकरण की जो नीति है उसके अन्दर कुछ न कुछ हद तक परिवर्तन लाना होगा।

श्री फूलचन्द जैन : मेगजीन का क्या नाम है ?

श्री लक्ष्मणसिंह : यह एशिया का सुप्रसिद्ध मेगजीन है। इसका नाम है 'हिम्मत' यह वीकली मेगजीन है एशिया की। सारे एशिया और खास करके भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में यह प्रकाश डालती है निष्पक्ष रूप से और किसी पार्टी या दल विशेष से इसका लगाव नहीं है। यह सब, मैं समझता हूं, अविवेक के कारण है और राजस्थान एक गहरे गड्डे के अन्दर अन्धेरे में पटक दिया गया है। हमारे दल ने बार-बार यह कहा, आप नहीं मानेंगे, लेकिन चौथी पंचवर्षीय योजना अगर प्लान होली डे नहीं थी तो क्या थी ? आपकी यह चौथी योजना किसी जगह नहीं नजर आती है। अगर इसको नहीं मानें प्लान होली डे, योजना की छुट्टी। इसके सिर और पैर नहीं उगते, मगर आपकी यह चौथी योजना एक ठप्प सी है। हमारे माननीय नेता चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने, वे एक दूरदर्शी और राष्ट्रीय नेता थे, देशभक्त थे, कांग्रेस ने उन पर खूब फब्तियां कसी हैं, परन्तु उन्होंने उनको सुना, वे परम देशभक्त थे, वे दूरदर्शी थे, वह दस साल पहले जो आज हम सोचते हैं, सोच लेते थे, जिसको कि हमारे जैसे सामान्य व्यक्ति सोच नहीं सकते। उन्होंने यह कहा था कि ये योजनाएं अवास्तविक हैं, अत्यधिक खर्चीली हैं। ये योजनाएं महत्वाकांक्षिणी हैं और उन्होंने तो इस हद तक कहा कि अगर यही रफ्तार हमारी योजनाओं की रही तो यह विकास देश के अन्दर नहीं आयेगा, यह देश का विनाश करेगा।

अब, उपाध्यक्ष महोदय, देश के अन्दर इस बात की भी चर्चा चली कि प्लान का प्रारूप क्या होना चाहिये। प्लान का प्रारूप मेरे खयाल से नीचे से ऊपर होना चाहिये। पंचायत समिति स्तर से ऊपर होना चाहिये। आज डाक्टर मिन्हास, डाक्टर गिल जो कुछ भी कहते हैं या डाक्टर धर जो कुछ कहते हैं, अगर वही प्लान होगा और वह प्लान ऊपर से थोपेंगे तो वह अवास्तविक प्लान होगा। इस सम्बन्ध में मैं योजनाओं के सम्बन्ध में एक पत्र फाइनेन्शियल एक्सप्रेस का एब्स्ट्रेक्ट

(श्री लक्ष्मणसिंह)

पढ़कर, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से सदन के समक्ष रखूंगा:—

"Dr. K. S. Gill senior-most Economist of the Planning Commission has sought premature retirement. Though he has not spelt out the reasons it is understood that he is fed up with the working or rather the inactivity of the Commission.

The Commission has also slipped miserably from its time schedule from the preperation of the Fifth Plan. At the last meeting of the NDC it was decided that the council would meet again by Febr. to finalise the revised formula for the central assistance to the States during the 5th plan. But NDC has not met so far ...... Ironacally Dr. Gill along with Prof S. Chakraverty fought fivorously against Dr. Minhas in defence of the draft 5th plan. But obviously he has become disillusioned with the men in authority and their lack of earnestness about the 5th plan. Dr. Gill is currently adviser to both the praspective planning and economic divisions of the planning Commission."

उपाध्यक्ष महोदय, खाद्य उत्पादन के सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदय ने अपने अभिभाषण में यह कहा था कि 71 लाख टन अनाज का उत्पादन होगा। सम्भव है कि ये आंकड़े ठीक हों। या न हों। ये आंकड़े सरकार द्वारा प्रस्तुत आंकड़े हैं। इसलिए मैं यह मानता हूं कि ये ठीक हैं। अगर इन आंकड़ों के आधार पर चला जाये तो राजस्थान की जनसंख्या ढाई करोड़ है। अगर इस ढाई करोड़ की जनसंख्या के अन्दर 71 लाख टन अनाज का वितरण किया जाये तो प्रति व्यक्ति $2\frac{3}{4}$ क्विन्टल हर वर्ष वितरण व्यवस्था का अनुमान लगाया जा सकता है। अर्थात् 24 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह। इस आधार के ऊपर इस हिसाब के अनुसार वितरण की व्यवस्था हो सकती है। 24 किलो माहवार का आंकड़ा आवश्यकता से बहुत अधिक है। परन्तु यहां तो तीन किलोग्राम के लिए लोग मर रहे हैं और कोई भी व्यक्ति गेहूं खाकर ही नहीं जीता। चावल भी उसको चाहिये, दालें भी चाहिये, गेहूं भी चाहिये, और गेहूं नहीं हो तो बाजरा चाहिये और दूसरा अनाज चाहिये। अगर अनाज का 71 लाख टन का उत्पादन जो माननीय वित्त मन्त्री के भाषण में बताया गया है, वह ठीक है तो जो कुछ मैं सदन के सामने रखने जा रहा हूं वह निर्विवादित रूप से सत्य तथा ठीक हैं। आपकी वितरण व्यवस्था में भारी गड़बड़ी है। जो कुछ आपने किया है, निश्चित रूप से आपने परम्पराओं को

(श्री लक्ष्मणसिंह)

छिन्नभिन्न किया है। उत्तरदायित्व भी वहन करना था लेकिन सही तरीके से। आपने छोटे-छोटे व्यापारियों का रोजगार ले लिया है। वितरण व्यवस्था भी आपकी पहले से बुरी है। जैसा कि मैंने पहले कहा था यह राष्ट्रीयकरण नहीं है। यह राजकीयकरण है। अगर यह राष्ट्रीयकरण है तो जनता को आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध होनी चाहिएं। लेकिन यह राजकीय करण है। मेरा खयाल है, यह आगे चलकर विनाश का रूप धारण करेगा। इस समय आप किंकर्त्तव्यविमूढ़ हैं। जो व्यापारी थे, जो परम्परा चल रही थी, वह व्यापार अब आप करना चाहते हैं। आप व्यापार करना चाहते हैं तो मैं उसका विरोध नहीं करता हूं। मैं राजस्थान सरकार और केन्द्रीय सरकार का भी इस ओर ध्यान आकर्षित करूंगा। अगर राज्य को व्यापार ही करना है तो ओपन मार्केट के रूप में सामने आये। स्वस्थ तरीके से सामने आये। अगर राज्य व्यापारियों से अच्छी व्यवस्था कर सकता है तो मैं सबसे पहले स्वागत करके कहूंगा कि यह राष्ट्रीयकरण वरदान है। अन्यथा आज की स्थिति में तो यह अभिशाप होकर रह गया है। इस बारे में उग्र वातावरण मैंने सदन में देखा है। माननीय सदस्य श्री गिरधारीलाल भार्गव ने घोषणा की है उससे मुझे दुःख हुआ। मैंने सोचा 25 वर्ष हमारी आजादी को हो गये हैं। उसमें हमारी यह व्यवस्था है तो इससे बुरा क्या होगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज की परिस्थिति में बदलाव आ रहा है। अगर ऐसा हो रहा तो एक वर्ष में परिस्थिति ऐसी बिगड़ेगी कि आज की परिस्थिति को समझेंगे जैसे सण्डे पिकनिक थी। दिनोंदिन खराब हालत होती जा रही है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : स्थिति को सुधारने का तरीका भी बतला दीजिये।

श्री लक्ष्मणसिंह : हमारे पास राज तो है नहीं। मेरे खयाल में जिनके पास राज है वह भी इतना थैंकलैस जॉब है कि कुछ कहा नहीं जा सकता।

श्री रामकिशन : मुसीबत तो यह है कि महारावल साहब दोनों तरफ की कह जाते हैं।

श्री दीपंकर (लाडनूं) : आपने अपने राज में क्या किया था ?

श्री लक्ष्मणसिंह : मेरे राज की बात छोड़िये। मेरा राज तो रावण का राज था। लेकिन किसी को खाने-पीने की इस प्रकार की तकलीफ नहीं थी। आप का राज तो आज अहिरावण भस्मासुर और महारावण का राज हो गया है।

श्री रामकिशन : महारावल साहब, आप दोनों तरफ की कह देते हैं। इसलिए बड़ी गड़बड़ी हो जाती है।

श्री लक्ष्मणसिंह : अगर सरकार की कोई अच्छी बात है तो मैं उसकी तारीफ करूंगा। अगर गलती सामने आती है तो उसको गलत ही कहूंगा। देश हित में जो ठीक समझूंगा वह मैं अवश्य कहूंगा।

श्री दीपंकर : आप बात तो ठीक कहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री लक्ष्मणसिंह : मुझे कहने दीजिये। इस तरह से बीच में बोल कर मुझे आप गड्बड़ाध्याय में मत पटकिये। मैं निवेदन कर रहा था –

"Instead of consolidating the take over that the move is a foot to handover wheat trade back to the wholesaler. Opinion within the Union Govt. particularly in the Food and Agriculture Ministry is growing that the Food Corporation should make purchases in the free market. Operation at a fixed procurement price or around Rs. 90 per quintal."

अब जो कुछ है वह ठीक है लेकिन 90 रु० में आज आपको कौन गेहूं देगा? आज बाजार भाव 200 रु० है। 200 रु० छोड़ने वाला कौन है? यह सरकार कितनी निकम्मी सरकार है। अब मंहगवारी करके यह कहते हैं कि 90 रु० में दो तो यह तो दिनदहाड़े डकैती है।

(विराम)

यही मैं निवेदन करना चाहता हूं। आज देश के समक्ष यह सबसे बड़ी समस्या है। माननीय मन्त्री महोदय समझते हैं कि जब तक प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा तब तक वितरण क्या होगा। आज खेती के औजारों की कितनी कीमत बढ़ गई है। क्रूड ऑयल की क्या व्यवस्था है। पंपिग सैट की क्या व्यवस्था है। आज एक मामूली चरस की रस्सी के क्या भाव हैं। लकड़ी का क्या भाव है। ऐसी स्थिति में सिंचाई की दरें मनमाने ढंग से बढ़ती जा रही हैं। अगर आप सच्चे रूप में काश्तकारों का हित चाहते हैं तो आपको चाहिये कि उनको लगान से मुक्त करो। सन् 67 में पार्टियों का ऊपर चढ़ाव हुआ। मेरे कहने का मतलब है कि उस दबाव से प्रभावित होकर या डर कर राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में आपने यह घोषणा कराई कि छोटे लगान की दरों को हम माफ करेंगे। आपकी आदत है, आश्वासन करके मुकरजाना यह तो आपका 5 मिनट का काम है। एक हफ्ते के बाद आश्वासन आप वापिस ले लेते हैं। माफ करिये जिस तरह से एक आदमी थूकता है और थूक कर चाट लेता है, इस प्रकार का आपने उस बार किया था। लगान की माफी की घोषणा के बारे में। मुझे आश्चर्य हुआ, उपाध्यक्ष महोदय, कुछ ही दिन पूर्व हमारी माननीय प्रधान मन्त्री महोदया कोणार आश्रम गई, संत विनोबा भावे जो गांधीवाद की एक मूर्ति हैं, उनसे मिलने और उन्होंने वहां यह घोषणा की कि किसान के पास से जो अनाज लिया जायगा वह भी अनाज के रूप में लिया जायगा। तो मुझे तो यह बात एक हास्यास्पद सी प्रतीत होती है। मैंने यह कल्पना की कि यह हमारे पुराने जमाने में ठाकुर, लाग, बांट सिस्टम से लेते थे, उनके समान ही इतनी हीन और दुर्दशा हो गई है कि सरकार लगान को छोड़ कर अनाज के ऊपर टूटी है। मैं यह समझता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, नीयत नहीं तो बरकत कहां से। आपकी नीयत में ही फितूर है तो फिर कहां से उत्पादन और कहां से खुशहाली आयेगी इस देश के अन्दर। बजट स्टडी का जो मैं निवेदन करने जा रहा था, उपाध्यक्ष महोदय, वह है:

"The position of agricultural production in 1972-73 also had remained unfavourable as compared to 1971-72. The Food grain production in 1972-73 had declined by

(श्री लक्ष्मणसिंह)

18.67 percent. Looking to the individual crops, the production of wheat had decreased to 17.94 lakh tonnes, barely to 4.89 lakh tonnes, gram to 8.03 lakh tonnes, rice to 0.80 lakh tonnes, maize to 6.61 lakh tonnes and bajra to 5.64 lakh tonnes as compared to 18.89 lakh tonnes, 5.75 lakh tonnes, 8.85 lakh tonnes as compared to 18.89 lakh tonnes, 5.75 lakh tonnes, 8.85 lakh tonnes, 1.59 lakh tonnes, 7.51 lakh tonnes and 13.63 lakh tonnes respectively in 1971-72."

इसी तरह से आपका जो ट्राइनम, तीन वर्ष का इन्डेक्स बकाया है, फूड ग्रेन्स का प्राडक्शन का इन्डेक्स है और नोन-फूड ग्रेन के प्रॉडक्शन का इन्डेक्स है, वह 1970-73 ट्राइनम में 140 फूड ग्रेन का प्रॉडक्शन है और नोन-फूड ग्रेन प्राडक्शन है 169, बेस 1959। पेज 69 के बिल्कुल नीचे टेबल है। उस ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, जनसंघ के माननीय नेता ने भी इजराइल का उदाहरण दिया। मैं उस पर विशेष चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन वेअर देअर इज ए बिल, देअर इज ए वे। एक छोटा सा देश है उसने क्या किया? उसकी तुलना में हमारी जमीन का क्षेत्र है, सारा मारवाड़ का क्षेत्र, उसमें क्या किया आपने? स्थाई रूप से अकाल की परिस्थिति पर काबू पाने के लिए क्या व्यवस्था की और जब कभी भी दुष्काल पड़ता है तो ताबड़तोड़ में बिल्कुल करोड़ों रुपयों का अपव्यय करते हैं और बेचारे गरीब लोगों से टोकरियों के अन्दर धूल पटकवाते हैं। वर्षा होने पर वह धूल सब अरेबियनसी के अन्दर, नदियों में बह कर चली जाती है। तो आपको कुछ न कुछ स्थाई हल भी ढूंढना चाहिये। जो आप नहीं कर पा रहे हैं।

राजस्थान कैनाल के सम्बन्ध में, उपाध्यक्ष महोदय, बजट भाषण में यह उल्लेख किया गया है कि केवल 9 5 करोड़ का खर्चा होगा। उपाध्यक्ष महोदय, यह एक हास्यास्पद स्थिति है और यह इस बात का भी द्योतक है कि हमारी अर्थ व्यवस्था कितनी पंगु और हीन हो गई है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : यह खर्चा नहीं है, सारा का सारा एडवान्स दे दिया गया है, कोई ठेकेदारों को, कोई सीमेंट का या कोई और चीज का।

श्री लक्ष्मणसिंह : कोटा, परमिट, लाइसेन्स का लक्षण है, इसमें ठेकेदार बिल्कुल करोड़पति बन गये हैं और मंत्रियों का भी न मालूम क्या, क्या-क्या हुआ होगा इस बारे में मैं नहीं कहना चाहता हूं। मैं कल्पना करता हूं, उपाध्यक्ष महोदय; अगर राजस्थान कैनाल नेशनल प्रोजेक्ट होता तो क्या होता? यह सारे देश की ग्रेनरी बन सकता था और गंगानगर जिला, मेरे खयाल में, आधे हिन्दुस्तान को खिलाये तब भी अनाज नहीं टूटे ऐसी परिस्थिति हो सकती थी। लेकिन आपकी गलत योजना है और आपकी प्रायोरिटी सब गलत है। इसके साथ-साथ बड़े अदब के साथ निवेदन करना चाहूंगा कि अगर यह राजस्थान कैनाल हरियाणा या पंजाब के पास होती तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आज उसकी स्थिति जो हमको दिखाई दे रही है, वह कभी भी

(श्री लक्ष्मणसिंह)

नहीं होती और करीब-करीब इस प्रोजैक्ट को हरियाणा या पंजाब गवर्नमेंट खत्म कर देती....

श्री शीशराम ओला : पूरा कर देती।

एक माननीय सदस्य : खत्म हो जाती या पूरी हो जाती ?

श्री लक्ष्मणसिंह : मैं भगवान नहीं हूं, ज्योतिषी भी नहीं हूं। मेरे खयाल में पूरी भी हो सकती और पूरी नहीं होती तो आधे से ऊपर कई गुनी पूरी हो जाती और लाखों-लाखों एकड़ सिंचित भूमि हो जाती। उसकी जगह आप बिल्कुल 9 करोड़, 10 करोड़, 12 करोड़ की बात करते हैं तो हास्यास्पद स्थिति ही नही है, मेरे खयाल में लज्जाजनक स्थिति है और दुःख का विषय है।

इंडस्ट्री के सम्बन्ध में भी, उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि उद्योगपतियों को भी यहां पर कोई विशेष प्रोत्साहन नहीं होता। अगर कोई आता है यहां पर तो सीधे-सीधे सच बात है, उसको ना कह दीजिये। अगर समाज के अन्दर इतना विश्वास करते हैं और सभी का राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं। यह आखिरकार में क्या नीति है ? मैं तो मिक्स्ड इकोनामी के अन्दर विश्वास रखता हूं। आज आप जो चीज नहीं कर सकते, आज जिस परिस्थितियों में, जिस इवोल्यूशन की स्टेज के ऊपर हम हैं, मैं समझता हूं, उसमें कुछ न कुछ उद्योगपतियों को प्रोत्साहन दीजिये। कोई आवे तो आप कह दीजिये, कोटा लाइसेन्स नहीं मिल सकता। अगर देना है तो दस-पन्द्रह दिन के अन्दर मामले को तय करिये, यह क्या महीनों तक उसको दौड़ाना, और उसमें मोर ग्रीजिंग, रिश्वतखोरी....

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : लुब्रिकेशन।

श्री लक्ष्मणसिंह : न मालूम क्या-क्या होता है। यह व्यवस्था भी बुरी से बदतर है। पब्लिक सेक्टर में पब्लिक अण्डरटेकिंग के अन्दर माननीय वित्त मंत्री ने कहा कि सौ करोड़ लग चुका है। उसके साथ-साथ आपका प्रॉडक्शन है, वह घटा है, बढ़ा नहीं है। बजट स्टडी के अनुसार मैं आपको इस सम्बन्ध में भी निवेदन करूं। उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से पढ़ कर मैं सुनाना चाहूंगा। यह लाख टन के अन्दर है, शुगर का प्रॉडक्शन 1972 के अन्दर 10. 5 थाउजेण्ड टन, 1973 में 5.9 थाउजेण्ड टन, वेजिटेबल घी, 1972 के अन्दर 33 थाउजेण्ड टन; 1973 में 23 थाउजेण्ड टन, साल्ट 575 थाउजेण्ड टन, 1972 के अन्दर और 1973 के अन्दर 332 थाउजेण्ड टन, फर्टीलाइजर में यूरिया 1972 के अन्दर 254 थाउजेण्ड टन और 241 थाउजेण्ड टन 1973 में सिंगल सुपर फास्फेट 44 थाउजेण्ड टन, 1972 के अन्दर और 29 थाउजेण्ड टन, 1973 के अन्दर सीमेन्ट 1615 थाउजेण्ड टन, 1972 के अन्दर और 1551 थाउजेण्ड टन 1973 के अन्दर, माइका इन्सुलेशन ब्रिक्स 1521 थाउजेण्ड टन, 1972 में और 1115 थाउजेण्ड टन 1973 में जिंक स्लेक्स 11 थाउजेण्ड टन, 1972 में और 1973 में 2 थाउजेण्ड टन। यह जब देखते हुए आपका यह राष्ट्रीयकरण नहीं है, यह उत्पादन में अभिवृद्धि भी नहीं है; और आपका परफार्मेन्स नगण्य है, नगण्य

(श्री लक्ष्मणसिंह

क्या निन्दनीय है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बीकानेर के सम्बन्ध में इतना कहना चाहूंगा मुझे विशेष जानकारी तो नहीं है, यह सुना जाता है कि वहां ऊन बहुतायत से होती है और ऊन बहुत अच्छी होती है। वह रॉ वूल एक्सपोर्ट करते हैं। उसकी जगह कोई इन्डस्ट्री कायम क्यों नहीं करते ? वहां बहुत अच्छे से अच्छा कपड़ा भी बन सकता है और इन्डस्ट्री कायम की जाय तो गरीब लोगों के, मेरे खयाल में निर्वाह के लिए भी व्यवस्था हो सकेगी आपने रॉक-फॉस्फेट की जो सेल प्राइस बढ़ाई है; उसका मैं स्वागत करता हूं, उसका मैं विरोध नहीं करूंगा। अगर 8 लाख टन प्रति वर्ष आपका आउटपुट है तो वह मेरे खयाल से एक बहुमूल्य उपलब्धि है अगर 3½ करोड़ टन आपकी क्रूड डिपोजिट्स है तो यह रॉक-फास्फेट 25-30-35 साल तक राजस्थान के लिए एक वरदान सिद्ध हो सकता है।

फ्लोराइट माइन्स के बारे में मैं यह जानकारी प्राप्त करना चाहूंगा कि डूंगरपुर जिले में मांडू की पाल में फ्लोराइट की खुदाई जारी है। वहां पर बंगले और बगीचे भी बन गए और इंजिनीयर्स रहने के लिए आ गए, बिजली आ गई लेकिन फ्लोराइट का पता नहीं। यदि इस तरह से अपव्यय होगा तो डूंगरपुर जिले का कल्याण नहीं हो सकता।

जिंक के संबंध में जो आधारित उद्योग है, वह पहाड़ी क्षेत्र में रॉकफास्फेट, जिंक फ्लोराइट व जिंक जितने खनिज हैं, इसकी कोई औद्योगिक व्यवस्था कर सके इस क्षेत्र में तो गरीब आदिवासियों का अधिक से अधिक हित होगा। सरकार ने अपने 25 साल के शासन में इस पहाड़ी क्षेत्र का जो सबसे बड़ा नुकसान किया है वह डिफारेस्टेशन के कारण। अरबों रुपए का जंगल है उसका सत्यानाश हो गया, आज परिस्थिति यह है कि लाखों रुपए खर्च किए और आपने पहाड़ियों के चारों तरफ पत्थर गड़ियां बनाईं। उनके अंदर पहाड़ियों पर न कोई बांस है न लकड़ी न सागवान। अब तो यह स्थिति आने लगी कि गरीब आदिवासी जड़ों को उखाड़-उखाड़ कर ले जा रहे हैं। भूखे मरते क्या न करें ? वे शहरों में जाकर नगण्य भाव में बेचते हैं और पैसे वाले लोग उन्हें खरीद कर खाना बनाने के काम में लाते हैं। वह दिन दूर नहीं कि लोगों को जलाने के लिए भी लकड़ी नहीं रहेगी !

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मंत्री महोदय, इलेक्ट्रिक फार्नेस का प्रबंध कर रहे हैं। 30 रु० क्विंटल लकड़ी लेकर लाश जलाई नहीं जा सकती।

श्री लक्ष्मणसिंह : वह आये तो स्वागत है। बिजली की भी यह व्यवस्था है कि आज जयपुर में बिजली लपकलोइयां कर रही है, दूसरी जगह तो बिजली की क्या व्यवस्था होगी ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : उत्तर प्रदेश में चली गई।

श्री लक्ष्मणसिंह : उत्तर प्रदेश में सारे हिंदुस्तान का माल खिंच गया-बिजली, गेहूं, घासलेट, शक्कर और मुख्य मंत्री भी गये।

कुछ माननीय सदस्य : आप लोग नहीं गये ?

श्री लक्ष्मणसिंह : मैं गया लेकिन उपलब्धि एक। सच्ची बात कहने में मुझे आपत्ति नहीं। पहले भी एक ही सदस्य वहां था और आज भी एक है और याद रखिए वित्त मंत्री महोदय एक से अनेक भी बनेंगे और अनेक से जीरो भी हो जायगी। क्या मालूम जैसे, मैंने पहले कहा, आपके पापों का घड़ा फूटेगा एक दिन।

श्री चन्दनमल वैद (वित्त मंत्री): जिन्होंने पाप किए हैं उनका फूटा है।

श्री लक्ष्मणसिंह : हमने पाप किये, फूट चुका। अब आपके पाप उसमें भर रहे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : घड़ा तो इनका (शासन पक्षका) भी लीक होना शुरू हो गया।

श्री लक्ष्मणसिंह : अब मैं पीने के पानी के संबंध में कहूंगा। इस संबंध में सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए यही निवेदन करूंगा कि 8 हजार गांवों में अभी तक पीने के पानी की व्यवस्था नहीं हुई। यह भी एक लज्जा-जनक स्थिति है कि 25 वर्ष के शासन में इतनी भी उपलब्धि नही हुई तो आपने क्या किया ?

मनोरंजन कर के संबंध में श्री गिरधारी-लाल भार्गव ने चर्चा उठाई है; उस संबंध में इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि आप मनी हगरी सरकार हैं। अगर मनोरंजन कर के नेट प्रोसीड्स का 50 प्रतिशत आप रखें और 50 प्रतिशत वितरित करें तो यह न्यायोचित व्यवस्था है। नहीं तो आप कृपण हैं। आपके पास पैसा नहीं है, जो पैसा आता है, उसका दुरुपयोग करते हैं।

न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग करने की व्यवस्था की है, उसका मैं स्वागत करता हूं लेकिन माइन्ड ओपन है। मैं देखना चाहता हूं आज इस कमिटेड जुडिशियरी के जमाने में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता समाप्त की गई, अगर उसी तरह से न्यायपालिका और कार्यपालिका की व्यवस्था करेंगे, ऐसा एक दिखावा और ढकोसला करेंगे, तो स्वागत के बजाय मुझे इसका भी विरोध करना पड़ेगा।

दवाई, खुराक इत्यादि का जो आपने रोगियों के लिए आपने प्रावधान किया है उसका मैं तहेदिल से स्वागत करता हूं, यह होना चाहिए किंतु उसके साथ-साथ आपका सरकार में कोई नियंत्रण नहीं। आपके कर्मचारी कम से कम 80 प्रतिशत भ्रष्ट व बेईमान हैं। जो कुछ भी व्यवस्था हो रही है, अगर वह इन भुखमरी के दिनों में मरीजों के पास नहीं पहुँचेगी और वहीं आपाधापी में लगा देंगे तो उसका दुरुपयोग होगा, इस संबंध में मेरी जो आशंका है उस बारे में मैं आपको आश्वस्त करता हूं, मैं नहीं कहता कि किसी व्यक्ति विशेष के पीछे हजारों और लाखों रुपये खर्च किये जायं, उनको जीवित रखने के लिए खर्च किए जायं। मैं नाम नहीं लेना चाहता। उसका स्थान भी स्वर्ग में है और हम सबको भी जाना है। लेकिन अगर एक एम. एल. ए. पर सवा लाख रुपया खर्च हुआ तो गरीबों के लिए भी कुछ न कुछ खर्च करने की व्यवस्था अगर करें तो स्वागत

(श्री लक्ष्मणसिंह)

योग्य है। अन्यथा मैं समझता हूं जो आज प्राइवेट प्रेक्टिस की चर्चा हुई वह एक पैरलल मार्केट सा चल रहा है, जो पैसा डाक्टर को देगा तो उसका भला हो सकता है नहीं तो नहीं। गरीब पिस रहा है, उसकी सुनवाई नहीं। मंत्रियों व बड़े अधिकारियों के लिए चिकित्सा व्यवस्था है, गरीबों के लिए कहां है, मुझे नजर नहीं आती।

खेलकूद के लिए आपने जो 10 लाख रुपये का प्रावधान किया है, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। अगर राजस्थान में खेलकूद की व्यवस्था सुचारूरूप से की जाए तो मेरा अभिमत है कि वह एथलेट और दौड़ के अन्दर किसी प्रदेश से पिछड़ा हुआ नहीं रह सकता। हम पंजाब के मुकाबले में आ सकते हैं, महाराष्ट्र और मैसोर के मुकाबले में हम कई गुना बढ़े चढ़े हैं।

मैं समझता हूं कि बजट दो-तीन बातों के अलावा अन्यथा बिल्कुल निरर्थक है। जन साधारण की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी कोई आशा नहीं बंधती, यह शिक्षित युवकों को रोजगार देने में कतई असमर्थ है, यह बजट उन गरीबों के लिए जो झुग्गी और कच्चे झोपड़ों में रहते है, उनके रहने के लिए भी नगण्य व्यवस्था नहीं कर पाया। यह बजट मूल्यों पर नियंत्रण करने में सर्वथा असमर्थ है। सांकेतिक रूप से यह बजट स्वाभिमानी स्वतंत्र समाज की रचना करने में सहायक नहीं हो सकता। यह बजट उन असामाजिक तत्वों को बल देगा जो हिंसा में विश्वास रखते हैं। जा तोड़ फोड़ विश्वास रखते हैं। जो अराजकता फैलाते हैं और जो उपद्रवी लोग हैं। अतः यह बजट केवल मात्र एक वार्षिक रसम है इसके अलावा और कुछ नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री प्रद्युम्नसिंह, श्री रामकिशन।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी व्यवस्था की जाय कि एक इस पक्ष का सदस्य बोले और बाद में दूसरा उस पक्ष का सदस्य बोले ...

श्री दीपंकर : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे दल के सदस्य ज्यादा हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारे दल को बराबर समय नहीं दिया जा रहा है।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज, आॅर्डर प्लीज।

श्री रामकिशन : मैंने पहले बोलने के लिये निवेदन किया था क्योंकि मुझे एक शादी में जाना है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आपने पहले मेरा नाम बोला है इसलिये मैं बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री प्रद्युम्नसिंह।

श्री प्रद्युम्नसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आज जिन परिस्थितियों में माननीय वित्त मन्त्रीजी ने बजट पेश किया है वह स्वागत योग्य है। आज बढ़ती हुई मंहगाई के वक्त नये करों को नहीं लगाना अति उत्तम बात है क्योंकि अगर नये कर लगाते तो इस

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

वक्त जनता को काफी तकलीफ पहुँचती। वित्त मन्त्री महोदय ने बजट के घाटे की पूर्ति नये टैक्स न लगाकर दूसरे राजस्व तरीकों से पूरा किया है उसके लिये मैं उन्हें पुनः बधाई देता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आज सबसे बड़ी समस्या है वह है बढ़ती हुई कीमतें और मंहगाई। इनके बारे में वित्त मंत्रीजी ने भी अपने बजट भाषण में चर्चा की है। उसके अलावा बजट पर भाषण देते वक्त इस पक्ष वाले सदस्यों ने और विरोधी पक्ष वाले सदस्यों ने भी इसके लिये काफी चिन्ता व्यक्त की है और उसमें सभी ने यही बात दोहरायी हैं कि इसे बढ़ती हुई मंहगाई को किसी भी प्रकार से रोका जा सके ऐसे मेथेड्स एडोप्ट करने चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, मंहगाई के कई कारण हो सकते हैं उनमें से कुछ एक की तरफ मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। वैसे तो बढ़ती हुई मंहगाई के बारे में उत्तर राज्य सरकार की तरफ से कई बार इस सदन में आ चुका है और हमारे देश की प्रधान मत्री ने भी इसका वर्णन कई बार किया है। सन् 1971-72 के काल से ही यह ज्यादा बढ़ी है इसे चाहे बंगल देश के शरणार्थियों की वजह से कहें। चाहे हड़तालों की वजह से कहें, चाहे इन सबमें बड़ा कारण इन्फलेशन को कहें। अगर उपाध्यक्ष महोदय, हमने इस इनफ्लेशन को नहीं रोका तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इसके परिणाम न हमारे प्रान्त के लिये ही बल्कि पूरे देश के लिये बहुत ही गम्भीर होंगे। अब वापिस यही सवाल आता है कि यह इनफ्लेशन किन कारणों से हुआ ? तो सबसे बड़ा कारण तो वही बार-बार दुहराया जाता है कि बंगला देश की वजह से मनी की सप्लाई बढ़ी और देश में इनफ्लेशन बढ़ गया। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, इसकी चर्चा तो बार-बार की लेकिन इसके लिए कोई कारगर कदम उसे रोकने के लिए क्या हो सकता है उसके लिए सदन में चर्चा नहीं की गई। सिर्फ यह कह कर हम यह बात नहीं टाल सकते कि इनफ्लेशन हो गया इसलिए कीमतें बढ़ रही हैं और यह कार्य भारत सरकार के ही जिम्मे है। यह ठीक है कि यह भारत सरकार का कार्यक्षेत्र है लेकिन इसमें हम अपने प्रान्तीय स्तर पर सरकार चाहे तो थोड़ा बहुत इस विषय में योगदान दे सकती हैं और ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं कि जिससे हम कुछ इनफ्लेशन पर पार पा सकते हैं तो इसके लिए हमें चाहिये कि उत्पादन जितना ज्यादा बढ़ा सकें उतना बढावें और उत्पादन भी खास तौर से खाद्यान्न का और उन चीजों का जो कि आम जरूरत की चीजें हैं उनका अधिक से अधिक उत्पादन अगर हम बढ़ाते हैं तो हम कुछ इनफ्लेशन पर काबू पा सकते हैं। और हमें इससे लाभ होगा। सबसे पहले उपाध्यक्ष महोदय, मैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन किस तरह से बढ़ाया जा सके इसमें सरकार की जिम्मेदारी है इसके लिए आपको चाहिए कि किसानों को सबसिडी दें, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिये जिन-जिन चीजों की आवश्यकता है उन्हें सस्ता, सही समय पर सप्लाई करें। आज हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए जैसे फर्टीलाइजर में यूरिया और सुपर फासफेट काश्तकारों को चाहिये। काश्तकारों को डीजल की कमी हो तो उन्हें

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

डीजल की सप्लाई करनी चाहिये। वरना ऐसा होता है कि आपने पम्पिंग सैट कुओं पर लगा लिये लेकिन डीजल नहीं होने की वजह से वह बेकार पड़े रहते हैं, पानी नहीं पहुंचने से खेती का उत्पादन कम होता है। इसके अलावा काश्तकारों को सस्ती दरों पर बिजली की सप्लाई करनी चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ हमारे वित्त मंत्री महोदय ने यहां बजट भाषण में कहा कि अभी हमारे यहां पर 8 मेघावाट बिजली पैदा होती थी वह इस प्लान के अन्त तक 800 मेघावाट बिजली का प्रोडक्शन हमारे यहां पर होने लग जायेगा। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय; आज हमारे जो आर. एस. इ. बी. जहां से हमें बिजली मिलती है हमारे गांधी सागर, राणा प्रताप सागर वगैरह जो डेम हैं जहां से बिजली प्राप्त होती है पिछले तीन–चार सालों से ऐसा देखने में आया कि पूरी बिजली नहीं दे पाया था। हमेशा से यही शिकायत रही है कि हर 8–10 दिन बाद वह प्लान्ट खराब हो जाता है। तो एक प्रकार से अभाव ही रहता है तो इनके सहारे तो हम इन आसारों से चल नहीं सकते यह तो पता नहीं कि क्या कारण है कि वह प्लान्ट बार-बार खराब हो जाता है लेकिन यह मैं मानकर चलता हूं अगर हमें उत्पादन बढ़ाना है तो हमारे लिए पर्याप्त मात्रा में बिजली होनी चाहिये वरना हमें काफी दिक्कत उठानी पड़ेगी। इसके लिये हमें यह भी देखकर चलना होगा कि मान लीजिये हमने ज्यादा बिजली पैदा करली तो हमें उस जनरेट की हुई बिजली को सही तरीके से वितरित करनी पड़ेगी। अन्यथा यदि हम 800 मेघावाट बिजली जनरेट कर लेते हैं और उसकी वितरण व्यवस्था ठीक नहीं हुई तो जैसा कि अभी हमारे एक माननीय सदस्य, जो जोधपुर से आने वाले हैं, ने कहा कि राजस्थान का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अभी 6 करोड़ रुपये के घाटे में चल रहा है और वह घाटा आगे बढ़कर करीब 12 करोड़ रुपये हो जावेगा। आज हमारे बिजली बोर्ड के पास फन्ड्स की कमी है। उसकी आर्थिक हालत बहुत खराब है तो इसके लिये हमें आवश्यक कदम उठाने की जरूरत है। वरना जब बोर्ड की आर्थिक हालत ही खराब है तो आप क्या कर पायेंगे? आज वहां पर मिस मैनेजमेन्ट है, इकोनोमीक मेजर्स यूज में नहीं लाये जाते हैं तो मैं समझता हूं कि बावजूद ज्यादा बिजली पैदा करने के हम उसको डिस्पोज आॅफ अगर सही ढंग से नहीं कर सके तो मुझे यह भय है कि हमारे राजस्थान के आसपास के इलाकों के प्रोविन्स जैसे पंजाब और हरियाणा हैं, जिनमें कि बिजली की कमी है हमसे भारत सरकार के थ्रू दबाव डालकर बिजली हमारी ये लोग ले जायेंगे और हम हमारी बिजली का सही फायदा नहीं उठा सकेंगे। इसलिए इस तरफ हमें सचेत रहने की आवश्यकता है। इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे कोटा में डी. सी. एम. की फैक्ट्री फर्टिलाइजर है, यूरिया जहां पैदा होता है उसमें से सिर्फ 30 प्रतिशत ही हमारे यहां आता है। बाकी 70 परसेन्ट दूसरी जगह बाहर जाता है। उस पर हमारा कन्ट्रोल नहीं है। वह भारत सरकार के अधीन है। आज तीस परसेन्ट फर्टिलाइजर डी. सी. एम. जो राजस्थान में देता है वह अपने स्टोकिस्टों को अपने एजेन्टों को देता है। उसमें भी उनके एजेन्ट्स लोग काफी गड़बड़ियां पैदा करते हैं। जो 52 रुपये क्विन्टल मिलना

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

चाहिये वह बाजार में कृत्रिम अभाव के कारण काश्तकार को 80 और 82 रुपये के भाव से मिलता है। तो यह यूरिया की समस्या है हमारे काश्तकार के लिए उसके लिए राज्य सरकार को व्यवस्था करनी चाहिये। इसके अलावा डीजल की व्यवस्था भी होनी चाहिये। उसके लिए तो आप यह कह देते हैं कि डीजल तो बाहर से आता है। वहां पैसे बढा दिये हैं। यहां पर मिलता नहीं है तो जब आप अगले साल 15 हजार कुओं को बनवाने की बात करते हैं तो फिर बिना डीजल के हमें उसका लाभ कैसे मिलेगा, इसके लिये आपको अभी से इन्तजाम करना होगा। यह हमको दिवाली पहले-पहले कर लेना चाहिये वरना इसका फायदा हमें नहीं मिलने वाला है। अब मैं कुछ निवेदन सिंचाई के बारे में भी करना चाहूंगा। सिंचाई का मामला भी ऐसा है कि आज आप गंगानगर और बीकानेर इलाके में ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। मैं गंगानगर और बीकानेर डिविजन की शिकायत नहीं कर रहा हूं कि राज्य सरकार ने क्यों साढ़े नौ करोड़ रुपये अकेले राजस्थान केनाल पर ही खर्च किये, वहाँ पर राजस्थान केनाल पर तो सैंकड़ों करोड़ों रुपये आज तक खर्च हो चुके हैं आज वर्षों बीत चुके हैं राज्य सरकार इस इलाके में करोड़ों रुपये हर साल खर्च कर रही है व्यास, जाखम और राजस्थान कैनाल पर काफी हमारा धन उस पर खर्च हो रहा है। लेकिन हमे इतना तो जरूर कहना पड़ेगा कि यह सभी हमारे पूर्वी राजस्थान के कोस्ट पर हो रहा है क्योंकि हमारा पूर्वी राजस्थान राज्य सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला है। हमारे पूर्वी राजस्थान से ही सबसे ज्यादा रेवेन्यू आती है। मैं पूर्वी राजस्थान की बात कह कर कोई अलगाव की बात नहीं करता। पश्चिमी राजस्थान वाले भी हमारे भाई हैं लेकिन आखिर यह हमारी कोस्ट पर कब तक होता रहेगा ?

श्री **फूलचन्द जैन** : आपके यहां पर पूर्वी राजस्थान मे पानी है ? वहाँ कहां पर है जो पैसा लगाया जाय ?

श्री **प्रद्युम्नसिंह** : पानी की कमी की बात तो आप फूलचन्दजी मत करिये पानी हमारे यहाँ पर बहुत है। मैं तो एक बात कर रहा हूं कि····

श्री **फूलचन्द जैन** : आप खुली जबान से बात क्यों नहीं कर रहे हैं साफ-साफ कहें आपके यहां पर पानी के रिसोर्सेज ही नहीं है।

श्री **प्रद्युम्नसिंह** : रिसोर्सेज की कमी नहीं है पर उनको एक्सप्लोईट नहीं किया जा रहा है।

श्री **रामकिशन** : गंगा-जमुना का पानी है उसको घेर कर ले क्यों नहीं आते हैं, पानी तो बहुत है।

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** : प्रकृति ऐसी पैदा कीजिये कि पानी लो लेवल से हाई लेवल पर चला जाय।

श्री **प्रद्युम्नसिंह** : माइनर मिडीयम स्कीम्स चालू की जा सकती है। पार्वती का एक बांध बनने के बाद भी इतना पानी वहां पर है कि माइनर और मीडियम डेम बन सकते हैं। बहुत पानी है।

श्री **फूलचन्द जैन** : हम आपको फीगर्स दे सकते हैं कि वहाँ पर बंध बने वे खाली पड़े हैं और रुपया बेकार गया है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : पार्वती डेम के सिवाय कौनसी स्कीम हाथ में ली है। मैं आपको चैलेन्ज करता हूं और आप से बातचीत, इस सम्बन्ध में करने के लिये तैयार हूँ। राजस्थान सरकार से इसके लिये कोशिश करनी पड़ेगी, कोशिश क्या राजस्थान सरकार के ऊपर इस बात का दबाव डालना पड़ेगा और सदन को यह प्रस्ताव पास करना पड़ेगा....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : वाटर लोगिंग की बीमारी होती है उस तरफ भी ध्यान रखियेगा।

श्री प्रद्युम्नसिंह : वाटर लोगिंग की हमारे यहां कोई प्रोब्लम नहीं है। राजस्थान केनाल का काम हमारे यहां के बूते से बाहर की बात है। हमारे पास इसके लिये इतने रिसोर्सेज नहीं है तो क्यों नहीं इसको नेशनल प्रोजैक्ट बना दिया जाय और इसको नेशनल प्रोजैक्ट बनाने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं? आपने कहा कि प्लानिंग कमीशन से निवेदन किया, प्रधान मन्त्री से निवेदन किया। यह तो सब सुखाड़ियाजी ने भी कहा और उनके 17 साल के शासन में भी यह नहीं हुआ। जिस रफ्तार से राजस्थान केनाल का कार्य चल रहा है उस प्रोजैक्ट को इस प्रकार से पूरा करेंगे, तो यह कैसे होगा। इसलिये भारत सरकार को इसको हाथ में लेना चाहिये और इसके लिये सरकार को एक महत्त्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ेगा। राष्ट्रीय प्रोजैक्ट है और भारत सरकार को इसको अपने हाथ में लेना ही चाहिये। इस पर जो हमारे रिसोर्सेज खर्च हो रहे हैं उन रिसोर्सेज को दूसरी तरफ हमको लगाना पड़ेगा जहां पर कि पानी बेकार जा रहा है और माइनर और मीडियम इरिगेशन स्कीम्स बना कर उनको पूरा करके जनता को काफी लाभ पहुँचाया जा सकता है। अलवर और भरतपुर जिलों में दस-दस लाख की, बीस-बीस लाख की ऐसी स्कीम्स हैं जो रिसोर्सेज के अभाव के कारण ही पड़ी हुई हैं यदि इन स्कीम्स को चालू किया जाय तो हजारों जमीन जो बेरन पड़ी हुई है उसको उपजाऊ बनाया जा सकता है और उनमें पानी दिया जा सकता है। व्यास का शेयर रख दिया। उस पर्टीकुलर रीजन में बीकानेर डिविजन के हिस्से के नीचे सारे रिसोर्सेज वहीं पर खत्म कर दिये जांय तो बाकी के हिस्सों का क्या होगा, बाकी के लोगों का क्या होगा। आखिर किस हद तक किस सीमा तक अपनी भावनाओं को लेकर चलेंगे।

एक माननीय सदस्य : दान है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : दान नहीं है।

श्री फूलचन्द जैन : हम तो दान लेते हैं और धान देते हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : दान नहीं करते हैं लेकिन यह तो सोचना होगा कि दूसरे हिस्सों के लिए भी तो रिसोर्सेज की आवश्यकता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हम तो यह कल्पना करते हैं कि राजस्थान नहर को काण्डला तक पहुँचाना चाहिये।

श्री श्रीराम गोटेवाला : हम भी यह मांग करते हैं कि इसको नेशनल योजना मानना चाहिये। राजस्थान के ऊपर ही क्यों इसका भार पड़े?

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैंने यह कहा है कि इसको राष्ट्रीय योजना मान कर लिया जाय

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। इरिगेशन डिपार्टमेन्ट का बजट आप देख लीजिये। दस-दस वर्ष का बजट उठा कर देख लीजिये कि पूर्वी राजस्थान के अन्दर वाटर पोटेन्शियेलिटी होते हुए भी कोई स्कीम उधर नहीं बनाई गई है। उसका क्या किया है?

श्री केदारनाथ : इसी कारण से आपको ज्यादा पैसा दिया है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा रेगिस्तान राजस्थान में मौजूद है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : फिफ्थ फाइव इयर प्लान भी इससे जुड़ी हुई है। मैं उस बात पर कहूं तो माननीय फूलचन्दजी कहेंगे कि क्षेत्रीयवाद की बात करते हैं। मेरी ऐसी कोई भावना नहीं है। आपके साथ रहना चाहता हूं। फिफ्थ प्लान का जो प्रारूप तैयार किया और प्लानिंग कमीशन को पेश किया....

श्री फूलचन्द जैन : उधर मत देखिये।

श्री प्रद्युम्नसिंह : फिफ्थ फाइव इयर प्लान भारत सरकार को पेश किया मजबूरी से। उसकी कापी पढ़ने को मिली। फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य से और भी कई माननीय सदस्यों से, पूर्वी हिस्से के लोगों से, मेरी बात हुई। सब ने एक ही बात कही कि डेजर्ट एरिया के नाम पर बहुत योजना दे दी लेकिन पूर्वी राजस्थान को फिर भूल गये। वित्त मंत्रीजी आप योजना मंत्रीजी भी हैं। आपके अफसरों ने इसको तैयार करके रख दिया और आपने इसको मान लिया। पोलिटिकल कन्सीडरेशन पर आपने इसको देखा है। मेरा आप पर आरोप है कि आपने भेदभाव बरता है।

श्री रामकिशन : आज अच्छी लड़ाई चल रही है।

श्री चन्दनमल बैद : पंडितजी आपकी गोटी चल रही है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : माननीय मुख्य मंत्रीजी ने परसों जब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का उत्तर दिया तो उन्होंने यह कहा कि मैं इन छः पूर्वी जिलों में अन्डरग्राउन्ड वाटर पोटेंशियेलिटी काफी होने से 6 स्कीम्स इलेक्ट्रिफिकेशन की तैयार कराऊंगा और अन्डरग्राउड वाटर-पोटेंशियेलिटी का पूरा उपयोग करूंगा। मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी इनको जल्दी ही तैयार करायेंगे और भारत सरकार से मंजूर भी करायेंगे। भारत सरकार इसको कैसे मंजूर करेगी, प्लानिंग कमीशन किस रूप में इसको मानेगा, वित्त की कहां से व्यवस्था करेगा यह देखने की बात है। मुझे इसकी पूरी उम्मीद है कि जो उन्होंने यहां कहा उसको पूरा निभायेंगे और उसको पूरा करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्रीजी ने बेरोजगारी को खत्म करने का कोई बजट में जिक्र ही नहीं किया है। उन्होंने उसका भी कोई अपने भाषण में जिक्र ही नहीं किया है कि बेकारी को भी राजस्थान में कोई समस्या है। हमने उनकी इस बात के लिये सराहना की। 26 परसेन्ट मंहगाई बढ़ जाने के उपरान्त भी उन्होने कोई टैक्स नहीं लगाया है। हमने इसीलिये इस बजट का स्वागत किया। जिनके पास रोजगार नहीं है

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

पढ़े लिखे या बेपढ़े लिखे ,अनएम्प्लॉयड या सेमी-एम्प्लायड। इसका आपने कोई जिक्र ही नहीं किया है।

श्री चन्दनमल बैद : 8 लाख को रोजगार दिया है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : वह रोजगार रोजगार ही है। मुकम्मिल योजना क्या है? क्या इन्तजाम है?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : बेरोजगार हैं ही नहीं। जो हैं वे मर रहे हैं।

श्री चन्दनमल बैद : है कैसे नहीं ? मुझे वे दीख रहे हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : क्या व्यवस्था की है बेरोजगारी को दूर करने के लिये। आपने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया है। हाफ ए मिलीयन जॉब के लिये भारत सरकार ने पैसा दिया। आपने व्यवस्था कर दी ? आप अपने एफर्ट्स से क्या करने जा रहे हैं इसकी आपने कोई चर्चा ही नहीं की। खाली चार हजार मास्टरों को बाबू बना देने से क्या होगा ? अनप्रोडक्टिव एम्प्लोयमेन्ट से लाभ नहीं। स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज है, विलेज इण्डस्ट्रीज है उसमें इस शक्ति को लगाइये। सरसरी तौर से कहा गया कि खादी ग्रामोद्योग बोर्ड कुछ ऐसा सोच रहा है। मैं पूछता हूं वह तो सोच रहा है, पर आपने क्या किया है ? आप क्यों नहीं सोच रहे हैं ?

इसी तरह टूरिस्टों के व्यापार को लीजिये। यह एक आधुनिक युग का अच्छा व्यापार है। टूरिज्म के नाम पर कई देशों ने काफी कमाया है। उनकी आमदनी का यह प्रमुख स्रोत बन गया है। आपके यहां भी उदयपुर और जयपुर वर्ल्ड मैप पर आ गये हैं। उनको इस तरह से विकसित किया जाय कि जिससे अधिक से अधिक टूरिस्ट यहां आवें। यात्रियों का आना शुरू होता है तो इसके सहारे बहुत से और छोटे-छोटे धन्धे हैं, होटल्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन के साधन हैं, यहां की कॉटेज इन्डस्ट्रियों का उत्पादन है, उनमें बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाती है। इस तरह से इसमें लाखों आदमी लग सकते हैं। इसे आप डवलप कर सकते हैं। अभी काफी गुंजाइश इसमें है। विदेशी यात्री ही नहीं, अब तो देश के अन्दर भी लोगों में भ्रमण की प्रवृत्ति जगी है। तो इस तरह से राजस्थान में जयपुर है, उदयपुर है और भी कई दर्शनीय स्थान हैं उनको आप डवलप करके कमाई का साधन बढ़ा सकते हैं। इस टूरिज्म की इण्डस्ट्री को बढ़ाया जावे।

बेरोजगारों को काम देने में आपका मिनरल प्रोडक्शन भी सहायक बन सकता है। इससे व्यापार भी बढ़ेगा और बेरोजगार लोगों को रोजगार भी मिलेगा। आप मिनरल बेस्ड इन्डस्ट्रीज का प्रदेश में ही जाल बिछा सकते हैं। कच्चे माल से लेकर फिनिस्ड गुड्स तैयार करने तक सारा प्रोसेसिंग यहीं कर सकते हैं। अभी क्या होता है कि आप कच्चा माल खानों से निकाल कर उसे बाहर भेज कर ही अपने कर्त्तव्य की इतिश्री मान रहे हैं।

आज आपने नये टैक्स नहीं लगाये। इसमें सबसे बड़ी सहायता आप को रॉक फॉस्फेट से मिली है और भी आगे अधिक

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

मिलने की सम्भावना स्पष्ट है जैसे गुजरात के लिये तेल का महत्त्व हो गया है उसी तरह से हमारे राज्य की इकोनोमी को मजबूत बनाने में रॉक फास्फेट का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। पर आज हालत क्या है इसकी ? जहां आप 3½ करोड़ टन के डिपोजिट होने की बात इस समय कह रहे हैं वहां प्रतिदिन आपका उत्पादन केवल मात्र 600 टन का है। वह भी रॉ शेप में निकाल कर बाहर भेज देते हैं। आप इसका साइन्टिफिक तरीके से प्रोसेसिंग करके फिनिश्ड गुड्स की शक्ल में धन्धा करिये न। इसके लिये फाइनेन्स की आवश्यकता हो तो लोन लेना पड़े तो वह सब कुछ करना चाहिये। यह सब कुछ आप कर लेंगे तो नये कर लगाने की आपको कभी आवश्यकता ही नहीं रहेगी।

इस बारे में एक और चिन्ता की बात पैदा हो गई है। भारत सरकार प्रयत्न कर रही है कि यह रॉक फास्फेट उसके कब्जे में चला जावे। मुझे मालूम है मुख्य मन्त्रीजी किसी जमाने में खनिज मन्त्री थे। चेन्ना रेड्डी से कहा सुनी हो गई और अब भी भारत सरकार की तरफ से जोरदार प्रयत्न हो रहा है इसको हाथ में लेने का। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे इसके लिये हमें यहां प्रस्ताव पास करना पड़े यहां जोरदार ढंग से अपना पक्ष रखना पड़े वह सब हमें करना चाहिये। इसकी खबर भी समाचार-पत्रों के जरिये जब जावेगी तो उनको भी काफी सोचना पड़ेगा। अगर यह सोने की माइन्स हमारे हाथों से चली गई तो फिर राजस्थान का भगवान ही मालिक है। अगले साल दस-पन्द्रह करोड़ रुपये के टैक्सों के लिये राजस्थान के नागरिकों को तैयार हो जाना चाहिये। हमें भारत सरकार से स्पष्ट तौर से और दृढ़ता से यह कह देना चाहिये हम गरीबों पर आप रहम खाइये और यह हमारा कीमती मिनरल हमारे लिये ही रहने दीजिये। हम ही इसका साइन्टिफिक वे में सारा प्रोसेसिंग करेंगे और इसका पूरा-पूरा लाभ लेंगे।

इसके अतिरिक्त औद्योगीकरण का जहां तक प्रश्न है राजस्थान अभी भी पिछड़ा हुआ है। कोई बड़ा उद्योग यहां है नहीं और जो कुछ थोड़े बहुत उद्योग लगे हैं तो वे केवल कोटा तक ही सीमित रह गये हैं। हमारे यहां 22 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट आ रहा था। सर्वे वगैरह सभी काम हो गये। बाद में पता नहीं क्या हुआ। वह उदयपुर पहुंच गया। मथुरा रिफाइनरी की भी बहुत कोशिश की गई, पर वह नहीं मिला। सवाई माधोपुर में लगाने की बात पक्की सी थी, पर मथुरा पहुंच गई। उस वक्त हमें यह आश्वासन दिया गया कि मथुरा में लगेगा तब भी यहां के लोगों को मध्यप्रदेश के लोगों को और यू० पी० के लोगों को सभी को समान लाभ मिलेगा। इन तीन राज्यों को इसका लाभ मिलेगा। मैंने श्रम मन्त्री जी को भी और राजस्थान के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर उस वक्त निवेदन किया था कि इस समय मथुरा रिफाइनरी में भर्ती चालू है तो इस आश्वासन को देखते हुए भारत सरकार को लिखा जाय कि भर्ती के लिये समान अनुपात में लोगों को राजस्थान से भी लिया जाना चाहिये और इसके लिये यहां के एम्प्लोयमेन्ट एक्सचेन्जों को लिखा जावे

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

उनके मार्फत दरख्वास्तें मांगी जावें। पता नहीं मेरे उस पत्र पर इन लोगों ने क्या कार्यवाही की ? मैं आग्रह करूंगा कि आप इसके लिये दौड़-धूप करें। निरन्तर पत्र व्यवहार जारी रखें। यह महत्वपूर्ण मामला है राजस्थानवासियों के लिये। जयपुर, सवाई माधोपुर, अलवर, भरतपुर, कोटा के एम्प्लोयमेन्ट एक्सचेन्ज हैं उनके द्वारा रिकमन्ड किये हुए लोगों को एम्प्लोयमेंट मिलना चाहिये। इस तरफ पूरा-पूरा ध्यान देना है। नौकरियों में पर्सेन्टेज भी अगर इसमें मिला तो हम समझेंगे कि राजस्थान को भी कुछ मिला। इसके बाई प्रोडक्ट्स की कुछ फैक्ट्रियां आस-पास में भरतपुर, धौलपुर में भी लग सकती हैं। इसका भी प्रयत्न करना चाहिये। मुख्य मन्त्रीजी खास तौर से इन बातों पर ध्यान दें।

कहने को तो और भी कई मामले मेरे पास हैं पर आपका आदेश हो गया है तो मैं पुनः अपने सुझावों पर जोर देता हुआ कि सिंचाई, बिजली रॉक फॉस्फेट आदि के बारे में सरकार गहराई से गौर करें। पार्वती बान्ध को भी सप्लीमेन्टरी प्लान के तौर पर योजना में शामिल करें। अन्त में जिन परिस्थितियों में यह सन्तुलित बजट पेश किया गया है उसके लिये धन्यवाद देता हुआ अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकिशन !

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को सुन कर ही यह आभास हो गया था कि राजस्थान के बजट में क्या होगा और वह कैसा होगा। यह बजट के बारे में केवल यह कह देना कि इसमें टैक्स नहीं लगे हैं, मैं समझता हूं कि यह कोई महत्त्वपूर्ण बात नहीं है। न तो टैक्स लगाना ही महत्त्वपूर्ण है, और टैक्स नहीं लगाना भी कोई प्रगतिशील कदम नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में निवेदन करना है सदन से कि आज राजस्थान की जो हालत है उस हालत को हमें अन्य राज्यों के मुकाबले में ले जाना है। यह सही है कि राजस्थान की जो प्राकृतिक विपत्तियां हैं, रेगिस्तान हैं, भूमि के अनुपात में बंजर ज्यादा हैं, ये ऐसे कुछ प्रश्न हैं, जिनमें राजस्थान के विकास में बाधाएं आती हैं। लेकिन एक निवेदन और करूंगा कि जहां राजस्थान में ये कठिनाइयां हैं और भौगोलिक विपत्तियां हैं, वहां इस के कारण कुछ सुविधाएं भी मिली हुई हैं। वित्त मन्त्रीजी, राजस्थान ऐसा राज्य है जहां आबादी कम और जमीन ज्यादा है।

(3.40 म. प.)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति, पदासीन)

इसलिए हमारे जो भी विकास के कार्यक्रम हों उनमें सबसे पहले यह देखना चाहिये कि जमीन के मार्फत क्या साधन प्राप्त कर सकते हैं। जहां प्रकृति ने कुछ कठिनाई दी हैं वहां इसे वरदान के रूप में स्वीकार करना चाहिये और इस मामले में, जितनी राजस्थान सरकार जागरूक रहनी चाहिये थी उतनी नहीं रह पाई है और अन्त में पंचम पंचवर्षीय योजना के प्रारूप पर आ गई।

वित्त मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण के प्रथम पेरे में यह स्वीकार किया है कि मुद्रा प्रसार बढ़ा है, महँगाई बढ़ी है, जमाखोरी

(श्री रामकिशन)

है—इन सबको स्वीकार किया लेकिन इसका स्वीकार करने से होगा क्या ? मैं मानता हूं स्वीकार करना भी सुधार का एक रास्ता है। राजस्थान सरकार और केन्द्रीय सरकार स्वीकार करती है तो सुधार की तरफ बढ़ेगी लेकिन बजट को दूसरी तरफ जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं, उस तरफ पहुंच जायगी, इसमें मेरा सन्देह है। हो सकता है मेरा अनुमान है लेकिन पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी पंच-वर्षीय योजनाओं के नतीजे हमारे सामने हैं और उसके बाद पांचवी योजना का प्रारूप प्रकाशित है। मैं समझता हूं इससे हम कोई नतीजे पर पहुंचने वाले नहीं हैं।

राजस्थान के रेगिस्तान में 84 लाख लोग रहते हैं। उनके विकास की दर बहुत नीची है, उनके आमदनी के साधन सीमित हैं; राजस्थान में अनुसूचित जाति और जन-जाति की संख्या करीब 28 पर्सेन्ट है और जो गरीबी का मापदण्ड रखा है उस दृष्टि से विचार करें तो 1 करोड़ 77 लाख लोग ऐसे हैं जो आज गरीबी की सीमा से नीचे है। अब जब कार्यक्रम हो तो 1 करोड़ 77 लाख लोगों के जीवनयापन को उठाया जाय और रेगिस्तान के 84 लाख लोगों के लिये कोई विशिष्ठ कार्यक्रम बनाया जाय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के कल्याण के लिये विशेष योजना चालू करें। जब इन तीन दिशाओं में बढ़ेंगे तब अन्य राज्यों के मुकाबले आ सकेंगे। अपने विकास की दर उस हद तक ले जायं परन्तु नहीं, हिन्दुस्तान की सरकार बहुत आशावादी हैं या फिर यूं कहें बहुत ज्यादा मूर्ख है। या तो इतनी आशावादी है कि हर काम आशा के सहारे खींचती है या फिर मूर्ख है। हिन्दुस्तान का जितना पैटर्न है उसमें अंग्रेजी दिशा है—भौतिक लक्ष्य की प्राप्ति की है चाहे खेती की हो और चाहे सिंचाई की हो। इसलिए जो 60पर्सेन्ट का अनुमान लगाया है विकास का, मैं समझता हूं, वह होने वाला नहीं है।

सभापति महोदय, मैं राजस्थान सरकार से कहना चाहूंगा, योजना बनाते वक्त कुछ सवालों को दिमाग में रखना पड़ेगा और अगर ये सवाल नहीं रखे जाते हैं तो विकास चाहे कितना हो, उस वर्ग को नहीं मिलेगा और जिन्होंने योजना बनाई है, उस वर्ग को वह लाभ मिल जायगा। आज अमेरिका के विकास की दर यही है और दूसरे देशों में बहुत ज्यादा नहीं है। एशिया में सबसे ज्यादा दर वाला है, हिन्दुस्तान लेकिन फिर भी विकास की दर कम है। इसका, सभापति महोदय, अफसोस नहीं है लेकिन जिस वर्ग को मिलना चाहिये उसको नहीं मिले तब तक चाहे कोई बजट हो या कोई योजना हो कोई नतीजा आने वाला नहीं है।

कुछ माननीय सदस्यों ने बधाई दी है, मंत्री महोदय ने घाटे का बजट पेश नहीं किया। यह ठीक है टैक्स नहीं लगाया। लेकिन औचित्य क्या है ? पांचवीं योजना में केन्द्रीय सरकार ने और अब की साल आर्थिक सफलता जो बजट से पहले की जाती है, जो योजनाओं का लाभ है, वह समाज के कुछ वर्ग को गया है। इसका कोई बड़ा मापदण्ड तो है नहीं। एक बात स्पष्ट रूप से है कार वालों को, टेलीफोन वालों को, टेलीविजन वालों को, सिनेमा देखने वालों को समाज का बड़ा लाभ चला

(श्री रामकिशन)

गया है। मेरा यह कोई आरोप नहीं है कि होटल में न जाय। हिन्दुस्तान जब आजाद हुआ था अंग्रेजों के टाइम में उस समय हिन्दुस्तान का जीवन स्तर योरोप के देशों पर तो नहीं लेकिन जापान के स्तर पर था। आज उनकी आर्थिक स्थिति हमसे आगे बढ़ गई है तो यह देखना पड़ेगा राजनैतिक लोगों से, ठेकेदारों से, आर्थिक रूप से समृद्ध व्यक्तियों से; सरकारी अधिकारियों से टैक्स लेना समाज के कल्याण के लिए बहुत जरूरी है। अगर टैक्स नहीं लिया जाता है तो विकास की गति धीमी हो जायगी। आप खुद सोचें तो केवल सोचने के तरीके में अन्तर है।

बंगला देश का बहुत बड़ा टैक्स है, बहुत ज्यादा सुधार की बात है लेकिन जो बंगला देश का टैक्स है वह जनसाधारण का टैक्स है जो बहुत बड़े लोगों पर लगना चाहिये वह नहीं लगाया। असल में केन्द्रीय सरकार ने जो पैटर्न स्वीकार किया है उसको राजस्थान सरकार ने भी किया है। रेल्वे में प्लेट फार्म के टिकट का टैक्स बढ़ा है, मैं एक अर्थ में स्वागत करता हूं। कारण यह है कि हिन्दुस्तान आर्थिक नशे में इतना बढ़ गया है कि एक आदमी को छोड़ने के लिये 15 आदमी काम छोड़कर पहुँचाने जाते हैं। शादी हो गई, 20-30 साल शादी को हुये हो गये, 8-10 बच्चे-बच्चियों के मां-बाप हैं लेकिन पत्नी ससुराल जा रही है तो उसको पहुँचाने जा रहे हैं, अपने साथ बच्चों और मित्रों को भी ले जा रहे हैं। छोटे-मोटे कामों में रेल्वे स्टेशन छोड़ने जा रहे हैं। हां, कोई बीमार है, उसको पहुँचाने जाना हो तो एक बात है। उसकी मान्यता हो सकती है लेकिन एक की विदाई में 25 जायेंगे। जो राजनेता विदेश से आयेगा और जिसके बारे में शक है कि यह राजनेता ठीक नहीं है फिर भी उसको लेने जायेंगे— भीड़ की भीड़ उसको लेने पहुँच जायगी।

छोटे-मोटे लिफाफे हैं, पोस्ट कार्ड हैं जिनका उपयोग छोटा वर्ग करता है, उस समाज पर टैक्स लगा दिया है। मैं वित्त मंत्रीजी का विरोध करना चाहूँगा, सम्पन्न व्यक्ति पर टैक्स लगाना आवश्यक कड़ी है, गरीब लोगों पर किसी तरह असर आ जाना समाजवाद के लिये सबसे बुरा असर हो सकता है। इस दृष्टि से वित्त मंत्रीजी बजट देखेंगे तो कोई आशाजनक स्थिति नहीं है।

माननीय वित्त मंत्रीजी ने कहा मुद्रा प्रसार से हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। मैं पूछता हूं आपका, राजस्थान का उसमें क्या योगदान है। जब मैं महंगाई पर बोला था तो काफी विस्तार से जिक्र किया, राजस्थान सरकार सुधार करने की स्थिति में नहीं है तो, सभापति महोदय, आज जो मुद्रा प्रसार हुआ है उसमें राजस्थान सरकार का भी सबसे बड़ा हाथ रहा है। आपका जो घाटे का बजट है वह निरन्तर चला आ रहा है और राज्यों ने सुधार किया है। आपकी स्थिति यह है, 69-70 में 49 करोड़ 62 लाख का घाटा रहा, 70-71 में 68 करोड़ 99 लाख, 71-72 में 48 करोड़ 75 लाख, 72-73 में 21 करोड़ 27 लाख और 73-74 में 91 करोड़ 78 लाख, अब जो घाटे का बजट पेश करते जा रहे हैं चाहे केन्द्रीय सरकार हो, चाहे राजस्थान सरकार हो, इसका असर क्या होता है? घाटा अगर ऐसी चीज पर

(श्री रामकिशन)

लागू किया जाय जिससे उत्पादन सामग्री पर असर पड़े तो कल्याणकारी कदम हो सकता है लेकिन यही घाटा आधुनिकता पर या गैर जरूरी कामों पर खर्च किया जाय तो उसका नतीजा वही होने वाला है। आज हिन्दुस्तान की सरकार इस स्थिति को रोकने में नहीं है, जिस तरह मुद्रा प्रसार हुआ है दुनिया के किसी देश में सम्भव नहीं है। असेम्बली के दिनों में मैं लायब्रेरी में गया और वहां कोरिया की एक किताब देखी, मैं चाहूंगा वित्त मंत्रीजी उसे देखें— दोनों कोरिया हैं एशियाई देश हैं। इसलिए इनका जिक्र करना जरूरी समझता हूं। मैंने देखा हमारी स्थिति वहां के करीब आ रही है। हिन्दुस्तान में यही हालत रही तो 2-3 साल में रुपये की कोई कीमत नहीं रहेगी। सभापति महोदय, जब घाटे का बजट पेश किया तो केन्द्रीय सरकार को अपने घाटे के बावजूद राज्य सरकारों के लिये 4 अरब 12 करोड़ रुपयों के टैक्स लेने पड़े। चाहे ऋण के रूप में लिया हो, चाहे लेवी के रूप में लिया हो। लेकिन राज्य सरकारों को केन्द्रीय सरकार ने कर्जा लेकर पूरा किया। 71 से 73 तक उससे 18 प्रतिशत मुद्रा का प्रसार हुआ है लेकिन उत्पादन में 4.3 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई है। तो यह जो हमारी स्थिति है यह हमारे देश के लिए और हमारे राजस्थान के लिए बहुत खतरनाक है और आज स्थिति से कैसे निकलें इस पर हमारा चिन्तन होना चाहिए। बजट इस मामले में बिलकुल शांत है और दिशाहीन है।

सभापतिजी, मैं एक जिक्र और करना चाहूंगा कि केन्द्रीय सरकार अपने हालात को सुधारे या नहीं सुधारे। यह केन्द्रीय सरकार के ऊपर है। लेकिन आज जो हमारी अर्थ-व्यवस्था है वह राजस्थान के ऊपर कोई अकाल के ही कारण से नहीं है, आज जब अपने भाषण में आप कहते हैं और सचाई भी है कि विश्व की समस्याओं का असर हमारे ऊपर पड़ता है तो केन्द्रीय सरकार का भी असर हमारे ऊपर पड़े बिना नहीं रहता और इसी तरह से दुनियां में जब घटनाएं होती हैं तो उससे भी हमारी अर्थ-व्यवस्था प्रभावित होती है। तो इस प्रभाव को दूर करने के लिये हमें आज कोशिश करनी पड़ेगी और वह कोशिश इस तरह की करनी पड़ेगी कि जिससे हमारे अपने राज्य का भी सुधार हो और साथ ही साथ केन्द्रीय सरकार भी अपनी स्थिति को सुधारे।

आपने बजट में बहुत बड़े हिस्से में योजनाओं का विस्तार से जिक्र किया और आपने यह भी कहा है कि अब जो हमारी पांचवीं पंचवर्षीय योजना है उसका आकार पहले की पंचवर्षीय योजनाओं से दुगुना है। कल गहलोत साहब जो कि जोधपुर से आये हैं वह एक बात कह रहे थे और वह वित्त मंत्रीजी के भी ध्यान में होगी कि आपकी योजनाओं का आकार तो दुगुना है लेकिन जो मूल्य वृद्धि हुई है उसके बाद हिन्दुस्तान और देश की जो आर्थिक स्थिति है, या इकानामी है वह एक तरह से स्थिर हो गयी है, जहां की तहां जम गई है और उसमें हम विशेष वृद्धि नहीं पाते हैं और उसका नतीजा यह है कि पहली, दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो लक्ष्य निर्धारित किये हैं, जनता का सहयोग आपको मिला लेकिन लक्ष्य की प्राप्ति में पीछे रह गये। तो मैं आपसे चाहूंगा कि वहां की पांच साला योजना का आकार बड़ा बता दिया, आप

(श्री रामकिशन)

कहते हैं कि 7¾ अरब के करीब इनवेस्टमेंट करें और अगली योजना पब्लिक, डिस्ट्रीब्यूशन एजैन्सी, निगम वगैरह की मार्फत 21 अरब से ज्यादा के इनवेस्टमेंट की बात सोचते हैं और उससे आप यह नतीजा निकालते हैं कि 7 प्रतिशत की वृद्धि हो जायेगी और हम अन्य राज्यों के मुकाबले आ जायेंगे यह आपको केवल भ्रम है। क्योंकि आपकी दिशायें उस तरह की नहीं है।

सभापति महोदय, यह पाँचवी पंचवर्षीय योजना का पहला साल है और आपने शुरूआत इस तरह से की है वह बहुत उत्साहवर्द्धक नहीं है। यह स्थिति कोई आकार बड़ा है उसके कारण से नहीं है क्योंकि सभापति महोदय, आकार बड़ा होने के बावजूद भी जो सामाजिक सेवायें हैं, जो हमारी विकास संबंधी सेवायें हैं उनका कोई परसेन्टेज नहीं बढ़ रहा है। आप देखेंगे, सभापति महोदय कि हमारा बजट बढ़ता जा रहा है लेकिन विकास वयय में घटोतरी होती जा रही है क्योंकि आपने दूसरी चीजों को नजर में नहीं रखा है। मैं अब की साल का विकास व्यय जो कि कुल व्यय 1973-74 में 60.14 परसेन्ट था अब जाकर जो आपने 1974-75 में रखा है वह 65.02 परसेन्ट है। इसका मतलब यह है कि हमारा आकार बढ़ने के बाद भी जो विकास व्यय है वह इसके अनुरूप नहीं बढ़ पाया है, उल्टे उसका आकार कम हो गया है। इसी तरह से सामाजिक सेवायें हैं क्योंकि हम यह दो चीजों से ही अन्दाज लगा सकते हैं एक तो विकास सेवाओं की दर और दूसरे सामाजिक सेवाओं की दर से कि हम अर्थ व्यवस्था के मामले में किस दिशा में जा रहे हैं 1973-74 में 50.93 परसेन्ट हमारी सामाजिक सेवाओं में व्यय हुआ और अब 1974-75 में 40.45 परसेन्ट व्यय होगा। इसका सभापति महोदय, सीधा सा मतलब यह हुआ कि हम विकास की दर से जो अनुमान लगा रहे हैं उससे आगे नहीं जा सकते क्योंकि हमारी विकास की सेवायें और सामाजिक सेवाओं का परसेन्टेज नहीं बढ़ने वाला है।

माननीय सभापतिजी, इसके साथ ही साथ मुझे एक निवेदन और करना है कि आपको योजनाओं में सफलता क्यों नहीं मिल पाई। इसके लिए यह बजट में छोटे-मोटे आंकड़ों का झंझट नहीं है। आपको मौलिक रूप से नयी बातें सोचनी पड़ेगी और साथ ही पुराने हालातों को भी नजर में रखना पड़ेगा किसके कारणों से कि विफलताएं मिली हैं। सभापति महोदय, जहां तक जनता के सहयोग का सवाल है उसका सहयोग आपको भरपूर मिला है। निर्वाचन के मार्फत नहीं क्योंकि वह तो दीख ही रहा है कि आप आगे बढ़ गये और हम कोने में सिकुड़ गये और हो सकता है अबकी बार और सिकुड़ कर उधर चले जायें मैं मानता हूं, लेकिन आप दूसरी चीज नहीं देख रहे हैं कि जैसे-जैसे आपका आकार बढ़ रहा है वैसे-वैसे आपके दिमाग सिकुड़ रहे हैं—अभिमान के कारण, दम्भ के कारण। आप समझ रहे हैं कि जो कुछ हम सोचते हैं वह सही सोचते हैं और उसका नतीजा यह हुआ, सभापति महोदय, कि जैसे-जैसे आपका आकार बढ़ रहा है वैसे-वैसे दिमाग सिकुड़ रहा है और दिमाग की सिकुड़न का अन्दाजा इससे लगाया जायेगा कि हमने दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो टैक्सों की स्थिति तय की थी उससे

(श्री रामकिशन)

ज्यादा टैक्स जनता ने दिया। दूसरी पंचवर्षीय योजना में आपने अनुमान लगाया था कि 11 करोड़ रुपये के एडीशनल रिसोर्सेस चाहिए और आपको 13 करोड़ 50 लाख के रिसोर्सेस मिल गए। फिर तीसरी पंचवर्षीय योजना में आपने 32 करोड़ के रिसोर्सेस का तय किया था और उसकी जगह आपको 32 करोड़ 18 लाख के मिल गए। तीसरे एनुअल प्लान में आपने 10 करोड़ 38 लाख के रिसोर्सेस की कोशिश की और 10 करोड़ 38 लाख के ही मिल गए लेकिन जब आप ज्यादा तादाद में जीत गए और आपकी स्थिति मजबूत हो गयी तो स्थिति यह बनती है कि आपने चौथी पंचवर्षीय योजना में 50 करोड़ के रिसोर्सेस की कोशिश की योजना व्यय के लिए और उसके बजाय आपको मिले हैं केवल 38 करोड़ 44 लाख के। इसका कारण क्या है? यह तो साफ बात है कि एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो आपके रिसोर्सेस बढ़ जाने चाहिए लेकिन चौथी पंचवर्षीय योजना में जो आपने लक्ष्य रखे वह पूरे नहीं हुए। इसका कारण यह है कि आपके दिमाग में सिक्योरिटी बढ़ गयी और आपका जो सम्पन्न वर्ग है, आप समझ गये कि हम निर्वाचित होकर आ गये इसलिए चिन्ता करने की जरूरत नहीं है। इसके अन्दर अकाल कुछ कारण हो सकते हैं लेकिन राजस्थान में कोई साल ऐसा नहीं रहा है कि जब यह कारण नहीं रहे हों। तो मैं वित्त मंत्रीजी इन सारे आंकड़ों के बढ़ने पर इतनी बात कहना चाहूंगा कि आप सम्पन्न वर्ग से दोस्ती बढ़ा रहे हो। वह मोह छोड़ दो और अगर आपने मोह नहीं छोड़ा तो आप को विकास की दर नहीं मिल पायेगी। आपके टैक्स नहीं लगाने का मैं स्वागत नहीं कर सकता। टैक्स लगाना समाजवादी व्यवस्था में समता लाने का एक तरीका है इसलिए आपने जो पहली पंचवर्षीय योजना में दिशा ग्रहण की है कि बड़े लोगों पर टैक्स खत्म, कम्पनियों पर और दूसरों पर टैक्सों की कमी की है मैं समझता हूं कि राजस्थान में उसका रिफ्लेक्शन है और जिस दिशा में हमें जाना चाहिए उस दिशा में नहीं जा पा रहे हैं। इसलिए मैं बजट का स्वागत करने की स्थिति में नहीं हूं। जिन लोगों के ऊपर टैक्स लगाना चाहिए था उनके ऊपर नहीं लगाया और जिनके ऊपर नहीं लगाना था उनके ऊपर बांगला देश का कर चालू रखा है इस दशा का प्रभाव होने वाला नहीं है लेकिन आपके सोचने की दिशा गलत है और गैर समाजवादी है।

सभापति महोदय, अब दूसरा सवाल यह आता है कि हमारी योजना का जो स्वरूप है और आपने जिस तरह के लक्ष्य निर्धारित किये हैं उन सब से कुछ स्थिति की जानकारी ला पायेगी। सभापति महोदय, कर्जे का आपने हिसाब नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? जान बूझकर नहीं दिया या भूल से नहीं दिया या आप अपनी हैसियत को छिपाना चाहते हैं? कर्जा आपका कितना है 8 अरब है या 10 अरब है यह? यह आप जानें। लेकिन जो लेटेस्ट पोजीशन बताई। आपने 70.4 करोड़ का कर्जा केन्द्रीय सरकार का बताया है और दूसरा 94 करोड़ का

(श्री रामकिशन)

कर्ज जो फाइनेन्शियल एजेन्सीज हैं या जनता है उस तरह का कर्ज लिया है। लेकिन यह कर्जा लिया किस लिए? ...आप असल में इस बात को देखें। अगर कर्ज से आप उत्पादन बढ़ाते तो योजनाओं का नतीजा कुछ दूसरा ही होता। आपने कर्जों में दो बड़े कर्ज लिए। एक कर्जा तो खास तौर से बजट का घाटा पूरा करने के लिए इस साल करीब दो अरब, 13 करोड़ और 66 लाख का कर्जा बजट का घाटा पूरा करने के लिए लिया, 2 13,66,00,000। पच्चहत्तर करोड़ का कर्जा आपने अकाल राहत कार्यों के लिए लिया। इस तरह से दो बड़े कर्जे लिए। अब हमें विचार करना पड़ेगा कि किस के लिए हमें कर्जा नहीं मिल पाया है आज जो राज्य की आर्थिक स्थिति है वह अन्य राज्यों से बहुत ही पिछड़ी हुई है और यह स्थिति और भी पिछड़ती हुई चली जायगी। इसके लिए आप क्या रास्ता अख्तियार करना चाहते हैं इसका न तो आपके बजट में कोई आभास मिलता है और न पांचवीं पंचसाला योजना के प्रारूप में कोई आभास मिलता है। मैं चाहूंगा कि राज्य सरकार इस पोइन्ट पर गम्भीरता से अध्ययन करें। मैं तो अर्थशास्त्री हूं नहीं और न ही योजना के मामले में एक्सपर्ट हूं। मैं तो एक साधारण आदमी की बुद्धि होती है उसके आधार पर मैं कहना चाहूंगा कि हमने अगर इस पर चिंतन नहीं किया तो आज राजस्थान की जो हालत है वह हालत उसी रूप में नहीं रहने वाली है बल्कि उसके भयंकर परिणाम आने वाले हैं।

सभापति महोदय, इस सम्बन्ध में मुझे एक बात और निवेदन करना है। हमारा किसी भी समाजवादी सरकार का जो आचरण होना चाहिए उसके सम्बन्ध में माननीय स्वतन्त्र पार्टी के नेता महोदय ने योजनाओं की छुट्टी की बात कही थी। मैं समझ नहीं पाता कि उन्हें योजनाओं से इतनी नाराजगी क्यों है। योजना आखिर है क्या? योजना का मतलब है समयबद्ध विकास का कार्यक्रम। हर राष्ट्र, हर देश, हर राज्य इस काम को करता आया है। जब राजाओं का राज था उस समय भी भले ही उनके रिसोर्सेज कुछ भी रहे हों लेकिन साल में में दो स्कूल खोलने हैं, दो ग्रामों में बिजली पहुँचानी है, दो मील तक सड़क बनानी है, भले ही वह महल तक हो या कन्दरा तक हो, उसकी भी योजना होती थी। अब यहां बार-बार यह बात रखें कि योजनाओं की छुट्टी, तो कहूंगा कि योजनाओं की छुट्टी नहीं बल्कि राजस्थान जैसे पिछड़े राज्य के लिए और हिन्दुस्तान जैसे पिछड़े देश के लिये योजना का आकार बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन आकार बढ़ने के साथ ही साथ जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और भ्रष्टाचार के मामले में कांग्रेस पक्ष के लोग एक बात तो कह जाते हैं और एक बात को छुपा जाते हैं लेकिन यह निर्विवाद रूप से सत्य है कि इन योजनाओं के माध्यम से जितना भ्रष्टाचार और गैर जिम्मेदारी की भावना इस मुल्क में पैदा हुई है; उस भावना को जब तक आप दूर नहीं करते तब तक हमें इन सारी विकास योजनाओं से बढ़िया नतीजा मिलने वाला नहीं है। इसके लिए सरकार को प्रयत्न करना चाहिए।

सभापति महोदय, हम एक

(श्री रामकिशन)

बात और देखते हैं। आज कुछ पूंजी लगी हुई है राजस्थान की कुछ संस्थाओं में निगमों में, कोर्पोरेशन्स और कम्पनियों में। इनमें जितनी पूंजी लगी हुई है उसके मुकाबले में इसका डिविडेन्ड कितना मिलता है, इस दृष्टि से इस पर नजर डालने की जरूरत है - और निगमों के, कोर्पोरेशन के जो अफसर हैं, मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कहना चाहता; लेकिन उनकी जिन्दगी आज जहांगीर की जिन्दगी से भी ज्यादा विलासितापूर्ण हो गई है। जहांगीर पर तो फिर भी कुछ जिम्मेदारियां थीं, उसको सुबह नूरजहां से मिलना पड़ता था और शाम को जनता को दर्शन देने पड़ते थे, लेकिन आपके निगमों के जो अफसर हैं उनका जिस तरह का रहन-सहन आपने बना दिया है उससे आपको भी जलन होने लगेगी। मंत्रियों का तो नाम लेते हैं, मंत्रियों की आलोचना करते हैं लेकिन आपकी हैसियत मंत्रियों के चपरासी से भी अधिक नहीं है उसके मुकाबले में। मैं यह नहीं कहता कि आप उनके पद की गरिमा को गिरायें लेकिन जिस तरीके से हालात बना दिए गए हैं, जिस तरह की जिन्दगी वे बसर करते हैं और जिस तरह से खर्चा करते हैं, जनता के पैसे का जिस तरह से दुरुपयोग करते हैं; उस पर आपको नियंत्रण करना पड़ेगा। क्या आपका उन पर कोई अंकुश है? अगर अंकुश नहीं है तो मैं केवल एक छोटी सी जानकारी आपको देना चाहूंगा। हमारी जितनी भी संस्थायें हैं, चाहे राजस्थान स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कोरपोरेशन हो, चाहे राजस्थान स्टेट इण्टस्ट्रियल मिनरल डवलपमेन्ट कोर्पोरेशन हो, चाहे राजस्थान स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज कोर्पोरेशन हो, चाहे राजस्थान स्टेट साम्भर साल्ट लिमिटेड हो, चाहे बीकानेर जिप्सम लिमिटेड हो, जितनी भी कम्पनियां और कोर्पोरेशन है उनमें कुछ रकम लगी हुई है वह 8,87,68,000 है। इससे हमें डिविडेन्ड कितना मिलता है और खर्चा कितना होता है, इस पर आप नजर डालिए। जो डिविडेन्ड मिलता है वह कितना है, वह था केवल 20 लाख 28 हजार 72-73 में, और 21 लाख 71 हजार था 73-74 में और अब आपने रखा है 74-75 में 26 लाख 37 हजार। आप सोचिए, जब इतना इन्वेस्टमेंट अगर कोई प्राइवेट उद्योग करता तो वह कितना मुनाफा लेता। मैं यहां पर अधिक मुनाफा कमाने वाली बात नहीं करना चाहता हूं लेकिन मैं यह मानता हूं कि उसके उत्पादन के बढ़ाने के मामले में ही मैं हिमायती नहीं हूं बल्कि जो वहां पर प्रगतिशीलता के नाम पर खर्चे हैं, जो रहन-सहन का तरीका है, उनको आप अगर देख सकें और उन पर समुचित अंकुश लगा सकें तो इसका डिविडेंड बढ़ सकता है। आप इसमें हिस्सा बढ़ा सकते हैं। राजस्थान स्टेट को इससे फायदा मिल सकता है। इतना कम डिविडेंड इस समय मिल रहा है कि मैं यह मानता हूं कि आपको इस पर कोई नजर नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आपके मंत्रिमण्डल के प्रत्येक मंत्री की इस पर जिम्मेदारी होनी चाहिए और विशेष रूप में आज जो हिन्दुस्तान की स्थिति है और देश में जो हालात चल रहे हैं, आज गुजरात का विद्रोह इसका प्रतीक है कि अब लोग ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आपके मंत्रिमण्डल के प्रत्येक सदस्य की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वह अपने विभाग पर कड़ी नजर रखे,

(श्री रामकिशन)

किसी द्वेष के कारण नहीं बल्कि समाज के निर्माण के लिये और देश को तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है। आज जिस तरह से पूंजी नियोजन करते जा रहे हैं और इतनी विषम आर्थिक स्थिति के बाद भी जिस तरह से आप इन कोर्पोरेशन्स पर खर्च करने के बाद भी जो इनका रिटर्न नहीं आ रहा है, इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि आज जैसे हमारा सारा अर्थ-तंत्र एक जगह पर खड़ा हो गया है, वह वास्तव में खड़ा नहीं हो गया है बल्कि लड़खड़ा कर गिरने की स्थिति में आ गया है। जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया था कोरिया का। दक्षिण कोरिया की भांति ही आज हिन्दुस्तान की स्थिति हो चुकी है। तो सभापति महोदय, इस सम्बन्ध में मैं सरकार से चाहूंगा कि हमारे जो निगम हैं, जो कम्पनियां और कार्पोरेशन हैं इन सब पर जब तक ध्यान नहीं देंगे तब तक हमारी स्थिति में सुधार होने वाला नहीं है।

एक बात और कहना चाहूंगा सभापति महोदय, और वह यह कहना चाहूंगा कि हमारा जो राजस्थान है, इसके पिछड़ेपन के पीछे जो भी कारण रहे हों उन्हें कह-कह कर आप लोगों को मुगालते में डालने की कोशिश नहीं करें। आपने योजनाओं का लक्ष्य रखा और वह पूरा नहीं किया, क्यों पूरा नहीं हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, यह हमें सोचना पड़ेगा।

आपने चौथी पंचवर्षीय योजना में अनाज के उत्पादन का लक्ष्य रखा। सभापति महोदय, चौथी पंचवर्षीय योजना के आखिर में अनाज के उत्पादन का लक्ष्य था आपका 7 लाख 96 हजार टन का। आज आपने अनाज के उत्पादन का लक्ष्य रखा है 71 लाख टन का। इसका मतलब है कि योजना के लिए जो आपको जनता से धन लेना था वह आपने ले लिया लेकिन आपके लक्ष्य पूरे नहीं हुए। जो सिंचाई के लक्ष्य थे वे लक्ष्य आपके पूरे नहीं हुए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपके अनाज के लक्ष्य पूरे नहीं हुए, आपके सिंचाई के लक्ष्य पूरे नहीं हुए तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है। इस सारी स्थिति को आप देखिए, सभापति महोदय, हम सिंचाई के सम्बन्ध में किस तरह से पीछे रह गए हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना के आखिर में जाकर 28 लाख 93 हजार हैक्टर जमीन पर सिंचाई का प्रबन्ध हो जायगा इसका हमने लक्ष्य रखा था लेकिन हमें जो लक्ष्य प्राप्त हुआ है वह कितना है? मैं नहीं कह सकता कि यह कितना सही है और कितना गलत है लेकिन यह सही है कि हम काफी पीछे रह गए हैं और आपकी स्थिति का अन्दाज लगाइये तो आपके यहां 25 लाख 67 हजार हैक्टर भूमि के अन्दर ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जायगी। इसी प्रकार सभापति महोदय, हम शिक्षा के मामले में भी पीछे हैं, हम सड़कों के मामले में भी पीछे हैं। आपने सड़कों के लिए प्रावधान किया कि इतनी पुरानी सड़कों को सुधारा जाएगा और नई सड़कों का निर्माण किया जायगा। जब भी सड़कों का सवाल आता है या दूसरी बातों का सवाल आता है हमारे शासनरूढ़ दल के सदस्य बोलते हैं कि हमारे यहां राजस्थान में इतनी सड़कें बन गई, इतनी बिजली हो गई और इतना यह हो गया। लेकिन मैं कहता हूं कि यह हमको पता है कि पहले क्या था और अब क्या हो गया है, हमें पता है कि पहले कितनी

(श्री रामकिशन)

सड़कें थी, कितनी बिजली थी और अब कितनी है। लेकिन जब आप मुकाबला करना चाहते हैं तो पिछली स्थिति से मुकाबला नहीं करके बगल में जो पड़ोसी होता है उससे मुकाबला किया जाता है। हम देखें कि जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं उनके मुकाबले में हम क्या हैं और हमने कितना प्राप्त किया है। चाहें सिंचाई का मामला हो, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, आप देख लें हम सारे मामलों में दूसरे राज्यों से पीछे हैं। इसलिए आपको योजनाएं बनाते समय इस दशा की ओर खास तौर से नजर रखनी पड़ेगी।

सभापति महोदय, सिंचाई के सम्बन्ध में हमारी स्थिति यह है कि आपने लक्ष्य रखा था कि 28 लाख 93 हजार हैक्टर में सिंचाई का साधन हो जाएगा लेकिन 25 लाख 67 हजार हैक्टर भूमि पर ही सिंचाई का प्रबन्ध हो पायेगा इस योजना के अन्त तक। इसी तरह से सड़कों के मामले को आप लें। सड़कों की स्थिति यह है कि सारे देश में सौ वर्ग किलोमीटर के मुकाबले जहां दूसरे राज्यों में दस किलोमीटर पर सड़क होगी वहां हम पांच किलोमीटर ही बना सकेंगे राजस्थान में। बिजली के सम्बन्ध में हमारी स्थिति यह है कि सारे भारत में एक व्यक्ति पर जो औसतन बिजली की खपत है वह करीब दो साल से 76 किलोवाट पहुँच गई है जब कि अपने राजस्थान से वह 60 किलोवाट तक ही पहुँच पायगी। इसी तरह से हम शिक्षा के मामले में देखें तो जम्मु-कश्मीर से भी पीछे हमारा नम्बर है। तो हम सब राज्यों के मुकाबले अपने को देखते हैं तो हमें ऐसा मालूम पड़ता है कि हमारी सारी स्थितियां अन्य राज्यों से पीछे है और इसके पिछड़ेपन का कारण यह रहा है कि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति कमजोर रही है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : आपने और सब आंकड़े तो बताए लेकिन भ्रष्टाचार के आंकड़े तो नहीं बताए।

श्री रामकिशन : वे आंकड़े आपके लिए छोड दिए हैं क्योंकि मुझे इसकी विशेष जानकारी नहीं है।

इसलिए मैं यह कहना चाहता था सभापति महोदय, कि हमारे पिछड़ेपन का कारण प्रकृति रही है। यह हमारी प्रकृति हमारे पिछड़ेपन का कारण रही है लेकिन कल जैसा मैंने निवेदन किया था कि प्रकृति ने हमारी मदद भी की है और इस रूप में कि हमारे पास जमीन ज्यादा है और आदमी कम हैं। दोनों का ही हमारी फसल से ताल्लुक है। आप सारे देश के पेटर्न को देखें, एक एकड़ पंजाब में जितना उत्पादन होता है। तमाम जगह कृषि का जितना उत्पादन होता है उसके मुकाबले में राजस्थान में उत्पादन बहुत ही कम होता है। जो वैज्ञानिक तरीके से खेती की जानी चाहिये उसका तो केवल यहां पर प्रचार मात्र ही हुआ है। करोड़ों काश्तकारों तक यह तकनीकी नहीं पहुँच पाये हैं। इसमें सुधार के लिये यह तरीके अपनाने होंगे। उन तरीकों का अभी मैं जिक्र नहीं करूंगा। बाद में कृषि विभाग की मांगों पर विचार होगा, विस्तार से इन पर चर्चा करूंगा। दूसरे राज्यों के मुकाबले पैदावार को लें तो यह समस्या हमारे सामने है।

सभापति महोदय, एक निवेदन करना चाहूंगा, राजाखेड़ा से आने वाले माननीय

(श्री रामकिशन)

सदस्य ने कुछ शिकायतें कीं। वे शिकायतें मुख्य रूप से थीं पूर्वी राजस्थान के अविकास की, उसकी अपेक्षा की। परन्तु उन्होंने ये शिकायतें क्यों कर की, राजस्थान का मुख्य मंत्री तो उन्होंने चुना है, फिर भी ये शिकायतें? पता नहीं यह समाचार कहां तक सत्य है; मुख्य मंत्री ने चुनाव के बाद उदयपुर में यह धन्यवाद ज्ञापन किया कि मैं तो आपके बलबूते पर ही चुन कर आया हूं। पता नहीं यह अखबार में गलत छपा हो यह उदयपुर वाले जाने और वोट देने वाले जाने। परन्तु जिसे जनता ने सहयोग देकर चुना है तो उसे धौलपुर ही क्या सारे राजस्थान के विकास की बात को सोचना चाहिये। गोटेवाला जी साहब आप समझते हैं कि आप में हिम्मत है। जयपुर को पानी पूरा नहीं मिल रहा है, अनाज का कोटा पूरा नहीं मिल रहा है, ये शिकायतें तो आप बड़ी हिम्मत के साथ यहां पर कर सकते है। हाईकोर्ट की बैन्च जयपुर में हो यह मांग भी आप हिम्मत के साथ करते हैं परन्तु जब ये चीजें पूरी नहीं होंगी तो इसको मनवाने के लिए आपका आचरण क्या होगा? क्या आप जोर से आवाज उठा सकेंगे? आप चुप हो जायेंगे? मौका आने पर क्योंकि आप जानते हैं कि अगले साल आपको टिकिट नहीं मिलेगा। राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो भावनाएं व्यक्त की है, उनका कोई यहां पर क्षेत्रीय अर्थ न लें। राजस्थान का समग्र विकास हो यह उनकी मंशा है। वित्तीय परिस्थितियां राजस्थान की जितनी हैं उनके साथ-साथ अपने क्षेत्र का विकास हो सके तो ठीक है। राजस्थान नहर में बजट में सिचाई विभाग का पूरा बजट चला जाता है। इसका अर्थ यह है कि राजस्थान नहर का निर्माण रोक दिया जाए। परन्तु नेतृत्व इतना सक्षम होना चाहिए कि इस परियोजना को वह राष्ट्रीय योजना घोषित करवा दे। केन्द्रीय योजनाओं में अब तक 80 अरब रुपया लग चुका है और आपके यहां पर कुल एक अरब रुपया। जबकि लगाना चाहिये तीन अरब 77 करोड़ रुपया। परन्तु इन सारे वर्षों में एक अरब रुपया ही केन्द्रीय योजनाओं में लगा है क्योंकि यहां की लीडरशिप कमजोर है। आपकी नैतिक, भौतिक शक्ति नहीं है जो कि केन्द्रीय सरकार पर प्रभाव डाल सके। राज्य सरकार के साथ इसी प्रकार का व्यवहार वित्तीय संस्थाओं ने भी किया है। सभापति महोदय, इस सम्बन्ध में मैं जानकारी देना चाहूंगा। जैसे व्यापारिक बैंक है इन्होंने इन पिछले सालों में हमारे विकास में क्या रुचि ली है। चूंकि केन्द्र रुचि नहीं ले रहा है राजस्थान में, इसलिये बैंक भी रुचि नहीं ले रहे है। पिछले साल व्यापारिक बैंकों ने कर्जा दिया है महाराष्ट्र में 30 परसेन्ट दिया है, होटल बिजनेस और ट्रेड में जो इन्वेस्टमेन्ट हो रहा है बंगाल में यह 19 परसेन्ट है, तमिलनाडु में यह 11 परसेन्ट है राजस्थान में यह परसेन्ट है। यह है आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि। केन्द्रीय सरकार उपेक्षा करेगी तो व्यापारिक बैंक भी उपेक्षा करेंगे क्योंकि वे जानते है कि वे नेगलेक्टेड लोग हैं। इनमें शक्ति-क्षमता नहीं है। जो पूंजी का नियोजन किया जाना चाहिये वह नहीं किया गया है। यह स्थिति है। व्यापारिक बैंकों का सारे देश में प्रति व्यक्ति का जो औसत आय है वह 69.04 प्रतिशत है और राजस्थान में यह प्रतिशत है 18.02। क्या इस प्रकार

(श्री रामकिशन)

राजस्थान की उपेक्षा नहीं हुई है ? चाहे विश्व बैंक हो, केन्द्रीय योजनाएं हों, वित्तीय संस्थाएं हों, जो आपकी मदद के लिये, विकास के लिए कारगर सिद्ध हो सकती थीं, उनका सहयोग आप नहीं ले पाये हैं। मैं यहां पर पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि इसका मुख्य कारण यह है कि यहां की लीडरशिप कमजोर है, छोटे लोग हैं, राजनीतिक स्तर पर यहां की लीडरशिप डरपोक हैं उनमें साहस नहीं है कि वह केन्द्रीय सरकार के सामने जाकर सीना खोल कर कह सकें कि या तो आप यह करो वरना हम कुर्सी छोड़ते हैं। दुर्भाग्य से राजस्थान के नेताओं में कुर्सी का मोह इतना ज्यादा है, मैं समझता हूं, कि इतना ज्यादा मोह तो राजा जनक को भी नहीं था, उन्हें भी एक बार वैराग्य हो आया था, परन्तु ये नेता वीतरागी नहीं बनेंगे। आपको कुर्सी का इतना मोह है कि चाहे काले झण्डे दिखा दिये जायें, चाहे कितने ही जुलूस आ जायें, चाहे राजस्थान की जनता भूखी मर जाये, राजस्थान बंद हो जाये राजस्थान में सत्याग्रह हो जावे परन्तु यह सरकार कुर्सी नहीं छोड़ेगी और सरकार चलाने के लिए जो जिम्मेदारी है आपकी वह भी आप नहीं निभाते हैं। आप गद्दी छोड़ देंगे तो हम ले लेंगे यह क्षमता भी हमारे में नहीं है। आप में इतनी क्षमता होनी चाहिये कि केन्द्रीय नेतृत्व पर आप दबाव डाल सकें। हम विकास के मामले में पीछे हैं। छठे वित्त आयोग को आपने धन्यवाद दिया है। अबकी बार राजस्थान की बात को सहानुभूति के साथ सुना गया है, यह सही है लेकिन अन्य राज्यों से मुकाबला करेंगे तो हम देखेंगे कि हम पीछे हैं। योजना और बजट के सम्बन्ध में इतना ही कहना चाहूंगा। इन सब बातों की ओर ध्यान नहीं देंगे तो हमारी स्थिति में सुधार होने की कोई गुन्जाइश नहीं है।

अब राजस्थान में जो खनिज सम्पदा है उसकी स्थिति क्या है, इसको भी देख लीजिये। जुझारसिंहजी ने यह मंत्रालय संभाला है। चार पांच साल तक वे विरोधी पक्ष में बैठे हैं इसलिए मैं सोचता था कि उनकी बुद्धि तीव्र होनी चाहिए क्योंकि अच्छी संगति का असर अच्छा ही होता है और बुरी संगति का असर उन पर नहीं पड़ना चाहिये। परन्तु यह कांग्रेस तो एक ऐसी सांभर लेक है कि उसमें चीनी की बोरी भी डाल दो तो वह चीनी भी नमक हो जाती है....

श्री श्रीराम गोटेवाला : संगति का परिणाम क्या रहा ?

श्री रामकिशन : बतला रहा हूं।

एक सवाल करना चाहता हूं। खनिज सम्पदा बहुत ज्यादा है और राजस्थान के विकास का जो सम्बन्ध है वह इसके खनन पर निर्भर करता है और हम सभी इसको दोहराते हैं कि खनिज सम्पदा के विकास के लिए कोशिश करनी चाहिये और खनिजों का सम्बन्ध राजस्थान के निर्माण और पुर्ननिर्माण से है। परन्तु आज जो हमारी राष्ट्रीय आय है उसको देख लीजिये उसमें खनिज सम्पदा से कितने प्रतिशत आय हो रही है जो पहले थी वही आय आज है। याने वहां के वहां ही है कोई सुधार नहीं हुआ है। स्टेट इन्कम में जो शेयर होना चाहिये वह वैसा का वैसा ही बना हुआ है। यह भी आप को बतलाना चाहता हूं।

(श्री रामकिशन)

60-61 में राजकीय आमदनी में इसका हिस्सा 0.84 प्रतिशत मिला। अब उसके बाद आज भी वही स्थिति है। 1974 में इसका शेयर 85 प्रतिशत है। इसका मतलब करीब-करीब वही का वही है। आपने क्या कोशिश की है। आपकी कोशिश नहीं चल सकती है। इसके गोरख धन्धे का जिक्र और किसी दिन करूंगा। नीम के थाने की खानों का जिक्र करता हूं। नीम के थाने में खानों के नाम से ऐसी लूट हुई है कि आप गोयनका को भूल जाएंगे, शान्तिप्रसाद साहू का जिक्र करना भूल जाएंगे, उनके जिक्र करने की जरूरत नहीं होगी। वहां खनिज विभाग को इस तरह से जोड़ा गया है कि एक-दो परिवारों का पालन-पोषण किया गया है। इस घेरे को आप तोड़ नहीं सकते हैं और आपने तोड़ने की कोशिश की तो आपको जुझारसिंह जी वापिस यहां पर बैठनाँ पड़ेगा, सरकार से निकाल दिये जाओगे। इसमें कुछ लोगों का हिस्सा है, लाभ है। कुछ तो आज सरकार के मालिक है और कुछ हिस्सा भूतपूर्व सरकार के मालिक थे उन लोगों का है। वे कम प्रभावशाली नही है और उनको, मैं समझता हूं बराबर परसेन्टेज बना रहेगा, इसको समझने की जरूरत नहीं है और मेरे ज्यादा कहने की स्थिति भी नहीं है। जो घपला है उसकी जानकारी कर लें और सन्तोष कर लें कि नीम के थाने की खानों की मार्फत किस किस परिवार की पिछले दस सालों से 50 लाख से अधिक का फायदा कर दिया है गलत ढंग से। सही ढंग से हो तो कोई बात नहीं। एक बार मंत्री महोदय आपने भरतपुर में छोटी-छोटी चोरियां पकड़ीं। हम आपकी प्रशंसा करते हैं कि आपने इसको पकड़ा। चोरों से तो डकैतों पर हाथ डालो। आप तो राजपूत हो, आप मे हिम्मत है परन्तु मैं जानता हूं डकैतों पर हाथ डालना आपके लिए कठिन है।

श्री जुझारसिंह : आपके पास प्रमाण हो तो बता दीजिये।

श्री रामकिशन : बहुत प्रमाण है। पहले पुराने प्रमाण ही दूंगा।

श्री दीपंकर : आप व्यक्तिगत और झूठे आरोप लगा रहे हैं। यह आपकी आदत हो गयी है। क्यों सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं ?

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

श्री रामकिशन : मैंने अभी कोई नाम नहीं लिया है।

श्री दीपंकर : आप जो आरोप लगाते हैं उसका क्या प्रमाण है आपके पास में ?

श्री रामकिशन: आपको निवेदन कर दूंगा वित्त मंत्री महोदय ने अपने भाषण में अति-वृष्टि और बाढ़ का जिक्र किया है....

श्री दीपंकर : आप नाम बता दें

श्री रामकिशन : कहने से डर लग रहा है।

अतिवृष्टि का जिक्र किया गया है। इस संबंध में क्षेत्रीय दृष्टि से चर्चा नहीं करूंगा। भरतपुर के लिये आपने फैसला कर लिया है कि इसका किसी प्रकार से कल्याण न हो। नये इन्वेस्टमेन्ट क्या हुए हैं इनके मामले में पहले कई बार बता चुका हूं।

(श्री रामकिशन)

लेकिन भरतपुर की बाढ़ का इन्तजाम नहीं हो रहा है। ताज्जुब हो रहा है, इतनी छोटी सी बात है। मुझे मालूम है, एक इन्जीनियर ने काम किया है। उसको आप कोई प्रशंसा-पत्र देने वाले नहीं हैं। आप का रुपया किस तरह से बरबाद होता है। राज्य सरकार ने 1500 करोड़ रुपया खर्च किया है बांध बनवाने में। अगर वह बांध अपनी पूरी कैपिसिटी में भर जाते तो टूट जाते। सभापति महोदय, मैं आपको कारण बताना चाहता हूं। बाढ़ नियन्त्रण के लिए टेण्डर लिये गये। उसके ऊपर मिट्टी डाली जायगी। जब मिट्टी कूट कर जमा दी जायगी तो उसके बाद में नापी जायगी। 60% के ऊपर टेण्डर दिया गया। क्योंकि मिट्टी कूटने की बात थी। लेकिन हुआ क्या जो खोदी गई वह नाप कर दी गई। इस प्रकार से 25 लाख रुपये का गलत पेमेन्ट कर दिया गया। कूटने के नाम से 25 लाख रुपया दिया गया था। जो पैसा बाढ़ नियन्त्रण में लगना चाहिए था, वह ठेकेदारों की जेब में चला गया। डेन्सिटी मिट्टी की जो होती है, वह 1.4 है। जब कि 1.8 पर टेण्डर लिया गया। वह 25 लाख रुपया तो मिट्टी के नाप में चला गया। कहा यह गया था कि बन्द के 100 फीट दूर से मिट्टी लाई जायेगी। आप देखेंगे तो खुद इस रास्ते पर पहुँच जायेंगे। विभाग भ्रष्टाचार किस प्रकार से करते हैं। ठेकेदारों ने टेण्डर ज्यादा दिया मिट्टी दूर से लानी थी। जब टेण्डर ले लिया गया तो यह सब हटा दिया गया, 20 फीट से मिट्टी लेने की बात हो गई। इस प्रकार से होता है। पहले ठेकेदार नियुक्त हो जाता है। सरकारी मशीन दी जाती है। एक सेवला एपलेक्स बन्द है, उसके लिए 15 हजार की सरकारी मशीन के दिये जाते हैं। 65 हजार का पेमेन्ट उनको किया जाता है। आप 50 हजार उसमें से बचा सकते थे। एक चिकसाना नाम की नहर है। इनको उसका नाम इसलिए मालूम है क्योंकि अभी चुनाव के दिनों में वहां के डाक बंगले में भोजन सबने किये हैं। यहां के मन्त्रियों ने भोजन किये हैं। मस्टर रोल से काम करा लिया जाता है। ठेकेदार को 35 हजार दे दिये जाते हैं। ओवरसीयर से पेमेण्ट करा दिया जाता है। उसके बाद ओवरसीयर को सस्पेण्ड करके बहाल कर दिया जाता है। पूंजी उसकी लग रही है लेकिन पूंजी का लाभ समाज के गरीब तबकों को नहीं पहुँच रहा है। सभापति महोदय, न तो इससे किसी गरीब तबके का समाधान मिलता है। आज कहीं कोई निराकरण नहीं है। माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने घोषणा की, 10 लाख रु० दिये लेकिन हिन्दुस्तान में जनता को अकाल है। आज हमारी भावना के बारे में हम देखलें। रहेंगे महलों में चर्चा समाजवाद की करेंगे। आवरण सामन्तवादी होंगे।

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** : 10 लाख रुपया दिया गया है।

श्री **रामकिशन** : आपने घोषणा की कि 100 मिडिल स्कूल खोले गये। बाद में खेतसिंहजी को ध्यान आया। आज आप को ध्यान नहीं है कि कितने लोग बेरोजगार हैं। आज से 3 साल पहले केन्द्रीय सरकार ने सरकूलर निकाल दिया है कि आंकड़े रखना बन्द करो। लेकिन जो अखिल भारतीय सेम्पल सर्वे हुआ है,

(श्री रामकिशन)

10.40 लाख व्यक्ति बेरोजगार आंके गये हैं। इसका मतलब यह है कि राजस्थान में 40 लाख से कम व्यक्ति बेरोजगार नहीं हैं। जो आधे बेरोजगार हैं, उनसे सड़क पर मिट्टी डलवायेंगे। जो पढ़ा-लिखा तबका है, वह क्या करेगा? उसके लिए राज्य सरकार चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। सबसे पहले टैक्निकल नोलेज के लिए सोचें। राजस्थान साक्षरता के मामले में सबसे पीछे है। मैं सुझाव देता हूं कि आप 100 रुपया महीने में एक फौज भरती करें। उनका काम यह हो कि राजस्थान में 7 साल में सभी को साक्षर कर देंगे। राजस्थान को वह साक्षर बना देंगे। यह उनके लिए निश्चित कर दें। जो लोग इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे उनको राज्य सेवा में ले लिया जायेगा। जो लक्ष्य भी प्राप्त नहीं करेंगे उनको राज्य सेवा में नहीं लिया जावेगा। चीन के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसको विदेशों से मदद मिली नहीं। उसने अपने देश की दवाइयों का प्रचलन किया। डाक्टरों को आदेश दिये गये कि वह इसी तरह की दवाइयां बनायें। उसके लिए तो हम व्यवस्था नहीं कर सके हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

पूंजीवादी ढंग आप बना सके हैं। आप साक्षरता सेना को तैयार करें। उनको कहा जाये कि फलां तारीख तक ब्लॉक, और मुहल्ले साक्षर हो जाने चाहिए। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, सभापति महोदय, गांवों में औरतों को सुबह, शाम एक बड़ी कठिनाई यह है कि वह मलमूत्र त्यागने के लिए बाहर जाती हैं। जहां घनी आबादी है, वहां की बात मैं कर रहा हूं। मैं खेतसिंहजी के इलाके की बात नहीं कह रहा हूं। वहां तो बहुतसा रेगिस्तान पड़ा है। वहां उनको कोई कठिनाई नहीं है लेकिन मैं घनी आबादी की बात कर रहा हूं। उनको बाहर जाने में बहुत दिक्कत होती है। आप इस बारे में भी सोच सकते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उसका उद्घाटन किस मन्त्री से करवाइयेगा?

एक माननीय सदस्य : आप को भेज देंगे।

श्री रामकिशन : सभापति महोदय, एक और सबसे ज्यादा दुःख की बात यह है कि गांवों में भंगी जाति के जो लोग हैं, उनको पीने के पानी का व्यवस्था नहीं है। जाटव आदि के लिए उतनी बात नहीं है लेकिन भंगी जो हरिजन हैं, उनकी औरतें घड़े ले कर कुओं पर खड़ी रहती हैं। अगर कोई पानी भर दे तो ठीक, नहीं तो बेचारी खड़ी रहती हैं। आपका नजरिया फिर भी यह संकेत क्यों नहीं दे रहा है कि उनके लिए पानी का प्रबन्ध हो। मैं नहीं कह रहा हूं कि ब्राह्मणों के लिए अलग कुए बनाये जांय। अगर आपमें क्षमता है, अगर आपमें ताकत है तब तो निश्चित तौर से सब को एक ही कुए पर पानी भराना चाहिए क्योंकि किसी के पानी भरने से कुआ अपवित्र नहीं होता है। इसके अलावा कोई भी कुआ ऐसा नहीं है जिसे ब्राह्मणों ने बनाया हो। बनाने के टाइम पर तो महतर काम में आते हैं, जाटव काम में आते हैं लेकिन जब पानी लेने का टाइम आता है तो ब्राह्मण पानी पीते हैं और हरिजनों को कहते हैं, तुम कुए पर मत चढ़ो। अगर आप में हिम्मत है तब तो

Page No 118

(118)

(श्री रामकिशन)

आपको कहना चाहिए कि सबका एक सामूहिक कुआ है। अगर यह व्यवस्था नहीं कर सकते तो यह व्यवस्था कर दीजिये, आप भरतपुर जिले के किसी एक आइटम को काट दीजिये, भरतपुर जिले में आप सड़क मत बनाइये, हमें दर्द नहीं होगा। हम जब गांवों में जाते हैं तो हरिजन, जिसे मैं मेहतर कह सकता हूं, वह मेहतर आता है और कहता है कि हमारे लिए भी कभी पानी का प्रबन्ध हो सकेगा। उस समय हमें दर्द होता है। हम तो यह चाहेंगे कि आप इस साल जो विकास कार्य के लिए पैसा देना चाहते हैं उसके लिए आप यह पाबन्दी लगा दें कि हरिजनों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था हो, और हरिजनों से मतलब मेरा स्पेसिफिक महतर से है, उनके लिए पीने के पानी की व्यवस्था हो सके—इस दृष्टि से चलें तब तो आप समाजवादी समाज का निर्माण कर सकते हैं। आप कहें कि हमने कोई कर नहीं लगाये हैं, तो यह कोई बड़ी बात नहीं हैं। आप कहें कि घाटे का बजट नहीं है तो घाटे का बजट अभी नहीं है, लेकिन आपको बाद में पता लगेगा कि यह घाटे का बजट है क्योंकि जिस तरह से मूल्य वृद्धि हो रही है, मुद्रा प्रसार हो रहा है, उसमें घाटे को नहीं रोक सकते। मैं चाहूंगा कि इस दृष्टिकोण से आप पांचवीं पंचवर्षीय योजना में साधनों के साथ-साथ लक्ष्य भी निर्धारित करें कि जो समाज का गरीब वर्ग है उसके पास देश का उत्पादन समय पर किसी प्रकार से पहुंचे। आप इसकी चेष्टा करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति: श्री शीशराम ओला!

श्री शीशराम ओला (पिलानी): सभापतिजी, राजस्थान का 1974-75 का बजट सदन के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है। जिन परिस्थितियों में वह बजट आया है, राजस्थान के वित्त मंत्री ने राजस्थान की जो हालत है उसको मद्दे नजर रखते हुए बजट को पेश किया है और बजट में कोई नया कर नहीं दिखाया गया है, लेकिन वास्तव में हमें जो आशायें थीं वह नहीं मिली। बजट को पढ़ने से, बजट भाषण को सुनने से जिस प्रकार का बजट आज राजस्थान में आना चाहिए था वह नहीं आया। मैं अपने सुझाव इस बारे में प्रस्तुत करना चाहूंगा।

सभापतिजी, राजस्थान के बजट में कृषि के लिए, मैं समझता हूं, जितना पैसा देना चाहिए था, मिलना चाहिए, कृषि के विकास के लिए क्योंकि वह आज का बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है, मुद्दा है क्योंकि आज सारे राष्ट्र में अनाज की चर्चा है कि अनाज की कमी है। इसके लिए सारा राष्ट्र चिन्तित है। राजस्थान भी उससे अलग नहीं रह सकता। हम उसी तरह चिन्तित हैं जिस तरह दूसरे स्टेट और हिन्दुस्तान के नागरिक चिन्तित हैं। आज राजस्थान में सरकारी नौकरों की तनख्वाह बढ़ाने के लिए 10 करोड़ 40 लाख का प्रावधान किया गया है, जो इस वर्ष तनख्वाह बढ़ाई है, उसके कारण मैं नहीं समझता हूं, इतनी जल्दी क्या आवश्यकता पड़ गई थी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि वह संगठित हैं। सरकारी प्रशासन में सरकारी सेवाओं के अन्दर होने के बावजूद इतने संगठित हैं कि उनसे सरकार डरती है और उनके आगे झुकती है। सरकार के सामने जब वे हड़ताल

(श्री शीशराम ओला)

करने या संघर्ष करने की चेतावनी देते हैं तो सरकार झुक जाती है। काश्तकार गांवों में, ढाणियों में, राजस्थान के कोने-कोने में अकेला है। उसकी कोई संगठित स्थिति नहीं है। संगठित होने की वह सोच नहीं सकता, संगठित हो भी नहीं सकता। उस के लिए इस बजट में न खाद के वितरण की ठीक व्यवस्था करने के लिए प्रावधान रखा है और न काश्तकारों को अच्छा बीज समय पर उपलब्ध हो सके इसके लिए एलान किया गया है, न उनकी फसलों को बीमारी से बचाने के लिए व्यवस्था की गई है। यह तो अलग रहा, इसके अलावा काश्तकार की जीविका की जो सबसे बड़ी बात है, उसका सबसे बड़ा कार्य है, वह खेती है, खेती पर वह आधारित है। जब अकाल पड़ता है, जब उसकी फसल सर्दी से मर जाती है, वर्षा नहीं होती है तो अकाल पड़ते ही वह दूसरी साल की फसल के लिए लग जाता है, वह खेत जोतता है, फसल की तैयारी करता है। और खेती के वक्त उसके बच्चे, बीबी सारे घर वाले, बच्चे, बूढ़े सब खेत पर लग जाते हैं। उन्हें इस बात की चिन्ता नहीं होती, इस बात का परवाह वह नहीं करते कि कल क्या खायेंगे। सारे घर के आदमी खेत पर लगे रहते हैं और अपने बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था भी वह नहीं कर पाते हैं। वह शरीर की चिन्ता नही करते हैं कि शरीर पर कपड़े हैं या नहीं। खेती में लग जाते हैं फिर भी अकाल पड़ता है। इस प्रकार आये दिन पड़ने वाले अकाल ने राजस्थान के काश्तकारों की स्थिति ऐसी बना दी है कि उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है। हमारे इस सदन में बैठने वाले कई माननीय सदस्य ऐसा मानते हैं कि काश्तकारों के पास अच्छे कपड़े हैं, अच्छे मकान हैं, अच्छी स्थिति उसकी है। हम कहते हैं, खास तौर से, सभापति महोदय, मैं यह अर्ज करना चाहूंगा कि काश्तकारों के पास कर्ज के अलावा कुछ नहीं बच गया है। काश्तकारों के लिए जीवन-निर्वाह करना कठिन हो गया है क्योंकि काश्तकारों के सामने आये दिन अकाल पड़ते हैं, कभी शीत लहर आ जाती है, कभी उसकी फसल को टिड्डी खा जाती है, कभी पाला मार जाता है। धोला, जो पून पाकिस्तान के ऊपर से आती हैं, वह पून लग जाती है तो घास जल जाती है। हमारे यहां उसको धोला कहते हैं। ऐसी स्थिति में काश्तकारों की फसल को होने वाली क्षति की पूर्ति के लिए आप मुआवजे की व्यवस्था करें क्योंकि काश्त की एक बहुत बड़ी इन्डस्ट्री है, उस पर काश्तकारों का जीवन-निर्वाह करता है। इसके लिए आपने इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया है। जब यह नहीं किया जाता तब तक काश्तकारों की स्थिति सुदृढ़ हो नहीं सकती है, अच्छी हो नहीं सकती है। इसलिए आपके माध्यम से, सभापति महोदय, निवेदन करना चाहूंगा कि काश्तकारों का आये साल पड़ने वाले अकाल के समय केवल अकाल-राहत कार्य खोल देने से भला नहीं हो सकता है। इसके लिए आपको मुआवजे की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि काश्तकारों की स्थिति ठीक और सुदृढ़ रह सके और आगे के लिए खेती की ठीक से व्यवस्था वह कर सकें, इस लायक अपनी हालत वह बना सकें।

आज राजस्थान में पशु धन की ओर पूरा ध्यान नहीं दिया जाता है। वैसे तो

(श्री शीशराम ओला)

सारे विश्व में हिन्दुस्तान में ही एक चौथाई हिस्सा पशु है। सारे पशुओं की गणना सारे मुल्कों में और सारे विश्व में की जाय तो हिन्दुस्तान की गणना चौथे नम्बर पर आती है। जितने विश्व में पशु हैं उसके एक चौथाई पशु हिन्दुस्तान में हैं। इतने पशु होने के बाद भी हमारे मुल्क में और हमारे पूरे राजस्थान स्टेट में भी दूध की कमी है। हमारे यहां दूध की कमी है वह इसलिए है कि हमारे पशु नस्ल सुधार की ओर ध्यान नहीं दिया है। आजादी के बाद पचीस वर्ष होने को आए न तो हमने पशुओं की नस्ल सुधारी, न खेती के तरीकों में सुधार ला सके हैं, न खेती करने वालों को समय पर अच्छा बीज दे सके हैं, न फसल को बीमारी से बचाने की व्यवस्था कर सके हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हम बजट बनाते हैं केवल शहरों के लिए, उन मुट्ठी भर लोगों के लिए जिनको रजवाड़े के जमाने में और अंग्रेजों के जमाने में सारे साधन उपलब्ध थे। आज भी प्रजातंत्र के युग में भी सरकार सारे साधन उन को दे रही है, पहले उनके पास साधन कम थे, अब और ज्यादा कर दिये हैं। जो पिछड़े हुए थे, दूर गांवों में रहते थे, राजाओं ने और अंग्रेजों के शासन काल में उनके लिए कोई विकास कार्य नहीं किया, उनका विकास नहीं किया। आज भी सरकार उसी पद्धति पर चल रही है। उनकी इसको चिन्ता नहीं है, उनके विकास के लिए और विकास के कार्यों के लिए चिन्ता नहीं है। इसलिए न केवल गांवों का काश्तकार बल्कि दूध के लिए सारा राष्ट्र चिन्तित है। दूध हर आदमी को मिलना चाहिए क्योंकि यह अच्छा और पौष्टिक पदार्थ है, वह बच्चों, जवानों और बूढ़ों को मिलना चाहिए और पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए। इसका कारण है कि पशुओं की ठीक से व्यवस्था नहीं कर सके हैं, उनको संतुलित और पौष्टिक भोजन मिलना चाहिए वह भी नहीं मिल पाता है। इस कारण वह उस मात्रा में दूध नहीं दे पाते हैं जिस मात्रा में देना चाहिए। दूसरे राष्ट्रों में उसी किस्म के पशु दूध जितना देते हैं उतना दूध यहां हिंदुस्तान के पशु नहीं देते हैं। आज जयपुर में अथवा दूसरे शहरों में कुत्तों का इलाज जानवरों के अस्पताल में होता है। कई बार हम देखते हैं, मेरे मकान के आगे से लोग जाते हैं, वहां से हास्पिटल नजदीक है। लेकिन गांवों में जब कि काश्तकारों की अर्थ व्यवस्था का ढांचा जिसको कहना चाहिए, वह पशु हैं, गाय, बैल, भैंस, और ऊंट आज दो हजार रुपये में ऊंट आता है, डेढ़ दो हजार में भैंस आती है, हजार आठ सौ में गाय आती है। गाय, ऊंट और भैंस गांवों में इस कदर मर जाते हैं लेकिन वहां पर कोई न डिस्पेन्सरी है और न हॉस्पिटल उन जानवरों के लिए है, जिनकी इतनी ऊंची कीमत है। एक काश्तकार का ऊंट, गाय या भैंस मर जाय तो काश्तकार महसूस करता है कि एक साल का बजट चला गया। बैल है, उससे काश्तकार खेतों में हल जोतता है और दूसरे गांवों में आने जाने के लिए उसको सवारी के रूप में काम में लेता है। और भैंस से दूध लेते हैं गाय से दूध लेते हैं काश्तकार की आर्थिक स्थिति को वह मजबूत करती है। उनकी जीविका का माध्यम है, वह चला जाता है तो काश्तकार के पास कुछ नहीं बचता है। उसको जीवित रखने के लिए बीमारियों से बचाने के

(श्री शीशराम श्रोला)

लिए ग्राज तक सरकार ने कोई पशु चिकित्सालय नहीं खोले। जयपुर में तो कुत्तों और बिल्लियों के लिए भी व्यवस्था है जोधपुर में भी व्यवस्था हो सकती है लेकिन गांवों में नहीं हो सकती। जिस राष्ट्र में 70 प्रतिशत से 80 प्रतिशत लोग काश्तकार हों और गांवों में बसते हों, उनके कल्याण की उनकी बहबूदी के लिए यह सरकार चिंतित न हो, उदासीन रहे इसलिए मैं कहूंगा कि यह बजट शायद राजस्थान विधान सभा में जो ग्राया है, वह पहले कभी नहीं ग्राया।

गांवों में काश्तकारों के लिए ग्रस्पताल नहीं है और 26 जिलों में 25 औषधालय हैं। यह घोषणा करते समय शायद वित्त मंत्री नहीं कहते तो ज्यादा अच्छा था। मेरा प्रस्ताव है कि मेरी मांग है कि गांव-गांव में ग्रायुर्वेद ग्रस्पताल निश्चित रूप से खोला जाए और हर दस मील के फासले पर डिस्पेंसरी खोलना चाहिए। जब तक ग्राप यह नहीं कर पाते हैं तब तक हम विकास कर रहे हैं या विकास हो रहा है यह कहने का हक हमें नहीं है। ग्राज एक ग्रादमी गांव में रहता है उसके पास 20 मील तक कोई ग्रस्पताल नहीं है। कोई ऐसी बीमारी उसको लग जाती है या दुर्घटना हो जाती है ऊंट से गिर जाए, टेटनस हो जाए, तो तत्काल ग्रस्पताल में पहुंचाने से ऐसी बीमारियों से बचा जा सकता है। लेकिन ग्रस्पताल के ग्रभाव के कारण उसके प्राण चले जाते हैं। इतना ही नहीं, हमारे यहां एक गांव है उसमें पिछले वर्ष दादा; बाप और बेटा, सब को ऐसी बीमारी लगी कि पूरा घर ही खाली हो गया। डॉक्टर व ग्रस्पताल वहां होते तो निश्चित रुप से वे उनके पास जा सकते थे। बड़ी-बड़ी बीमारियां ग्राती हैं उनसे बचा जा सकता है लेकिन ग्रस्पताल की व्यवस्था न होने से गांव में रहने वाले लोगों को नहीं बचाया जा सकता और वे कुत्ते की मौत मर जाते हैं। शहर में तो इस तरह कोई ग्रादमी मर जाए तो भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं। लेकिन गांव में कोई इस तरह ग्रादमी मर जाए और यहां पूछा जाए तो कहेंगे कि वह नेचुरल डेथ से मरा क्योंकि गांव वालों की ग्रावाज नहीं। इसलिए गांवों में भी ग्रस्पताल हो, उनकी जिंदगी भी कीमती और प्यारी होती है।

यहां झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले लोगों की चर्चा होती रहती है। गांव में रहने वाले लोग मेरे खयाल से 70 प्रतिशत ऐसे हैं जिनके पास कच्ची झोंपड़ी भी नहीं है यहां से भी बुरी दशा में हैं, उनके लिए पक्के मकान बने उनको ऋण मिले और ऋण के द्वारा मकान बने ग्रथवा को-ग्रापरेटिव सोसाइटी उनको मकान बनाकर दे उनके रहने की ठीक ढंग से व्यवस्था हो, इस पर सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया। यही नहीं गांव में रहने वाले वे लड़के जो ग्रपने मां-बाप की सारी कमाई का पैसा ग्रथवा उनकी जमीन को गिरवी रखकर कई तो ऐसे उदाहरण हैं कि ग्रपनी मां के जेवर बेचकर पढ़ते हैं। उनमें इंजीनियर भी हैं, डाक्टर भी हैं, बी० ए० भी हैं उन्हें सर्विस नहीं मिलती। उसका क्या कारण है? सेंट जेवियर में पढा हुग्रा बच्चा ग्रथवा सोफिया कॉलेज में पढ़ी हुई बच्ची, उधर गांव में हाई स्कूल तक पढा हुग्रा बच्चा, शहर वालों के मुकाबले में उतना शिक्षित उतना सभ्य नहीं हो सकता जितना सेंट जेवियर का बच्चा ग्रथवा सोफिया कॉलेज में पढ़ी बच्ची हो सकती है। गांवों में

(श्री शीशराम ओला)

अव्वल तो स्कूल नहीं है, अगर हैं, तो कोई भी ऐसा स्कूल नहीं होगा जहां आज तक कम्पलीट स्टाफ होगा। या तो अध्यापक के रहने के लिए मकान नहीं है। अगर है तो गांव में जाने की सुविधा नहीं, डाक नहीं, सड़क नहीं रेल नहीं, मोटर नहीं और किसी को अगर भेज दिया जाता है तो वह अपनी पोस्टिंग कैंसिल करा लेता है। कहने का तात्पर्य यह है कि गांव में कोई भी स्कूल ऐसा नहीं जहां पूरा स्टाफ हो। कहने को तो स्कूल खोल दिया, हमने 68 करोड़ रुपए शिक्षा बजट में दिया लेकिन गांव के स्कूल के लिए एक रुपया भी नहीं। शहर में स्कूल व कॉलेज खोलेंगे, सारा पैसा लगायेंगे मगर गांव में एक कमरा बना दिया लकड़ी डालकर, कहीं टेंट डालकर उसका एक डिजाइन नहीं है, एक प्रकार की बनावट नहीं हैं लेकिन यह न्याय व जिम्मेदारी कहां की कि स्कूल हमने खोल दिया, मकान तुम बनाओ। सबसे बड़ी समस्या अध्यापक के रहने की है। मास्टरों के लिए हम हर स्कूल में 3—4 कमरे उनके रहने के लिए बनायें तो वह मास्टर अपने परिवार समेत उसमें रह सकता है, स्कूल स्टाफ की कमी पूरी हो सकती है। मगर हमने कहीं एक भी स्कूल मास्टरों के आवास के लिए नहीं रखा है।

मेरा सुझाव है कि या तो शिक्षा का स्तर एक प्रकार का हो नहीं तो सरकार गांव वालों के लिए अलग नौकरियों में रिजर्वेशन रखे ताकि गांव वाले नौकरियों में आ सकें और आज इस कम्पीटीशन में अपने आप को बराबर ला सकें। 1947 के बाद आज तक राजस्थान में कोई गांव वाला आदमी आई. ए. एस. नहीं है और यदि आर. ए. एस. भी है तो 4-5 बड़ी मुश्किल से होंगे 5·6 प्रतिशत। ऐसी हालत में गांव में लोगों का स्वास्थ्य अच्छा है। वे कम्पैरेटिवली ईमानदार हैं। अगर उन लोगों को अवसर मिले तो वे इस प्रांत की अच्छी सेवा कर सकते हैं और 70-80 प्रतिशत लोगों के प्रतिनिधि हो सकते हैं, उनके दुःख-दर्द को जान सकते हैं। वह एजेन्सी रूरल सर्विसेज के नाम हो, उनके लिए रिजर्वेशन हो क्योंकि वे लोग शहर के लोगों की कम्पीटीशन में नहीं आ पाते हैं रिजर्वेशन के जरिए आकर इन लोगों के साथ अपने को ला सकें, तो यह सही समाजवाद होगा।

हमारा झुंझुनूं एक ऐसा जिला है जिसने आजादी प्राप्त करने के लिए लड़ाई लड़ी और आज आजादी कायम रखने के लिए लड़ाई लड़ रहा है, अपने प्राणों की आहूति दे रहा है। सोल्जर एरिया होने के नाते 18 वर्ष का लड़का अमूमन फौज में चला जाता है और 32-35 उम्र तक वह सेवामुक्त हो जाता है। हमारी सरकार ने और भारत सरकार ने एक हिस्सा भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिजर्वेशन के तौर पर रखा हुआ है सुरक्षित। लेकिन आज तक राजस्थान में कोई एक परसेंट भी उसमें से लिया गया हो, यह मेरी मान्यता नहीं है। जो लोग फौज में अधिकारी नहीं बनते हैं वे जवानी में ही एक प्रकार से रिटायर हो जाते हैं, उनके लिए शायद 13 प्रतिशत रिजर्वेशन है, उसको बढ़ाकर 25 प्रतिशत किया जाए और उनकी जगह पर दूसरे व्यक्तियों को न लिया जाए, उन्हें पुनः सेवा का मौका दिया जाए ताकि वे अच्छा काम कर सकें। सिविल सर्विसेज में तो 55 साल में रिटायर होते हैं लेकिन फौज में 15 वर्ष के बाद ही पेन्शन दे दी

(श्री शीशराम ओला)

जाती है। 18 वर्ष में वह भर्ती होता है मुश्किल से 33 वर्ष का होता है तो उसको रिटायर किया जाता है उसमें काम करने की कैंपेसिटी होती है तो उनके लिए 25 प्रतिशत रिजर्वेशन किया जाए। इसी प्रकार फौज के अधिकारी जो 45-48 वर्ष की आयु में अकसर रिटायर हो जाते हैं, एक्सेप्शनल कोई जनरल बन गया तो दूसरी बात है, नहीं तो 45-48 की उम्र में सेवामुक्त हो जाते हैं। वे बहुत ईमानदारी व क्षमता रखने वाले अधिकारी होते हैं। राजस्थान की सेवा में उन्हें भी खपायें ताकि वे ईमानदारी के साथ प्रांत की सेवा कर सकें। ऐसे बहुत से अधिकारी यहाँ होंगे लेकिन यह रेकार्ड है कि आज तक राजस्थान में एक भी फौज से रिटायर्ड अधिकारी को मौका नहीं दिया गया है कि उसे रीएम्पलाई किया गया हो। सभापति महोदय, आज 58 वर्ष की उम्र वाले और 55 वर्ष की उम्र वाले सीविलियन लोग डाक्टर बन सकते हैं, आर. ए. एस. ऑफिसर बन सकते हैं लेकिन आर्मी का एक व्यक्ति जो कि इनसे उम्र में छोटा होता है वह ऑफिसर नहीं बन सकता है। सभापति महोदय, यह कितने दुर्भाग्य की बात है। सभापति महोदय, एक बात मैं और निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे बजट भाषण में डेयरी विकास के बारे में चर्चा की गयी है। सभापति महोदय, हमारे झुंझुनू जिले में बहुत अच्छी किस्म की गायें ज्यादा दूध देने वाली और ज्यादा दूध देने वाली भैंसें पायी जाती हैं जो कि हरियाना नस्ल की हैं। पर मुझे बहुत ही खेद के साथ कहना पड़ता है कि हमारी राज्य सरकार ने हमारे यहां के पशुधन के विकास के लिये और डेयरी के विकास के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला जबकि राजस्थान के दूसरे जिलों में डेयरी का विकास किया जा रहा है। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि जहां दूसरे राजस्थान के जिलों में डेयरी का विकास कर रहे हैं वहां आपको चाहिये कि डेयरी विकास का एक कार्यक्रम झुंझुनू जिले में खोला जाय। मैं यह नहीं कहता कि आप उसे कौनसे सैक्टर में खोलें। आप चाहें तो झुंझुनू जिले में सरकारी सेक्टर में या कोआपरेटिव सेक्टर में डेयरी विकास के कार्यक्रम को खोले। सभापति महोदय, आज जो बीकानेर से दूध दिल्ली वगैरह जाता है वह अगर आप झुंझुनू जिले में डेयरी विकास कार्यक्रम खोल देते हैं तो आपको फिर दिल्ली के लिये, बीकानेर की तरफ नहीं झांकना पड़ेगा। क्योंकि हमारे जिले में काफी दूध पैदा होता है और इसके साथ-साथ यह भी बात है कि हमारे इलाके की सरहद दिल्ली के ज्यादा नजदीक पड़ती है। अगर आप झुंझुनू जिले में डेयरी के विकास के कार्यक्रम को हाथ में ले लेते हैं तो वहां के काश्तकार को काफी मदद मिलेगी और वह अपनी आजीविका आराम से पूरी कर सकेगा। इसके अलावा एक बात मैं आपको और जो निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि कई बार राज्य सरकार चाहे अकाल के कारण, चाहे बाढ़ के कारण जब लगान स्थगित कर देती है तो बाद में जब एक ही साल में फसल जब ठीक होती है तो वह सभी काश्तकारों से एक साथ वसूल किया जाता है। सभापति महोदय, अगर काश्तकार की एक फसल ठीक हो जाती है इसका मतलब यह तो नहीं हुआ कि उसे सोना मिल गया आखिर

(श्री शीशराम ओला)

उसको अपने जमीन के अलावा कुए पर अगर कोई कर्जा लिया होता है तो उसका भुगतान करना पड़ता है, कोई बिजली ली हो तो उसका बिल चुकाना पड़ता है। बैल खरीदने, ऊंट वगैरहा खरीदने के पैसे भी देने होते हैं। तो मेरा निवेदन है कि यह एक साथ काश्तकार से लगान तीन-चार साल का लेने की प्रथा को समाप्त किया जाय। आप एक तरफ तो बड़े-बड़े इण्डस्ट्रियलिस्टों में करोड़ों रुपये बाकी छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ एक छोटी सी रकम काश्तकार में बाकी नहीं रख सकते। आप उसे किस्तों में नहीं ले सकते क्या? और होता यह है कि अगर वह लगान नहीं देता है तो राज्य सरकार उसकी जायदाद पर नीलामी लगा देते हैं। उसके ऊंट व बैल वगैरहा जो भी उसका पशुधन होता है उसको नीलाम करके लगान एक साथ वसूल कर लेते हैं। इससे काश्तकार की हिम्मत व कमर दोनों ही टूट जाती हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार इण्डस्ट्रियलिस्टों में करोड़ों रुपयों की बकाया होती है और जिस प्रकार आप उन्हें रियायतें देते हैं उसी प्रकार काश्तकारों को भी रियायतें राज्य सरकार को देनी चाहिये। लेकिन काश्तकारों को ये रियायतें नहीं दी जाती हैं यह सभापति महोदय, बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। इसके साथ-साथ एक बात मैं और निवेदन करना चाहूंगा जैसा कि सभापति महोदय रामकिशनजी ने कहा था कि हमारे यहां पर बिजली व पानी की बहुत ही कमी है उसे दूर करने की आवश्यकता है। सभापति महोदय, झुन्झुनु जिले की सरहद करीब 105 या 110 मील लम्बी भारतवर्ष के दूसरे इलाके से लगती है जिसमें खास तौर से पंजाब और हरियाणा वगैरह है। आज अगर हम देखें कि हरियाना और पंजाब के हर गांव में नहरों की और बिजली की व्यवस्था है। ऐसा कोई गांव नहीं है हरियाणा का कि जहां पर बिजली व पानी की नहरें नहीं हों। पर उसके पास ही राजस्थान का एक इलाका जो कि उसके पास ही लगता है, वहाँ पर पानी को व बिजली की भयंकर कमी है। आज हरियाणा की जमीन ऊंची है। वहां हमारे राजस्थान की जमीन अच्छी है लेकिन वहां पर पानी नहीं है बिजली की कमी है। आज लोहारू के पास जो इलाका है वहां पर नहरें चल रही हैं। बिजली प्रचुर मात्रा में है। पर हमारे यहां नहीं है। ऐसी हालत जब हमारे यहां का काश्तकार देखता है कि एक तरफ तो चमन है दूसरी तरफ रेगिस्तान है तो हमारा काश्तकार महसूस करता है कि हमारा प्रान्त कितना पिछड़ा हुआ है और हमारे पास के दूसरे प्रान्त वाले काश्तकार बड़े ही भाग्यशाली हैं। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है, सभापति महोदय; आज हमारे आसपास के प्रान्तों में भी कांग्रेस की सरकार हैं। वही पार्टी आज पंजाब में, हरियाणा में सरकार चला रही है। परन्तु एक ही पार्टी यहां पर सरकार चला रही है लेकिन हमारे यहां पर नहरों और बिजली की कमी है। हमारे यहां के इलाके में विकास के कार्यक्रम नगण्य हैं। उन प्रान्तों को देखते हुए तो हमारे यहां काश्तकार अपने आपको हीन महसूस करते हैं। तथा जब हमारे यहां के काश्तकार को समय पर फसल के लिये पानी

(श्री शीशराम ओला)

नहीं मिलता, सिचाई के साधनों की कमी है बिजली उसे नहीं मिलती है तो वह उन इलाकों के लोगों की प्रगति देखते हुए उदासीनता महसूस करता है।

इसलिये, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि राजस्थान के अन्दर जो गांव हरियाणा से मिलते हैं वहां तो कम से कम बिजली की व्यवस्था तत्काल ही की जाये। यहां नहरों का जिक्र आया। दूसरे जिलों का जिक्र किया गया, लेकिन झुन्झुनूं जिले का नाम नहीं लिया गया। झुन्झुनूं जिले में नहर आनी चाहिये ताकि झुन्झुनूं जिले के लोगों को भी सन्तोष हो सके और वह भी खेती के क्षेत्र में अपना निर्वाह कर सकें।

सड़कों के बारे में मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। सड़कें तो, सभापति महोदय, अपने आप बताती हैं कि हम राजस्थान में आ गये हैं। हरियाणा से या पंजाब से या किसी दूसरी जगह से राजस्थान में आते हैं, तो जब तक हरियाणा में या पंजाब में होते हैं, तब तक गाड़ी आराम से चलती है, लेकिन राजस्थान में आते ही गाड़ी के धक्के लगते हैं और मालूम पड़ जाता है कि हम राजस्थान में आ गये हैं। राजस्थान के अन्दर नेशनल हाइवे नम्बर 8 और 11 पास होते हैं। सारे हिन्दुस्तान के अन्दर यदि कोई नेशनल हाइवे खराब है, तो वह राजस्थान के हैं। इसके लिये दोषी राजस्थान के पी. डब्ल्यू. डी. के अधिकारी हैं। राजस्थान को जो पैसा इन नेशनल हाइवेज के लिये मिलता है वह युटीलाइज नहीं हो पाता। हिन्दुस्तान के मुकाबले में राजस्थान का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत कमजोर है। क्या बात है कि हमारे नेशनल हाइवे नम्बर 8 और 11 आज तक कम्पलीट नहीं है? भरतपुर से आगे यू. पी. में जाइये तो सड़क बहुत अच्छी बनी हुई है, लेकिन भरतपुर के इस तरफ राजस्थान में वह ही हाइवे खराब बना हुआ है। इसी प्रकार अलवर की बात है। राजस्थान के आते ही रास्ता टूटा-फूटा मिलता है। इसका कारण यह है कि जो पैसा राज्य सरकार को मिलता है वह युटिलाइज नहीं होता है।

हरियाणा एक छोटा सा स्टेट है लेकिन वहां पर स्टेट हाइवेज 35 हैं। हमारे यहां उतने भी नहीं। झुन्झुनूं से लोहारू, दिल्ली से कनेक्टिंग रोड हैं, जो दिल्ली को मिलाता है, सीकर को भी कनेक्ट करता है। उस सड़क पर कोई भला आदमी चल नहीं सकता। एक गाड़ी खड़ी हो तो दूसरी पास नहीं हो सकती और अगर दो गाड़ियां आ जायें तो एक्सीडेन्ट हो जाये। इसी प्रकार की इन्टर स्टेट सड़क सिघाना से जाती है। इस एरिया के काफी लोग मिलिटरी में सर्विस करते हैं। वह लोग एक दो दिन की छुट्टी लेकर अपने घर आते हैं लेकिन उनके दो दिन तो रास्ते में ही खत्म हो जाते हैं। इस रास्ते की खराब हालत होने की वजह से सरकार को चाहिये कि इस रास्ते को ठीक करवाये। रुपया उपलब्ध होता है लेकिन वह लेप्स हो जाता है क्योंकि इन्जीनियर लोग कुछ काम करते नहीं।

समय-समाप्ति-सूचक-घंटी

सभापति : माननीय सदस्य काफी समय ले चुके हैं । आप कृपया समाप्त करें।

एक माननीय सदस्य : समय ही समाप्त हो रहा है।

श्री शीशराम ओला : समय बढ़ा दिया जावे। मैं तो कभी-कभी ही बोलता हूं।

इस प्रकार मैं अर्ज करूं, आपने छः जिलों को बैकवर्ड जिले घोषित किया है और वहां पर यदि कोई उद्योग-धन्धा लगायेगा तो उसको 15 प्रतिशत सबसिडी राज्य सरकार देगी, और मैंने सुना है कि उतनी ही सबसिडी भारत सरकार भी देगी। झुन्झुनू जिले के लोग इन्डस्ट्री लगाना चाहते हैं और राजस्थान इन्डस्ट्रीज के लिहाज से बहुत पीछे भी है। राजस्थान सरकार ने बजट में अल्प बचत का 6 करोड़ का लक्ष्य रखा है, उसका छट्ठा हिस्सा झुन्झुनू जिले से आयगा और पहले भी आया है, मैं ही लाकर देता हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

शिक्षा मन्त्री (श्री खेतसिंह): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घन्टे तक बढ़ाया जाये।

(4.59 म. प.)

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है कि सदन का समय एक घन्टे तक बढ़ाया जाये।

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घन्टे तक बढ़ाया गया।

श्री शीशराम ओला : तो, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, कि अल्प बचत के पैसे झुन्झुनू जिले से मैं ही लाकर देता हूं। वह पैसा राजस्थान के काम आता है। आज झुन्झुनू जिले के लोग गुजरात, महाराष्ट्र और कलकत्ता के अन्दर इन्डस्ट्रीज लगाये हुए है, लेकिन राजस्थान के प्रति इतना प्यार रखते हैं कि अल्प बचत के जरिये पैसा देते हैं। वह यहां भी इन्डस्ट्रीज लगा सकते हैं। यहां कितने लोग बेरोजगार हैं, उनको रोजगार मिलेगा। हर चीज में हाथ खड़ा रखते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। ऊपर से तो पैसा पड़ेगा नहीं। इसके लिये तो स्पेशल एफर्ट्स ही करने होंगे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य आप अब कृपया खत्म करेंगे। आधा घंटा हो गया है आपको।

श्री शीशराम : दो मिनिट।

झुन्झुनू जिले को भी 15 परसेन्ट सबसिडी के अन्तर्गत ले लिया जाय रेलवे भी पास में है। इनको उन जिलों में शामिल किया जाय जिनको 15 परसेन्ट सबसिडी मिलती है।

सभापति महोदय, खेतड़ी प्रोजेक्ट एक नेशनल प्रोजेक्ट है। झुन्झुनू जिले में है। यह किसी की मेहरबानी से नहीं है। वहां खनिज पदार्थ होने के कारण इसका इतना महत्व है। लेकिन इसके हैड ऑफिस को कलकत्ता ले जाया गया है। कलकत्ता शहर में इन्डस्ट्रीज की तो वैसे ही गिनती नहीं है। काफी इन्डस्ट्रीज हैं और काफी तादाद में हैं। इस

(श्री शीशराम ओला)

राजस्थान को बहुत नुकसान हो रहा है। इन्स्ट्रूमेंटेक्स का जो शेयर राजस्थान को 1 परसेन्ट से मिलना चाहिये वह नहीं मिल रहा है। दूसरा प्रोविडेन्ट फन्ड और दूसरे-दूसरे रिसोर्सेज जो मिलने चाहियें वे नहीं मिल रहे हैं, राजस्थान उनसे वंचित होकर घाटे में रह रहा है। यहां पर हैड ऑफिस न होने से जो इसकी इम्पोर्टेन्स थी वह भी समाप्त हो गयी है। रिक्रूटमेन्ट होता है तो हैड ऑफिस में बैठकर कर दिया जाता है इससे यहां के लोगों को जो लाभ मिलना चाहिये वह नहीं मिल पाता है। यहां के आदमी जब रोजगार के लिये जाते हैं इनके यहां के दफ्तर में तो कहते हैं कि हमारे पास जगह नहीं है, हैड ऑफिस ने यह किया है। इसलिये इससे बढ़कर राजस्थान सरकार की और कोई कमजोरी हो नहीं सकती। दूसरी स्टेट में आपको ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा यह राजस्थान है और राजस्थान में झुन्झुनू और झुन्झुनूं में भी खेतड़ी। वहां से हैड ऑफिस ले गये। यह सरकार की कमजोरी है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य। अब मैं आपको बिलकुल समय नहीं दे सकता। मैंने बहुत ही लिबर्टी से समय दे दिया।

श्री शीशराम ओला : एक मिनिट।

झुंझुनू जिले में अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत कुए खुदवाये गये। 3 लाख की सबसीडी राज्य सरकार ने दी और इतना ही कर्जा बैंक ने काश्तकारों को दिया। सरकार का काफी पैसा लगा। काश्तकारों ने कर्जा लेकर लगाया। इन कुओं के लिये व्यवस्था की जाय ताकि उनका काश्तकार सदुपयोग कर सकें।

मैं कुछ और निवेदन करना चाहता था किन्तु आपके आदेश हैं इसलिये मैं आपका धन्यवाद करते हुए बैठता हूं।

श्री सभापति : श्री लूणाराम !

श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : सभापति महोदय, हर वर्ष बजट बनता है; वित्त मंत्रीजी द्वारा सदन के प्रांगण में बजट भाषण पढ़ा जाता है। सदन के सदस्य, पत्रकार, दर्शक, कर्मचारी सब ही की एक जिज्ञासा रहती है कि नया बजट हमारे सामने आया है वह जनता के लिये क्या नया कर लेकर आया है और क्या-क्या समृद्धि के लिये नयी-नयी योजना लेकर आया है।

सभापति महोदय, इस वर्ष का जो बजट सदन के सामने आया है उसमें वित्त मंत्रीजी ने कोई नया कर भार नहीं लगाया है। कर भार बजट में न देख कर ही लोगों ने तालियां बजायी। कर भार न देख कर तालियाँ बजाने से ही हमारे कार्य की मंजिल पूरी हो जाय ऐसा नहीं है। कर भार नहीं है तो विकास के काम के लिये भी तो कोई बजट में प्रोग्राम नहीं है। प्रोग्राम नहीं है तो एक प्रकार से यह बजट शून्य है; इसमें कोई गति नहीं है और कोई बजट में गति नहीं है तो हमारे अन्दर भी कार्य करने को गति किस प्रकार हो सकती है यह एक सोचनीय विषय है।

कर भार इसलिये नहीं लगाया कि इसका विरोध हो रहा है। क्यों विरोध हो रहा है ? क्योंकि कर भार जिन पर डाला जाना चाहिये उन पर डाला जाय तो विरोध नहीं होगा किन्तु जिन पर नहीं कर भार डाला जाना चाहिये उन पर डाला

(श्री लूणाराम)

जायगा तो विरोध होगा। जिन पर कर भार होना चाहिये उन पर कर भार डाला जाय तो जनता में भी रोष नहीं होगा बल्कि वह तो खुशी मनायेगी। किन्तु जो पहले ही से करों से दबे पड़े हैं, जिन किसानों, मजदूरों और छोटी नौकरियों वालों पर इसका सीधा असर पड़ता है उन पर यदि कर भार बढ़ाया जाय तो यह कहा जा सकता है कि ऊपर इसका असर पड़ता है।

सभापति महोदय, हम यह कह सकते हैं कि एक तरफ आप पूंजी बढ़ा रहे है और दूसरी तरफ गरीबी चरम सीमा पर बढ़ रही है। बड़ी पूंजी द्वारा आकर्षण के तौर पर; शो के लिये नये मकान बनाये जा रहे हैं, उन पर भी आधा परसेन्ट कर भार है एक लाख से ऊपर की बिल्डिंग पर यदि उस कर भार को बढ़ाया जाता है तो उसको कोई भी बुरा नहीं कहेगा। दूसरा; शराब चाहे देशी हो या विदेशी, उसको बन्द नहीं कर सकते हैं ऐसी मजबूरी हो तो, उस पर इतना कर भार बढ़ाया जा सकता है कि उससे कम आमद आपको बिक्री पर भी हो जाय तो हो जाय और इसके लिये कोई यह नहीं कहेगा कि यह क्यों बढ़ाया गया है क्योंकि मंहगी होने से पीने वालों की संख्या घटेगी।

(5.08 म० प०)

(श्री भानुकुमार शास्त्री, सभापति, पदासीन)

दूसरी नशीली वस्तुयें हैं जैसे भंग, गांजा, इत्यादि उन पर इस प्रकार से कर बढ़ाया जाय तो कोई यह नहीं कहेगा कि इन पर क्यों बढ़ाया। सभापति महोदय, मेरा निवेदन करने का मतलब यह है कि हमारे विकास के लिये जहां पैसे का अपव्यय हो रहा हो और अंधे हो कर जहां खर्च किया जा रहा हो उस पर अंकुश लगाया जाना चाहिये। उस पैसे पर अंकुश लगा कर उसका संग्रह करके उसको विकास कार्यों पर लगाया जाय तो उससे विकास होगा। इसके लिये एक नहीं अनेक उदाहरण हो सकते हैं।

गरीब लोगों के विषय में निवेदन करना चाहूंगा खास तौर से अनुसूचित जाति और जन-जाति के लोगों के लिये। इन लोगों के लिये नौकरियों में नियोजन के सम्बन्ध में आज भी प्रश्नोत्तर काल के समय प्रश्न था और हमारे वित्त मंत्रीजी ने बताया कि 8 हजार बेकारों को काम दिया गया। आगे के लिये क्या योजना है? योजना के माने में शून्य है। अगर बेकार हैं तो बेकार हैं। काम करते हैं तो काम करते हैं। ऐसे दिशा शून्य बजट से कुछ प्रगति कर पायेंगे इनके लिये ऐसा नहीं लगता है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता था कि अलग-अलग जिलों में जो नियोजन केन्द्र हैं जिला स्तर के कार्यालयों में रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं उनको वहां जगह मिलती नहीं। वे नाम चलते रहते हैं।

श्री सभापति : आप बैठिये। कोरम का अभाव है।

(गणपूरक घंटी)

(कोरम की घण्टी)

श्री लूणाराम : दो-तीन-चार साल तक सभापति महोदय नाम दर्ज किये हुए लोग

(श्री लूणाराम)

बैठे हैं। उनको नौकरी नहीं मिलती। जब कि उन्हीं पदों के लिये राजधानी के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के सिफारिशी लोगों के इन्टरव्यू हो जाते हैं। बाकी एक्सचेंजों को सूचना भी नहीं दी जाती है। इस तरह से जिला मुख्यालयों के नियोजन कार्यालयों में नाम दर्ज कराये लोगों को 25 प्रतिशत को भी सर्विस नहीं मिलती। इसलिए राजधानी को इन्टरव्यू की सूचना सभी जिला नियोजन कार्यालय को देनी चाहिए।

अनुसूचित जाति और जन-जाति के लोगों के लिए बजट में दो सालों से सरकार हाउसिंग सोसायटियों के अनुदान की व्यवस्था करती आ रही है। पर उनको कोई अनुदान नहीं मिलता। जब कि गत सत्र में तत्कालीन माननीय समाज कल्याण मंत्रीजी ने वकील आदि की फीस के लिए सरकार द्वारा अनुदान देने की घोषणा की थी जो घोषणा ही रह गई है आज तक। इसी तरह कोर्टों में मुकदमें लड़ने के लिए उनको फ्री लीगल एडवाइस देने की बात कही जाती है। समाज कल्याण विभाग की तरफ से इस तरह की सहायता देने का प्रावधान रखा है। मन्त्रीजी ने भी आश्वासन दिया। पर यह सारा साल चला गया उनको कोई सहायता नहीं दी गई। बजट स्पीच में इस बार इस तरह का कोई आश्वासन नहीं है। पहले जो आश्वासन दिया गया, मैं पूछता हूं उसका क्या हुआ? गरीबों की इस तरह मदद करने की बातें सरकार भूल जाती है। उनका कोई जिक्र नहीं करता। न राज्यपाल महोदय अभिभाषण में करते हैं न वित्तमन्त्रीजी अपने बजट भाषण में। आज अदालतों में इन लोगों पर इनको असहाय समझकर कई तरह के मुकदमे लोग करते हैं, भूमि सम्बन्धी मुकदमे भी दायर कर देते हैं पर ठीक पैरवी न कर सकने के कारण वे वहां भी हार जाते हैं। सरकार की तरफ से कागजों में सब कुछ है, पर क्रियात्मक रूप से कुछ नहीं किया जाता। वे हार जाते हैं और खेत जानवर सभी बेचकर वे बरबाद होकर बैठ जाते हैं। इस बजट में भी इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है।

आज राजस्थान में जहां दो फसलें नहीं एक ही होती है वहां अगर सरकार सिंचाई के साधन किसी भी प्रकार से दे सके तो इनका भी रहन-सहन का स्तर ठीक हो सकता है। जमीन अच्छी है, उपजाऊ है। कमी है तो केवल पानी की है। इसके लिए चार जिलों के लिए लिफ्ट इरिगेशन की स्कीम के बारे में यदा कदा सुनते रहते हैं। पर इस बजट में उसके लिये इस साल कोई प्रावधान नहीं है।

इसी तरह से बिजली का मामला है। तीन साल से आशा लगाये बैठे हैं। इस साल नहीं तो अगले साल मिलेगी। ये गावों के लोगों को आश्वासन भी देते हैं कि इस साल मिलेगी। इस साल नहीं तो अगले बजट में मिलेगी। पर अगला-अगला करते आज चार साल निकल गये हैं। वह नहीं मिल रही है।

सभापति महोदय, बिजली तो दर किनार रही आज तो समस्या केरोसीन आइल की और पैदा हो गई है। घर में दिया भी नहीं जलता आज। यह सचमुच अफसोस की बात है।

कई ऐसी चीजें भी हैं जिनको अगर कन्ट्रोल किया जाय तो काफी राहत लोगों

(श्री लूणाराम)

को मिल सकती है। उदाहरण के लिये निवेदन करूं कि नगरपालिकाओं की लापरवाही से और प्लान बनाकर उसके मुताबिक प्लाट काटकर लोगों को समय पर नहीं देने से नाजायज जमीनों पर कब्जे इतने बढ़ गये हैं कि स्वयं सरकार के लिये यह समस्या बन गई है और फिर प्लान के मुताबिक आबाद नहीं होने से बड़े उटपटांग ढंग से लोगों ने कब्जे कर लिये हैं। इससे दो तरह से नगरपालिकाओं की हानि है। एक तो आमदनी की, और दूसरी एक कतार में नहीं होने से सड़कों और यातायात के लिये कठिनाई उत्पन्न हो गई है। अगर शीघ्रता से प्लाट काटकर दे दिए जाते रहें तो सरकार को और नगरपालिका को भी आमदनी होगी, किराया मिलेगा और यातायात की समस्या और सड़कों की व्यवस्था भी ठीक हो जावेगी। सुन्दरता भी बढ़ेगी, बिगड़ेगी नहीं।

पंचायतों का हाल बुरा है। सरकार चाहती तो है कि सारे विकास के काम उनके मार्फत हों। पर आमदनी का जरिया कुछ नहीं रखा। 25 पैसे पर आदमी देते हैं। यह 25 पैसे भी 1961 की जनगणना के आधार पर दिया जारहा है, 71 की जनगणना के आधार पर दी जानी चाहिये और 25 पैसे के बजाय कम से कम दुगुना तो किया ही जाना चाहिये। आपने बजट भाषण में मनोरंजन कर को भी आपने दुगुना किया है नगरपालिकाओं के लिये तो पंचायतों के लिये इसे दुगुना करने की घोषणा की जानी चाहिये।

इसके अलावा मैं थोड़ी अपने गांवों के प्रधान, पंच, सरपंच और जिला प्रमुखों के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। चाहे कोई कुछ भी कहे यह सही है कि गांवों का विकास हुआ है पंचायती राज के द्वारा। इसका श्रेय जिला प्रमुखों, प्रधानों और सरपंचों को दिया जा सकता है। आज जब कि हर व्यक्ति अपनी आजीविका के साधन के बारे में सोचता है, अपनी तनख्वाह बढ़ाने की बात सोचता है तो फिर इन लोगों ने ही ऐसा क्या बुरा किया है। इनके भी आजीविका के साधन निश्चित किये जाने चाहिये। काम आप उनसे लेना चाहते हैं फिर अगर वे थोड़ा बहुत अपने लिये करते हैं तो तुरन्त आप उन पर कलंक लगाने को तैयार हो जाते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि इस महंगाई के युग में जब कि आप सरकारी नौकरों की तनख्वाएं बढ़ा रहे हैं तो जिलाप्रमुखों, प्रधानों, सरपंचों के भी दैनिक भत्तों में वृद्धि की जाय उनके टी.ए. डी.ए. का प्रबन्ध किया जाय।

टैक्स आप गरीबों पर लगाते हैं। आपके टैक्सों का अधिकतर भार गरीबों पर पड़ता है। आप ऐसे टैक्स इस तरह से लगावें कि गरीबों पर उनका भार नहीं पड़े बल्कि अमीरों पर पड़े।

शिक्षा के बारे में भी कुछ निवेदन करूंगा। सभापति महोदय गांवों में सेकण्डरी स्कूलें जो खोली गई हैं उनमें किसी में भी कॉमर्स और साइन्स के विषय नहीं हैं। इसके कारण आज गांवों के लड़के उनमें जाना पसन्द नहीं करते। और शहरों में जिनमें ये विषय हैं उस तरफ दौड़ते हैं। इसमें वे खर्चे के नीचे भी बहुत आ जाते हैं। आज गांव वाले भी समझने लग गये हैं कि इसके बिना कहीं अच्छी नौकरियां उनको नहीं मिल सकती। फिर

(श्री लूणाराम)

वे शहरी लड़कों से अपने को कम इन्टेली-जैन्ट नहीं मानते । फिर यह भेदभाव क्यों बरता जाता है, मेरी समझ में नहीं आता । अधिक नई सैकण्डरी स्कूलें खोलने के लिये अगर बजट में गुंजाइश नहीं हैं तो न खोलें पर जो वहां हैं वर्त्तमान में उनमें कम से कम कॉमर्स और साइन्स इत्यादि ऐच्छिक विषय खोले जावें जिससे हमारे गांवों के बालक भी शहरी बच्चों से पीछे न रहने पावें। सभापति महोदय, आज इसी प्रकार से हमारे माननीय मन्त्री महोदय ने 1 अप्रैल से कार्यपालिका और न्याय-पालिका को अलग करने की घोषणा की है । यह स्वागत योग्य बात है लेकिन ऐसा न हो जाय की वर्त्तमान जन-सुविधा को कम कर दिया जाय और अब जो न्याय मिल रहा है उससे महंगा न हो जाय । आज बढ़ी हुई जनसंख्या है, जिससे मुकद्मे बढे हैं और दूसरे सरकारी अधिकारियों के आने-जाने का पुलिस के बार-बार आने-जाने का 40-40, 50-50 मीलों दूर जाना पड़ता है कोर्ट में तथा गवाह आदि को, उससे भी प्रशासन पर अधिक खर्च पड़ता है ।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

(5 23 सायं)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति पदासीन)

सभापति महोदय, यह मुंसिफ कोर्ट तहसीलवाइज कायम कर दी जाय जिससे न्याय सस्ता मिल सके । गरीबों को दूर नहीं जाना पड़े सरकार के पैसे ज्यादा लगे तो भी कोई बात नहीं । समय का तकाजा बार-बार कर रहे हैं तो मै अधिक समय न लेकर माननीय वित मन्त्रीजी ने जो बजट पेश किया है उसके लिये धन्यवाद देकर अपना स्थान ग्रहण करता हूँ । जय हिन्द ।

श्री सभापति : श्री रणजीतसिंह !

(अनुपस्थित)

श्री नानालाल ।

श्री नानालाल (राजसमन्द) : **सभापति** महोदय, वित मंत्री महोदय ने सन् 74-75 वर्ष का बजट पेश किया है, उसके लिये मैं उनको बधाई देना चाहता हूं । तथा उन्होंने अपने इस बजट भाषण में कोई कर नहीं लगाया, इसके लिये भी वे धन्यवाद के पात्र हैं । वित्त मन्त्रीजी ने बजट भाषण के पहले चरण में यह अनुभव किया है कि गत 30 वर्षों के अनुभव से यह स्पष्ट होता है कि विकास का लाभ निर्धन और अपेक्षित वर्ग के लोगों को नहीं पहुँच पाता है । मुझे इसके लिये वित्त मंत्रीजी को धन्यवाद देना है कि आज इन पिछड़े वर्गों के लोगों के लिये उनके दिल में दर्द उत्पन्न हुआ तथा उनकी आंखों में आंसू भी आये और अभी भी उनकी आंखों में उनके लिये आंसू हैं लेकिन वे अभी मौजूद नहीं हैं । मैं समझता हूं उनकी आंखों के आंसुओं का कुछ सार निकलेगा लेकिन जो प्रावधान गत वर्ष था, जिन लोगों के लिये आंसू बहाये हैं उनके लिये कोई प्रावधान नहीं हैं । पहले 25 लाख रुपया नल-बिजली के दिया था लेकिन इस साल कोई प्रावधान नजर नहीं आया है । यदि अब भी उनके खयाल में होगा तो वे उनके लिये कुछ कर सकेंगे ऐसा मैं उनसे पूछता हूँ ।

(श्री नानालाल)

उन्होंने कृषि और पशु पालन पर जो प्रावधान रखा है वह वाकई धन्यवाद के योग्य है। उन्होंने अब पशुपालन के साथ-साथ इस राजस्थान में जो बहुतायत से उत्पन्न होता है, हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा होता है वह है ऊन। ऊन पर मैं बार-बार कह चुका हूं कि हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा हमारे यहां होती है जिससे हम राजस्थान की बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं। राजस्थान में हिन्दुस्तान का 50 प्रतिशत ऊन होता है और उसके लिये राजस्थान बाहर से विदेशी मुद्रा प्राप्त करता है। राज्य सरकार इस पर ध्यान देवे और इस उद्योग को प्रोत्साहन दे तो वाकई बेरोजगारी दूर हो सकती है और जितना रॉ-मेटेरियल मिलता है उससे भी लाभ प्राप्त हो सकता है। जितने कालीन विदेशों में जाते हैं उतने हमारे यहां नहीं खपते हैं इसलिये उन कालिनों से विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सकती है। इसलिये, सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि राज्य सरकार इस ओर ध्यान देगी तो अवश्य ही यहां की बेरोजगारी में लाभ मिल सकेगा।

मैं बाढ़ से टूटे-फूटे कुओं को बनाने के साथ-साथ यह भी कहना चाहूंगा जो उन्होंने इस समय प्रावधान ही नहीं किया उस ओर भी उनको देखना चाहिये। आज भी ऐसे कई पुल हैं जो राजधानी को तहसील से जोड़ने में उपयुक्त हैं किन्तु बाढ़ के कारण टूट गये हैं। रेलमगरा तहसील में बनास नदी का पुल बहुत ही महत्त्वपूर्ण पूल है। रेलमगरा इसके बिना वाकई बिहड़ बन गया है। इस बजट में उसके लिये कोई प्रावधान नहीं हैं। इसलिये मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, ये जो टूटे हुये पुल हैं उनको तत्काल बनाने की योजना बनाई जाय।

अकाल पर जिस तरह काबू पाया है वह तो वाकई धन्यवाद के योग्य है ही किन्तु इसके साथ-साथ आपने जो वितरण व्यवस्था में त्रुटि रखी है उसको सुधारना पड़ेगा क्योंकि राज्य सरकार की मंशा यह नहीं है कि देहाती और शहरी क्षेत्रों में किसी प्रकार का भेद-भाव बरता जाय लेकिन सरकारी अफसर बिना लगाम घोड़े की तरह चलते हैं। राज्य सरकार की जो मंशा है उसको वे नहीं चाहते हैं कि लागू हो। इस ओर मैं आपका ध्यान उदयपुर जिले की ओर दिलाना चाहता हूं। उदयपुर जिले में प्रति व्यक्ति 125 और गांवों में 150 तो यह सोचना पड़ेगा। इस प्रकार का अन्तर अगर लोगों के साथ होगा तो यह समझेंगे कि ये जो सोये हुये हैं वह जग जांय। राज्य सरकार तो सिर्फ यह जानती है कि जो काटता है, भुसता है उसको टुकड़ा डाल दिया जाय, जो काटता है, उसके लिये व्यवस्था कर दी जाय लेकिन जो सोये हुए शेर हैं वह जग जायेंगे तो मुश्किल हो जायगी। इसलिये मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा जो 80 प्रतिशत जनता है उसको ध्यान में रखेंगे तो बड़ा अहसान होगा।

खेल-कूद की तरफ भी माननीय वित्त मन्त्रीजी ने ध्यान दिया है किन्तु ग्रामीण खेल-कूदों की तरफ ध्यान नहीं है। राज्य सरकार का जितना बजट इस मद में शहरों को मिलता है वह वहीं पर खत्म हो जाता है। आज ग्रामीण खेल-कूद जो पनप नहीं रहे हैं उनको पनपाना नहीं चाहती है

(श्री नानालाल)

और उस तरफ कोई पैदा नहीं देना चाहती है इसलिये राज्य सरकार से निवेदन है जो खेल-कूद के लिये जितना बजट पास किया जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी उसका लाभ मिलना चाहिये।

मैं मेरी तहसील रेलमगरा की बात भी कहना चाहता हूं हमारे यहां ग्रामीण खेल-कूद प्रतियोगिता शुरू की गई थी। राजस्थान स्पोर्ट्स कौन्सिल की तरफ से जितने कर्मचारी नियुक्त हैं उनको वहां पहुंचना पड़ता है लेकिन पहुंचते नहीं हैं, राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि इस व्यवस्था की ओर भी अवश्य खयाल किया जाय।

इसके साथ-साथ मैं सड़कों के बारे में राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जो सड़कों का प्रावधान रखा है वह ठीक है किन्तु कहीं-कहीं बिलकुल इस तरफ का ध्यान रखा ही नहीं है जिससे उन लोगों को काफी तकलीफ हो रही है। मैं अपनी तहसील के बारे में कहना चाहता हूं। उदयपुर डिविजन में रेलमगरा प्रधान तहसील मानी जाती है जिसके अन्दर एक भी सड़क के लिये पैसा नहीं रखा गया है और सिर्फ एक सड़क बनी हुई है उसका प्रावधान रखा गया है तो मैं राज्य सरकार का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि कम से कम इस प्रकार की व्यवस्था हो जिससे लोगों को कहने का मौका नहीं मिले। सभी माननीय सदस्य अपने-अपने क्षेत्र में कम से कम सड़कों की व्यवस्था तो चाहते ही हैं।

राज्य सरकार की तरफ से स्कूलों के लिए भी व्यवस्था की गई है और नये-नये स्कूल खोले जा रहे हैं लेकिन पुराने स्कूलों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। प्राइमरी स्कूल गत वर्ष भी खोल दिये गए लेकिन वहां लड़कों के बैठने के लिये कोई स्थान नहीं है, अध्यापकों के बैठने के लिये कोई जगह नहीं है, वह चबूतरे पर बैठकर काम चलाते हैं। तो मैं इसके बारे में यह जरूर कहना चाहूंगा कि जो स्कूल खोले जा रहे हैं उसके बनिस्बत तो जो स्कूल पहले ही खोले जा चुके हैं उनकी व्यवस्था ठीक तरह से कर दी जाय और लड़कों के बैठने के लिये टाट पट्टी लगा दी जाय। गांवों और शहरों में भेद करने से लोगों के मन में द्वेष पैदा होता है और लोग कहते हैं कि आज शहरों में टेबल लगी हुई होती हैं, कुर्सियां लगी हुई होती हैं, कमरों में पंखे लगे हुए होते हैं— यह सारी व्यवस्थायें शहर वालों में ही होती है और क्या हम लोगों को वह अधिकार नहीं है जो शहर वालों को हैं? जब समान अधिकार है तो वह लोग भी चाहते हैं कि हमें समान सुविधाएं मिलें। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जो स्कूल खोले जा रहे हैं वह पैसा पुराने स्कूलों में लगा दें ताकि वहां की व्यवस्था ठीक हो सकें।

मैं राज्य सरकार का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि जो उच्च शिक्षा की व्यवस्था हो रही है वहां उच्च पदों पर ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त किया जाय जो कि ईमानदार हों और जिनका नैतिक स्तर ऊंचा हो। मैं उदयपुर के विश्वविद्यालय के उप-कुलपति का भी उल्लेख करना चाहता हूं। शिक्षा के क्षेत्र में जहां किसी

(श्री नानालाल)

प्रकार का षड्यन्त्र नहीं होना चाहिये आज उदयपुर जैसे विश्वविद्यालय में षड्यन्त्र रचा जा रहा है। तो मैं राज्य सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं। मुझे उसके बारे में और अधिक कुछ नहीं कहना है लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि राज्य सरकार को जरूर इस बारे में सख्त से सख्त और तुरन्त कदम उठाना चाहिये ताकि लोगों को कहने का मौका नहीं मिले।

माननीय सभापति महोदय, मैं बजट के बारे में और कोई अपनी बात नहीं रखना चाहता हूं। वैसे विरोधी दल के माननीय सदस्य खिलाफत करते ही हैं क्योंकि यह उनका काम है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि एक व्यक्ति हमेशा जीमने जाता था और वह हर चीज में नुक्स निकालता था क्योंकि वह ज्यादा बोलने वाला और नालायक किस्म का व्यक्ति था। तो लोग उसकी बातों को मानते और क्षमा मांग लेते थे। हर जगह वह त्रुटियां निकालता था लेकिन एक बार उसके घर भी मौका मिल गया। तो महाशय घर छोड़ कर भाग गए। खैर, कहने वाले तो कहते हैं लेकिन जब सरकार चलानी होती है तो मालूम पड़ता है कि किस तरह से व्यवस्था की जाती है। तो मैं वित्त मंत्री महोदय को इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद देता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री देवीलाल !

श्री देवीलाल (सराड़ा) : सभापति महोदय, आज हमारे सदन में सदस्य 1974-75 के बजट के ऊपर भाषण दे रहे हैं। इस मामले में मेरा अपना कहना है कि बजट तो काफी अच्छे ढंग से वित्त मंत्री जी ने रखा है। कोई टैक्स भी नहीं लगाया है। लेकिन राजस्थान में विकास को देखते हुए इस बजट को हम पर्याप्त नहीं मानते। हालांकि राजस्थान के कई इलाके पिछड़े हुए हैं। जैसे रेगिस्तानी इलाका है वैसे ही राजस्थान में कई पहाड़ी इलाके भी हैं। आज राजस्थान के पहाड़ी इलाकों में पिछड़े वर्गों के लोग रहते हैं, आदिवासी रहते हैं और उनके पास जमीन की कमी है, उनके पास काम-धंधे की कमी है। ऐसी स्थिति को देखते हुए बजट में उन इलाकों के लिए कोई प्रावधान करना चाहिए था। चाहे राजस्थान की जनता को किसी प्रकार के टैक्स भुगतने पड़ते तो भी कोई हरज की बात नहीं थी। आज राजस्थान के पहाड़ी इलाकों में जहां राजस्थान सरकार 25 सालों से काम करती आ रही है फिर भी उन इलाकों में उन पिछड़े हुए इलाकों के लोगों का सिर ऊंचा नहीं उठा है इसलिए कि उन इलाकों में न तो काम-धंधे हैं न उद्योग धंधे हैं और न ऐसे धंधे है जिनसे उन लोगों की जेबों में पैसा आ सके और वह अपना जीवन-स्तर ऊंचा कर सकें। राजस्थान के बजट में पिछड़े हुए इलाकों के लोगों के लिए अलग से प्रावधान रखते समाज कल्याण विभाग अलग प्रावधान करके काम करना चाहता है या हमारी सरकार चाहती है यह हमें पूरा भरोसा नहीं है कि यह काम होगा या नहीं होगा। वह लोग इन्तजार करते रहेंगे, इस बजट की तरफ देखते रहेंगे कि बजट में कोई प्रावधान होगा, हमारी सड़कें बनेंगी, हमारी सिंचाई की योजनायें बनेंगी, हमारे लिए बिजली आयेगी लेकिन मैं आशा करता हूं

(श्री देवीलाल)

कि सरकार जरूर इस विषय पर ध्यान देगी कि जो इलाका पिछड़ा हुआ है जिनके घरों में बिजली नहीं पहुँची है, जिन गांवों में सड़कें नहीं पहुँची हैं। उस पर सरकार ध्यान देगी और बजट में प्रावधान रखेगी, ऐसी आशा करके मैं चलता हूं।

मैं उदयपुर जिले की तरफ राज्य सरकार का ध्यान और वित्त मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। उस इलाके में मैंने बजट में देखा और मैं समझता था कि उस क्षेत्र की सड़कों का कोई प्रावधान होगा और रुपया रखा गया होगा जिससे एक तहसील से दूसरी तहसील तक सड़कें होंगी लेकिन ऐसा कहीं नजर नहीं आया। उप-जिला और तहसील को जोड़ने के लिए भी कोई प्रावधान नहीं, सिचाई योजनाओं के लिए भी कोई प्रावधान नहीं तो हम देखते हैं कि उन पिछड़े हुए इलाकों का कैसे उद्धार होगा। राज्य सरकार या वित्त मंत्रीजी कोई और प्रावधान करें उन पिछड़े इलाकों के लिए, सिचाई योजनाओं और लघु सिंचाई योजनाओं, एनीकट्स या और एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने के लिए सड़कों आदि का प्रावधान पूर्ण नहीं होगा तब तक उनका भला होने वाला नहीं है। हर वर्ष बजट रखते जाते हैं उसमें कहीं थोड़ा सा प्रावधान होता है लेकिन सड़कों के ऊपर जो लम्बी और बड़ी होती हैं उन पर सारा का सारा बजट समाप्त हो जाता है। कई बड़ी-बड़ी योजनायें ली जाती हैं उनके ऊपर सारा रुपया समाप्त हो हो जाता है और छोटे तालाबों से लोगों का भला हो सकता है, छोटी-छोटी जमीनों पर पानी जा सकता है ऐसी योजनायें और राज्य सरकार नहीं बनायेंगी और बजट में ऐसी योजनाओं के लिए प्रावधान नहीं रखेगी तब तक पिछड़े हुए इलाकों का कोई भला होने वाला नहीं है। हालांकि राजस्थान सरकार पर हमारा पूरा भरोसा है, राज्य सरकार जरूर ऐसे विषयों पर ध्यान देगी और वह बजट में और भी कोई प्रावधान करेगी उन इलाकों में करेगी विकास के कार्य होंगे। बिजली, राजस्थान सरकार ने कई इलाकों में बिजली पहुँचाई है और पहुँचाने का प्रयास चल रहा है, लेकिन ऐसे कई इलाके हैं जैसे हमारे उदयपुर जिले में सराड़ा तहसील, इसकी ओर मैं राज्य सरकार का और वित्त मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि बिजली देने के लिए इन गांवों की सर्वे कराई गई थी लेकिन आज तक वह सर्वे कहीं पड़ी रही, मंजूर होकर ही नहीं आई। लोग आंखें निकालते हैं और देखते रहते हैं कि हमारे गांव में भी बिजली आएगी लेकिन सरकार ने उसके लिए भी कोई प्रावधान नहीं रखा कि इन गांवों में बिजली दी जाएगी। यह जरूर है कि सारे राजस्थान के दृष्टिकोण से बिजली पहुँचाने की राज्य सरकार की योजना है, लेकिन मैं तो यह चाहता हूं कि हमारे इलाके में, जो पिछड़ा इलाका है, उसमें भी बिजली पहुँचाने की ओर राज्य सरकार ध्यान देगी और वित्त मंत्रीजी भी बिजली पहुँचाने के लिए बजट में और गुंजाइश कर सकेंगे। मैं उस इलाके में एक आदिवासी विकास खण्ड खोलने के लिए भी राज्य सरकार से और वित्त मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि बजट में ऐसा प्रावधान होना चाहिए था जैसे हमारे यहां पर खैरवाड़ा, सराड़ा है, सलूम्बर है, गिरवा का कुछ हिस्सा है, कोटड़ा है, गोगुन्दा है, ये सारे के सारे पहाड़ी इलाके

(श्री देवीलाल)

है। इन इलाकों में जब तक विकास योजना कोई आदिवासी विकास योजना नहीं चलेगी तब तक इन इलाकों का विकास होने वाला नहीं है। ऐसे इलाकों में कोई उद्योग धन्धे भी नहीं है। इस दृष्टि से छोटी-छोटी जमीनों को पानी पहुंचाने के लिए भी सिंचाई की योजनायें अधिक से अधिक लागू हों और इसके लिए राज्य सरकार अपने बजट में कुछ प्रावधान करे तो उन इलाकों में कुछ काम होगा। जैसा कि वित्त मंत्रीजी ने हमारे रेगिस्तानी इलाकों में और पहाड़ी इलाकों में मुख्य मंत्रीजी ने भी बताया था और वित्त मंत्रीजी ने भी अपने भाषण में भी बताया है, तो मैं जरूर आशा करता हूं कि राजस्थान के बजट में इस प्रकार का आपने जो बताया है तो जरूर इन इलाकों की ओर राज्य सरकार ध्यान देगी और वित्त मंत्रीजी ने जैसा कि अपने भाषण में कहा है वैसे लागू करेगी।

मैं इन्हीं शब्दों में वित्त मंत्रीजी के भाषण का थोड़ा जिक्र करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री अजीतसिंह !

श्री अजीतसिंह (टोंक) : सभापति महोदय, इस बजट भाषण के अन्दर जो कुछ पिछड़े हुए लोग हैं और जो उत्पादक हैं उन पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है और जो उत्पादन में लगे हुए लोग हैं उन पर ज्यादा रुपया खर्च करना चाहिए था और जो गरीब लोग हैं और जो उद्योगों में लगे हुए हैं ऐसे लोगों के लिए बजट भाषण के अन्दर ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए थीं। वैसे इस भाषण में उनके लिए कोई उल्लेख नहीं है इसलिए मैं वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि बजट के अन्दर उनकी ओर ध्यान दिया जाकर और ज्यादा प्रावधान रख कर सुविधा उपलब्ध कराना जरूरी था जिससे उत्पादन बढ़े। देश की दशा सुधरे और मजदूरों की हालत सुधरे, ऐसी कामना हम लेकर चलते हैं। लेकिन इस बजट भाषण के अन्दर मेरे क्षेत्र में, टोंक के अन्दर इस विषम परिस्थिति के अन्दर भी जब कि धन का काफी अभाव है, मेरी कांस्टीटयुएंसी, टोंक जिले के अन्दर एक चर्म का कारखाना लगाने का और उसका उद्घाटन करने की आपने कृपा करके जो उद्घाटन किया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद दिए बगैर नहीं रह सकता। मैं और हमारी जनता इसके लिए आभारी हैं कि उन्होंने कृपापूर्वक हमारे यहां पर जो उद्योग स्थापित किए हैं और हमारे जो बेरोजगारों की समस्या बड़ी भारी थी उसका समाधान किया है, उसके लिए हम आपके काफी आभारी हैं, फिर भी ऐसे कई उद्योग हैं जो वहां लग सकते थे और जो लगने चाहिए थे उनके लिए समुचित व्यवस्था नहीं हो पाई है। वहां पर मेरी कांस्टीट्युयेंसी के अन्दर बेरोजगार बहुत ज्यादा हैं। वहां के रहने वाले ज्यादातर मुसलमान हैं और अपनी रूढ़ी प्रथा के अनुसार उनकी औरतें वगैरा काम नहीं करतीं इसलिए उनकी जो आर्थिक हालत है वह बहुत ही खराब है और इसलिए इस ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिए था। मैं चाहता हूं कि उनकी हालत सुधारने के लिए छोटे-छोटे उद्योग और लगाने चाहिए और उनके लिए वित्तीय व्यवस्था करने के लिए बजट में जो कोई प्रावधान नहीं है, वह प्रावधान होना चाहिए।

हमारे यहां पर छोटे उद्योगों के अन्दर कुछ लघु उद्योग हैं जैसे बीड़ी बनाने का

(श्री अजीतसिंह)

कारखाना है तथा इसके साथ ही चमड़े की इण्डस्ट्री है। जो चमड़े की इण्डस्ट्री की व्यवस्था की गई है उसके अन्दर भी कई ऐसे लोग घुस गए हैं जिनका उद्योग से लेना देना नहीं हैं, केवल कोटा परमिट खाने की दृष्टि से चले गए हैं और आए दिन अलाट-मेंट कराते रहते हैं और उसको खा जाते हैं और उसका उपयोग वहाँ के गरीबों के लिए उद्योग में होना चाहिए वह नहीं करके सारा का सारा यहाँ जयपुर में बिकता है या अहमदाबाद में सीधा ही बिक जाता है। इसलिए जो उत्पादन की दृष्टि से होना चाहिए था, बेरोजगारों की समस्या को हल करने के लिए होना चाहिए था वह नहीं हो करके वहाँ की वैसी की वैसी हालत है और लोगों को कोई राहत नहीं मिली है और इसके कारण उनकी हालत भी सुधर नहीं पा रही है। इसलिए मैं चाहूँगा कि इण्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट इस ओर ध्यान दे और उनके लिए लघु उद्योग लगाने की ओर ध्यान दे और बजट का पूर्णरूप से उपयोग हो इसलिए इण्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट इस पर ध्यान देकर पूरा करवाये।

उत्पादकों की सुख-सुविधा के लिए जो छोटे-छोटे उद्योग हैं उनके लिए कर्जा देने की जो व्यवस्था हमारे राष्ट्रीयकृत बैंकों से है उनके अन्दर भी भयंकर भ्रष्टाचार होता है। और बैंकों से जो पहले कर्जे की व्यवस्था थी वह भी बिगड़ रही है। इन पर अनुशासन नहीं है, राष्ट्रीयकृत बैंकों में। इसलिए राज्य सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि या तो कलेक्टर या और कोई सरकारी अधिकारी वगैरा को लगा कर इन पर सरकारी अंकुश लगावें जिससे भ्रष्टाचार रुक सके। मैं आपसे निवेदन करूं कि भ्रष्टाचार इतना बढ़ा हुआ है कि कर्जा देने में भी दस परसेंट वसूल करते हैं। कोई भी लोन सेंक्शन हुआ नहीं कि उसमें से दस परसेंट वसूल करते हैं। इस तरह से छोटे छोटे उद्योगों को कर्जा देने में ही रिश्वत मांगने लग जावे तो फिर हमारे देश का उत्पादन कैसे बढ़ेगा यह बड़ा सोचनीय विषय है और इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

इसके अलावा शहरों में रहने वालों पर तो काफी खर्चा किया जाता है लेकिन गांवों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। म्युनिसिपैलिटीज में माननीय वित्त मंत्री महोदय ने एक परसेंट के हिसाब से देने की घोषणा की है लेकिन जो गांवों में रहने वाले हैं उनके लिए एक पैसे की भी व्यवस्था नहीं की है। उनकी हालत बहुत ही दयनीय हो रही है। न वहां पर सड़कों की कोई व्यवस्था है, न वहां पर बिजली वगैरा पहुँची है और न कोई अन्य सुविधा ही है। गए साल तो उन्होंने हरिजन बस्तियों में नल और बिजली पहुँचाने के लिए बजट में अलाटमेंट किया था लेकिन अब की बार तो वह भी नहीं किया है। उनको इस दृष्टि से छोड़ करके चलना उचित प्रतीत नहीं होता है उनके लिए और भी व्यवस्था करनी चाहिए, बजट के अन्दर और मैं आशा करता हूं कि आप अवश्य करेंगे, ऐसा मैं मान कर चलता हूं।

अनाज तेल, कपड़ा वगैरा शहरों के अन्दर तो वितरण होता है और इसके ऊपर काफी हंगामा भी होता है। लोग-बाग और विधायक महोदय भी प्रेस करते हैं लेकिन बेचारे गांवों में बैठे हुए

(श्री प्रतीतसिंह)

लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं हो पाती। हमारे विधान सभा की लोबी भी कमजोर है। बड़े-बड़े शहरों की ओर से माननीय सदस्य और राज्य सरकार भी ज्यादा ध्यान देती है लेकिन गांवों की तरफ कोई चिन्ता नहीं करता जब कि बहुत आवश्यक बात है कि इस ओर ध्यान दिया जाय। डीजल, सीमेंट, कपड़ा वगैरा जो बहुत आवश्यक चीजें हैं उनके ऊपर ज्यादा ध्यान देकर हमारे माननीय सदस्य सरकार के ऊपर दबाव डालें कि गांवों के अन्दर इनकी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वहां की भी सुख-सुविधा बढ़े। कपड़ा जो अलाट करते हैं वह कोपरेटिव सोसायटी और होल सैल भण्डार को दिया जाता है। वह कपड़ा गांव वालों को एक गज कपड़ा भी नहीं मिलता और सारा का सारा वितरण शहरों में हो जाता है। आप शहरों को ही सुख-सुविधाएं देना चाहते हैं लेकिन जब लेवी का सवाल आता है तो लेवी के नाम पर वहां जाते हैं और काश्तकारों से कहते हैं कि लेवी दो। हालत यह थी अब की बार वहां पर हमारी डिस्ट्रिक्ट के अन्दर कि बाढ़ और पानी की गलत हो गई खाने को अनाज नहीं रहा तो उसके ऊपर लेवी कहां से दें। लेवी देने के लिए उनके पास अनाज नहीं था, इसके ऊपर हमारे कांग्रेस पक्ष के लोग कहते हैं कि जनसंघ वाले लेवी नहीं देने देते हम लेवी देने से इन्कार नहीं है लेकिन उसकी रेट अच्छी होनी चाहिए। उनको उनकी जरूरत की चीजें, अनाज, सीमेंट, तेल, कपड़ा देना चाहिए। आप उनको देवे तो कुछ नहीं लेकिन जो उनके पास खाने का अनाज है वह भी लेवी के रूप में आप लेवें तो क्या उनको भूखों मारना चाहते हैं। आज आपने उनको भूखों मारने की स्थिति में छोड़ दिया है। हमारे बाड़मेर और जालौर से आने वाले माननीय सदस्य कहते हैं कि हमने लेवी में काफी कर दिया लेकिन मैं समझता हूं कि उनका बाजरा काला था और काला होने की वजह से मार्केट में बिक नहीं सकता था, सरकार नहीं आती तो कोई खरीदने वाला नहीं मिलता और प्रोडक्शन भी ज्यादा हुआ था इसलिए उन्होंने लेवी दे दी लेकिन हमारे यहां पर हालत खराब है। तीन साल से गलत हो गई इसलिए बाजरा जो कुछ था वह भी उनको पेट भरने पूरा नहीं मिला। गई साल अकाल था और पीछे पानी आ गया तो वहां पर कहां से लेवी देवें। ऐसी हालत में सरकार को मानवीय दृष्टिकोण अपना कर जो अनाज उन्होंने अपने पेट भरने के लिए रखा था उसको नहीं लेना चाहिए। मैं यह जानना चाहूंगा कि आप केवल तीन किलो अनाज देना चाहते हैं। तीन किलो अनाज से महीने भर पेट कैसे भर सकता है। अन्तोगत्वा ब्लैक मार्केट से उसको अनाज लाना पड़ता है और तब जाकर उनकी उदरपूर्ति हो सकती है। बाजार में आप बेचने देना नहीं चाहते हैं। चोरी छिपे कितना कौन अनाज बेच सकता है। बाजार में वह नहीं बेच सकता है और काश्तकार बाजार में नहीं लाता है। काश्तकार कहीं माल लेकर आता है तो उसको परेशान करते हैं। आपके डी. एस. ओ., इन्सपेक्टर उसको पैसा लिये नहीं छोड़ते और कहीं बच जावे तो गली-गली में उसको बेचना पड़ता है। यह व्यवस्था आप बिगाड़ते हैं और यह असन्तोष की बात है। तीन किलो अनाज

Page No 139

(139)

(श्री अजीतसिंह)

भी आप बराबर नहीं दे पा रहे हैं उससे क्या फायदा। डी.एस.ओ. इन्सपेक्टर दुनिया भर का खर्चा इस व्यवस्था पर आप करते हैं और फिर भी तीन किलो अनाज ही दे पाते हैं। इसके अलावा 250 ग्राम शक्कर देते हैं। इतनी छोटी सी व्यवस्था के लिए आप इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ओपन मार्केट से आप इनको खरीदने दें ताकि लोग अपनी जरूरत की चीजें खरीद सकें। सेल टैक्स जो अनाज पर लगता था वह फालतू जा रहा है। काफी आमदनी सेल्स टैक्स की गवर्नमेन्ट को होती थी और उसको भी आपने एक तरह से बंद कर दिया है और चोर बाजारी खुले आम हो रही है और चाहे जितना अनाज आप ले सकते हैं। काश्तकार या व्यापारी अनाज को गली-गली में जाकर बेच रहे हैं। यह उचित व्यवस्था नहीं है। इस व्यवस्था को ठीक किया जाये और ओपन मार्केट से गल्ला खरीदने की छूट दी जाये या फिर दस किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से आपको अनाज मुहैय्या करना चाहिये ताकि असन्तोष दूर हो सके।

डीजल, यूरिया खाद काश्तकारों को समय पर मिलना चाहिये वह नहीं मिल रहा है। अलाटमेन्ट होता है उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। सप्लाई आफिसर दो-तीन दिन में परमिट देते हैं और वह भी 10-5 लीटर का देते हैं। काश्तकारों की बड़ी भीड़ कलेक्टरी में इकट्ठी हो जाती है। उनको तेल मिल गया या नहीं इसकी कोई सिक्यूरिटी नहीं है। कितना तेल एक महीने के अन्दर मिल पायेगा यह भी उनको मालूम नहीं होता है। इसकी आप व्यवस्था करनी चाहिये। कितना-कितना तेल मिल सकेगा इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। मनमानी तरीके से वितरण होता है और न ही वितरण व्यवस्था पर आपका कोई कन्ट्रोल ही है। इसको ठीक करना चाहिये।

उत्पादकों को फायदा नहीं हो रहा है। इसका पूरा उपयोग ट्रक वाले कर रहे हैं और काश्तकारों को कोई फायदा नहीं मिलता है इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि तेल की वितरण के अन्दर ठोस कदम उठाया जाये ताकि काश्तकार डीज़ल तेल वगैरह के लिए निश्चिन्त रहें। इसके लिए सरकार से प्रार्थना करूंगा।

पंचायत समिति की हालत यह है कि बजट बनता है उसमें सारा का सारा खर्चा उनको चलाने में, नौकरों की तनख्वाह में पूरा हो जाता है। जितने टैक्सेज हैं, उत्पादन के टैक्सेज हैं वे खत्म हो जाते हैं। निजी आय बढ़ाने के लिए कोई स्रोत नहीं है। पंचायत समितियों को बैंक से लोन लेने की छूट देनी चाहिये। पंचायत समितियों के पास आइटम्स हैं जिनसे उनको निजी आय बढ़ सकती है और उससे विकास के कार्यक्रम चलाये जा सकते हैं परन्तु ऐसा कोई प्रावधान नहीं है और उनको लोन नहीं मिलता है और उनकी निजी आय नहीं बढ़ सकती है। पंचायत समिति के ऊपर मास्टरों का बोझा लाद रखा है। यह बिलकुल बेकार है, पंचायत समितियों के ऊपर शिक्षकों का रखना बेकार है। वे ठीक तरह से बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। बच्चों की पढ़ाई भी ठीक तरह से नहीं हो पाती है क्योंकि राजनैतिक चक्कर के कारण वे मारे मारे राजनीतिज्ञों की, प्रधान, प्रमुख, की खुशामद में रहते हैं

(श्री अजीतसिंह)

जहां एक मास्टर का स्कूल है वहां तो यह समझना चाहिये कि बच्चों की जिन्दगी खराब हो रही है और सरकार का पैसा भी बेकार खर्च हो रहा है। पंचायत समितियों के पास जो शिक्षक हैं उनको शिक्षा विभाग लेकर उचित व्यवस्था करे। इनके टी.ए.डी.ए. मेडिकल बिल्स का खर्चा भी पंचायत समितियों के ऊपर है। निजी आय सारी की सारी बर्बाद हो जाती है तब पंचायत समितियों से विकास की उम्मीद करना गलत है। बैंकों से कुओं के ऊपर ऋण दिलाया गया है परन्तु उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कितना रुपया देंगे। बड़ा भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। जो विकास करना चाहते हैं वह नहीं हो पाता है और कोई लाभ नहीं मिल रहा है। ज्यादा से ज्यादा रुपया कुओं को खोदने के लिए दिलाया जाना चाहिये ताकि सुविधा प्राप्त हो और इसके लिए उचित व्यवस्था की जाय। आज कुओं के लिए बिजली की समस्या विकट है। मेरी कान्स्टीट्युएन्सी के अन्दर आपने बड़ी कृपा करके सौ गांवों को बिजली मुहैय्या करने के लिए कहा है, यह अच्छी बात है लेकिन वहां पर लट्ठे खड़े है और उसके लिए पूरा सामान नहीं है। भारी खर्चा करके लाइन डाल दी है किन्तु कनेक्शन देने के लिए बिजली हाउस के पास पूरा सामान नहीं है। यह स्थिति दयनीय है। जब इतना खर्चा किया है तो कनेक्शन का सामान भी मुहैय्या किया जाना चाहिये। इसके लिए सम्बन्धित अधिकारियों को कहा जाना चाहिये। आपने इतने कुओं को इलेक्ट्रिफाइड करने की योजना बनायी है परन्तु कनेक्शन देने के लिए आपके पास में सामान नहीं है इसकेलिए मैं सरकार से जवाब चाहूंगा। इसके लिए सामान मुहैय्या कराया जाये ताकि बिजली का सदुपयोग हो सके।

(समय-समाप्ति–सूचक-घंटी)

यूरिया जो सरकार बांट रही है उसकी हालत यह है कि आये दिन भ्रष्टाचार हो रहा है। इस पर भ्रष्टाचार हो रहा है। जो अलाटमेंट होता है वह सही ढंग से नहीं हो पाता है। यह सूचनाएँ आती हैं कि एग्रीकल्चर ऑफिसर के पास यूरिया भेज दिया गया है परन्तु उसके पास जाते हैं तो यूरिया नहीं मिलता है। कलक्टर के पास भी जाते हैं तो नहीं मिल पाता है। इसके लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं हो पाई है। अभी सौ बोरी यूरिया पकड़ा गया है, पता नहीं उसके ऊपर क्या कार्यवाही हुई। यह पूल से आया या प्राइवेट डीलर से, कहां से लाया गया है, इसकी कोई जांच नहीं हो पाई है। मुख्य मंत्री को भी इसकी जानकारी है। कलक्टर से कह कर इसका चालान जरूर हो गया है किन्तु आगे क्या हुआ इसकी कोई जानकारी नहीं है। यूरिया आवश्यक चीज है इसको काश्तकारों को समय पर मुहैया कराया जाना चाहिये ताकि किसान अपने खाद्यान्न का उत्पादन कर सकें। यूरिया खाद वगैरह के लिए जो इसकी व्यवस्था है वह दोषपूर्ण है, इसको ठीक कराया जाये।

(समय-समाप्ति–सूचक-घंटी)

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही दिनांक 14 मार्च, 1974 को प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं 6 बजे बृहस्पतिवार, दिनांक 14 मार्च, 74 को प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की गयी।)

Page No 141

(145)

परिशिष्ट—1

(ता० प्र० स० 148 की सूची)

कोटपुतली तहसील में जनवरी, 72 से मार्च, 74 तक अकाल राहत तथा ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत सिंचाई कार्यों पर स्वीकृत एवम् खर्च की गई राशि की सूची

क्रम संख्या	नाम कार्य	स्वीकृत राशि	खर्चा
1.	लाइनिंग और अर्थ वर्क बूचारा मैन केनाल चैन 133 से 140 और अकाल राहत फतेहपुरा केनाल चैन 0 से 5 तक	44,550.00	58,218.00
2.	इम्प्रूवमेंट ऑफ बूचारा मैन केनाल, (ग्रामीण रोजगार योजना)	53,000.00	52,031.00

---

(142)

परिशिष्ट–2

(ता. प्र. सं. 150 की सूची)

बालिका विद्यालय निरीक्षिका, बीकानेर के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक एवं प्राथमिक विद्यालयों की सूची

जिला बीकानेर :

उच्च प्राथमिकशालाएं

1. सोनगिरी, बीकानेर
2. सूरसागर, बीकानेर
3. रानीबाजार, बीकानेर
4. एल० बी० दमाणी, बीकानेर
5. लेडीएल्गिन, बीकानेर
6. जस्सूसर गेट, बीकानेर
7. एल० एन० मन्दिर, बीकानेर
8. तेलीवाड़ा, बीकानेर
9. पावरहाउस, बीकानेर
10. जा० रानीबाजार, बीकानेर
11. बारहगुवाड़, बीकानेर
12. मोहतों का चौक, बीकानेर
13. लालगढ़, बीकानेर
14. भीनासर
15. देशनोक
16. नापासर
17. सींथल
18. होरेरा
19. उदासर
20. उदयरामसर
21. नोखा
22. पांचू
23. हिम्मतसर
24. लूनकरणसर
25. कालू
26. कोलायत
27. गजनेर

प्राथमिकशालाएं

1. जसोलाई, बीकानेर
2. गोगागेट, बीकानेर
3. दमाणी चौक, बीकानेर
4. नयाशहर, बीकानेर
5. छबीलीघाटी, बीकानेर
6. पाबूबारी, बीकानेर
7. धरनीधर, बीकानेर
8. बोथरा, गंगाशहर
9. करनाणी
10. चाचा नेहरू, नोखा
11. देशनोक
12. पलाना
13. मुक्कासर
14. जम्मु
15. दाऊजी मन्दिर, बीकानेर

जिला चूरू :

उच्च प्राथमिकशालाएं

1. पारस बालिका, चूरू
2. मोचीवाड़ा, चूरू
3. कनाई, सुजानगढ़
4. मराड़िया, सुजानगढ़
5. म्यू सुजानगढ़
6. रतनगढ़
7. रतननगर
8. तारानगर
9. घांडवास
10. साहवा
11. सिधमुख
12. मोमासर
13. दुलचासर
14. गोगासर
15. श्री डूंगरगढ़
16. पड़ियारा
17. साडंवा

प्राथमिक विद्यालय

1. चूरू
2. राजलदेसर
3. राजगढ़
4. रामपास राजगढ़
5. बीदासर
6. छापर

जिला गंगानगर :

उच्च प्राथमिक शालाएं

1. पुरानी आबादी, श्री गंगानगर
2. 37 कैनाल पार्क, श्री गंगानगर
3. नम्बर 4, गंगानगर
4. हनुमानगढ़ जं०
5. अनूपगढ़
6. चूनावढ
7. दौलतपुरा
8. हिन्दूमलकोट
9. डबलीराठान
10. टिब्बी
11. रोरावाली
12. गंजूवाला (रायसिंहनगर)
13. जैतसर
14. उतरदाबास (भादरा)
15. अजीतपुरा (भादरा)
16. केसरीसिंहपुर
17. सादुलशहर
18. रिडमलसर
19. भूकरका
20. फेफाना
21. थान की जाटान

प्राथमिक विद्यालय

1. पुलिस लाइन, श्री गंगानगर
2. सिबरकॉलोनी, श्री गंगानगर
3. नं० 1 एम० बी०, गंगानगर
4. नं० 2 एम० बी०, गंगानगर
5. नं० 3 एम० बी०, गंगानगर
6. सूरतगढ़
7. आर.सी.पी.; सूरतगढ़
8. रायसिंहनगर
9. गजसिंहपुर
10. करनपुर
11. हनुमानगढ़ टाउन
12. नोहर
13. भादरा

145

परिशिष्ट–3

(ता. प्र. सं. 159 की सूची)

Educational Break-up of Scheduled Tribe candidates available on Live Register of Employment Exchanges during the year 1971 to 1973.

Year	Below Matric	Matric	Hr. Sec.	Graduate	Post Graduate	G. Total
31 Dec., 1971	3791	682	477	114	41	5105
31 Dec., 1972	5700	971	580	171	120	6542
31 Dec., 1973	4483	997	653	277	185	6595

(146)

परिशिष्ट—अ

समयाभाव के कारण सदन में न लिये गये तारांकित प्रश्नोत्तर

छबड़ा में हायर सैकेन्ड्री स्कूल की मांग

160. श्री जगमोहनसिंह (छबड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि छबड़ा तहसील जिसकी आबादी करीब 40,000 है के लिए केवल छबड़ा कस्बे में 1950 से एक हाई स्कूल है ?

(2) क्या यह सही है कि इस स्कूल को हायर सैकेन्ड्री स्कूल में क्रमोन्नत किए जाने हेतु वहां की जनता द्वारा पिछले कई वर्षों से मांग की जा रही है ? यदि हां, तो इसे कब तक क्रमोन्नत कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। बजट में प्रावधान होने पर इस पर भी विचार किया जावेगा।

जवाई नदी में बाढ़ से क्षति

161. श्रीमती समुन्द्रकंवर (आहोर) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि तहसील आहोर, जिला जालोर में जवाई नदी ने गत बाढ़ में गांव सणवाड़ा के पास होकर आहोर और भैंसवाड़ा गांव के बीच में एक नया रास्ता अपना लिया था, जिसके फलस्वरूप आठ-दस और गांवों को भी बहुत नुकसान हुआ ? यदि हां, तो क्या इस संबंध में जिलाधीश, जालोर ने राज्य सरकार के पास कोई रिपोर्ट भेजी है ? यदि हां, तो रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही हैं कि जवाई नदी ने जो नया रास्ता अपना लिया था उसको बन्द करने के लिये भी जिलाधीश, जालोर ने राज्य सरकार से कोई निवेदन किया है ? अगर हां, तो राज्य सरकार इसकी रोकथाम के लिये क्या कदम उठा रही है ? और इस पर कार्य कब तक चालू कर दिया जायेगा ?

(3) क्या राज्य सरकार आने वाली वर्षा के पहले इस कार्य को हाथ में लेकर उक्त क्षेत्र को पुनः तबाह होने से बचाने का उपाय करेगी ?

(श्रीमती समुन्द्र कुंवर)

(4) क्या यह सही है कि हाल ही में शिक्षा मंत्री ने अपने जालोर के दौरे में इस क्षेत्र का मौका मुआयना किया था ? यदि हां, तो क्या उन्होंने इस संबंध में राज्य सरकार को कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है ? यदि हां, तो क्या उस पर कोई कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां। जिलाधीश, जालोर की एक रिपोर्ट राहत विभाग को प्राप्त हुई है, उसकी प्रति संलग्न है।

(2) जिलाधीश की इस रिपोर्ट में ग्राम संगवाड़ा के पास होकर जवाई नदी के द्वारा कोई नया रास्ता अपनाने का उल्लेख नहीं है। किन्तु राज्य सरकार इसकी रोकथाम के लिये योजना बनाने हेतु आवश्यक सर्वेक्षण कर रही है। कार्य योजना बनने व उसके स्वीकृत होने के पश्चात् शीघ्र ही चालू किया जायेगा ।

(3) उपरोक्त के अनुसार।

(4) जी हां; आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

(सूची विस्तुत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अकलेरा अस्पताल में दवाइयों एवं नर्सों की व्यवस्था

162. श्री भैरूलाल (अकलेरा) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि अकलेरा अस्पताल में दवाइयों का अभाव है ? यदि हां तो, क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त अस्पताल में ट्रेंड नर्स की पोस्ट कई दिनों से रिक्त है और इस कारण से जच्चा काल में औरतों को मौत का मुंह देखना पड़ता है ? यदि हां, तो इस पोस्ट पर ट्रेंड नर्स की नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ?

(3) क्या यह सही है कि अकलेरा क्षेत्र, बरसात में नदियों में बाढ़ आ जाने से यातायात की दृष्टि से बिल्कुल बन्द हो जाता है ? यदि हां; तो क्या अकलेरा डिस्पेन्सरी को 'सी' ग्रेड से 'बी' ग्रेड में करने की सरकार के पास कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसे कब अपग्रेड कर दिया जा सकेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(चिकित्सा मंत्री)

(2) अकलेरा अस्पताल में केवल एक पद नर्स दाई का स्वीकृत है और वह रिक्त नहीं है।

(3) जी हां, डिस्पेन्सरी को उच्चीकरण करने का प्रस्ताव वर्त्तमान में राज्य-सरकार के विचाराधीन नहीं है।

सियावा नदी की बाढ़ से पुल एवं सड़कों को क्षति

163. श्री भूराराम (आबू) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 31-8-73 को सियावा नदी में बाढ़ आने से आबू रोड़ से अम्बाजी रोड़ पर बना सियावा का पुराना पुल टूट गया ? अगर हां, तो राज्य सरकार इसका पुनः निर्माण कार्य कब शुरू करेगी और यह कब तक तैयार हो जावेगा ?

(2) क्या यह सत्य है कि दिनांक 31-8-73 को बनास बांध टूट जाने से सिरोही से आबू रोड़ जाने वाली मुख्य रोड़ पर ग्राम कोदरला से स्वरूपगंज तक बड़ी-बड़ी खाइयां पड़ी हैं ?

(3) क्या उपरोक्त सड़क का कार्य पूरा करा दिया गया है ? यदि हां, तो इस पर आज तक कितना खर्चा हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं कराया गया ?

(4) क्या उपरोक्त सड़क का कार्य स्थाई रूप से करा दिया गया है ? यदि हां, तो इसकी लम्बाई व चौड़ाई क्या है और इस पर कितनी धनराशि खर्च की गई ? क्या यह जनता की सुविधा के लिए पर्याप्त है ?

उत्तर

(1) जी हां। टेण्डर आमन्त्रित किये गये हैं, जो विचाराधीन है। टेण्डर स्वीकृत होने पर पुल का कार्य 1 वर्ष में पूरा होने की आशा है।

(2) बाढ़ के कारण सड़क को अवश्य हानि हुई थी, जिसकी यातायात चालू करने हेतु आवश्यक मरम्मत की जा चुकी है।

(3) कार्य पूरा नहीं हुआ है। अभी प्रगति पर है। माह फरवरी तक 43;235 रुपये व्यय हो चुके हैं।

(4) स्थाई रूप से कार्य पूरा कराया जा रहा है। सड़क 12 फीट चौड़ाई में डामर की बनाई जा रही है।

बाड़ी में मुंसिफ मजिस्ट्रेट का कार्यालय

164. श्री **रामलाल** (बाड़ी) : क्या विधि एवं न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि बाड़ी में आज से कुछ समय पहले मुन्सिफ मजिस्ट्रेट का कार्यालय था जिसे हटाकर धौलपुर स्थानान्तरित कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इस क्षेत्र की जनता को होने वाली असुविधा को ध्यान में रखते हुए इसे पुनः बाड़ी में कायम किये जाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां। 1 अप्रेल, 1974 से नया क्रिमिनल प्रोसीजर कोड लागू हो रहा है और बाड़ी में मुंसिफ मजिस्ट्रेट की नई कोर्ट सृजन करने का प्रश्न विचाराधीन है।

मण्डाना थाने मे गिरफ्तार व्यक्ति

165. **श्रीमती नगेन्द्रबाला** (दीगोद) : क्या मुख्य मन्त्री (गृह) यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 22-3-73 को मंडाना थाना; जिला कोटा में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया जिसका नाम सत्तार पठान बताते हैं ? यदि हां, तो उसे कहां से और किस जुर्म में पकड़ा तथा सत्तार पठान अथवा अमुक व्यक्ति कितने दिन थाने में रहा तथा उसे कब छोड़ा ?

(2) क्या इस समय सत्तार पठान अथवा उपरोक्त व्यक्ति जिसे पकड़ा गया था पुलिस की जानकारी में है ? और है तो कहां है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। पुलिस द्वारा एक अब्दुल रहीम को दिनांक 22-3-73 को शाम के 4 बजे छबड़ा में धारा 332/353 ता. हि. के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था जिसे दूसरे दिन 23-3-73 को जमानत पर छोड़ा गया।

(2) दिनांक 24-3-73 को श्री अब्दुलरहीम ग्राम छीपाबड़ोद में देखा गया था।

खण्डेला-पलसाना सड़क

166. श्री **गोपालसिंह** (खण्डेला) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सीकर जिले का 17 हजार की आबादी का खण्डेला कस्बा अभी तक पलसाना तक सड़क से नहीं जोड़ा गया है ?

(150)

(श्री गोपालसिंह)

(2) क्या यह सही है कि खण्डेला-पलसाना के बीच पिछले 30 वर्ष से कच्चे मार्ग पर बसें चल रही हैं और खण्डेला से सीकर जिला मुख्यालय के लिए यही एक मात्र कम से कम दूरी का मार्ग है ?

(3) क्या इस मार्ग पर पिछले वर्ष करीब 8 किलोमीटर की लम्बाई पर मिट्टी का गोला बना कर पत्थर डाले जा चुके हैं और अब केवल 10 किलोमीटर का ही काम बाकी है ?

(4) क्या यह सड़क प्लान में ली जा चुकी है ? यदि हां, तो कब से प्लान में चल रही है ?

(5) क्या सरकार इस सड़क को आगामी वर्ष के बजट में प्रावधान कर पूर्ण कराने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक सड़क तैयार हो जायेगी ?

उत्तर

(1) यह सही है कि खण्डेला-पलसाना से सीधी सड़क से जुड़ा हुआ नहीं है।

(2) खण्डेला-पलसाना के बीच बसें अवश्य चलती हैं। वर्तमान मार्गों में अपेक्षाकृत कम दूरी का मार्ग है।

(3) पिछले वर्ष अकाल सहायता में 11.5 किलोमीटर में मिट्टी का कार्य हुआ है तथा कुछ पत्थर व रोडी इकट्ठे किये गये हैं।

(4) यह सड़क वार्षिक योजना 1971–72 में स्वीकृत की गई थी, किन्तु अर्थाभाव के कारण यह कार्य ड्रोप कर दिया गया।

(5) आगामी वर्ष के लिए अन्य सड़कों के साथ प्राथमिकता के आधार पर इस पर भी विचार किया जा सकेगा।

छात्रावास अधीक्षक के लिए निर्धारित योग्यता

167. श्री जयनारायण रोत (लसाड़िया) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) समाज कल्याण विभाग के प्रथम श्रेणी छात्रावास अधीक्षक के लिए क्या-क्या शैक्षणिक योग्यता निर्धारित है ?

(2) क्या श्री सोहनलाल त्रिवेदी यह निर्धारित योग्यता रखते हैं ? यदि हां, तो क्या यह योग्यता उनके सर्विस रिकार्ड में इन्द्राज है ? यदि नहीं, तो किस आधार पर श्री त्रिवेदी की पदोन्नति की गयी ?

(श्री जयनारायण रोत)

(3) श्री त्रिवेदी निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं रखते हैं तो क्या उनको पैतृक विभाग भेजा जा सकता है ?

उत्तर

(1) समाज कल्याण विभाग के प्रथम श्रेणी छात्रावास अधीक्षक के लिये शैक्षणिक योग्यता एम० ए० मनोविज्ञान/बाल मनोविज्ञान/सोशियोलोजी/सोशियल वर्क या एम० एड० है।

(2) जी हां, श्री सोहनलाल त्रिवेदी निर्धारित योग्यता रखते हैं। ये उदयपुर विश्वविद्यालय से एम० ए० रूरल सोशियोलोजी प्रथम श्रेणी में पास हैं। श्री त्रिवेदी का प्रार्थना-पत्र जो निदेशक, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त हुआ था उसके साथ में उदयपुर विश्वविद्यालय द्वारा दी गई मार्कशीट की प्रतिलिपि संलग्न थी। जिसके आधार पर इनकी पदोन्नति की गई है।

(3) श्री त्रिवेदी निर्धारित योग्यता रखते हैं, अतः वापस पैतृक विभाग में लौटाने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्च विद्यालय, दांता का स्थानान्तरण

168. श्री गोरधन सिंह (सीकर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि वर्त्तमान प्रधानाध्यापक राजकीय उच्च विद्यालय, दांता के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में एक शिष्ट मण्डल राज्य मन्त्री से मिला था ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या यह भी सही है कि भूतपूर्व शिक्षा राज्य मन्त्री ने निदेशक, शिक्षा विभाग को लिखित आदेश दिये थे कि उक्त प्रधानाध्यापक को दांता नहीं रखा जावे ? अगर हां, तो कब ?

(3) क्या यह भी सही है कि निदेशक, शिक्षा विभाग द्वारा आज तक उक्त प्रधानाध्यापक को दांता नहीं हटाया गया है ? अगर हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह भी सही है कि वर्त्तमान प्रधानाध्यापक के खिलाफ दिनांक 29-1-74 को शिक्षा राज्य मन्त्री को आरोप-पत्र दिया गया ? अगर हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) यह सही नहीं है। प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) यह सही नहीं है।

(4) जी हां। इसकी जांच करवाई जा रही है।

कुशलगढ़ में विभिन्न निर्माण कार्यों पर व्यय

169. श्री जीविंग (कुशलगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या जिला बांसवाड़ा, सब डिवीजन कुशलगढ़ हैडक्वार्टर्स पर डाक बंगला निर्माण करने का विभाग ने निर्णय लिया था? यदि हां, तो उक्त निर्माण कार्य में कितना कार्य कब हुआ?

(2) उक्त कार्य का टैक्नीकल एस्टीमेट बनाया गया है? यदि हां, तो लागत खर्च क्या है? यदि नहीं बनाया तो क्यों।

(3) तहसील कुशलगढ़ क्षेत्र में कितनी सड़कें पूर्ण हो चुकी हैं और कितनी अपूर्ण है? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(4) क्या यह भी सही है कि कुशलगढ़ से थोपन घाटी वाया चरकनी सड़क एवं कुशलगढ़ से खान्दु वाया कोटड़ा तथा कुशलगढ़ से बाजाना सड़कों आदि का कार्य विभाग ने अपने हाथ में लिया है? यदि हां, तो प्रत्येक सड़क पर कब-कब कार्य आरम्भ किया गया और विभाग एवं अकाल राहत कार्य से कितनी-कितनी रकम खर्च की गई? आंकड़ों सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) उक्त सड़कों के निर्माण का कार्य कब तक पूर्ण होने की सम्भावना है?

(6) क्या कुशलगढ़-उदयगढ़ एवं कुशलगढ़-बांसवाड़ा सड़क इस वर्ष अतिवृष्टि के कारण नष्ट हो गई है? यदि हां, तो दुबारा उक्त सड़कों पर डामर बिछा कर पूर्ण करने की विभाग ने क्या व्यवस्था की है? यह कार्य कब तक आरम्भ होगा? यदि नहीं होगा, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। किन्तु वित्त विभाग द्वारा माइनर वर्क्स की स्वीकृत धनराशि को कम करने के कारण कार्य हाथ में नहीं लिया गया है।

(2) जी नहीं। चूंकि माइनर वर्क्स के लिये धनराशि स्वीकार नहीं की गई। अतः टैक्नीकल एस्टीमेट नहीं बनाया जा सका।

(3) सूची (अ) प्रस्तुत है।

(4) जी हां, सूची (ब) प्रस्तुत है।

(5) अर्थाभाव के कारण निश्चित नहीं कहा जा सकता।

(6) बाढ़ से सड़कें क्षतिग्रस्त हुई थीं, उपलब्ध धनराशि अनुसार मरम्मत कार्य प्रगति पर है।

(सूची-अ)

तहसील कुशलगढ़ क्षेत्र में पूर्ण व अपूर्ण सड़कों की सूची

सड़कें जो पूर्ण हुई:—(1) भील कुआ-कुशलगढ़ डामर रोड
(2) कुशलगढ़-उदयगढ़ डामर रोड

सड़कें जो अधूरी हैं: - (1) कुशलगढ़-बाजना रोड
(2) कुशलगढ़-गामदा वाया कोटड़ा रोड
(3) कुशलगढ़ से बोयना घाटी वाया चरकनी सड़क
(4) कालिंजरा-लोहारिया वाया अन्देश्वर
(5) डूंगरा-मूंदी रोड
(6) डूंगरा-जालिमपुरा रोड
(7) सज्जनगढ़-तामेसरा सड़क

(सूची-ब)

नाम सड़क	कार्य प्रारम्भ का वर्ष	खर्च की गई धनराशि		कुल खर्चा
		विभाग एवं क्रेश योजना	अकाल	
1. कुशलगढ़ से थोगना घाटी वाया चरकनी	69-70	—	56,468)	56,468)
2. कुशलगढ़ से खान्दू वाया कोटड़ा	72-73	—	160)	3,44,056)
	73-74	—	3,43,896)	
3. कुशलगढ़ से बाजना	69-70	—	30,141)	12,57,021)
	72-73	1,22,686)	1,269)	
	73-74	74,496)	6 28 466)	

राज्य कर्मचारियों के स्थानान्तरणों से आर्थिक भार

170. **श्री शंकरसिंह** (नसीराबाद) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि राज्य कर्मचारियों के स्थानान्तरण करने से राज्य पर अधिक आर्थिक भार पड़ता है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार स्थानान्तरणों के सम्बन्ध में कोई अवधि तथा नीति निर्धारित कर आर्थिक भार को कम करने को दिशा में कोई कदम उठाने को तैयार है ?

उत्तर

राज्य सरकार ने राज्य कर्मचारियों के स्थानान्तरण करने के संबंध में पहले से ही समुचित आदेश प्रसारित किये हैं। स्थानान्तरण प्रशासनिक दृष्टि पर ही किये जाते हैं जिसके कारण राज्य सरकार को आर्थिक भार वहन करना पड़ता है।

शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र

171. श्री जेठमल आर्य (रेवदर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में छात्राओं के लिये शारीरिक प्रशिक्षण के केन्द्र इस वर्ष बीकानेर व जोधपुर दो जगह खोले गये हैं और जोधपुर में लड़कों के साथ ही लड़कियों को भी प्रशिक्षण दिया जाता है ? यदि हां, तो सर्टिफिकेट कोर्स और डिप्लोमा कोर्स के लिये प्रशिक्षण की व्यवस्था एक ही जगह क्यों नहीं की गई ?

(2) क्या यह सही है कि जोधपुर व्यायाम प्रशिक्षण विद्यालय में पूरे साधन उपलब्ध नहीं हैं ? यदि हां, तो कब तक साधन उपलब्ध करा दिये जावेंगे ?

(3) क्या यह सही है कि राजस्थान की एक मात्र महिला व्यायाम प्रशिक्षिका श्रीमती शान्ति मेहता, उप निरीक्षक (व्यायाम) को वरिष्ठतम होते हुए भी जोधपुर व्यायाम प्रशिक्षण विद्यालय में पद रिक्त होते हुए भी पदोन्नत नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि राजस्थान में अधिकतर छात्राओं के माध्यमिक विद्यालयों में पुरुष व्यायाम प्रशिक्षक हैं ? यदि हां, तो राजस्थान के किस-किस विद्यालय में कौन-कौन प्रशिक्षक नियुक्त हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) केवल बीकानेर में छात्राओं के लिए सर्टिफिकेट कोर्स खोला गया है। जिसे एस० टी० सी० स्कूल की एक शाखा (विंग) के रूप में चलाया जा रहा है।

जोधपुर में इस वर्ष पहले से चल रहे महाविद्यालय में छात्राओं को भी भर्ती किया गया। यह सत्य है कि जोधपुर में लड़कों के साथ ही लड़कियों को भी प्रशिक्षण दिया जाता है।

यह सर्टिफिकेट कोर्स व डिप्लोमा कोर्स के लिए छात्राओं को प्रशिक्षण की व्यवस्था जोधपुर में इसलिए नहीं की जा सकी क्योंकि छात्राओं को अधिक संख्या में वहां रखने की उचित व्यवस्था नहीं थी। पूर्व वर्षों में छात्राओं की अधिक संख्या हो जाने के कारण ही कुछ अव्यवस्था हो गई थी जिसके कारणवश यह सुविधा कुछ काल तक बन्द करनी पड़ी। इस वर्ष पुनः प्रयोग के लिए कुछ ही छात्राओं को प्रवेश दिया गया।

(2) जी हां। इसकी योजना बनाई जा रही है और 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रावधान रखा गया है।

(शिक्षा मन्त्री)

(3) यह सही नहीं है कि राज्य में एक मात्र महिला व्यायाम प्रशिक्षिका श्रीमती शान्ति मेहता है। उनकी वरिष्ठता, योग्यता, पदोन्नति का प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(4) राजस्थान के कई छात्राओं के विद्यालयों में कुछ पुरुष व्यायाम प्रशिक्षक हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर में नियुक्त डाक्टर

172. 1. श्री रामकिशन (भरतपुर), 2. श्री केदारनाथ (गंगानगर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर में कुल कितने डाक्टर नियुक्त हैं? निम्न विवरण के साथ सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें:—

(1) नाम डाक्टर, (2) राज्य सेवा में नियुक्ति दिनांक, (3) जयपुर नगर में किस तिथि से हैं, (4) श्रेणी, (5) वेतन।

(2) जनवरी, 1973 से जनवरी 31, 1974 तक सवाई मानसिंह अस्पताल के कितने डाक्टरों को स्थानान्तरित किया गया? सूची सदन के पटल पर रखें।

(3) क्या जिन डाक्टरों के उक्त अवधि में स्थानान्तरण किये गए उनमें से कुछ के स्थानान्तरण रद्द कर दिये गए? यदि हां, तो किन-किन डाक्टरों के? सूची सदन के पटल पर रखें और यह भी बतावें कि रद्द करने का क्या कारण था?

(स्थगित किया गया)

प्रशिक्षित बेरोजगार अध्यापक

173. श्री अजीत सिंह (टौंक) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में तृतीय वेतन शृंखला में कितने प्रशिक्षित बेरोजगार अध्यापक हैं?

(2) उक्त प्रशिक्षित अध्यापकों में से कितने अध्यापकों की नियुक्ति सत्र 1973-74 में की जा चुकी है?

(3) क्या जयपुर जिले में भी नियुक्तियां हुई हैं? यदि हां, तो कितनी और नहीं तो क्या कारण है?

(157)

(श्री अजीतसिंह)

(4) क्या राजस्थान में अन्य जिलों में (जयपुर के अतिरिक्त) भी उक्त प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्तियां हुई हैं ? यदि हां, तो कब और कितनी ?

(5) राज्य में सत्र 1973-74 में कितनी प्राथमिक शालाओं को उच्च प्राथमिक और कितनी उच्च प्राथमिक शालाओं को माध्यमिक स्तर में क्रमोन्नत किया गया है ?

(6) इन क्रमोन्नत की गई शालाओं में कितने स्थान रिक्त हैं और कितने रिक्त स्थानों पर नियुक्तियां की गई हैं ?

(7) शेष रिक्त स्थानों पर नियुक्तियां क्यों नहीं की जा रही है जब कि सत्र आधा समाप्त होने जा रहा है ?

(स्थगित किया गया)

लाम्बा हरिसिंह-उनियारा सड़क

174. श्री चतरभुज (टोडारायसिंह) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि लाम्बा हरिसिंह से उनियारा सड़क के निर्माण का गत वित्तीय वर्ष में बजट स्वीकृत हो चुका था तथा आवश्यक गजट सूचना भी इस कार्य हेतु जारी की जा चुकी थी ? यदि हां, तो फिर इस सड़क का निर्माण कार्य अभी तक क्यों नहीं प्रारम्भ हो सका है तथा अब इस सड़क का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण होने की योजना है ?

उत्तर

जी हां। सड़क कार्य प्रगति पर है। पंचम पंचवर्षीय योजनाकाल में इसका कार्य पूरा कर दिया जायेगा।

राज्य पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों के लिये पदोन्नति सम्बन्धी नियम

175. श्री केशरीमल (ब्यावर) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में आज दिन तक किसी वर्ग के लिए भी कोई पदोन्नति नियम नहीं हैं ?

(2) क्या यह सही है कि आज तक जो पदोन्नतियां हुई हैं वह वरिष्ठता को आधार न मानते हुए मन चाहे ढंग से मन चाहे व्यक्तियों की हुई हैं ?

(श्री केशरीमल)

(3) क्या यह सही है कि कार्यशालाओं एवं कार्यालयों में विभिन्न वर्गों में कई कर्मचारी दस-दस वर्ष से एक ही पद पर कार्य कर रहे हैं एवं उनसे जूनियर व्यक्तियों को पदोन्नत कर दिया गया है ?

(4) क्या यह सही है कि कार्यशालाओं में कार्य करने वाले पुराने क्लीनरों, हैल्परों तथा कण्डक्टरों को उच्च पदों पर पदोन्नत करने के स्थान पर सीधी भरती की जा रही है एवं ऐसे पुराने अनुभवी कर्मचारियों को पदोन्नति के हक से वंचित कर दिया गया है ?

(5) क्या यह सही है कि दैनिक कार्य में कुशल व्यवस्था लाने के लिए सरकार ने जो कार्यालय सहायकों के पद सृजित किये हैं तो ऐसे पद आज तक निगम में सृजित किए गए हैं या नहीं ?

(6) क्या यह सही है कि निगम के गवाह उप-प्रधान प्रबंधक (प्रशासन) ने 1971 में राजस्थान औद्योगिक न्यायालय के समक्ष यह स्वीकार किया है कि निगम में पदोन्नति के कोई नियम नहीं हैं ?

उत्तर

(1) निगम में कर्मचारियों की नियुक्ति/पदोन्नति सम्बन्धी विस्तृत सेवा नियम अभी तक नहीं बनाये जा सके हैं। अब तक जो नियुक्तियां/पदोन्नतियां की गई हैं वह राजस्थान राज्य पथ परिवहन कर्मचारी सेवा नियम, 1965 के विनियम संख्या 117 के अन्तर्गत की गई हैं।

(2) अब तक जो पदोन्नतियां की गई हैं वह उक्त सेवा नियमों के विनियम 117 के अन्तर्गत की गई हैं।

(3) जी हां। कुछ कर्मचारियों से कनिष्ठ कर्मचारियों के योग्यता के आधार पर पदोन्नति की गई है। जब विस्तृत विनियम बन जायेंगे तो उन नियमों के आधार पर विगत में पदोन्नति में रही असंगतियों पर विचार कर उन्हें दूर कर दिया जावेगा।

(4) निगम द्वारा स्टेन्डिंग आॅर्डर्स के विनियम 5 (4) के अन्तर्गत सीधी भर्ती एवं पदोन्नति का अनुपात विस्तृत सेवा विनियम बनने तक निर्धारित किया गया है। जिसके आधार पर नियुक्तियां की जा रही है।

(5) जी नहीं।

(6) जी नहीं।

(159)

ग्राम बावड़ी के स्कूल में अध्यापकों की कमी

176. श्री **सांवरमल मोर** (श्री माधोपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सीकर जिले के बावड़ी ग्राम की प्राथमिक शाला को इस वर्ष उच्च प्राथमिक शाला में क्रमोन्नत किया गया ? यदि हां, तो इस समय वहां कितने अध्यापक कार्य कर रहे हैं ?

(2) क्या यह सही है कि कम अध्यापक होने से छात्रों की पढ़ाई में बाधा पहुंचती है ? यदि हां, तो अध्यापकों की कमी कब तक दूर कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। शिक्षा विभाग की तरफ से द्वितीय वेतन श्रृंखला का एक अध्यापक तथा पंचायत समिति की तरफ से 3 अध्यापक कार्यरत हैं।

(2) यह सही नहीं है। जुलाई, 1974 में जब शाला पूर्णत: शिक्षा विभाग के अधीन आ जावेगी तो निर्धारित मापदण्ड के अनुसार अध्यापक स्वीकृत एवं पदस्थापित किये जावेंगे।

फर्जी परिचय-पत्र देकर उठाई गई राशि

177. श्री **शंकरलाल जाट** (कपासन) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि भूतपूर्व तहसीलदार, राशमी ने अपने लड़के का सोमी तालाब पर चल रहे अकाल राहत कार्य में फर्जी परिचय-पत्र देकर मस्टर रोल में नाम लिखाकर पेमेन्ट उठा लिया था तथा जिसकी रिपोर्ट सिंचाई विभाग के अधिकारियों द्वारा पुलिस में दर्ज कराई गई थी ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि कार्यवाही नहीं की गई तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं। ए. ईएन. सिंचाई विभाग, भोपालसागर ने एक रिपोर्ट इस संबंध में एस. एच. ओ. पुलिसथाना, राशमी को जांच हेतु भेजी थी। जांच से पाया कि परिचय-पत्र गनपतराज के नाम जारी हुआ था। उसके लड़के सुरेन्द्रराज ने सोमी तालाब पर चल रहे अकाल राहत कार्य में दिनांक 16-2-73 से 28-2-73 तक कार्य किया था और उसका नाम मस्टररोल में अंकित है। मजदूरी के रुपये 39 भी लिए गए थे। उक्त हालात के साथ जांच रिपोर्ट वापस ए. ईएन. को भेज दी गई।

कपासन—कारोई सड़क निर्माण पर व्यय की गई राशि

178. श्री गणेशलाल (गंगरार) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कपासन से कारोई वाया मातृकुण्डिया व राशमी से गंगरार वाया भीमगढ़ सड़क का निर्माण कार्य कब शुरू किया गया व अब तक कितना धन इन दोनों सड़कों पर अलग-अलग खर्च किया गया है ?

(2) क्या यह सही है कि इन दोनों सड़कों का निर्माण कार्य अधूरा है ? यदि हां, तो राज्य सरकार इसे कब तक पूरा करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) सूची (अ) प्रस्तुत है।

(2) कपासन—कारोई वाया मातृकुण्डिया की स्वीकृति अनुसार कार्य पूरा करा दिया गया है।

राशमी—गंगरार का कार्य प्रगति पर है।

सूची (अ)

कपासन से कारोई वाया मातृकुण्डिया का निर्माण कार्य अगस्त, 1962 में शुरू किया गया एवम् इस कार्य पर 5,04,395 रुपये व्यय किये गए हैं।

राशमी से गंगरार वाया भीमगढ़ का निर्माण कार्य नवम्बर, 1963 से शुरू किया गया एवम् इस कार्य पर 2,11,260 रुपये व्यय किये जा चुके हैं।

—·———

(164)

परिशिष्ट—5

(ता० प्र० सं० 145 की सूची)

APPENDIX 'A'

District-wise number of wells organized and localities electrified during 1972-73 in Rajasthan

S. No.	Name of the District	No. of wells	No. of localities electrified
1	2	3	4
1.	Ajmer	681	11
2.	Alwar	1084	62
3.	Banswara	350	12
4.	Barmer	125	—
5.	Bharatpur	835	78
6.	Bhilwara	821	68
7.	Bikaner	3	7
8.	Bundi	160	20
9.	Chittorgarh	1326	67
10.	Churu	24	21
11.	Dungarpur	244	5
12.	Jaipur	3921	96
13.	Jaisalmer	—	—
14.	Jalore	318	25
15.	Jhunjhunu	915	19
16.	Jhalawar	340	3
17.	Jodhpur	436	18
18.	Kota	410	52
19.	Nagaur	406	62

162

1	2	3	4
20.	Pali	525	31
21.	Sawai Madhopur	460	49
22.	Sikar	1440	29
23.	Sirohi	119	1
24.	Sri Ganganagar	534	31
25.	Tonk	250	33
26.	Udaipur	1725	89
	TOTAL	17452	889

———

163

परिशिष्ट

(ता. प्र. सं.

	देहाती सेवाएं					
	कि० मी० लाखों में	आय-व्यय (लाख रुपयों में)		लाभ/हानि (+)/(−)		कि० मी० लाखों में
अप्रेल, 73	27.67	34.39	30.40	(+)	3.99	1.06
मई, 73	29.26	41.84	33.52	(+)	8.32	1.58
जून, 73	29.17	38.83	34.27	(+)	4.56	1.42
जुलाई, 73	29.51	35.88	35.32	(+)	0.56	1.24
अगस्त, 73	30.40	43.16	35.49	(+)	7.67	1.36
सितम्बर, 73	28.35	32.93	37.42	(−)	4.49	1.40
अक्टूबर, 73	32.43	39.20	41.90	(−)	2.70	1.50
नवम्बर, 73	33.60	45.20	42.34	(+)	2.86	1.58
दिसम्बर, 73	38.67	48.76	46.07	(−)	2.69	1.80
योग	279.06	360.19	336.73	(+)	23.46	12.94

—6

157 की सूची)

नगर वाहन सेवाएं आय-व्यय (लाख रुपयों में)		लाभ/हानि (+)/(–)		कुल योग किलोमीटर लाखों में	आय-व्यय (लाख रुपयों में)		परिशिष्ट 'अ' लाभ/हानि (+)/(–)	
0.75	1.55	(–)	0.80	28.73	35.14	31.95	(+)	3.19
1.13	1.59	(–)	0.46	30.84	42.97	35.11	(+)	7.86
1.37	1.82	(–)	0.45	30.59	40.20	36.09	(–)	4.11
1.04	1.89	(–)	0.85	30.75	36.92	37.21	(–)	0.29
1.24	2.20	(–)	0.96	31.76	44.40	37.69	(+)	6.71
1.51	2.20	(–)	0.69	29.75	34.44	39.62	(–)	5.18
1.41	2.49	(–)	1.08	33.93	40.61	44.39	(–)	3.78
1.54	2.62	(–)	1.08	35.18	46.74	44.96	(+)	1.78
1.63	3.16	(–)	1.53	40.47	50.39	49.23	(+)	1.16
11.62	19.52	(–)	7.90	292.00	371.81	356.25	(+)	15.56

(165)

परिशिष्ट—7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 113 की सूची)

बीकानेर जिले की तहसील नोखा व कोलायत में 73-74 में प्राथमिक से उच्च प्राथमिक क्रमोन्नत स्कूलों में कार्यरत अध्यापकों की सूची ।

क्र०सं०	नाम विद्यालय	अध्यापक का नाम जिन्हें नियुक्ति दी गई
1	2	3
तहसील नोखा :		
1.	उ० प्रा० वि०; सिनियाला	1. श्री मायरसिंह, प्र० अ० (द्वितीय श्रेणी अध्यापक) 2. श्री कस्तूरचन्द, स० अ० (तृतीय श्रेणी अध्यापक)
2.	,, गबरूपदेसर	1. श्री कैलाशचन्द, प्र० अ० (द्वितीय श्रेणी अध्यापक) 2. श्री भीखमचन्द, स. अ. (तृतीय श्रेणी अध्यापक)
3.	,, कुक्सू	1. श्री रघुनाथप्रसाद, प्र. अ.(द्वितीय श्रेणी अध्यापक) 2. श्री शशीभूषण, प्र. अ. (द्वितीय श्रेणी अध्यापक) 3. श्री जयदेव, स. अ. (तृतीय श्रेणी अध्यापक)
4.	,, साथुना	1. श्री मोहनलाल. प्र. अ. (द्वितीय श्रेणी अध्यापक) 2. श्री रामदेव किराडू, स. अ. (तृ. श्रे. अध्यापक)
5.	,, कुचोरजानुणी	1. श्री शिवरतन, प्र. अ. (द्वितीय श्रेणी अध्यापक) 2. श्री मालचन्द्र दैया, स. अ. (तृतीय श्रेणी अध्यापक)
6.	,, हिम्मतसर	1. सुश्री वीनावाहिती
7.	,, पांचू	1. सुश्री विनोदकुमारी
तहसील कोलायत :		
1.	उ. प्रा. वि. कोलायर	1. श्री हरीहरनाथ अग्निहोत्री, प्र. अ. (द्वि. श्रे. अ.) 2. रमाकान्त तंवर; स. अ. 3. श्रीमती लक्ष्मीदेवी
2.	,, दासोड़ी	1. श्री रामदान रतन; प्र. अ. (द्वि. श्रे. अध्यापक) 2. लूनकरण, स. अ.

Page No 165

(166)

1	2	3
3.	उ. प्रा. वि. गिर्राजसर	1. श्री हनुमानदास, (प्र. अ.) 2. श्री नवलसिंह 3. श्री अहमदहसर कावरी (स. अ.)
4.	,, खारीचारनान	1. श्री सूरजरतन साधा प्र. अ. (द्वि. श्रे. अध्यापक) 2. श्री मुरलीधर, स. अ. 3. श्री रघुनाथप्रसाद,
5.	,, पूलासर	1. श्री रामरतनहर्ष, प्र. अ. (द्वितीय श्रेणी अध्यापक) 2. श्री रमेशचन्द्र, स. अ. 3. श्री भूरेराम; स. अ. 4. श्री किशनलाल, स. अ.
6.	,, गजनेर	1. पुष्पा दीगणी 2. कमला सक्सेना 3. मंजू चतुर्वेदी

परिशिष्ट—8

(अ. ता. प्र. सं. 123 की सूची)

राजस्थान में वर्ष 1964 से 1973 तक दर्ज किये गये बलात्कार के मुकदमों की सूची

क्र. सं.	वर्ष	दर्जशुदा मुकदमात की सं.	मुकदमात चालान	मुकदमात जिनमें सजा हुई	मुकदमात जिनमें मुल्जिम बरी हुये
1.	1964	159	116	39	60
2.	1965	167	110	45	57
3.	1966	187	122	26	58
4.	1967	116	77	27	40
5.	1968	157	130	26	28
6.	1969	174	108	26	41
7.	1970	155	100	35	51
8.	1971	158	109	33	50
9.	1972	153	104	27	54
10	1973	143	119	28	49

परिशिष्ट—9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 129 की सूची)

रोहतास इण्डस्ट्रीज को दिये ऋण की शर्तें

1. कच्चेमाल, स्टाकइनट्रेड, अनिर्मित और तैयार माल के अतिरिक्त वनस्पति प्लाण्ट की वर्तमान एवं भावी समस्त सम्पत्ति का प्रथम पंजीकृत बन्धक (मोर्टगेज) ।

2. मार्जिन 40% ।

3. ऋण की अवधि 10 वर्ष ।

4. प्रबन्ध संचालक, राजस्थान वित्त निगम द्वारा स्वीकृत कम्पनी के दो संचालकों द्वारा ऋण के पुनर्भुगतान की गारन्टी ।

5. ऋण पर ब्याज प्रचलित बैंक दर से 4% अधिक देय होगा । यदि किश्तों का भुगतान नियमानुसार समय पर होता रहे तो आधा प्रतिशत की छूट (रिबेट) मिल सकेगी, किन्तु ब्याज की दर 8 1/2% प्रतिवर्ष से कम नहीं होगा । यदि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा 5 1/2% प्रतिवर्ष की रियायती दर से पुनर्वित्त उपलब्ध होगा और कम्पनी द्वारा भुगतान समय पर होता रहे तो 8 1/4% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज वसूल करेगा ।

6. निगम को बन्धक की गई समस्त अचल सम्पत्ति का बीमा ऋण वितरण से पूर्व कराना होगा 50% बीमा जीवन बीमा निगम से कराया जायगा ।

7. प्रतिभूति के लिये प्रस्तुत की गई अचल सम्पत्ति का मूल्यांकन ऋण वितरण से पूर्व निगम के मूल्य निर्धारक (एसेसर्स) के द्वारा किया जावेगा ।

8. ऋण वितरण से पूर्व निगम के विधि परामर्शदाता द्वारा प्रस्तावित कारखाने की भूमि पर स्वामित्व के दस्तावेजों की जांच की जावेगी ।

9. जयपुर में कम्पनी की सम्पत्ति को ऋण-पत्र-धारियों के प्रथम प्रभार से मुक्त कराया जाय और इस संबन्ध में निगम के विधि परामर्शदाता के संतोष हेतु कम्पनी द्वारा आवश्यक विधि विषयक औपचारिकताएं सम्पन्न कर ली जाएं ।

10. मशीनरी के प्रदायकों और कम्पनी के मध्य होने वाले समझौते की जांच वितरण से पूर्व निगम के विधि परामर्शदाता द्वारा की जाएगी ।

11. कम्पनी की आवश्यक मात्रा में विद्युत् प्रदाय करने विषयक राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल का एक आश्वासन-पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

12. ऋण की शर्तें जो कि कम्पनी के प्रतिनिधियों और निगम के प्रबन्ध संचालक के मध्य वैयक्तिक वार्ता के बाद निर्धारित होगी व ऋण संस्थान को मान्य होगी ।

परिशिष्ट—10

(अतारांकित प्रश्न सं० 132 की सूची)

क्षतिग्रस्त बांधों की सूची जिनकी प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हो गई है।

क्र० सं०	नाम सिंचाई कार्य	क्षतिग्रस्त कार्य के पुन: निर्माण के लिए धनराशि	धन जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हुई	विवरण
1	2	3	4	5
1.	नीनोल क्रास बन्ध	0.05 लाख	0.05 लाख	
2.	दूधवा ,,	1.45 ,,	1.45 ,,	
3.	सूथरी ,,	2.65 ,,	2.65 ,,	
4.	सूराचन्द ,, I	1.00 ,,	1.00 ,,	
5.	केरियो ,, I	2.67 ,,	2.67 ,,	
6.	बीमल ,,	1.30 ,,	1.30 ,,	
7.	अकरा ,,	0.30 ,,	0.30 ,,	
8.	सरनों ,,	0.05 ,,	0.05 ,,	
9.	गुन्डू ,,	0.05 ,,	0.05 ,,	
10.	दूधवा ,, II	1.00 ,,	1.00 ,,	
11.	हेमा गोडा ,,	2.20 ,,	2.20 ,,	
12.	धमाना ,,	0.05 ,,	0.05 ,,	
13.	होतीगोन ,,	0.60 ,,	0.60 ,,	
14.	जाजोसन ,,	0.05 ,,	0.05 ,,	
15.	मालासर ,,	0.50 ,,	0.50 ,,	
16.	जाव ,,	2.50 ,,	2.50 ,,	
17.	संकर ,,	0.05 ,,	0.05 ,,	
18.	खेजडली ,,	2.15 ,,	2.15 ,,	
19.	चितलवाना ,,	3.90 ,,	3.90 ,,	
20.	रतनपुर ,,	1.20 ,,	1.20 ,,	
21.	गलीफा ,,	1.90 ,,	1.90 ,,	
22.	जैसूरी ,,	0.75 ,,	0.75 ,,	
23.	सूजा की खाल ,,	1.00 ,,	1.00 ,,	
24.	टप्पी ,,	0.60 ,,	0.60 ,,	
25.	बोडाय ,, I	0.05 ,,	0.05 ,,	
26.	लक्ष्मीधारा ,,	0.07 ,,	0.07 ,,	

1	2	3	4	5
27.	संकर क्रास बन्ध II	0 05 लाख	0.05 लाख	
28.	सीडया ,,	0.06 ,,	0.06 ,,	
29.	इसरोल ,,	0.20 ,	0.20 ,,	
30.	टेटरोल ,	0.40 ,,	0.40 ,,	
31.	पुर ,,	0.20 ,,	0.20 ,,	
32.	खेजड़ली ,, II	1.20 ,,	1.20 ,,	
33.	सूरचन्द ,,	1.05 ,,	1.05 ,,	
34.	पालडी ,,	0.50 ,,	0.50 ,,	
35.	खूबली की ढाणी	0.20 ,,	0.70 ,,	
36.	शंकर रूपा बान्ध	1.00 ,,	धन की कमी के कारण प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई।	
37.	गोमी ,,	1.80 ,,	निल	
38.	दिगपुरा ,, प्रथम	1.00 ,,	,,	
39.	पपुरिया ,,	1.20 ,,	,,	
40.	केरजा ,, द्वितीय	0.70 ,,	,,	
41.	अमरपुरा ,,	0.50 ,,	,,	
42.	दिगपुरा द्वितीय ,,	0.60 ,,	,,	
43.	फोगरवा ,,	0.80 ,,	,,	
44.	बीधा द्वितीय ,,	0.30 ,	,,	
45.	जखाल ,,	0.30 ,,	,,	
	योग	40.15	32.45	

परिशिष्ट—11

(अतारांकित प्रश्न संख्या 134 की सूची)

(सूची-अ)

सामोद से अमरसर तक सड़क पर वर्ष 1963-64 से वर्ष 1973-74 तक स्वीकृत व्यय धनराशि की सूची

वित्तीय वर्ष	स्वीकृत धनराशि	खर्च की गई राशि
63-64	—	—
64-65	—	—
65-66	20,000	7,808
66-67	11,000	11,178
67-68	10,000	9,898
68-69	—	11
69-70	3,300	3,284
70-71	60,000	60,000
71-72	1,00,000	1,15,047
72-73	60,000	91,000
73-74	20,000	10,407
	कुल योग....	3,10,020

172

परिशिष्ट—12

(अतारांकित प्रश्न संख्या 132 की सूची)

उपभोक्ताओं की सूची जिन्होंने रलावता ग्राम में कुओं पर विद्युत् सम्बन्ध लेने के लिए प्रार्थना-पत्र दिए

क्रमांक	प्रार्थी का नाम	प्रार्थना-पत्र का दिनांक	विवरण
1	2	3	4
1.	श्री लादूसिंह पुत्र भूरा	8-4-68	लाइन तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है
2.	श्री रामचन्द्र पुत्र श्री रामधन	"	" " "
3.	श्री मालाराम पुत्र श्री शो बक्श	"	" " "
4.	श्री श्यामसिंह पुत्र श्री खसिंह	17-12-69	विद्युत् सम्बन्ध 6-2-70 को दे दिया।
5.	श्री प्रतापसिंह पुत्र श्री कल्याणसिंह	10-2-71	विद्युत् सम्बन्ध 30-2-71 को दे दिया।
6.	श्री महेन्द्रसिंह पुत्र श्री प्रतापसिंह	14-10-71	प्रार्थी ने उपयुक्त समय के अंदर मांग-पत्र की रकम जमा नहीं कराई। अतः प्रार्थना-पत्र रद्द कर दिया गया।
7.	श्री महेन्द्रसिंह पुत्र श्री प्रतापसिंह	"	विद्युत् सम्बन्ध 20-11-71 को दे दिया।
8.	श्री भैरूसिंह पुत्र श्री कानसिंह	13-9-72	प्रार्थी ने उपयुक्त समय में मांग-पत्र की रकम जमा नहीं कराई। अतः प्रार्थना-पत्र रद्द कर दिया गया।
9.	श्री माधुराम पुत्र जीवन माली	13-9-72	विद्युत् सम्बन्ध 31-1-73 को दे दिया।
10.	श्री लादूराम पुत्र गनेशराम	"	लाइन तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है।
11.	श्री लादूराम पुत्र बख्तावर	"	" " "

Page No 172

(173)

1	2	3	4
12.	श्री लादूराम पुत्र भूरा जाट	13-9-72	लाइन तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है।
13.	श्री मल्लाराम पुत्र शो बख्श	,,	,, ,, ,,
14.	श्री रामचन्द्र पुत्र भैरू जाट	,,	,, ,, ,,
15.	श्री भूलाराम पुत्र सोनाथ	,,	,, ,, ,,
16.	श्री लादूराम पुत्र मांगीलाल	,,	,, ,, ,,
17.	श्री बूलचन्द पुत्र गिरधारी	,,	,, ,, ,,
18.	श्री हनुमंतसिह पुत्र जवाहरसिंह	,,	,, ,, ,,
19.	श्री भंवरलाल पुत्र धन्नालाल	,,	,, ,, ,,
20.	श्री सुवालाल पुत्र हरलाल	,,	,, ,, ,,
21.	श्री जीवनलाल पुत्र मांगीलाल	,,	,, ,, ,,
22.	श्री चाथुराम पुत्र मांगीलाल	,,	प्रार्थी ने मांग-पत्र की रकम उपयुक्त समय में जमा नहीं कराई। अतः प्रार्थना-पत्र रद्द कर दिया गया।
23.	श्री जवरीलाल पुत्र शोनाथ	,,	लाइन तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है।
24.	श्री रामा पुत्र सुजा जाट	,,	,, ,, ,,
25.	श्री शोनाथ पुत्र लादू जाट	,,	,, ,, ,,
26.	श्री घीसा पुत्र मूला गूजर	,,	,, ,, ,,
27.	श्री नाथूलाल पुत्र कानाराम	,,	,, ,, ,,
28.	श्री नारायण पुत्र बख्ता	,,	,, ,, ,,
29.	श्री ग्राम पंचायत रलावता	,,	विद्युत् सम्बन्ध 22-11-72 को दे दिया।

1774

शुद्धि-पत्र

बुधवार, दिनांक 13 मार्च, 1974

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
1	2	3	4
2	नीचे से 3	लेते	लेने
3	ऊपर से 1	राज्य मंत्री, गृह	श्री गुलाबसिंह शक्तावत
14	नीचे से 6	उठा था	उठाया
21	ऊपर से 5	है क्या ? ग्रौरत	है क्या ? श्री मोहनलाल छंगाणी : ग्रौरत
29	ऊपर से 2	लीटरी	लीटर
33	ऊपर से 10	ग्राले	वाले
141	नीचे से 3	श्री केसरीमल	श्री केशरीमल
161	ऊपर से 1 ग्रौर 19	श्री ग्रजितसिंह	श्री ग्रजीतसिंह
183	ऊपर से 9	ज्योतिषी	ज्योतिषि
256	नीचे से 3	कोरम की घण्टी	गण-पूर्ति के पश्चात्